


TAKLEEF NA DIJIYE (HINDI)



तक्लीफ़ न दीजिये

(मअ 95 दिल चस्प हिकायात)



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

किताब पढ़ने की दुआ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले ज़ैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये **اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा । दुआ येह है :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَاَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

तर्जमा : ऐ **اَللّٰهُمَّ** ! हम पर इल्मो हिकमत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा ! ऐ अज़मत और बुजुर्गी वाले ।

(मستطرف ج ۱ ص ۴۰ دارالفکر بیروت)

नोट : अब्बल आख़िर एक-एक बार **दुरूद शरीफ़** पढ़ लीजिये ।

तालिबे गुमे मदीना

बकीअ

व मग़फ़िरत

13 शव्वालुल मुकर्रम 1428 हि.



क्रियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ** : सब से ज़ियादा हसरत क्रियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शख़्स को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन उस ने न उठाया (या 'नी उस इल्म पर अमल न किया) (तاريخ دمشق لابن عساکر ج ۱ ص ۳۸ دارالفکر بیروت)

किताब के ख़रीदार मुतवज्जेह हों

किताब की त्बाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइन्डिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक्तबतुल मदीना से रुजूअ फ़रमाइये ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

मजलिसे तराजिम हिन्द (दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ यह किताब मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा 'वते इस्लामी) ने उर्दू ज़बान में मुरत्तब की है। मजलिसे तराजिम (हिन्द) ने इस किताब को हिन्दी रस्मुल ख़त में तरतीब दे कर पेश किया है और मक्तबतुल मदीना से शाएअ करवाया है।

इस किताब में अगर किसी जगह ग़लती पाएँ तो मजलिसे को सफ़हा और सतुर नम्बर के साथ **Sms, E-mail, Whats App** या **Telegram** के ज़रीए इत्तिलाअ दे कर सवाबे आख़िरत कमाइये।

मद्वनी इल्तिजा : इस्लामी बहनें डायरेक्ट राबिता न फ़रमाएं!!!

...राबिता :-

सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अहमदाबाद-1, गुजरात (हिन्द) ☎ 9327776311
E-mail : tarajim.hind@dawateislami.net

उर्दू से हिन्दी रस्मुल ख़त (लीपियांतर) ख़ाका

थ = تھ	त = ت	फ = ف	प = پ	भ = بھ	ब = ب	अ = ا
छ = چ	च = چ	झ = جھ	ज = ج	स = س	ठ = ٹھ	ट = ٹ
ज़ = ز	ढ = ڈھ	ड = ڈ	ध = دھ	द = د	ख = خ	ह = ح
श = ش	स = س	ज़ = ز	ज़ = ز	ढ़ = ڈھ	ड़ = ڈ	र = ر
फ़ = ف	ग़ = غ	अ = ع	ज़ = ط	त = ط	ज़ = ض	ص = ص
म = م	ल = ل	घ = گھ	ग = گ	ख = کھ	क = ک	क़ = ق
ी = ئی	و = و	आ = آ	य = ی	ह = ہ	व = و	न = ن

तक्लीफ़ न दीजिये

-: पेशकश :-

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
(शो'बए इस्लाही कुतुब)

-: नाशिर :-

मक्तबतुल मदीना, देहली-6

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

नाम किताब : तक्लीफ़ न दीजिये
 पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
 (शो'बए इस्लाही कुतुब)
 नाशिर : मक्तबतुल मदीना, देहली-6

तस्दीक़ नामा

तारीख़ : 24 जमादिल उख़रा, सि. 1437 हि. हवाला नम्बर : 207

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

तस्दीक़ की जाती है कि किताब

“तक्लीफ़ न दीजिये” (उर्दू)

(मत्बूआ : मक्तबतुल मदीना) पर मजलिसे तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल की जानिब से नज़रे सानी की कोशिश की गई है। मजलिस ने इसे अक़ाइद, कुफ़्रिया इबारात, अख़्लाकिय्यात, फ़िक्ही मसाइल और अरबी इबारात वगैरा के हवाले से मक़दूर भर मुलाहज़ा कर लिया है, अलबत्ता कम्पोज़िंग या किताबत की ग़लतियों का ज़िम्मा मजलिस पर नहीं।



मजलिसे तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल

(दा'वते इस्लामी)

03-04-2016

Web : www.dawateislami.net / E.mail : ilmiapak@dawateislami.net

मदनी इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

“तहम्मूल व बुर्दबारी” के बारह हुरफ़ की निश्चत से इस किताब को पढ़ने की “12 नियतें”

فَرْمٰنُهُ مُسْتَفٰا صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ : **يَتِيَةُ الْاٰمُوْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عِبٰلِهِ**

मुसलमान की नियत उस के अमल से बेहतर है ।

(المعجم الكبير للطبرانى، ج ٦، ص ٥٨١، حديث: ٢٤٩٥)

दो मदनी फूल :

- ❖ बिगैर अच्छी नियत के किसी भी अमले खैर का सवाब नहीं मिलता ।
- ❖ जितनी अच्छी नियतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा ।

(1) हर बार हम्द व (2) सलात और (3) तअव्वुज व (4) तस्मिया से आगाज़ करूंगा (इसी सफ़हे पर ऊपर दी हुई दो अरबी इबारात पढ़ लेने से चारों नियतों पर अमल हो जाएगा) (5) हत्तल वस्अ इस का बा वुजू और (6) क़िब्ला रू मुतालाआ करूंगा (7) कुरआनी आयात और (8) अहादीसे मुबारका की ज़ियारत करूंगा (9) जहां जहां “**अब्बाह**” का नामे पाक आएगा वहां **عَزَّوَجَلَّ** और (10) जहां जहां “**सरकार**” का इस्मे मुबारक आएगा वहां **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ** पढ़ूंगा । (11) दूसरों को यह किताब पढ़ने की तरगीब दिलाऊंगा । (12) किताबत वगैरा में शरई ग़लती मिली तो नाशिरीन को तहरीरी तौर पर मुत्तलअ करूंगा । (मुसन्निफ़ या नाशिरीन वगैरा को किताबों की अग़लात सिर्फ़ ज़बानी बताना खास मुफ़ीद नहीं होता ।)

अल मदीनतुल इल्मिया

अज : बानिये दा'वते इस्लामी, आशिके आ'ला हज़रत, शैखे तरीक़त,
अमीरे अहले सुन्नत, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद

इल्यास अत्तार कादिरी रज़वी ज़ियाई **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةَ**

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ وَبِفَضْلِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

तब्लीगे कुरआनो सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक
“दा'वते इस्लामी” नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे
शरीअत को दुन्या भर में आ़म करने का अज़मे मुसम्मम रखती है, इन
तमाम उमूर को ब हुस्नो ख़ूबी सर अन्जाम देने के लिये मुतअद्दिद मजालिस
का क़ियाम अमल में लाया गया है जिन में से एक मजलिस “अल
मदीनतुल इल्मिया” भी है जो दा'वते इस्लामी के उलमा व
मुफ़्तयाने किराम **كَتَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ** पर मुश्तमिल है, जिस ने ख़ालिस इल्मी,
तहक़ीकी और इशाअती काम का बीड़ा उठाया है। इस के मुन्दरिजए ज़ैल
छे शो'बे हैं⁽¹⁾ :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ﴿1﴾ शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत | ﴿2﴾ शो'बए दर्सी कुतुब |
| ﴿3﴾ शो'बए इस्लाही कुतुब | ﴿4﴾ शो'बए तख़रीज |
| ﴿5﴾ शो'बए तफ़्तीशे कुतुब | ﴿6﴾ शो'बए तराजिमे कुतुब |

1.....तादमे तहरीर (जमादिल उख़रा 1437 हिजरी) 10 शो'बे मज़ीद काइम हो चुके हैं :
(7) फ़ैज़ाने कुरआन (8) फ़ैज़ाने हदीस (9) फ़ैज़ाने सहाबा व अहले बैत (10) फ़ैज़ाने
सहाबियात व सालिहात (11) शो'बए अमीरे अहले सुन्नत (12) फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा
(13) फ़ैज़ाने औलिया व उलमा (14) बयानाते दा'वते इस्लामी (15) रसाइले दा'वते इस्लामी
(16) अरबी तराजुम । (मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया)

“अल मदीनतुल इल्मिय्या” की अव्वलीन तरजीह सरकारे आ’ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत, परवानए शम्ए रिसालत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, हामिये सुन्नत, माहिये बिदअत, आलिमे शरीअत, पीरे तरीक़त, बाइसे ख़ैरो बरकत, हज़रते अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफ़िज़ अल क़ारी शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن की गिरां मायह तसानीफ़ को अ़सरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक़ हत्तल वस्अ सहल उस्लूब में पेश करना है। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस इल्मी, तहकीकी और इशाअती मदनी काम में हर मुमकिन तआवुन फ़रमाएं और मजलिस की तरफ़ से शाएअ होने वाली कुतुब का खुद भी मुतालाआ फ़रमाएं और दूसरों को भी इस की तरगीब दिलाएं।

اَللّٰهُمَّ عَزَّوَجَلَّ “दा’वते इस्लामी” की तमाम मजलिस ब शुमूल “अल मदीनतुल इल्मिय्या” को दिन ग्यारहवीं और रात बारहवीं तरक्की अता फ़रमाए और हमारे हर अमले ख़ैर को ज़ेवरे इख़्लास से आरास्ता फ़रमा कर दोनों जहां की भलाई का सबब बनाए। हमें ज़ेरे गुम्बदे खज़रा शहादत, जन्नतुल बकीअ में मदफ़न और जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए। اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



रमज़ानुल मुबारक 1425 हि.



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

दुस्वप्न शरीफ़ लिखने वाले की मग़फ़िरत हो गई

हज़रते सय्यिदुना सुफ़यान बिन उयैना رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं :
 मेरा एक इस्लामी भाई था, मरने के बा'द उसे ख़्वाब में देख कर पूछा :
 या'नी **اَعْرَضَ اللهُ بِكَ** ? या'नी **اَعْرَضَ اللهُ** ने आप के साथ क्या मुआमला
 फ़रमाया ? जवाब दिया : **اَعْرَضَ اللهُ** ने मुझे बख़्श दिया । मैं ने
 पूछा : किस अमल के सबब ? कहने लगा : मैं हदीस लिखता था जब
 भी शाहे ख़ैरुल अनाम عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ का ज़िक्रे ख़ैर आता मैं सवाब
 की निय्यत से **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** लिखता, इसी अमल की बरकत से मेरी
 मग़फ़िरत हो गई । (الْقَوْلُ الْبَدِيعُ ص ٤٦٣)

سَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

हिकायत 1

गन्दुम की बाली

हज़रते अल्लामा इब्नुल हाज मक्की عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي नक़ल करते हैं
 कि एक बुजुर्ग **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** अपने अस्हाब के साथ गन्दुम के खेत के पास
 से गुज़रे तो उन के साथ जाने वाले एक शख़्स ने गन्दुम की बाली को छुवा
 और फ़ौरन हाथ हटा लिया । बुजुर्ग ने यह मन्ज़र देख लिया और उसे हुक्म
 फ़रमाया कि खेत के मालिक से इस मुआमले को मुआफ़ करवाए । उस
 शख़्स ने अर्ज़ की : हज़रत ! गन्दुम की बाली तो उसी तरह मौजूद है
 और मेरे हाथ लगाने से इस में कोई कमी नहीं आई । बुजुर्ग ने इरशाद

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

फ़रमाया : तुम्हारा क्या ख़याल है कि अगर एक हज़ार या इस से ज़ियादा लोग यहां से गुज़रें और सब तुम्हारी तरह इसे हाथ लगाएं तो क्या इसे नुक़सान पहुंचेगा ? उस ने जवाब दिया : जी हां । इरशाद फ़रमाया : तुम ने जो किया है वोह उस जुल्म में से तुम्हारा हिस्सा है, फिर उस शख़्स ने जब तक गन्दुम के मालिक से मुआफ़ नहीं करवा लिया आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने न उस से कलाम फ़रमाया और न ही उसे अपनी सोहबत में रहने की इजाज़त दी । (المدخل، १/२४६)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हम में से हर एक इस दुनिया में तन्हा आता है और अकेला ही रुख़सत होता है लेकिन यहां रहता तन्हा नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ ज़िन्दगी बसर करता है, हमारी ज़ात से कभी किसी को राहत पहुंचती है तो कभी तक्लीफ़ और कभी कुछ भी नहीं या'नी तक्लीफ़ न राहत, अगर दीगर मुसलमानों को हम से राहत पहुंचेगी तो निर्य्यते ख़ैर होने की सूरत में हमें इस का सवाब मिलेगा, बिला वज्हे शरई तक्लीफ़ पहुंचाएंगे तो अज़ाब की हक़दारी है और तीसरी सूरत में न सवाब न अज़ाब । कोशिश होनी चाहिये कि हम बाइसे ज़हमत नहीं सबबे राहत बनें । इस हवाले से हमारे रवय्ये मुख़्तलिफ़ होते हैं, बा'जू इस्लामी भाइयों की इस तरफ़ ख़ूब तवज्जोह होती है कि हमारी ज़ात से किसी को तक्लीफ़ न पहुंचे, अगर उन से किसी मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंच भी जाए तो उन्हें एहसासे नदामत होता है और वोह तौबा कर के उस से हाथों हाथ मुआफ़ी मांग लेते हैं, जब कि कुछ इस्लामी भाई इस हवाले से गुफ़लत का शिकार होते हैं और उन्हें इस की कोई परवाह नहीं होती कि उन्होंने किसी को

तक्लीफ़ पहुंचा दी है और कई इस्लामी भाई इस बात की ख़्वाहिश तो रखते हैं कि किसी को उन से तक्लीफ़ न पहुंचे लेकिन मा'लूमात की कमी और ग़ैर मोहताज़ अन्दाज़ की वजह से अक्सर उन्हें पता ही नहीं चलता कि वोह अपनी हरकातो सकनात से दूसरे को तक्लीफ़ में मुब्तला कर चुके हैं, इन्सान के हाथों सिर्फ़ ज़िन्दा इन्सान ही तक्लीफ़ नहीं उठाता बल्कि मुर्दों, फ़िरिश्तों, जिन्नों और जानवरों को भी तक्लीफ़ पहुंच जाती है। इसी तरह के तक्लीफ़ 78 मुआमलात की निशान देही इस किताब में करने की कोशिश की गई है कि हम किस किस तरीके से दूसरों के लिये बाइसे तक्लीफ़ बन सकते हैं ? नीज़ मुसलमान को तक्लीफ़ पहुंचाने की क्या क्या वईदें हैं ? और तक्लीफ़ से बचाने की कैसी कैसी नवीदें हैं ? जिस को किसी से तक्लीफ़ पहुंच जाए और वोह इस पर सब्र करे तो उस के लिये क्या क्या बिशारतें हैं ? इस किताब का नाम शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्ल्यास अत्तार कादिरि **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** ने "तक्लीफ़ न दीजिये" रखा है जब कि दा'वते इस्लामी के "दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत" के इस्लामी भाई ने इस की शरई तफ़्तीश फ़रमाई है, इस किताब को न सिर्फ़ खुद पढ़िये बल्कि दीगर इस्लामी भाइयों को पढ़ने की तरगीब दे कर अपना सवाब खरा कीजिये। **عَزَّوَجَلَّ** हमें "अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश" करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मदनी मक़सद के हुसूल के लिये मदनी इन्आमात पर अमल और मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र की सआदत भी अता करे। आमीन

शो'बए इस्लाही कुतुब अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

अच्छा कौन और बुरा कौन ?

एक मरतबा रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें अच्छे बुरों की ख़बर न दूं ? सब ख़ामोश रहे, तीन बार येही इस्तिफ़सार फ़रमाया तो एक शख़्स ने अर्ज की : जी हां या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! हमें हमारे बुरे भलों की ख़बर दीजिये ! फ़रमाया : तुम्हारा भला वोह शख़्स है जिस से ख़ैर की उम्मीद की जाए और उस के शर से अम्न हो, और तुम्हारा बुरा वोह शख़्स है जिस से ख़ैर की उम्मीद न की जाए और उस के शर से अम्न न हो ।

(ترمذی، کتاب الفتن، باب (ت: ۷۶)، ۴/ ۱۱۶، حدیث: ۲۲۷۰)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَان हदीसे पाक के इस हिस्से कि “जिस से ख़ैर की उम्मीद की जाए और उस के शर से अम्न हो” के तहत फ़रमाते हैं : या’नी कुदरती तौर पर लोगों के दिलों में इस की तरफ़ से इतमीनान हो कि येह शख़्स किसी को तक्लीफ़ नहीं देता, हो सकता है तो ख़ैर ही करता है । “जिस से ख़ैर की उम्मीद न की जाए और उस के शर से अम्न न हो” के तहत मुफ़्ती साहिब फ़रमाते हैं : या’नी कुदरती तौर पर लोग इस से डरते हों कि येह शख़्स ख़तरनाक है इस से बचो, इस से ख़ैर न पहुंचेगी, शर (या’नी बुराई) ही पहुंचेगी । (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 579)

हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अब्दुरऊफ़ मनावी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي नक्ल फ़रमाते हैं : इस हदीस में इशारा है कि साथियों के साथ अद्ल करना वाजिब है और अद्ल तीन चीजों के ज़रीए हो सकता है :

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा’वते इस्लामी)

(1) ज़ियादती न करना (2) ज़लील करने से बचना (3) तक्लीफ़ न देना ।
क्योंकि ज़ियादती न करने से महबूबत बढ़ती है, ज़लील करने से बचना सब से बड़ी मेहरबानी है और तक्लीफ़ न देना सब से बड़ा इन्साफ़ है । अगर येह तीन चीज़ें न छोड़ी जाएं तो आपस में दुश्मनियां जनम लेने लगती हैं और फ़साद बरपा हो जाता है ।

(فيض القدير، حرف الهمة، ۳/ ۱۳۲، تحت الحديث: ۲۸۵۷)

मुसलमान क खून, माल और इज़ज़त मुसलमान पर हशम है

हमारा प्यारा मज़हबे इस्लाम हर मुसलमान की जान, माल और इज़ज़त के तहफ़फ़ुज़ की ज़मानत देता है चुनान्चे, हुज़ूरे पाक, साहिबे लौलाक **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने हुरमत निशान है :
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ या'नी हर मुसलमान का खून, माल और इज़ज़त दूसरे मुसलमान पर हराम है ।

(مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم... الخ، ص ۳۸۶، حديث: ۲۵۶۴)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : कोई मुसलमान किसी मुसलमान का माल बिगैर उस की इजाज़त न ले, किसी की आबरू रेज़ी न करे, किसी मुसलमान को नाहक़ और जुल्मन क़त्ल न करे, कि येह सब सख़्त जुर्म हैं । (मिरआतुल मनाज़ीह, 6 / 553)

मुफ़ती साहिब एक और मक़ाम पर लिखते हैं : मुसलमान को न तो दिल में हक़ीर जानो ! न उसे हक़ारत के अल्फ़ाज़ से पुकारो ! या

बुरे लक़ब से याद करो ! न उस का मज़ाक़ बनाओ ! आज हम में येह ऐब बहुत है पेशों, नसबों या गुर्बतो इफ़्लास की वजह से मुसलमान भाई को हक़ीर जानते हैं कि वोह पंजाबी है, वोह बंगाली, वोह सिन्धी, वोह सरहदी इस्लाम ने येह सारे फ़र्क़ मिटा दिये । शहद की मक्खी मुख़्तलिफ़ फूलों के रस चूस लेती है तो उन का नाम शहद हो जाता है । मुख़्तलिफ़ लकड़ियों को आग जला दे तो उस का नाम राख हो जाता है । यूं ही जब हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) का दामन पकड़ लिया तो सब मुसलमान एक हो गए, हबशी हो या रूमी !

(मिरआतुल मनाजीह, 6 / 552)

दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया

जिस के हुज़ूर हो गए उस का ज़माना हो गया

जिस ने मुसलमान को तक्लीफ़ दी उस ने मुझे तक्लीफ़ दी

बिला इजाज़ते शरई मुसलमान को तक्लीफ़ देना कितनी बड़ी ज़ुरअत है इस का अन्दाज़ा इस बात से लगाएं कि आ'ला हज़ूरत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा रज़विख्या शरीफ़ जिल्द 24 सफ़हा 342 में त़बरानी शरीफ़ के हवाले से नक़ल करते हैं : **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ के प्यारे हबीब, हबीबे लबीब, त़बीबों के त़बीब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने इब्रत निशान है :

مَنْ اَدَى مُسْلِمًا فَقَدْ اَدَانِي وَمَنْ اَدَانِي فَقَدْ اَدَى اللّٰهِ (या'नी) जिस ने (बिला वजह शरई) किसी मुसलमान को ईज़ा दी उस ने मुझे ईज़ा दी और जिस ने मुझे ईज़ा दी उस ने **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ को ईज़ा दी ।

(الْمُعْجَمُ الْأَوْسَطُ، ٢/٣٨٧، حديث ٣٦٠٧)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

अल्लाह व रसूल **عَزَّوَجَلَّ** وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को ईजा देने वालों के बारे में **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** पारह 22 सूरतुल अहज़ाब आयत 57 में इरशाद फ़रमाता है :

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक जो ईजा देते हैं **अल्लाह** और उस के रसूल को उन पर **अल्लाह** की ला'नत है दुन्या व आख़िरत में और **अल्लाह** ने उन के लिये ज़िल्लत का अज़ाब तय्यार कर रखा है ।

ज़रा सोचिये कि कौन सा मुसलमान इस बात को गवारा करेगा कि वोह **अल्लाह** व रसूल **عَزَّوَجَلَّ** وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को ईजा दे और जहन्म के अज़ाब का मुस्तहिक् करार पाए ! हम क़हरे क़हहार और ग़ज़बे जब्बार **عَزَّوَجَلَّ** से उसी की पनाह मांगते हैं ।

खुदाया ! किसी का न दिल मैं दुखाऊं

अमां तेरे अबदी अज़ाबों से पाऊं

किस क़दर बढ तरीन जुर्म है !

हज़रते सय्यिदुना फुज़ैल **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** ने फ़रमाया कि कुत्ते और सुवर को भी नाहक़ ईजा (या'नी तक्लीफ़) देना हलाल नहीं तो मोमिनीन व मोमिनात को ईजा देना किस क़दर बढ तरीन जुर्म है ।

(ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह 22, अल अहज़ाब, ज़ेरे आयत : 58)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 2

क़ियामत का ख़ौफ़ दिलाने पर बेहोश हो गए

सय्यिदुना मिस्अर बिन किदाम عليه رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام से रिवायत है : एक रोज़ हम इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم के साथ कहीं से गुज़र रहे थे कि बे खयाली में इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم का मुबारक पाठ एक लड़के के पैर पर पड़ गया, लड़के की चीख़ निकल गई और उस के मुंह से बे साख़्ता निकला : يَا شَيْخُ الْأَخَافُ الْفِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ! या'नी जनाब ! क्या आप क़ियामत के रोज़ लिये जाने वाले इन्तिक़ामे खुदावन्दी से नहीं डरते ?" यह सुनते ही इमामे आ'ज़म عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم पर लरज़ा तारी हो गया और ग़श खा कर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, जब कुछ देर के बा'द होश में आए तो मैं ने अर्ज़ की, कि एक लड़के की बात से आप इस क़दर क्यूं घबरा गए ? फ़रमाया : "क्या मा'लूम उस की आवाज़ ग़ैबी हिदायत हो ।" (أَلْمَنَاقِبِ لِلْمَوْفُوقِ ٢٠/ ١٤٨)

अता हो ख़ौफ़े ख़ुदा ख़ुदारा, दो उल्फ़ते मुस्तफ़ा ख़ुदारा

करूं अमल सुन्नतों पे हर दम, इमामे आ'ज़म अबू हनीफ़ा

(वसाइले बख़्शिश, स. 573)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّدٍ

दूसरों को ईजा देने वालो ! ख़बरदार !!!

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه अपने रिसाले "अशकों की बरसात" में इस हिकायत को नक़ल करने के बा'द सफ़हा 18 पर लिखते हैं : मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! येह तसव्वुर भी नहीं

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

किया जा सकता कि इमामे आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْأَكْرَم** जान बूझ कर किसी पर जुल्म करें और उस का पैर कुचल दें, बे ख़याली में सरज़द होने वाले फ़े'ल पर भी आप **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** **ख़ौफ़े खुदा** **عَزَّوَجَلَّ** के सबब बेहोश हो गए और एक हम लोग हैं कि जान बूझ कर न जाने रोज़ाना कितनों को तरह तरह से ईजाएं देते होंगे, मगर अफ़सोस ! हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि अगर **اَللّٰهُ** **عَزَّوَجَلَّ** ने क़ियामत के रोज़ हम से इन्तिक़ाम लिया तो हमारा क्या बनेगा ! (अश्कों की बरसात, स. 18)

बद अख़्लाकी की दो अ़लामतें

हज़रते सय्यिदुना अबू हाज़िम **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : आदमी के बद खुल्क होने की अ़लामत यह है कि वोह अपने अहले ख़ाना के पास इस हालत में जाए कि वोह खुशी से मुस्कुरा रहे हों और इसे देख कर ख़ौफ़ से अलग अलग हो जाएं और एक अ़लामत यह है कि बिल्ली उस से (डर कर) भाग जाए या कुत्ता ख़ौफ़ की वजह से दीवार फ़लांग जाए ।

(تنبيه المغترين، ص 199)

ख़ुश खुल्की के दरजात

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْحَيَّان** फ़रमाते हैं : ख़ुश खुल्की का अदना दरजा यह है कि किसी को जानी, माली, इज़्ज़त की ईज़ा न दे । आ'ला दरजा यह है कि बुराई का बदला भलाई से करे, येह बहुत आ'ला चीज़ है, जिसे खुदा तअ़ाला नसीब करे । (मिरआतुल मनाज़ीह, 6 / 461)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

بدي را بدي سهيل باشد جزا
اگر مردی احسن الی من آسا

(या'नी बदी का बदला बदी से देना तो आसान है अगर तू मर्द है तो बुराई करने वाले के साथ भी भलाई कर)

(गीबत की तबाहकारियां, स. 342)

सज़ा का मुस्तहिक् है

सदरुश्शरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَظِيمِ बहारे शरीअत जिल्द 2 सफ़्हा 407 पर लिखते हैं : जो शख्स मुसलमान को किसी फ़े'ल या कौल से ईजा पहुंचाए अगर्चे आंख या हाथ के इशारे से वोह मुस्तहिक्के ता'ज़ीर है।⁽¹⁾

(الدر المختار، کتاب الحدود، باب التعزیر، ١٠٦/٦)

बुरे ख़ातिमे के चार अस्बाब

शर्हुस्सुदूर में है, बा'ज उलमाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام फ़रमाते हैं : बुरे ख़ातिमे के चार अस्बाब हैं : (1) नमाज़ में सुस्ती (2) शराब नोशी (3) वालिदैन की ना फ़रमानी (4) मुसलमानों को तक्लीफ़ देना ।

(شرحُ الصُّدُور ص ٢٧)

1 : ता'ज़ीर : किसी गुनाह पर ब ग़र्जे तादीब (अदब सिखाने के लिये) जो सज़ा दी जाती है उस को ता'ज़ीर कहते हैं, शारेअ ने इस के लिये कोई मिक्दार मुअय्यन नहीं की है बल्कि इस को काज़ी की राए पर छोड़ा है जैसा मौक़अ हो उस के मुताबिक़ अमल करे । ता'ज़ीर का इख़्तियार सिर्फ़ बादशाहे इस्लाम ही को नहीं बल्कि शोहर बीबी को, आका गुलाम को, मां बाप अपनी औलाद को, उस्ताज़ शागिर्द को ता'ज़ीर कर सकता है । (बहारे शरीअत, 2 / 403 बहवाला (١٠٦/٦) الدر المختار، کتاب الحدود، باب التعزیر، ١٠٦/٦) इस के तफ़्सीली मसाइल जानने के लिये बहारे शरीअत जिल्द 2 के हिस्से 9 सफ़्हा 403 का मुतालआ कीजिये ।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मुझे दे दे ईमान पर इस्तिक्ामत

पए सय्यिदे मोहूतशम या इलाही

(वसाइले बख़्शिश, स. 573)

हिकायत : 3

छड़ी बाग़ में वापस रख आए

हज़रते सय्यिदुना सालेह् दहहान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ** बयान करते हैं कि हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन जैद **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** एक मरतबा अपने घरवालों में से किसी के साथ गुफ़्तगू करते हुए एक बाग़ से गुज़रे तो कुत्तों को भगाने के लिये वहां से एक शाख़ उठा ली और घर लौटते वक़्त मस्जिद में रख दी। मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा : इस का ख़याल रखना ! येह मैं ने एक क़ौम के बाग़ के पास से गुज़रते वक़्त उठा ली थी। लोगों ने कहा : ऐ अबू शा'शा ! इस शाख़ की क्या अहम्मियत है ? आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने फ़रमाया : अगर बाग़ से गुज़रने वाला हर शख़्स एक एक शाख़ लेता रहे तो बाग़ में कुछ भी नहीं बचेगा। चुनान्चे, सुब्ह हुई तो आप वोह शाख़ उसी बाग़ में वापस रख आए !

(حلیة الاولیاء، جابر بن زید، ۱۰۳/۳، رقم: ۳۳۳۵)

दो अच्छी और दो बुरी ख़स्लतें

मन्कूल है : दो ख़स्लतें ऐसी हैं कि इन से अफ़ज़ल कोई ख़स्लत नहीं : (1) **اَبْلَاح** तअ़ाला पर ईमान लाना (2) मुसलमानों को नफ़अ़ पहुंचाना, जब कि दो ख़स्लतें ऐसी हैं कि इन से ज़ियादा बुरी कोई

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ख़स्लत नहीं (1) **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ के साथ किसी को शरीक ठहराना
(2) मुसलमानों को तक्लीफ़ देना । (الْمَنَابِهَات، ص ३)

करूं या ख़ुदा मोमिनों की मैं ख़िदमत
न पहुंचे किसी को भी मुझ से अजिय्यत

हिकायत : 4

इबादत का ता'ना देने का अन्जाम

बहरुल उलूम हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती अब्दुल मन्नान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَلَأَان अपने दादा मर्हूम अब्दुरहीम बिन दोस्त मुहम्मद का तज़क़िरा करते हुए फ़रमाते हैं : दादाजान एक बाज़ार में मज़दूरी करते थे, एक दफ़्आ उजरत लेने के लिये उस शख़्स के पास गए जिस के यहां मज़दूरी करते थे तो उस के लड़के ने कहा : अभी गुज़श्ता हफ़्ते तो ख़र्ची ले कर गए थे, आज फिर चले आए, इतनी इबादतो रियाज़त तो करते हैं, उसी से ख़ूब ढेर सारा रूपिया क्यूं नहीं मांग लेते ! दादाजान ने उन को कोई जवाब न दिया, फ़ौरन घर वापस लौट आए और ढेर तक येह फ़रमाते रहे : कैसे लोग हैं ! येह मुसलमान कहे जाएंगे ? **اَللّٰهُ** का नाम लेने और बन्दगी करने पर ता'ना देते हैं । भला उन लोगों को क्या एहसास होता, अलबत्ता हज़रत इस जुम्ले पर निहायत दुखी रहे और आप ने उस शख़्स के लिये काम करना छोड़ दिया । बहरुल उलूम رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने मज़ीद फ़रमाया : **اَللّٰهُ** तअ़ाला किसी की सरकशी पसन्द नहीं फ़रमाता, मेरे ज़माने तक वोह लोग ज़िन्दा रहे, सारी अकड़ फूँ ख़त्म हो गई थी । उन में एक साहिब तो इस त़रह मरे कि मरते दम उन्हें कोई एक चमचा पानी देने वाला न था हालांकि तीन चार जवान बच्चे मौजूद थे । (مجموع العلوم، مبحثاً، ص २२२)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

लोगों को तक्लीफ़ देने वाला मलऊज़न है

अमीरुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि हुज़ूर ताजदारे अ़ालम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने इब्रत निशान है : जिस ने मुसलमान को तक्लीफ़ या धोका दिया वोह मलऊज़न है ।

(ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ماجاء فی الخيانة والغش، ۳/ ۳۷۸، حدیث: ۱۹۴۸)

हिकायत : 5

लोगों को तक्लीफ़ देने वाले का अज़ाब

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मरवी है कि हम शफ़ीए रोज़े शुमार, दो अ़ालम के मालिको मुख़्तार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के साथ चल रहे थे, हमारा गुज़र दो क़ब्रों के पास से हुवा तो आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ रुक गए लिहाज़ा हम भी आप के साथ ठहर गए । आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का रंग मुबारक मुतग़य्यर होने लगा यहां तक कि आप की क़मीस मुबारक की आस्तीन कप कपाने लगी । हम ने अ़र्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ क्या माजरा है ? इरशाद फ़रमाया : क्या तुम भी वोह आवाज़ सुन रहे हो जो मैं सुन रहा हूं ? हम ने अ़र्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ! आप क्या समाअत फ़रमा रहे हैं ? इरशाद फ़रमाया : इन दोनों अफ़राद पर इन की क़ब्रों में इन्तिहाई सख़्त अज़ाब हो रहा है वोह भी ऐसे गुनाह की वज्ह से जो हक़ीर है (यानी इन दोनों के ख़याल में हक़ीर था या फिर येह कि इस से बचना इन के लिये आसान था) । हम ने अ़र्ज़ की :

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

वोह कौन सा गुनाह है ? इरशाद फ़रमाया : इन में से एक पेशाब से न बचता था और दूसरा अपनी ज़बान से लोगों को अज़ियत देता था और चुगली करता था । फिर आप **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने खजूर की दो टहनियां मंगवाई और उन में से हर एक क़ब्र पर एक एक टहनी रख दी । हम ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ! क्या येह चीज़ इन को कोई नफ़्अ देगी ? आप **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : हां ! जब तक येह दोनों टहनियां तर रहेंगी इन से अज़ाब में तख़्फ़ीफ़ होती रहेगी ।

(صحيح ابن حبان، كتاب الرقائق، باب الأنكار، ٩٦/٢، حديث: ٨٢١)

आग में फेंक दिया जाएगा

मदीने के ताजदार, रसूलों के सालार **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इस्तिफ़्सार फ़रमाया : क्या तुम जानते हो मुफ़्लिस कौन है ? सहाबए किराम **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ** ! हम में से जिस के पास दराहिम व सामान न हों वोह मुफ़्लिस है । फ़रमाया : मेरी उम्मत में मुफ़्लिस वोह है जो क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़े और ज़कात ले कर आया और यूं आया कि इसे गाली दी, उस पर तोहमत लगाई, इस का माल खाया, उस का खून बहाया, उसे मारा तो इस की नेकियों में से कुछ इस मज़लूम को दे दी जाएं और कुछ उस मज़लूम को फिर अगर इस के ज़िम्मे जो हुकूक थे उन की अदाएगी से पहले इस की नेकियां ख़त्म हो जाएं तो उन मज़लूमों की ख़ताएं ले कर इस ज़ालिम पर डाल दी जाएं फिर इसे आग में फेंक दिया जाए ।

(مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ص ١٣٩٤، حديث: ٢٥٨١)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ख़ारिश मुसल्लत कर दी जाएगी

मुसलमानों को तक्लीफ़ देने वाले जहन्नम जैसे मक़ामे अज़ाब में मज़ीद अज़ाबात का सामना भी करेंगे चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना मुजाहिद عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَاحِد फ़रमाते हैं : जहन्नमियों पर एक किस्म की ख़ारिश मुसल्लत कर दी जाएगी, जिस की वजह से वोह अपने बदनों को खुजाएंगे यहां तक कि उन में से किसी की हड्डी ज़ाहिर हो जाएगी तो निदा की जाएगी : ऐ फुलां ! क्या तुझे इस की वजह से तक्लीफ़ हो रही है ? वोह कहेगा : हां ! तो निदा देने वाला कहेगा : येह उस का बदला है जो तुम मुसलमानों को तक्लीफ़ देते थे ।

(احياء علوم الدين، كتاب آداب الالفة، الباب الثالث، ٢/٤٤٢)

ख़ाल तक उतार लेंगे

मुसलमानों की इज़्ज़त की धज्जियां उड़ा कर खुश होने वाले संभल जाएं कि इस का अन्जाम बहुत बुरा होगा चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना यज़ीद बिन शजरह رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जिस तरह समुन्दर के कनारे होते हैं इसी तरह जहन्नम के भी कनारे हैं जिन में बुख़्ती ऊंटों जैसे सांप और ख़च्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं । अहले जहन्नम जब अज़ाब में कमी के लिये फ़रियाद करेंगे तो हुक्म होगा कनारों से बाहर निकलो वोह जूं ही निकलेंगे तो वोह सांप उन्हें होंटों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उन की ख़ाल तक उतार लेंगे वोह लोग वहां से बचने के लिये आग की तरफ़ भागेंगे

फिर उन पर खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी वोह इस क़दर खुजाएंगे कि उन का गोशत पोस्त सब झड़ जाएगा और सिर्फ़ हड्डियां रह जाएंगी, पुकार पड़ेगी : ऐ फुलां ! क्या तुझे तक्लीफ़ हो रही है ? वोह कहेगा : हां । तो कहा जाएगा : येह उस ईजा का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था ।

(الْتَرْغِيبُ وَالتَّرْهِيْبُ، كِتَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَصْلٌ فِي ذِكْرِ... الخ، ٤، ٢٨٠، حَدِيثٌ: ٥٦٤٩، مَلْخَصًا)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

क्या अब भी बाज नहीं आएंगे ?

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मुसलमान को बिला वज्हे शरई तक्लीफ़ देने वाला अपनी ज़िन्दगी में, मौत के वक़्त, हि़साबे हशर में और सब से बढ़ कर अज़ाबाते जहन्नम की वज्हे से खुद तक्लीफ़ में आ जाएगा, क्या येह सब कुछ हमारी आंखें खोल देने के लिये काफ़ी नहीं है ! क्या अब भी हम मुसलमानों को तक्लीफ़ देने से बाज नहीं आएंगे ! आइये देखते हैं कि हम किस किस अन्दाज़ से दूसरों के लिये बाइसे तक्लीफ़ बन सकते हैं ? चुनान्चे,

1) मुसलमान को घूर कर देखना

किसी को डराने या ख़ौफ़ज़दा करने के लिये सिर्फ़ हाथ पाउं या छड़ी या अस्लिहा ही इस्ति'माल नहीं होता बल्कि येह काम आंखों से भी लिया जाता है, चुनान्चे, हमारे मुआशरे में तेज़ निगाहों से घूर कर डराना बहुत मा'मूली समझा जाता है (बिलखुसूस बच्चों को), लेकिन येह नादानी है । सरकारे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

फ़रमाया : जो अपने भाई की तरफ़ डराने वाली नज़रों से घूरे **अल्लाह** तअ़ाला उसे क़ियामत के दिन डराएगा ।

(شعب الایمان، باب فی طاعة اولی الامر، فصل فی نکر... الخ، ٦/٥٠٠، حدیث: ٧٤٦٨)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَلَأَن** इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : भाई से मुराद मुसलमान भाई है या 'नी जो शख़्स किसी मुसलमान को बिला कुसूर तेज़ नज़र से घूर कर डराए वरना कुसूर मन्द को घूरना-डराना ज़रूरी है । (मज़ीद लिखते हैं :) इस से इशारतन मा'लूम हुवा कि मुसलमान भाई को रहमत की नज़र से देखना सवाब है कि **अल्लाह** तअ़ाला उसे इनायत की नज़र से देखेगा । (मिरआतुल मनाजीह, 5 / 369)

आंख से तक्लीफ़ पहुंचाना जाइज़ नहीं

सरकारे मदीनए मुनव्वरा, सरदारे मक्कए मुकर्रमा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं कि दूसरे मुसलमान की तरफ़ आंख से इस तरह इशारा करे जिस से तक्लीफ़ पहुंचे । (احياء علوم الدين، كتاب آداب الالفة... الخ، الباب الثالث، ٢/٢٤٣) एक मक़ाम पर इरशाद फ़रमाया : किसी मुसलमान को जाइज़ नहीं कि वोह किसी मुसलमान को ख़ौफ़ज़दा करे ।

(ابوداؤد، كتاب الادب، باب من ياخذ الخ، ٤/٣٩١، حدیث: ٥٠٠٤)

अल मदद या शहे अबरार मदीने वाले

क़ल्ब से ख़ौफ़े ख़ुदा दूर हुवा जाता है

(वसाइले बख़्शिश, स. 432)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

﴿2﴾ एहसान जता कर ईजा देना

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! फ़ी ज़माना हालात ऐसे हैं कि अब्बल तो कोई किसी ज़रूरत मन्द पर एहसान करने, उस की ख़ैरख़्वाही और मदद करने के लिये तय्यार नहीं फिर अगर किसी पर एहसान कर भी दे तो ज़र्फ़ इतना कमज़ोर होता है कि उस एहसान के बदले में येह ख़्वाहिश होती है कि सामने वाला इस के एहसान के बोझ तले दबा रहे, उस की हर सहीह ग़लत बात पर हां में हां मिलाए, उस की किसी ग़लती की निशानदेही न करे, अगर कभी वोह काबू से बाहर होने लगे या उस की शान में कुछ गुस्ताख़ी कर बैठे तो उस पर एहसान जताना अपना हक़ समझा जाता है (मगर जिसे **अब्बाह** बचाए), एहसान जताने के लिये मुतअद्दिद जुम्ले बोले जाते हैं जो अक्सर सामने वाले पर ता'ने के तीर बन कर बरसते हैं और उस के कलेजे को छलनी कर जाते हैं, मसलन ❀ तुम फटे पुराने कपड़ों में मेरे पास आए थे मैं ने तुम्हें तरस खा कर नोकरी दी थी ❀ तुम्हारे पास दो वक़्त खाने को नहीं था मुझे तरस आया तो तुम्हारे घर में महीने भर का राशन डलवाया था ❀ याद है जब तुम्हारा कारोबार तबाह हो गया था और तुम फुटपाथ पर आ गए थे मैं ने तुम्हें कर्ज़ में मोटी रक़म फ़राहम की थी तो तुम ने दोबारा कारोबार शुरूअ किया था ❀ मालिके मकान ने कई महीने का किराया न देने की वजह से तुम्हें मकान ख़ाली करने का नोटिस दे दिया था मैं तुम्हारा किराया न देता तो तुम दर बदर की ठोकरें खा रहे होते ❀ तुम्हारा बच्चा बीमार था दवाई के लिये पैसे तक न थे मैं ने उस का इलाज कराया था ❀ तुम्हारी वालिदा को

कितना अरमान था सफ़रे मदीना का, मैं ने अपने खर्च पर उन्हें उमरे के लिये भेजा था ❀ जब पोलीस ने तुम पर झूठा केस डाल दिया था मैं ने तुम्हारी जान छुड़ाई थी वरना आज जेल में सड़ रहे होते ❀ तुम ने जितनी तरक्की की है उस में मेरा हाथ है ।

नेकी कर दरिया में डाल

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! एहसान जताने वाला इस तरह की बातें कर के खुश तो बहुत होता है लेकिन इस का अन्जाम जान ले और इब्रत पकड़े तो कभी किसी पर एहसान न जताए बल्कि “नेकी कर दरिया में डाल” के मकूले पर अमल पैरा हो जाए । पारह 3 सूराए बकरह की आयत 264 में इरशादे रब्बानी है :

لَا تَبْتَغُوا أَصْدَقْتُمْ بِالسِّنِّ
وَالْأَذَىٰ (البقرة: २६६)

तर्जमए कन्जुल इमान : अपने
सदके बातिल न कर दो एहसान रख
कर और ईजा दे कर ।

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَامِدِي लिखते हैं : एहसान रखना तो यह है कि देने के बा'द दूसरों के सामने इज़हार करें कि हम ने तेरे साथ ऐसे ऐसे सुलूक किये और इस को मुकद्दर (या'नी रन्जीदा व मलूल) करें । (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह 3, अल बकरह, जेरे आयत : 262) तफ़्सीरे ख़ाज़िन में है : एहसान जताने का मतलब येह है कि किसी पर एहसान करने के बा'द उसे यूं कहा जाए कि मैं ने तुम्हें फुलां फुलां चीज़ दी है और सारे एहसानात गिनवा कर उन एहसानात का मजा किरकिरा कर दे ।

(खाज़न, प: ३, البقرة, تحت الآية: २६६/ १, २०६)

जन्नत में नहीं जाएगा

खातमुल मुर्सलीन, रहमतुल्लिल आलमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है : एहसान जताने वाला, वालिदैन का ना फ़रमान और शराब का आदी जन्नत में नहीं जाएगा ।

(نسائي، كتاب الاشربة، الرواية في الخ، ص ٨٩٥، حديث: ٥٦٨٣)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : या'नी येह लोग अब्वलन जन्नत में जाने के मुस्तहिक़ न होंगे । ख़याल रहे कि गुनाहे सगीरा हमेशा करने से कबीरा बन जाता है । शराब ख़ोरी खुद ही सख़्त जुर्म है फिर इस पर हमेशगी डबल जुर्म । (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 530)

एहसान जताना कब बुरा है ?

एक और मक़ाम पर हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ लिखते हैं : ख़याल रहे कि बन्दे का बन्दे को एहसान जताना अगर ता'ना ज़नी के लिये हो तो बुरा है अगर मुतीअ (या'नी फ़रमां बरदार) करने के लिये हो तो अच्छा, **अब्लाह** तआला या रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने बहुत जगह अपनी ने'मतों के एहसान जताए हैं ताकि बन्दे उस की इताअत करे उस का एहसान मानें येह उसी का करम है, मन्नान के एक मा'ना येह भी हैं या'नी एहसान जताने वाला ।

(मिरआतुल मनाजीह, 3 / 333)

एहसान जताने की बुन्याद

इमाम गज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي लिखते हैं : एहसान जताने की बुन्याद यह है कि सदका देने वाला यह समझे कि मैं ने इस पर इन्आम और एहसान किया जब कि हक़ यह है कि फ़कीर तो मोहसिन है कि उस ने उस से **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** का हक़ क़बूल किया जो उस के लिये त्हा़रत और जहन्म से नजात का ज़रीआ है कि अगर वोह क़बूल न करता तो यह उस के सबब गिरवी रहता । (احياء علوم الدين، كتاب اسرار الزكاة، بيان دقائق الآداب...الخ، ١/ ٢٩١)

नुक़सान उठाने वाले तीन अफ़राद

हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है कि सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : तीन शख़्स वोह हैं जिन से **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** क़ियामत के दिन न तो कलाम करेगा न नज़रे रहमत फ़रमाएगा और न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उन के लिये दर्दनाक अज़ाब है । हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** ने अर्ज़ की : वोह तो टोटे और ख़सारे ही में पड़ गए, या रसूलल्लाह **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ! वोह कौन हैं ? फ़रमाया : तहबन्द लटकाने वाला, एहसान जताने वाला और झूटी क़सम से माल बेचने वाला ।

(مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلط تحريم...الخ، ص ٦٧، حديث: ١٧١)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنّٰن** इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : कलाम से मुराद महब्बत का कलाम है, देखने से मुराद करम का देखना है और पाक फ़रमाने से मुराद गुनाह बख़शना है या'नी दूसरे मुसलमानों पर येह तीनों करम होंगे

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मगर इन तीन किस्म के लोग इन तीनों इनायतों से महरूम रहेंगे लिहाजा इन से बचते रहो । (मुफ़्ती साहिब मजीद लिखते हैं :) या'नी जो फ़ेशन के लिये टख़्नों से नीचा पाजामा-तहबन्द इस्ति'माल करें जैसे आज कल जाहिल चौधरियों का तरीका है और जो किसी को कुछ सदका व ख़ैरात दे कर उन को ता'ने दें, एहसान जताएं, लोगों में उन्हें बदनाम करें कि फ़ुलां आदमी हमारा दस्ते निगर रह चुका है और जो झूटी क़सम खा कर धोका दे कर माल फ़रोख़्त करें । (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 244)

हिकायत : 6

भलाई नहीं रहती

हज़रते सय्यिदुना इमाम इब्ने सीरीन عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِين ने एक शख़्स को सुना कि वोह दूसरे से कह रहा था : “मैं ने तेरे साथ भलाई की और येह किया, वोह किया ।” तो आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने उस शख़्स से फ़रमाया : “ख़ामोश हो जाओ, जब नेकी को शुमार किया जाए तो उस में कोई भलाई नहीं रहती ।”

(الجامع لاحكام القرآن، ۳، البقرة، تحت الآية: ۲۶۴، ۲/۲۳۶، جزء: ۳)

एहसान के बदले में दुआ़ा भी त़लब न करते

जो किसी पर एहसान करे और इस बात की तमन्ना करे कि सामने वाला एहसान के बोझ तले दब कर मेरे सामने जी जी करता रहे, मेरी आव-भगत करे, मेरा बन्दए बेदाम बन कर रहे तो ऐसी तवक्कोआत रखने वाला ग़लती पर है, हमारे बुजुर्गाने दीन जब किसी पर एहसान करते तो जवाबन दुआ़ा के त़लबगार भी नहीं होते थे कि कहीं येह दुआ़ा उन की नेकी का बदला न हो जाए और अगर कोई दुआ़ा दे भी देता तो बदले में उस के

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

लिये दुआ कर दिया करते, चुनान्चे, इमाम गज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي लिखते हैं : उम्मुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदतुना अइशा सिद्दीका और उम्मुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदतुना उम्मे सलमा رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا जब फ़कीर की तरफ़ कोई हदिय्या भेजतीं तो ले जाने वाले से कहतीं कि इस के दुआइया कलिमात को याद रखे, फिर इस जैसे कलिमात के साथ जवाब देतीं और फ़रमातीं : दुआ के बदले इस लिये दुआ दी है ताकि हमारा सदका महफूज़ रहे। अल गरज़ ! सालिहीन तो दुआ की तक्कोअ भी नहीं रखते थे, क्यूंकि येह बदले के मुशाबेह है और वोह दुआ के बदले दुआ दिया करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़रूक رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ और आप के बेटे हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا भी ऐसा ही किया करते थे। (احياء علوم الدين، كتاب اسرار الزكاة، بيان دقائق الآداب... الخ، ١/٢٩٢)

हिकायत : 7

चीज़ वापस कर के एहसान किया है

एक बुजुर्ग ने किसी की दी हुई चीज़ वापस कर दी, लोगों ने इस बात का बुरा माना तो उन्होंने ने वज़ाहत की : मैं ने तो उन पर एहसान किया है कि अगर मैं उन का अतिरिया कबूल कर लेता तो वोह मुझ पर एहसान जताते, उन का माल भी जाता और सवाब भी। (किमायै सदात, म ८२३)

हिकायत : 8

कोई चीज़ हाथ में न देते

हज़रते सय्यिदुना अबू सहल सु'लूकी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي सखी लोगों में थे, आप رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ कोई चीज़ किसी के हाथ में नहीं देते थे बल्कि उसे ज़मीन पर रख देते थे और लेने वाला उसे ज़मीन से ले लेता था।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

इस की वजह यह इरशाद फ़रमाते थे कि दुनिया की इतनी हैसियत नहीं है कि इस की वजह से एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर नज़र आए ।

(المستطرف، १/ २७०)

हिकायत : 9

थेली तो मिलती मगर देने वाले का पता न चलता

हज़रते सय्यिदुना अमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ उन लोगों के पास जो सजदे में होते दरहमो दीनार से भरी थेलियां ले कर जाते और उन की चप्पलों के पास ऐसे अन्दाज़ में रख कर आ जाते कि उन्हें थेली का तो पता चल जाता मगर आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ का पता नहीं लग पाता । किसी ने उन से अज़र्ज़ की : आप खुद जाने के बजाए किसी के हाथ थेलियां क्यूं नहीं भिजवाते ? फ़रमाया : मैं नहीं चाहता कि जब कभी वोह मेरे कासिद को देखा करें या मुझ से मिला करें तो एहसान तले होने की वजह से शर्मिन्दगी महसूस करें । (مختصر منهاج القاصدين، ص ३९)

बना दे मुझ को इलाही खुलूस का पैकर

क़रीब आए न मेरे कभी रिया या रब

(वसाइले बख़्शिश, स. 78)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

3) तीसरे फ़र्द की मौजूदगी में सरगोशी करना

जब तीसरा फ़र्द मौजूद हो तो एक दूसरे के कान में सरगोशी नहीं करनी चाहिये कि इस से उसे तक्लीफ़ पहुंचने का अन्देशा है, फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है :

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

لَا يَتَنَاجَى اِثْنَانٍ دُونَ وَاحِدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ أَدَى الْمُؤْمِنِ
 दो अफ़राद तीसरे को छोड़ कर सरगोशी न करें क्योंकि उस से एक मोमिन
 को तक्लीफ़ होगी और **عَزَّوَجَلَّ** मोमिन की तक्लीफ़ को ना पसन्द
 फ़रमाता है । (ترمذی، کتاب الادب، باب ماجاء لا يتناجى... الخ، ۳۷۷/۴، حدیث : ۲۸۳۴) ।

एक और हदीसे पाक में इरशाद फ़रमाया गया : जब तुम तीन हो
 तो दो शख्स तीसरे को छोड़ कर चुपके चुपके बातें न करें जब तक
 मजलिस में बहुत से लोग न आ जाएं, यह इस वजह से कि उस तीसरे को
 रन्ज पहुंचेगा । (بخاری، کتاب الاستئذان، باب اذا كانوا اكثر... الخ، ۱۸۵/۴، حدیث : ۶۲۹۰) ।

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान
عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : या'नी अगर तीन साथियों
 में से दो खुप्या सरगोशी करेंगे तो तीसरे को अन्देशा होगा कि कोई बात
 मेरे ख़िलाफ़ तै की जाएगी, मेरे ख़िलाफ़ मश्वरा कर रहे हैं । जब तीन से
 ज़ियादा आदमी हों तो बाकी किसी को यह ख़तरा न होगा कि मेरे ख़िलाफ़
 साजिश हो रही है । ख़याल रहे कि यह मुमानअत वहां है जहां तीसरे को
 अपने मुतअल्लिक़ यह शुबा हो सकता हो अगर यह शुबा न हो सके तो
 बिला कराहत यह अमल जाइज़ है लिहाज़ा यह हदीस उस हदीस के
 ख़िलाफ़ नहीं कि हुज़ूर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** अपने घर में तशरीफ़ फ़रमा थे
 कि फ़ातिमा ज़हरा (**رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا**) हाज़िर हुई हुज़ूर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने
 उन्हें मरहबा कहा और उन से कुछ सरगोशी फ़रमाई ।

(मिरआतुल मनाजीह, 6 / 557)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! तीसरे फ़र्द को भी चाहिये कि दो अफ़राद की सरगोशी की सूरत में हुस्ने ज़न का जाम पी कर इम्दा इबादत का सवाब कमाए कि येह दोनों अपने किसी मुआमले में बात चीत कर रहे होंगे ।

मुझे ग़ीबतो चुग़ली व बद गुमानी
की आफ़ात से तू बचा या इलाही

(वसाइले बख़्शिश, स. 78)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

4) मेज़बान को तक्लीफ़ देना

एक दूसरे के घर आना जाना हमारी समाजी ज़िन्दगी का अहम हिस्सा है, इस में मुसलमान भाई से मुलाक़ात की अच्छी निय्यत कर ली जाए तो सवाब की हक़दारी भी है, लेकिन किसी के घर जाने से पहले पेशगी इत्तिलाअ दे दी जाए तो बहुत बेहतर है क्यूंकि अचानक मेहमान आ जाने की सूरत में बा'ज औक़ात घरवाले आज़माइश में आ जाते हैं मसलन वोह खुद किसी जगह जाने के लिये तय्यार खड़े होते हैं या कोई और मेहमान उन के घर पहले से मौजूद होता है या वोह वक़्त ऐसा होता है कि सब घरवाले सो चुके होते हैं या घर की सफ़ाई सुथराई की हाजत होती है या मेहमान की ख़ातिर तवाज़ोअ के लिये घर में मुनासिब अश्या नहीं होतीं ।

किसी के घर जा कर हम कई किस्म के अफ़आल करते हैं जिन में से कुछ करने के होते हैं और कुछ न करने के। “करने के कामों” में उसे सलाम करना, बीमार हो तो इयादत करना, खुश हो तो उस की हौसला

अफ़ज़ाई करना, ग़मगीन हो तो ग़म ख़्तारी करना जब कि न “करने के कामों” में उस के रहन सहन, घरेलू सामान, लिबास वग़ैरा में कीड़े निकालना, दा'वत करे तो खाने में ऐब निकालना, तरह तरह की चीज़ों की फ़रमाइश कर के उसे आजमाइश में मुब्तला करना। इस किस्म के जुमले बोल कर मेज़बान को तक्लीफ़ न पहुंचाइये : ❀ आप के घर का पंखा बहुत आहिस्ता चलता है, यहां तो ए.सी भी नहीं है ❀ हैरत है आप के यहां फ़्रीज नहीं है ❀ दीवारों का प्लस्तर उखड़ा हुआ है ❀ रंग न होने की वजह से आप का घर भूत बंगला दिखाई दे रहा है ❀ कमरे बहुत छोटे हैं ❀ सोफ़े बहुत पुराने हैं ❀ टी वी का साइज़ बहुत छोटा है कुछ दिखाई ही नहीं देता, मदनी चैनल देखने का लुत्फ़ तो बड़ी स्क्रीन पर आता है वोह क्यूं नहीं ले लेते ❀ टोइलेट (Toilet इस्तिन्जा ख़ाने) की सफ़ाई भी करवाई है कभी ? मैं अन्दर गया तो मारे बदबू के मेरा सर फटा जा रहा था ❀ आप के घर में बच्चों का शोर बहुत होता है ❀ आप बड़े कन्जूस लगते हैं घर में लाइटें होते हुए भी उन्हें रोशन नहीं करते। इस के इलावा मुख़ालिफ़ फ़रमाइशें करने पर भी मेज़बान तक्लीफ़ में आ सकता है, मसलन ❀ खाने में इतनी तेज़ मिर्च ! साथ में कुछ मीठा ही बना लेते ❀ सादा पानी ही ले आए मैं तो लस्सी का शौकीन हूँ ज़रा एक गिलास बनवा लीजिये ❀ खाने के साथ सलाद खाने का मूड हो रहा है, ला दीजिये।

ख़्वाहिश न होती तो छोड़ देते

खाने में किसी किस्म का ऐब नहीं लगाना चाहिये मसलन येह न कहें कि मजेदार नहीं, कच्चा रह गया है, फीका रह गया क्यूंकि खाने में ऐब निकालना मकरूह ख़िलाफ़े सुन्नत है, जी चाहे तो खाएं वरना हाथ रोक लें।

हज़रते अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने फ़रमाया कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने कभी किसी खाने को ऐब नहीं लगाया (या'नी बुरा नहीं कहा) अगर ख़्वाहिश होती तो खा लेते और अगर ना पसन्द फ़रमाते तो छोड़ देते ।

(بخاری، کتاب الاطعمة، باب ماعاب النبی ﷺ طعاماً، ۳ / ۵۳۱، حدیث: ۵۴۰۹)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : या'नी खाने पकाने में कभी ऐब न निकाला कि नमक कम है या ज़ियादा, जैसा बा'ज़ लोगों का आम तरीका है कि बिगैर ऐब निकाले खाना खाते ही नहीं ।

(मिरआतुल मनाजीह, 6 / 14)

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की ने'मतों को ऐब नहीं लगाया जाता

हज़रते सय्यिदुना अबुल हसन अली बिन ख़ल्फ़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ मज़कूरा हदीस के तहूत फ़रमाते हैं : यह अमल हुस्ने अदब में से है क्योंकि जब बन्दा अपने ना पसन्दीदा खाने को ऐब लगाता है तो वोह बिलाशुबा **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ का रिज़्क ठुकराता है, और बा'ज़ औकात इन्सान उस खाने को भी पसन्द नहीं करता जिसे दूसरे पसन्द कर रहे होते हैं, **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की ने'मतों को ऐब नहीं लगाया जाता, उन का तो शुक्र अदा करना लाज़िम होता है । (شرح ابن بطال، کتاب الاطعمة، باب ماعاب النبی طعاماً، ۹ / ۴۷۸)

अपने घर में भी खाने में ऐब न निकालें

इमामे अहले सुन्नत आ'ला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ लिखते हैं : खाने में ऐब निकालना अपने घर पर भी

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

न चाहिये, मकरूह व ख़िलाफ़े सुन्नत है : (सरकारे दो आ़लम **سَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की) आदते करीमा येह थी कि पसन्द आया तो तनावुल फ़रमाया वरना नहीं। और पराए घर ऐब निकालना तो (इस में) मुसलमानों की दिल शिकनी है और कमाले हिर्स व बे मुरव्वती पर दलील है। “घी कम है या मज़ा का नहीं” येह ऐब निकालना है और अगर कोई शै इसे मुज़िर (नुक़सान देने वाली) है, उसे न खाने के उज़्र के लिये उस का इज़हार किया न कि बतौरै ता’न व ऐब मसलन “इस में मिर्च जाइद है मैं इतनी मिर्च का आदी नहीं” तो येह ऐब निकालना नहीं और इतना भी (उस वक़्त कि जब) बे तकल्लुफ़ी ख़ास की जगह हो और उस के सबब दा’वत कुनन्दा (या’नी मेज़बान) को और तक्लीफ़ न करनी पड़े मसलन दो किस्म का सालन है, एक में मिर्च जाइद है और येह आदी नहीं तो उसे न खाए और वज्ह पूछी जाए तो बता दे। और अगर एक ही किस्म का खाना है, अब अगर (येह) नहीं खाता तो दा’वत कुनन्दा (या’नी मेज़बान) को इस के लिये कुछ और मंगाना पड़ेगा, उसे नदामत होगी और तंगदस्त है तो तक्लीफ़ होगी तो ऐसी हालत में मुरव्वत येह है कि सब्र करे और खाए और अपनी अज़ियत ज़ाहिर न करे। **والله تعالى اعلم** (फ़तावा रज़विय्या, 21 / 652)

हिकायत : 10

मेश लोटा गिश्वी न होता

हज़रते सय्यिदुना शक़ीक़ **عليه رحمة الله الوالتيين** बयान करते हैं कि मैं अपने एक दोस्त के साथ हज़रते सय्यिदुना सलमान फ़ारसी **رضي الله تعالى عنه** की ज़ियारत के लिये गया, उन्होंने ने रोटी और नमक से हमारी मेज़बानी की और

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा’वते इस्लामी)

फ़रमाया : अगर रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हमें तकल्लुफ़ करने से मन्ज़ न फ़रमाया होता तो मैं तुम्हारे लिये तकल्लुफ़ करता । मेरे दोस्त ने कहा : पूदीना भी होता तो ज़ियादा अच्छा था । चुनान्चे, आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ बाहर गए और अपना लोटा गिरवी रख कर पूदीना ले आए । जब हम खा चुके तो मेरे दोस्त ने कहा : “الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَعَنَا بِمَا رَزَقْنَا” या'नी तमाम ता'रीफ़ें **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** के लिये हैं जिस ने हमें अ़ताक़र्दा रिज़क़ पर क़नाअत की तौफ़ीक़ दी । हज़रते सय्यिदुना सलमान फ़ारसी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने फ़रमाया : अगर तुम मौजूद रिज़क़ पर क़नाअत करते तो मेरा लोटा गिरवी न होता । (المستدرک، کتاب الاطعمة، کرامة الخبز... الخ، ۵/ ۱۶۹، حدیث: ۷۲۲۸)

पूछगछ न करे

तुम्हारी आमदनी ह़राम है या ह़लाल ? यह खाना या पानी कहां से लाए हो ? जैसे सुवालात नहीं करने चाहिये, **सरकारे** नामदार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है : जब तुम में से कोई अपने मुसलमान भाई के पास जाए तो उस का खाना खाए और पूछगछ न करे, उस का पानी पिये और पूछगछ न करे ।

(شعب الایمان، باب فی المطاعم والمشارب، ۶۷/۵، حدیث: ۵۸۰۱)

मुफ़स्सिरे शहीर ह़कीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस ह़दीसे पाक के तहूत लिखते हैं : ख़्वाह म ख़्वाह उस से येह न पूछो कि येह खाना या दूध-पानी कहां से आया है ? तेरी कमाई कैसी है ? ह़राम है या ह़लाल ? कि इस में बिला वज्ह भाई मुसलमान पर बद गुमानी है और साह़िबे ख़ाना को ईज़ा रसानी । ख़याल रहे कि मख़्लूत आमदनी वाले के हां दा'वत खाना दुरुस्त है । (मिरआतुल मनाजीह, 5 / 80)

किसी के खाने के बारे में तफ़्तीश न की जाए

आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : शरए मुतहहर में मसलहत की तहसील से मुफ़िसदा (या'नी नुक़सान देह चीज़) का इज़ाला मुक़द्दम तर है मसलन मुसलमान ने दा'वत की (और) येह उस के माल व त़आम की तहक़ीक़ात कर रहे हैं : कहां से लाया ? क्यूंकर पैदा किया ? हलाल है या हराम ? कोई नजासत तो इस में नहीं मिली है ? कि बेशक येह बातें वहूशत देने वाली हैं और मुसलमान पर बद गुमानी कर के ऐसी तहक़ीक़ात में उसे ईज़ा देना है खुसूसन अगर वोह शख़्स शरअन मुअज़्ज़म व मोहतरम हो, जैसे अ़लिमे दीन या सच्चा मुर्शिद या मां बाप या उस्ताज़ या ज़ी इज़्ज़त मुसलमान सरदारे क़ौम तो इस ने (तहक़ीक़ात कर के) और बेजा किया, एक तो बद गुमानी दूसरे मूहिश (या'नी वहूशत में डालने वाली) बातें, तीसरे बुजुर्गों का तर्के अदब । और (येह ख़्वाह म ख़्वाह का मुत्तकी बनने वाला) येह गुमान न करे कि खुप्या तहक़ीक़ात कर लूंगा, حَاشَاوَكَلَّا अगर उसे ख़बर पहुंची और न पहुंचना तअज़्जुब है कि आज कल बहुत लोग पर्चा नवेस (या'नी बातें फैलाने वाले) हैं तो इस में तन्हा बर रू (या'नी अकेले में उस से) पूछने से ज़ियादा रन्ज की सूत है **كَمَا هُوَ مُجْرَبٌ مَعْلُومٌ** (जैसा कि तजरिबे से मा'लूम है । ت) न येह ख़याल करे कि अहबाब के साथ ऐसा बरताव बरतूंगा, हयहात ! (अहिब्बा (दोस्तों) को रन्ज देना कब रवा है ? और येह गुमान कि शायद ईज़ा न पाए, हम कहते हैं शायद ईज़ा पाए, अगर ऐसा ही “शायद” पर अमल है तो उस के माल व त़आम की

हिल्लत व तहारत में “शायद” पर क्यूं नहीं अमल करता। मअ हाजा अगर ईजा न भी हुई और उस ने बराहे बे तकल्लुफी बता दिया तो एक मुसलमान की पर्दादरी हुई (या’नी ऐब खुल गया) कि शरअन नाजाइज़। गरज ऐसे मक़ामात में वरअ व एहतियात की दो ही सूरतें हैं : या तो इस तौर पर बच जाए कि उसे (या’नी मेहमान नवाज़ को) इजतिनाब व दामन कशी पर इत्तिलाअ न हो या सुवाल व तहकीक़ करे तो उन उमूर में जिन की तफ़तीश मूजिबे ईजा नहीं होती मसलन किसी का जूता पहने है वुजू कर के उस में पाउं रखना चाहता है दरयाफ़्त कर ले कि पाउं तर हैं यूं ही पहन लूं وَعَلَىٰ هَذَا الْقِيَاسِ या कोई फ़ासिके बेबाक मुजाहिरे मो’लिन इस दरजे वक़ाहत व बे ह्याई को पहुंचा हुवा हो कि उसे न बता देने में बाक हो, न दरयाफ़्त से सदमा गुज़रे, न उस से कोई फ़ितना मुतवक्केअ हो न इज़हारे ज़ाहिर में पर्दादरी हो तो इन्दतहकीक़ उस से तफ़तीश में भी हरज नहीं, वरना हरगिज़ बनामे वरअ व एहतियात मुसलमानों की नफ़रत व वहूशत या उन की रुस्वाई व फ़ज़ीहत या तजस्सुसे उयूब व मा’सियत का बाइस न हो कि येह सब उमूर नाजाइज़ हैं और शुक्क व शुब्हात में वरअ न बरतना नाजाइज़ नहीं। उज़्ब के अग्रे जाइज़ से बचने के लिये चन्द ना रवा बातों का इर्तिकाब करे, येह भी शैतान का एक धोका है कि उसे मोहतात बनने के पर्दे में महज़ ग़ैर मोहतात कर दिया। ऐ अज़ीज़ ! मदाराते ख़ल्क व उल्फ़त व मुवानसत (या’नी लोगों से अच्छी तरह पेश आना और उल्फ़त व महब्बत का बरताव करना) अहम उमूर से है। (फ़तावा रज़विख्या मुख़र्रजा, 4 / 526)

हिकायत : 11

हलाल को हलाल ही जानो

हज़रते सय्यिदुना इमाम शाज़िली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي बहुत बड़े मुत्तकी बुजुर्ग थे। एक मरतबा आप और आप के अस्हाब कई दिन तक भूके रहे, फिर इस्कन्दरिया के एक आदिल शख्स ने उन के लिये खाना भेजा। आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने अपने अस्हाब को वोह खाना खाने से मन्अ कर दिया और उन हज़रत ने भूके पेट रात गुज़ारी, जब सुब्ह हुई तो इरशाद फ़रमाया : इस खाने को खा लो, आज रात मुझ से कहा गया : हलाल को हलाल ही जानो जब तक तुम्हारे दिल में कोई खयाल न आए और तुम किसी मर्द या औरत से उस के बारे में न पूछ लो। (فیض القدير، १०/३७३)

हिकायत : 12

येह हराम है

हज़रते सय्यिदुना याकूत رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ का बयान है कि एक शख्स ने मेरे सामने खाना रखा और उसे खाने पर इसरार किया। मैं ने उस खाने पर जुल्मत (या'नी तारीकी) देखी तो कहा : “येह हराम है” और नहीं खाया। फिर मैं हज़रते सय्यिदुना मुर्सी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي की खिदमत में हाज़िर हुवा तो उन्होंने ने इरशाद फ़रमाया : मुरीदीन की जहालत में से एक बात येह भी है कि उन के सामने खाना रखा जाए और वोह उस खाने पर तारीकी देखें तो कहते हैं : “येह हराम है।” ऐ मिस्कीन ! तुम्हारी परहेज़गारी अपने मुसलमान भाई के बारे में तुम्हारी बद गुमानी के बराबर नहीं है। तुम ने येह क्यूं न कहा कि **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ नहीं चाहता कि मैं इस खाने को खाऊं। (فیض القدير، १०/३७३)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 13

मुर्दा उंट

हज़रते सय्यिदुना शैख़ अबू त़ालिब मक्की عَبْدُ الرَّحْمَةِ اللَّهِ الْقَوِيُّ फ़रमाते हैं कि मैं ने अपने एक साथी से नफ़्स के लालच व हिर्स में मुब्तला होने के मुतअल्लिक़ येह हिकायत सुनी, उस ने बताया कि एक बुजुर्ग़ हमारे पास तशरीफ़ लाए, हम ने अपने एक पड़ोसी से एक भुना हुवा ऊंट ख़रीदा और अपने साथियों के हमराह उन की दा'वत की। जब उन्होंने ने अपना हाथ खाने के लिये बढ़ाया और एक लुक़्मा उठा कर मुंह में रखा तो फ़ौरन ही बाहर फेंक दिया और इस के बा'द खाने से अलग होते हुए कहने लगे कि तुम सब खाओ ! मुझे एक ऐसी तक्लीफ़ है जो मुझे खाने से रोक रही है। हम ने अर्ज़ की : अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो उन्होंने ने फ़रमाया : तुम जो बेहतर समझो, बहर हाल मैं नहीं खाऊंगा। इस के बा'द वोह वहां से चल दिये और हम ने उन के बिगैर खाना पसन्द न किया। फिर एक दूसरे से कहने लगे कि हमें ऊंट भूनने वाले को बुला कर इस ऊंट की हक़ीक़त के मुतअल्लिक़ पूछना चाहिये, मुमकिन है ना पसन्दीदगी की कोई वज्ह हो। चुनान्चे, हम ने भूनने वाले को बुलाया और उस से मुसलसल और बार बार पूछते रहे तो आख़िर उस ने इक़रार करते हुए बताया : येह ऊंट मुर्दा था और मेरा नफ़्स इस मुर्दा ऊंट को बेच कर क़ीमत हासिल करने के लालच में मुब्तला हो गया, पस मैं ने इसे भून लिया और इत्तिफ़ाक़ से तुम लोगों ने इसे ख़रीद लिया। येह सुन कर हम ने वोह ऊंट टुकड़े टुकड़े कर के कुत्तों को खिला दिया। फिर जब मैं काफ़ी दिनों के बा'द उस बुजुर्ग़ से मिला तो अर्ज़ की : किस वज्ह से आप ने ऊंट का गोश्त खाना छोड़ा था और क्या अ़रिज़ा लाहिक़ हुवा था ? तो उन्होंने ने

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

बताया : 20 साल तक मेरे नफ़्स ने किसी खाने का लालच न किया, लेकिन जब तुम लोगों ने खाना पेश किया तो मेरा नफ़्स उस खाने की ऐसी हिर्स में मुब्तला हो गया कि इस से पहले कभी उस ने ऐसा न किया था, चुनान्चे, मैं ने जान लिया कि खाने में कुछ ख़राबी है लिहाज़ा मैं ने नफ़्स की हिर्स की वजह से खाना छोड़ दिया । (قوت القلوب، १०، १०३/)

खाने की हिर्स से तू या रब ! नजात दे दे

अच्छा बना दे मुझ को, अच्छी सिफ़ात दे दे

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

﴿5﴾ मिल कर खाने में तक्लीफ़ न दीजिये

बहुत मरतबा हमें कोई चीज़ मसलन खजूरें, आम, मिठाई वगैरा दूसरों के साथ मिल कर खाने का इत्तिफ़ाक़ होता है, ऐसे में बा'जू इस्लामी भाई हिर्स व लालच की वजह से बड़े बड़े हाथ मारते हैं और दूसरों का हिस्सा भी खा जाते हैं, येह सख़्त ना पसन्दीदा, दूसरों को अज़ियत पहुंचाने वाला अन्दाज़ है, हज़रते सय्यिदुना जबला رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ का बयान है कि जब हम क़हूत् साली का शिकार थे तो हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन जुबैर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا हमें खजूरें इनायत फ़रमाते थे । हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا जब हमारे पास से गुज़रते तो इरशाद फ़रमाते : صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस तरह मिला कर खजूरें खाने से मन्अ़ फ़रमाया है, हां अगर कोई शख़्स अपने भाई से इजाज़त ले ले तो फिर कोई हरज नहीं ।

(بخاری، کتاب المظالم، باب اذا اذن انسان... الخ، १२९/२، حدیث: २६००)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

शारेहे बुख़ारी मुफ़्ती शरीफ़ुल हक़ अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَبِيرِ इस हदीस के तहत लिखते हैं : जब चन्द आदमी बैठ कर खाना खा रहे हों तो येह सख़्त मा'यूब और ना पसन्दीदा है कि अगर कोई ख़ास चीज़ सब के खाने के लिये आई हो तो कोई शख़्स ज़ियादा मिक्दार में खाए। इस की एक सूतर येह है मसलन खजूरें हैं, सब लोग एक एक खा रहे हों और कोई शख़्स दो या दो से जाइद खा रहा है, येह खाने वाले की हिर्स, तंग दिली, दून हिम्मती के साथ साथ दूसरे शुरका को ईज़ा पहुंचाना है इस लिये हदीस में इस से मुमानअत फ़रमाई गई और यहां इस हदीस में खुसूसी वजह येह थी कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) ने येह खजूरें सब शुरका के लिये भेजी थीं सिर्फ़ खाने के लिये और मिल्कियत हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) की थी। दूसरे की मिल्क में इस की मर्जी के ख़िलाफ़ तसरूफ़ सख़्त मा'यूब है। उन्होंने ने इस मक्सद से भेजा था कि इसे सब लोग बक़दरे ज़रूरत और हिस्सा रसदी खाएं इस लिये नहीं भेजा था कि एक शख़्स दूना (या'नी डबल) खा ले, हां अगर खाना अपनी मिल्क हो तो इख़्तियार है आदमी जैसे चाहे खाए। (नुज़हतुल क़ारी, 3 / 673)

हिक़ायत : 14

अनौखा दस्तर ख़्वान

हज़रते सय्यिदुना शैख़ अबुल हसन इन्ताकी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَاقِي के पास एक बार बहुत से मेहमान तशरीफ़ ले आए। रात जब खाने का वक़्त आया तो **रोटियां** कम थीं, चुनान्चे, रोटियों के टुकड़े कर के दस्तरख़्वान पर डाल दिये गए और वहां से चराग़ उठा दिया गया, सब के सब मेहमान

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

अन्धेरे ही में दस्तरख़्वान पर बैठ गए, जब कुछ देर बा'द येह सोच कर कि सब खा चुके होंगे चराग़ लाया गया तो तमाम टुकड़े जूँ के तूँ मौजूद थे। ईसार के जज़्बे के तहत एक लुक्मा भी किसी ने न खाया था क्यूंकि हर एक की येही मदनी सोच थी कि मैं न खाऊं ताकि साथ वाले इस्लामी भाई का पेट भर जाए। (اتحاف السادة المتقين، १/ ७८३)

اَللّٰهُ **عَزَّوَجَلَّ** की उन पर रहमत हो और उन के सदके हमारी मग़फ़िरत हो।

अपनी ज़रूरत की चीज़ दे देने की फ़ज़ीलत

शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** अपने रिसाले “मदीने की मछली” में इस हिकायत को नक़ल करने के बा'द सफ़हा 26 पर लिखते हैं : **اَللّٰهُ ! اَللّٰهُ !** हमारे अस्लाफ़ का जज़्बाए ईसार किस क़दर हैरतनाक था और आह ! आज हमारा जज़्बाए हिर्सो तम्ब़ कि जब किसी दा'वत में हों और खाना शुरूअ़ किया जाए तो “खाऊं-खाऊं” करते खाने पर ऐसे टूट पड़ें कि “खाना और चबाना” भूल कर “निगलना और पेट में लुढ़काना” शुरूअ़ कर दें कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा दूसरा इस्लामी भाई तो खाने में कामयाब हो जाए और हम रह जाएं ! हमारी हिर्स की कैफ़ियत कुछ ऐसी होती है कि हम से बन पड़े तो शायद दूसरे के मुंह से निवाला (نِـوَال) भी छीन कर निगल जाएं ! काश ! हम भी “ईसार” करना सीखें। सुल्ताने दो जहां **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने बख़्शिश निशान है : “जो शख़्स किसी चीज़ की ख़्वाहिश रखता हो,

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

फिर उस ख्वाहिश को रोक कर अपने ऊपर (दूसरे को) तरजीह दे, तो **اللَّهُ** उसे बख़्शा देता है।” (اتحاف السّادة المتقين، १/१११)

हमें भूका रहने का औरों की खातिर

अता कर दे जज़्बा अता या इलाही

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿6﴾ मरीज़ को तक्लीफ़ न दीजिये

बीमार की इयादत करना कारे सवाब है लेकिन बा'ज औकात इयादत करने वाले मरीज़ के लिये राहत के बजाए ज़हमत का बाइस बन जाते हैं। बिना ज़रूरत मरज़ की तफ़्सील पूछना, तिब्बी मुआमलात से ला इल्म होते हुए भी उसे तरह तरह के मश्वरे देना और दीगर फुजूल सुवालात करना मरीज़ के लिये कोफ़्त का सबब बन जाते हैं, बहर हाल इयादत करने में मरीज़ की कैफ़ियत का ख़याल रखना ज़रूरी है और अगर येह महसूस हो कि हमारी मौजूदगी मरीज़ के लिये तक्लीफ़ का सबब है तो जल्द वहां से रवाना हो जाना चाहिये। फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** है : **أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْوَيْامِ** बेहतरीन इयादत जल्द उठ जाना है।

(شعب الإيمان، باب في عيادة المريض، فصل في آداب العيادة، ٦/٥٤٢، حديث: ٩٢٢١)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : येह तमाम उस सूरत में है जब बीमार को उस के बैठने से तक्लीफ़ हो। (मिरआतुल मनाजीह, 2 / 433)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हज़रते अल्लामा अली क़ारी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِي लिखते हैं : जिस वक़्त येह गुमान हो कि मरीज़ इस शख़्स के ज़ियादा बैठने को तरजीह देता है, मसलन : वोह इस का दोस्त या कोई बुजुर्ग है या वोह इस में अपनी मस्लहत समझता है, इसी तरह कोई और फ़ाएदा हो तो उस वक़्त मरीज़ के पास ज़ियादा देर बैठने में कोई हरज नहीं ।

(مرقاة المفاتيح، کتاب الجنائز، ٤/٦٠، تحت الحديث: ١٥٩١)

इस हदीसे पाक के तहत हज़रते अल्लामा क़ारी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِي ने चार सबक़ आमोज़ मुख़्तसर हिकायात नक़ल की हैं, चुनान्वे,

हिकायत : 15

1) इन्हें मरीज़ की इयादत करना सिखा

मन्कूल है कि बा'ज़ लोग मरजुल मौत में हज़रते सय्यिदुना सरी सक़ती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِي की इयादत को गए और काफ़ी देर वहां बैठे रहे, वोह पेट की तक्लीफ़ में मुब्तला थे, लोगों ने उन से कहा : आप हमारे लिये दुआ फ़रमाइये ताकि हम वापस जाएं, हज़रते सय्यिदुना सरी सक़ती عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِي ने कहा : ऐ **اَبْلَاهُ** ! عَزَّوَجَلَّ ! इन्हें मरीज़ की इयादत करना सिखा ।

हिकायत : 16

2) दरवाज़ा बन्द कर दो मगर

एक शख़्स मरीज़ की इयादत को गया और काफ़ी देर बैठा रहा तो मरीज़ ने कहा : लोगों की भीड़ की वजह से हमें तक्लीफ़ हुई है, वोह आदमी कहने लगा, मैं उठ कर दरवाज़ा बन्द कर दूं ? मरीज़ ने कहा : हां ! लेकिन बाहर से ।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 17

3) तुम्हें तक्लीफ़ क्या है ?

एक शख्स किसी बीमार के पास बहुत देर बैठा फिर बोला कि तुम्हें तक्लीफ़ क्या है ? बीमार ने कहा : तुम्हारे बैठने की ।

हिकायत : 18

4) मरीज़ के पास ज़ियादा देर मत बैठो

चन्द लोग एक मरीज़ के पास आए और काफी देर तक बैठे रहे और कहने लगे : हमें वसियत कीजिये ! मरीज़ ने कहा : मैं तुम्हें इस बात की वसियत करता हूँ कि जब तुम मरीज़ की इयादत करने जाओ तो उस के पास ज़ियादा देर मत बैठो । (मरقة المفاتيح، کتاب الجنائز، ٤٠/٦٠، تحت الحديث: ١٠٩١)

“चल मदीना” के शात हुसूफ़ की निश्चत से इयादत के 7 मदनी फूल

❁ मरीज़ की इयादत करना सुन्नत है ❁ अगर मा'लूम है कि इयादत को जाएगा तो उस बीमार पर गिरां (या'नी ना गवार) गुज़रेगा ऐसी हालत में इयादत न करे ❁ इयादत को जाए और मरज़ की सख़्ती देखे तो मरीज़ के सामने यह ज़ाहिर न करे कि तुम्हारी हालत ख़राब है और न सर हिलाए जिस से हालत का ख़राब होना समझा जाता है ❁ उस के सामने ऐसी बातें करनी चाहियें जो उस के दिल को भली मा'लूम हों ❁ उस की मिज़ाज पुरसी करे ❁ उस के सर पर हाथ न रखे मगर जब कि वोह खुद इस की ख़्वाहिश करे ❁ फ़ासिक़ की इयादत भी जाइज़ है क्यूंकि इयादत हुकूके इस्लाम से है और फ़ासिक़ भी मुस्लिम है । (बहारे शरीअत, 3 / 505)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

तू सारे मरीज़ों को **अल्लाह** शिफ़ा दे दे
अच्छ है फ़क़त वोह जो बीमारे मदीना है

बे वुकूफ़ों का इयादत करना

हज़रते सय्यिदुना शा'बी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَبِيرَى** फ़रमाते हैं : बे वुकूफ़ लोगों का मरीज़ की इयादत करना उस के घरवालों पर उस के मरज़ से भी ज़ियादा भारी होता है, क्यूंकि वोह बे वक़्त आते हैं और देर तक बैठे रहते हैं।

(حلیة الاولیاء، عامر بن شراحیل الشعبي، ۳/۴، رقم: ۵۸۱۷)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

7) बिला इजाज़त किसी का ख़त देखना

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! बिला इजाज़त किसी का एस एम एस (sms) पढ़ लेना, वोट्स एप (whats app) पैग़ाम सुन या देख लेना या किसी का ख़त या ई-मेल (बरक़ी ख़त) या ज़ाती डाइरी पढ़ लेना बा'जों के नज़दीक कोई मस्अला ही नहीं है, “मुझ से क्या पर्दा”, “हमारी आपस में बे तकल्लुफ़ी है”, “हम तो गहरे दोस्त हैं” इस किस्म के जुम्ले बोल कर दिल को मना लिया जाता है, येह उन की ग़लत फ़ेहमी भी हो सकती है क्यूंकि शायद ही कोई उन की इस हरकत को गवारा करता हो, ज़बान से अगर्चे वोह कुछ न कहे लेकिन उस का दिल ग़ालिबन सदमे में मुब्तला होगा। सरकारे आली वक़ार, मदीने के ताजदार **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

ने इरशाद फ़रमाया : जिस ने अपने भाई का ख़त बिग़ैर उस की इजाज़त के देखा उस ने जहन्म में देखा । (अबुदाउद, کتاب الوتر, باب الدعاء, १११/२, حدیث: १६८०)

शारेहे बुख़ारी हज़रते अल्लामा मौलाना महमूद बिन अहमद बदरुद्दीन ऐनी हनफ़ी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَلِيمِ** इस हदीसे पाक के तहत तहरीर फ़रमाते हैं : बा'ज अहले इल्म का क़ौल है कि इस हदीस में वोह ख़त मुराद है जिस में किसी का राज़ या अमानत मौजूद हो और साहिबे राज़ इस पर किसी के मुत्तलेअ होने को ना पसन्द करता हो, इल्मे दीन पर मुश्तमिल किताब या ख़त मुराद नहीं क्यूंकि इसे देखने से मन्अ करना और छुपाना जाइज़ नहीं है । जब कि एक क़ौल के मुताबिक़ येह फ़रमान हर किताब (या'नी लिखी हुई चीज़) को आ़म है क्यूंकि चीज़ का मालिक इस का ज़ियादा हक़दार होता है । (شرح अबुदाउद للعيني, ५/६०, تحت الحديث: १६००)

“उस ने जहन्म में देखा” के तहत अल्लामा इब्ने असीर जज़री **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَلِيمِ** लिखते हैं : येह एक मिसाल है या'नी जिस तरह इन्सान आग से बचता है इसी तरह इस फ़े'ल से बचना चाहिये । एक क़ौल के मुताबिक़ इस का मा'ना येह है कि वोह ऐसी चीज़ को देखता है जो उस पर दोज़ख़ की आग लाज़िम करती है । एक एहतिमाल इस मा'ना का भी है कि ऐसा करने वाले की आंखों को सज़ा दी जाएगी क्यूंकि इन के ज़रीए जुर्म का ईर्तिक़ाब किया गया जैसा कि अगर किसी की ना पसन्दीदगी के बा वुजूद उस की गुफ़्तगू सुनी जाए तो सुनने वाले के कानों को सज़ा दी जाएगी ।

(النّهاية في غريب الحديث والاثّر, ४/१२८)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** किसी का ख़त बिला इजाज़त देखने के बारे में किये गए एक सुवाल के जवाब में लिखते हैं : बक्र को अस्लन इख़्तियार नहीं, न ख़ालिद के ख़ुतूत रोकने का, न देखने का, और वोह ज़रूर गुनहगार होगा। हदीस में इरशाद हुवा कि जो बिला इजाज़त दूसरे का ख़त देखे वोह जहन्नम की आग देखता है।

(अबुदावुद, किताब الوتر, باب الدعاء, १११/२, حديث: १६८०) (फ़तावा रज़विय्या, 24 / 713)

आंखों में सरे हज़र न भर जाए कहीं आग

आंखों पे मेरे भाई लगा कुफ़ले मदीना

(वसाइले बख़्शिश, स. 95)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

8) पड़ोसी को तक्लीफ़ न दीजिये

कोई तक्लीफ़ दे तो उस के शर से बचने के लिये उस के करीब से उठा जा सकता है, आइन्दा उस से मिलने से बचा जा सकता है, उस से तअल्लुकात ख़त्म किये जा सकते हैं लेकिन अगर पड़ोसी ही तक्लीफ़ देने पर तुल जाए तो इन्सान कहां पनाह ढूंढे ? क्यूंकि उस की तक्लीफ़ का सामना करना पड़ेगा या मकान बदलना पड़ेगा जो कि बहुत दुश्वार है। इस लिये हमें चाहिये कि मुसलमानों और ख़ास तौर पर पड़ोसी को तक्लीफ़ देने से बचें। ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नुबुव्वत **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने आलीशान है : जो **أَبْلَغًا** और क़ियामत के दिन पर ईमान रखता है वोह अपने पड़ोसी को हरगिज़ तक्लीफ़ न दे।

(मुसल, किताब الايمان, باب الحث على اكرام الجار والضيف, الخ, ص ६३, حديث: ६७)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَان** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : या'नी उस को तक्लीफ़ देने के लिये कोई काम न करे, (मज़ीद फ़रमाते हैं :) कहा जाता है : हमसाया और मां जाया बराबर होने चाहियें । अफ़सोस ! मुसलमान येह बातें भूल गए । कुरआने करीम में पड़ोसी के हुकूक का ज़िक्र फ़रमाया, बहर हाल पड़ोसी के हुकूक बहुत हैं, इन के अदा की तौफ़ीक़ रब तअ़ाला से मांगिये ।

(मिरआतुल मनाजीह, 6 / 53)

हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अली क़ारी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْبَارِي** इस हदीस की शर्ह करते हुए लिखते हैं : पड़ोसी की हाज़त पूरी करने के लिये उस की मदद करे, उस से बुराई दूर करे, और उस पर खुसूसी अ़ताएं करे, ताकि वर्इद का मुस्तह़िक़ न हो । मज़ीद फ़रमाते हैं : हज़रते सय्यिदुना क़ाज़ी इयाज़ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** का फ़रमान है : जो शरीअते इस्लामिया का इल्तिज़ाम करना चाहे उस के लिये पड़ोसी और मेहमान का इकराम और उन के साथ भलाई से पेश आना भी लाज़िम है ।

(مرقاة المفاتيح ، كتاب الاطعمة ، باب الضيافة ، ٦٩ / ٨ ، تحت الحديث : ٤٢٤٣)

वोह ईमान वाला नहीं हो सकता

सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने अ़लीशान है : **اَللّٰهُ** की क़सम ! वोह मोमिन नहीं, **اَللّٰهُ** की क़सम ! वोह ईमान वाला नहीं, **اَللّٰهُ** की क़सम ! वोह मोमिन नहीं हो सकता । सहाबए किराम **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** ने अ़र्ज़ की : या रसूलल्लाह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ! वोह कौन है ?

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

आप **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : जिस की बुराइयों से उस का पड़ोसी महफूज न रहे ।

(بخاری، کتاب الادب، باب اثم من لایامن جارہ بوائفہ، ۴/۴۰، حدیث: ۶۰۱۶)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : तीन बार फ़रमाना ताकीद के लिये है, “لَا يُؤْمِنُ” में कमाले ईमान की नफ़ी है, या'नी मोमिने कामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता । हुजूरे अन्वर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इस की वज़ाहत पहले ही न फ़रमा दी, बल्कि साइल के पूछने पर बताया, ताकि सुनने वालों के दिल में येह बात बैठ जाए, जो बात इन्तिज़ार और पूछगछ के बा'द मा'लूम हो वोह बहुत दिल नशीन होती है, अगर्चे हर मुसलमान को अपने शर से बचाना ज़रूरी है मगर पड़ोसी को बचाना निहायत ही ज़रूरी कि उस से हर वक़्त काम रहता है, वोह हमारे अच्छे अख़्लाक़ का ज़ियादा मुस्तहिक् है । (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 555)

हिकायत : 19

तुम हमारे साथ न बैठो

रसूले अन्वर, साहिबे कौसर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** एक ग़ज़वे पर तशरीफ़ ले गए और इरशाद फ़रमाया : आज वोह शख़्स हमारे साथ न बैठे जिस ने अपने पड़ोसी को ईज़ा दी हो । एक शख़्स ने अर्ज़ की : मैं ने अपने पड़ोसी की दीवार के नीचे पेशाब किया था । आप **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : आज तुम हमारे साथ न बैठो ।

(المعجم الاوسط، ۴/۸۱/۶، حدیث: ۹۴۷۹)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

40 घर पड़ोस में दाख़िल हैं

दो जहाँ के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की बारगाह में एक शख्स ने हाज़िर हो कर अर्ज की : या रसूलल्लाह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** मैं ने फुलां क़बीले के महल्ले में रिहाइश इख़्तियार की है लेकिन उन में से जो मुझे सब से ज़ियादा तक्लीफ़ देता है वोह मेरा सब से ज़ियादा क़रीबी पड़ोसी है । सरकारे वाला तबार, बे कसों के मददगार **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़, हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूक़ और हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा (**رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ**) को भेजा, वोह मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो कर पुकारने लगे : बेशक चालीस घर पड़ोस में दाख़िल हैं और जिस के शर से उस का पड़ोसी ख़ौफ़ज़दा हो वोह जन्नत में दाख़िल न होगा ।

(المعجم الكبير، ٧٣/١٩، حديث: ١٤٣)

हिकायत : 20

हमसाए की बकरी को भी तक्लीफ़ न दो

उम्मुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदुना उम्मे सलमा **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** इरशाद फ़रमाती हैं कि एक दिन हमसाए की बकरी घर में दाख़िल हो गई । जब उस ने रोटी उठाई तो मैं उस की तरफ़ गई और रोटी को उस के जबड़े से खींच लिया । येह देख कर हुज़ूर रहमते अलाम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : तुझे इस को तक्लीफ़ देना अमान न देगा क्यूंकि येह भी हमसाए को तक्लीफ़ देने से कुछ कम नहीं ।

(مكارم الاخلاق للطبرانی، ص ٣٩٥، حديث: ٢٣٩، ملتقطاً)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

पड़ोसियों को तक्लीफ़ देने की मुश्किलिफ़ सूरतें

✿ उस के दरवाज़े के सामने कचरा डाल देना ✿ उस के दरवाज़े के पास शोर करना ✿ बच्चों का (बिल खुसूस सोने के औकात में) शोर करना ✿ वक्त बे वक्त कील वगैरा ठोंकना ✿ दीवार में सूराख़ करने के लिये ड्रिल मशीन चलाना ✿ मसालहा वगैरा पीसने के लिये रात के औकात में आवाज़ देने वाला ग्राइन्डर (Grinder) चलाना ✿ उस के घर में झांकना ✿ एक ही बिल्डिंग में रहने की सूरत में सीढ़ियां चढ़ते हुए जोर जोर से पाउं चटखाना ✿ ऊंची आवाज़ से टेप रिकॉर्डर या डेक वगैरा बजाना (चाहे ना'तें ही क्यूं न चलाएं इस की आवाज़ अपने तक महदूद रखिये) ✿ अपने घर का फ़र्श धोने के बा'द पानी पड़ोसियों के घर के सामने छोड़ देना ✿ उन के बच्चों को झाड़ना, मारना । **عَزَّوَجَلَّ اللهُ** हमें इन तमाम बातों से बचाए, **أَمِينِ بِحَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

मस्अला : मकान ख़रीदा और उस में चमड़ा पकाता है या उस को चमड़े का गोदाम बनाया है जिस से पड़ोसियों को अज़ियत होती है अगर वक्ती तौर पर है येह मुसीबत बरदाशत की जा सकती है और इस का सिलसिला बराबर जारी है तो इस काम से वहां रोका जाएगा ।

(बहारे शरीअत, 2 / 814)

पड़ोसी के हुक्क़

हज़रते अल्लामा अली क़ारी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي** नक़ल करते हैं :

फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** है : क्या तुम जानते हो पड़ोसी का

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

हक़ क्या है ? अगर वोह तुम से मदद मांगे तो उस की मदद करो, कर्ज़ मांगे तो कर्ज़ दो, अगर वोह मोहताज हो तो उसे कुछ दो, बीमार हो तो इयादत करो, मर जाए तो उस के जनाजे के साथ जाओ, उसे कोई खुशी हासिल हो तो मुबारक बाद दो, मुसीबत पहुंचे तो ता'ज़ियत करो, बिला इजाज़त उस के मकान से ऊंचा मकान बना कर उस की हवा न रोक दो, अगर तुम फल खरीदो तो तोहफ़तन उसे भी दो और अगर ऐसा न करो तो फिर पोशीदा तौर पर लाओ और तुम्हारे बच्चे उन्हें ले कर बाहर न निकलें कि पड़ोसी के बच्चों को रन्ज पहुंचेगा। अपनी हांडी के धूवें से उसे तक्लीफ़ न पहुंचाओ मगर येह कि उसे भी कुछ न कुछ भिजवा दो। क्या तुम जानते हो पड़ोसी का हक़ क्या है ? उस ज़ात की क़सम जिस के दस्ते कुदरत में मेरी जान है ! पड़ोसी का हक़ वोही शख़्स अदा कर सकता है जिस पर **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** रहम फ़रमाए। (मरقات १/६९, تحت الحديث: ६२६३)

पड़ोसियों की खातिर शोरबा ज़ियादा पक्का लो

हदीसे पाक में पड़ोसियों से ख़ैर ख़्वाही करने की तरगीब आई है चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** से मरवी है : रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : ऐ अबू ज़र ! जब शोरबा पकाओ तो उस का पानी ज़ियादा करो ! और अपने पड़ोसियों का ख़याल रखो। (मुस्लम, کتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار... الخ، ص १६३، حديث: २६२०)

मुफ़स्सरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान

عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ लिखते हैं : इस हदीस से चन्द मस्अले मा'लूम हुए : एक येह

कि मा'मूली सालन भी पड़ोसियों को भेजते रहना चाहिये, क्योंकि सरकार (عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْإِيمِ وَسَلَّمَ) ने यहां शोरबा फ़रमाया गोश्त का हो या किसी और चीज़ का। दूसरे येह कि हर पड़ोसी को हदया देना चाहिये, क़रीब हो या दूर, अगर्चे क़रीब का हक़ ज़ियादा है। तीसरे येह कि हमेशा लज़्ज़त पर उल्फ़त और महब्वत को तरजीह देना चाहिये, क्योंकि जब शोरबे में फ़क़त पानी पड़ेगा तो मज़ा कम हो जाएगा, लेकिन इस के ज़रीए पड़ोसियों से तअल्लुक़ात ज़ियादा हो जाएंगे, इसी लिये “مَاءَهَا” फ़रमाया, या'नी सिर्फ़ पानी ही बढ़ा दो ! अगर्चे घी और मसालहा न बढ़ा सको।

(मिरआतुल मनाजीह, 3 / 121)

हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अब्दुरऊफ़ मनावी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ أَنهَادِي इस हदीस के तहूत नक्ल फ़रमाते हैं : इस हदीस में फुक़रा और पड़ोसियों पर वुस्अत करने की ख़ातिर खाने का शोरबा बढ़ा लेने का इस्तिहबाब मौजूद है, शोरबे में गोश्त वाली कुव्वत मौजूद होती है क्यूंकि शोरबे में गोश्त को जोश देने से उस की ख़ासियत शोरबे में आ जाती है। इस हदीस में पके हुए गोश्त के भुने हुए गोश्त से अफ़ज़ल होने का भी सुबूत मौजूद है कि पका होने की सूरत में सब को फ़ाएदा होगा, क्यूंकि घरवाले और पड़ोसी सब खा सकेंगे, फिर येह कि इस में सरीद भी बनाई जा सकेगी जो कि सब से अफ़ज़ल खाना है, मज़ीद इस हदीस में पड़ोसी पर एहसान करने और अपने खाने में से कुछ पड़ोसियों के लिये अलग करने का भी इस्तिहबाब मौजूद है। (فيض القدير، حرف الهمزة، ١/٥١٠، تحت الحديث : ٧٤١)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 21

पड़ोसियों के लिये श्री गोश्त ख़रीदते थे

हज़रते सय्यिदुना फ़कीह महदी बिन यहूया رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हम ने हमेशा सूफ़ी बुजुर्ग हज़रते सय्यिदुना शैख़ अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद अरबी फ़िश्ताली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي के पड़ोसियों से उन की ता'रीफ़ें ही सुनी हैं, आप के पड़ोसी बहुत अच्छे अल्फ़ाज़ से आप को याद करते थे । पड़ोसियों ने येह भी बताया था कि आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ जब भी घरवालों के लिये गोश्त ख़रीदते तो पड़ोसियों के लिये भी ख़रीदते और फ़रमाते थे : मैं अकेला गोश्त पका कर अपने पड़ोसियों को महरूम नहीं छोड़ सकता । (الابريز، مقدمة المؤلف، الفصل الاول، ٤٧/١)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

9) तक्लीफ़ देने वाला मज़ाक़ न क्वीजिये

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! किसी की डोरबेल (Door Bell) बजा कर भाग जाना, सोने वालों की चारपाई दूसरी जगह रख देना, किसी को कमरे या बाथरूम में बन्द कर देना, बहरूप धार कर या डरावनी शक़ल बना कर किसी को डराना, वोशरूम का पानी बन्द कर देना, दोस्तों की मन्डलियों में, रिश्तेदारों के झुरमट में किसी का मज़ाक़ उड़ा कर, उस पर फ़िक़्रे कस कर, किसी के सर पर अचानक चपत लगा कर या बैठने वाले के नीचे से कुरसी खींच कर उस पर हंसने बल्कि क़हक़हे लगाने को ज़िन्दा दिली क़रार दिया जाता है, लेकिन इस तरफ़ किसी का मुश्क़ल ही से ध्यान जाता है कि जिस का मज़ाक़ उड़ाया गया

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

उस के दिल पर क्या गुज़र रही है बल्कि अगर कोई हिम्मत कर के अपना सदमा बयान कर दे तो उसे बुरा भला कहा जाता है कि “हमारी इतनी सी बात भी तुम से बरदाश्त नहीं हुई !” याद रखिये ! किसी मुसलमान को मज़ाक़ में भी तक्लीफ़ पहुंचाने से मन्ज़ू किया गया है चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है कि सरकारे मदीनए मुनव्वरा, सरदारे मक्कए मुकर्रमा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَارِزْهُ وَلَا تُعِدِّدْ مُوعِدَةً فَتُخْلِفَهُ : अपने भाई से न तो झगड़ा करो, न उस का मज़ाक़ उड़ाओ और न ही उस से कोई ऐसा वा'दा करो जिस की ख़िलाफ़ वर्जी करो । (ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في المراء، ٤٠٠/٣، حدیث: ٢٠٠٢)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : आपस का मज़ाक़ जिस से हर एक का दिल खुश हो येह चन्द शर्तों से जाइज़ है जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है मगर किसी का मज़ाक़ उड़ाना जिस से सामने वाले को तक्लीफ़ पहुंचे बहर हाल हराम है वोही यहां मुराद है क्यूंकि मुसलमान को ईज़ा देना हराम है । “न ऐसा वा'दा करो जिस की ख़िलाफ़ वर्जी करो” के तहूत मुफ़्ती साहिब फ़रमाते हैं : यहां वा'दे से वोह वा'दा मुराद है जो जाइज़ हो, बा'ज़ फुक़हा के नज़दीक ऐसा वा'दा पूरा करना वाजिब है, अक्सर के हां मुस्तहब है अगर वा'दे के वक़्त إِنْ شَاءَ اللهُ कह दिया जाए तो सब के नज़दीक इस का पूरा करना मुस्तहब है । (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 501)

मिज़ाह और सुखरिख्या में फर्क

मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَلَأَان लिखते हैं : ऐसी बात जिस से अपना और सुनने वाले का दिल खुश हो जाए मिज़ाह है और जिस से दूसरे को तक्लीफ़ पहुंचे जैसे किसी का मज़ाक़ उड़ाना **सुखरिख्या** है । मिज़ाह अच्छी चीज़ है, **सुखरिख्या** बुरी बात है । (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 493)

लोगों का मज़ाक़ उड़ाने वाले का अन्जाम

सरकारे आली वकार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : बिलाशुबा लोगों का मज़ाक़ उड़ाने वाले के लिये जन्नत का दरवाज़ा खोल कर उसे बुलाया जाएगा : आओ ! करीब आओ, जब वोह आएगा दरवाज़ा बन्द कर दिया जाएगा, इसी तरह कई बार किया जाएगा यहां तक कि जब उस के लिये फिर दरवाज़ा खोल कर उसे बुलाया जाएगा : आओ ! आओ ! करीब आओ ! तो वोह ना उम्मीदी और मायूसी के मारे नहीं आएगा । (شعب الإيمان، ५/३१०، حديث: ६१०७)

हिकायत : 22

मज़ाक़ में श्री डरने से रोक्व

हज़रते सय्यिदुना इब्ने अबी लैला رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं : सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان का बयान है कि वोह हज़रत रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के साथ सफ़र में थे, इस दौरान उन में से एक सहाबी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ सो गए तो एक दूसरे सहाबी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ उन के पास रखी अपनी एक रस्सी लेने गए, जिस से वोह घबरा गए (या'नी

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

उस सोने वाले के पास रस्सी थी या उस जाने वाले के पास थी उस ने येह रस्सी सांप की तरह उस पर डाली वोह सोने वाले उसे सांप समझ कर डर गए और लोग हंस पड़े।⁽¹⁾ तो सरकारे अली वकार, मदीने के ताजदार **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : किसी मुसलमान के लिये जाइज़ नहीं कि दूसरे मुसलमान को डराए।

(ابوداؤد، کتاب الادب، باب من ياخذ الشيء من مزاح، ٤/٣٩١، حديث: ٥٠٠٤)

मुफ़रिसरे शहीर, हकीमुल उम्मत, हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَان** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : जब रसूलुल्लाह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने येह सुना तो येह फ़रमाया, इस फ़रमाने अली का मक्सद येह है कि हंसी मज़ाक़ में किसी को डराना जाइज़ नहीं कि कभी इस से डरने वाला मर जाता है या बीमार पड़ जाता है, खुश तबई वोह चाहिये जिस से सब का दिल खुश हो जाए किसी को तक्लीफ़ न पहुंचे। इस हदीस से मा'लूम हुवा कि ऐसी दिल लगी हंसी किसी से करनी जिस से उस को तक्लीफ़ पहुंचे मसलन किसी को बे वुकूफ़ बनाना, उस के चपत लगाना वगैरा हराम है। (मिरआतुल मनाजीह, 5 / 270)

भाइयों का दिल दुखाना छोड़ दो

और तमस्खुर भी उड़ाना छोड़ दो

अप्रैल फूल

अप्रैल फूल दूसरों के साथ अमली मज़ाक़ करने और बे वुकूफ़ बनाने का नाम है इस का ख़ास दिन यकुम अप्रैल (First April) है।

١٤/٥/٢٠

मग़रिबी मुमालिक में यकुम अप्रैल को मज़ाक़ का दिन करार दिया जाता है और झूटे मज़ाक़ का सहारा ले कर लोगों को बे वुकूफ़ बनाया जाता है, येह फुज़ूल और फूल (Fool) रस्म मुस्लिम मुआशरे में भी जड़ें पकड़ चुकी है और मुसलमान अपने ही इस्लामी भाइयों को फूल (या'नी बे वुकूफ़) बना कर खुश होते हैं। अप्रैल फूल में आदमी को परेशान कुन झूटी ख़बर दे दी जाती है फिर जब उस पर हक़ीक़त खुलती है तो उसे "अप्रैल फूल-अप्रैल फूल" कह कर उस का मज़ाक़ उड़ाया जाता है, मसलन टेलीफ़ोन पर येह बताया जाता है कि ❀ आप का जवान बेटा फुलां जगह एक्सीडेन्ट होने की वजह से शदीद ज़ख़्मी है और उसे फुलां हस्पताल में पहुंचा दिया गया है या ❀ आप का फुलां रिश्तेदार इन्तिक़ाल कर गया है ❀ आप की दुकान में आग लग गई है ❀ आप की दुकान में चोरी हो गई है ❀ आप के प्लोट पर क़ब्ज़ा हो गया है ❀ आप की गाड़ी चोरी हो गई है ❀ आप के बेटे को तावान के लिये इग़्वा कर लिया गया है ❀ आप का दिया हुआ चेक बाऊन्स हो गया है और पोलीस आप को गिरिफ़्तार करने के लिये ढूंड रही है।

हर साल अप्रैल फूल के बारे में ख़बरें मन्ज़रे आ़म पर आती हैं, अफ़सोस कि झूट बोल कर, अपने मुसलमान भाइयों को परेशान कर के उन की हंसी उड़ाने को तफ़रीह का नाम दिया जाता है,

اَبْوَابُ عَزَّوَجَلَّ अक्ले सलीम अता फ़रमाए।

اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

हिकायत : 23

ग़लत ख़बर ने जान ले ली

रीनाला खुर्द (पंजाब, पाकिस्तान) के 70 सालह रिहाइशी शख़्स को ख़बर मिली कि उस के भाई का ओकाड़ा में एक्सीडेन्ट के नतीजे में इन्तिक़ाल हो गया है, वोह ओकाड़ा अस्पताल आ रहा था कि तहसील रोड़ पर गिर पड़ा और दिल का दौरा पड़ने की वजह से जान से हाथ धो बैठा, बा'द में पता चला कि किसी मनचले ने अप्रैल फूल का मज़ाक़ किया था। (उर्दू पोइन्ट, यकुम अप्रैल 2008)

हिकायत : 24

अप्रैल फूल का धोका

यकुम अप्रैल 2012 ईसवी की बात है हिन्द के एक शहर नागपुर (ताजपुर) में एक शख़्स किराए के मकान में रहता था, वोह और उस के अहले ख़ाना घर से बाहर निकले हुए थे कि उन के एक पड़ोसी ने मोबाइल पर ख़बर दी कि तुम्हारे घर में आग लग गई है लेकिन उन्होंने ने इसे अप्रैल फूल समझा और कहा : लगने दो। धीरे धीरे आग पूरे मकान में फैल गई। आस पास के लोगों ने फ़ायर ब्रीगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया लेकिन उस वक़्त तक अप्रैल फूल अपना असर दिखा चुका था। (“धी सन्डे इन्डेन” वेब साइट)

अप्रैल फूल कैसे शुरुआत हुवा ?

अप्रैल फूल क्या है ? इस के बारे में बहुत कम लोग जानने की कोशिश करते हैं अलबत्ता दीगर ख़ुराफ़ात की तरह इस को भी बड़े एहतिमाम से मनाया जाता है, अप्रैल फूल के आगाज़ के बारे में एक तहक़ीक़ येह है कि जब ईसाई अफ़वाज ने स्पेन को फ़तह किया तो उस वक़्त स्पेन की

ज़मीन पर मुसलमानों का इतना खून बहाया गया कि फ़ातेह फ़ौज़ के घोड़े जब गलियों से गुज़रते थे तो उन की टांगें मुसलमानों के खून में डूबी होती थीं जब काबिज़ अफ़वाज़ को यक़ीन हो गया कि अब स्पेन में कोई भी मुसलमान जिन्दा नहीं बचा है तो उन्होंने ने गिरिफ़्तार मुसलमान हुक्मरान को येह मौक़अ दिया कि वोह अपने ख़ानदान के साथ वापस मराकिश चला जाए जहां से उस के आबाओ अज्दाद आए थे, काबिज़ अफ़वाज़ ग़रनाता से कोई बीस किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर उसे छोड़ कर वापस चली गई । जब ईसाई अफ़वाज़ मुसलमान हुक्मरानों को अपने मुल्क से निकाल चुकीं तो हुक्मती जासूस गली गली घूमते रहे कि कोई मुसलमान नज़र आए तो उसे शहीद कर दिया जाए, जो मुसलमान जिन्दा बच गए वोह अपने अलाके छोड़ कर दूसरे अलाकों में जा बसे और अपनी शनाख़्त पोशीदा कर ली, अब ब ज़ाहिर स्पेन में कोई मुसलमान नज़र नहीं आ रहा था मगर अब भी ईसाइयों को यक़ीन था कि सारे मुसलमान क़त्ल नहीं हुए कुछ छुप कर और अपनी शनाख़्त छुपा कर जिन्दा हैं अब मुसलमानों को बाहर निकालने की तरकीबें सोची जाने लगीं और फिर एक मन्सूबा बनाया गया । पूरे मुल्क में ए'लान हुवा कि यकुम अप्रैल को तमाम मुसलमान ग़रनाता में इकठ्ठे हो जाएं ताकि जिस मुल्क में जाना चाहें जा सकें । अब चूंकि मुल्क में अम्न काइम हो चुका था इस लिये मुसलमानों को खुद ज़ाहिर होने में कोई ख़ौफ़ महसूस न हुवा, मार्च के पूरे महीने ए'लानात होते रहे, अल हमरा के नज़दीक बड़े बड़े मैदानों में खैमे नस्ब कर दिये गए, जहाज़ आ कर बन्दरगाह पर लंगर अन्दाज़ होते रहे, मुसलमानों को हर तरीके से यक़ीन दिलाया गया कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा । जब मुसलमानों को यक़ीन हो गया कि अब हमारे साथ कुछ नहीं होगा तो वोह

सब ग़रनाता में इकट्ठे होना शुरू हो गए। इस तरह हुकूमत ने तमाम मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उन की बड़ी खातिर मददारी की। यह यक़ुम अप्रैल का दिन था जब तमाम मुसलमानों को बहरी जहाज़ में बिठाया गया मुसलमानों को अपना वतन छोड़ते हुए तक्लीफ़ हो रही थी मगर इत्मीनान था कि चलो जान तो बच जाएगी। दूसरी तरफ़ हुक्मरान अपने महल्लात में जश्न मनाने लगे, जर्नलों ने मुसलमानों को अल वदाअ किया और जहाज़ वहां से चल दिये, इन मुसलमानों में बूढ़े, जवान, ख़वातीन, बच्चे और कई एक मरीज़ भी थे जब जहाज़ गहरे समुन्दर में पहुंचे तो मन्सूबा बन्दी के तहत उन्हें गहरे पानी में डुबो दिया गया और यूं वोह तमाम मुसलमान समुन्दर में डूब गए। इस के बाद स्पेन में ख़ूब जश्न मनाया गया कि हम ने किस तरह अपने दुश्मनों को बे वुकूफ़ (Fool) बनाया।

फ़स्ट यर फूल

कोलेज में पहले दिन दाख़िल होने वाले तलबा को भी मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ से फ़स्ट यर फूल (First year fool) बनाया जाता है, कभी इन से ऊट पटांग सुवालात पूछे जाते हैं, कभी ग़लत क्लास रूम में घुसा दिया जाता है, कभी उन की पुश्त पर फ़स्ट यर फूल का कार्ड या स्टीकर चिपका दिया जाता है कभी उन के कपड़ों को पेन की सियाही से रंग दिया जाता है। **اَعْلَاهُ عَزَّوَجَلَّ** ऐसा करने वालों को सच्ची तौबा की तौफीक़ अता फ़रमाए। **اٰمِيْنَ بِحَاوِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

﴿10﴾ नाम बिगाड़ना

अस्ल नाम पुकारने के बजाए ना मुनासिब नामों मसलन लम्बू ! कालू ! मोटू ! वगैरा कह कर बुलाना भी सामने वाले को तक्लीफ़ दे सकता है। मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा रज़विय्या जिल्द 23 सफ़्हा 204 पर लिखते हैं : किसी मुसलमान बल्कि काफ़िर जिम्मी को भी बिना हाजते शरइय्या ऐसे अल्फ़ाज़ से पुकारना या ता'बीर करना जिस से उस की दिल शिकनी हो, उसे ईज़ा पहुंचे, शरअन नाजाइज़ व ह़राम है। अगर्चे बात फ़ी नफ़िसही सच्ची हो, فَإِنَّ كُلَّ حَقِّ صِدْقٍ وَوَيْسَ كُلِّ صِدْقٍ حَقًّا (तो बेशक हर हक़ सच है मगर हर सच हक़ नहीं) (फ़तावा रज़विय्या, 23 / 204) लिहाज़ा जिस का जो नाम हो उस को उसी नाम से पुकारना चाहिये, अपनी तरफ़ से किसी का उल्टा सीधा नाम मसलन लम्बू, ठिंगू, कालू वगैरा न रखा जाए, उमूमन इस तरह के नामों से दिल आज़ारी होती है और वोह इस से चिड़ता भी है लेकिन पुकारने वाला जान बूझ कर बार बार मज़ा लेने के लिये उसे इसी नाम से पुकारता है, ऐसा करने वालों को संभल जाना चाहिये क्यूंकि रब तआला फ़रमाता है :

وَلَا تَتَّبِعُوا بِلَا لِقَابٍ
بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإِيْمَانِ ع (پ ۲۶، الحجرات: ۱۱)

तरज्मए कन्ज़ुल ईमान : और एक दूसरे के बुरे नाम न रखो क्या ही बुरा नाम है मुसलमान हो कर फ़ासिक़ कहलाना।

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي इस आयत के तहूत लिखते हैं : (या'नी वोह नाम) जो उन्हें ना गवार मा'लूम हों। हज़रते इब्ने अब्बास رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

ने फ़रमाया कि अगर किसी आदमी ने किसी बुराई से तौबा कर ली हो उस को बा'दे तौबा उस बुराई से आर दिलाना भी इस नह्य (या'नी मुमानअत के हुक्म) में दाख़िल और ममनूअ है। बा'ज उलमा ने फ़रमाया कि किसी मुसलमान को कुत्ता या गधा या सुवर कहना भी इसी में दाख़िल है। बा'ज उलमा ने फ़रमाया कि इस से वोह अल्काब मुराद हैं जिन से मुसलमान की बुराई निकलती हो और उस को ना गवार हो लेकिन ता'रीफ़ के अल्काब जो सच्चे हों ममनूअ नहीं जैसे कि हज़रते अबू बक्र का लक़ब अतीक़ (जहन्नम से आज़ाद) और हज़रते उमर का फ़ारूक़ (हक़ और बातिल में फ़र्क़ करने वाला) और हज़रते उस्माने ग़नी का जुन्नूरैन (दो नूरों वाला) और हज़रते अली का अबू तुराब (मिट्टी वाला) और हज़रते ख़ालिद का सैफुल्लाह (अल्लाह की तलवार) (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) और जो अल्काब ब मन्ज़िलए अलम (या'नी नाम के मर्तबे में) हो गए और साहिबे अल्काब को ना गवार नहीं वोह अल्काब भी ममनूअ नहीं जैसे कि आ'मश (कमज़ोर निगाह वाला), आ'रज (लंगड़ा)। (“क्या ही बुरा नाम है मुसलमान हो कर फ़ासिक़ कहलाना” के तहूत सदरुल अफ़ाज़िल लिखते हैं) तो ऐ मुसलमानो ! किसी मुसलमान की हंसी बना कर या उस को ऐब लगा कर या उस का नाम बिगाड़ कर अपने आप को फ़ासिक़ न कहलाओ।

(ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह, 26, अल हुजुरात, ज़ेरे आयत : 11)

फ़िरिशते ला'नत करते हैं

हज़रते सय्यिदुना उमैर बिन सा'द رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ बयान करते हैं कि हुस्ने अख़्लाक़ के पैकर, नबियों के ताजवर, महबूबे रब्बे अकबर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जिस ने किसी शख़्स को उस के नाम के इलावा नाम से बुलाया उस पर फ़िरिशते ला'नत करते हैं। (جمع الجوامع، २३/७، حديث: २०६१२)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

या'नी किसी बुरे लक़ब से जो उसे बुरा लगे न कि ऐ बन्दए खुदा ! वगैरा से । (التيسير بشرح الجامع الصغير، حرف الميم، ٤١٦/٢)

किसी को बे वुकूफ़ या उल्लू कहने का हुक्म

मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमामे अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن से सुवाल हुआ : जो शख़्स किसी आलिम की निस्बत या किसी दूसरे की लफ़्ज़ मर्दूद कहे या यूं कहे कि वोह “बे वुकूफ़” है, कुछ नहीं जानता और “उल्लू” है, तो उस शख़्स की निस्बत शरअ़ शरीफ़ क्या हुक्म देगी ? आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने जवाब दिया : बिला वजहे शरई किसी मुसलमान को ऐसे अल्फ़ाज़ से याद करना मुसलमान को नाहक़ ईज़ा देना है और मुसलमान की नाहक़ ईज़ा शरअ़न ह़राम । रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं :

مَنْ أَذَى مُسْلِمًا فَقَدْ أَذَانِيُ وَمَنْ أَذَى اللّٰهِ

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ

जिस ने बिला वजहे शरई किसी मुसलमान को ईज़ा दी उस ने मुझे ईज़ा दी और जिस ने मुझे ईज़ा दी उस ने **अल्लाह** को ईज़ा दी । (المعجم الاوسط، ٣٨٦/٢، حديث: ٣٦٠٧) फिर उलमाए दीने मतीन की शान तो निहायत अफ़अ व आ'ला है उन की जनाब में गुस्ताखी करने वाले को हदीस में मुनाफ़िक़ फ़रमाया :

ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخْفُ بِحَقِّهِمُ الْأَمَنَافِقُ ذُو الشَّيْبَةِ فِي الْإِسْلَامِ وَذُو الْعِلْمِ وَإِمَامٌ مُّقْسِطٌ

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَأَبِي الشَّيْخِ فِي التَّوْبِيخِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

या'नी सय्यिदे अ़ालम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** फ़रमाते हैं : तीन शख़्स हैं जिन का हक़ हल्का न जानेगा मगर मुनाफ़िक़, (एक) इस्लाम में बुढ़ापे वाला (दूसरा) अ़ालिम (तीसरा) बादशाहे इस्लाम अ़दिल ।
(المعجم الكبير، ۲۰۲/۸، حديث: ۷۸۱۹) ऐसा शख़्स शरअन लाइके ता'ज़ीर है ।
(فतावा رज़विय्या، 13 / 644) وَاللّٰهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ جَلٌّ مَجْدَةٌ اَتَمُّ وَاَحْكَمُّ

महब्बत भरे नाम से पुकारा

बसा औकात हमारे मीठे मीठे मदनी आका **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** सहाबए किराम **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** या अज़वाजे मुतहहरात **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ** के नामों को मुख़्तसर या तसगीर कर के महब्बत भरे अन्दाज़ से पुकारते, इस की चन्द मिसालें मुलाहज़ा फ़रमाएं : **✽** हज़रते सय्यिदुना उस्माने ग़नी **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** को या उ़सैम (مسنداحمد، ۱۰/۱/۱۰، حديث: ۲۶۱۹۰) हज़रते सय्यिदुना अनस **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** को या उनैस (مسلم، ص ۱۲۶۴، حديث: ۲۳۰۹) और या ज़ल उज़ुनैन (ऐ दो कानों वाले) **✽** हज़रते सय्यिदुना जाबिर **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** को या जुवैबर (جمع الجوامع، ۲۰۸/۱/۱६، حديث: ۱۰۱۸۹) और या जुबैर **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** (جمع الجوامع، ۲۰۹/۱/१६، حديث: ۱۰२००) हज़रते सय्यिदुना मिक्दाम **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** को या कुदैम (ابو داؤد، ۱/۸/३، حديث: २९३३) हज़रते सय्यिदुना अ़इशा सिद्दीका **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** को या अ़इश (بخاری، ۵/ॲ/ॵ०ॱ، حديث: ३ॷॶ۸) और शुक़्ैरा (गहरे भूरे रंग वाली) **✽** और हुमैरा (सुख़ रंग वाली) (جمع الجوامع، ۱/ॳ/ॳ، حديث: ۷۸۲۳) और या उ़वैश ! (جمع الجوامع، ॵ/ॵ/ॵॵ، حديث: ۱ॶॳ۸॰) और या उ़वैश (الطبقات الكبرى لابن سعد، ۶/ॵ/ॶॵ، رقم: ॵॱॲ۸) **✽** हज़रते सय्यिदुना ज़ैनब बिनते उम्मे सलमा **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** को या जुवैनब (جمع الجوامع، ॵ/ॵ/ॵॵ، حديث: ۱ॶ۸ॳॵ) कह कर पुकारा ।

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! सरकारे दो आलम
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के इस अन्दाज़ में पुकारने से उन सहाबए किराम और
 अज़वाजे मुतहहरात (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) का दिल खुश होता था लेकिन आप
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के अन्दाज़ पर हम अपने आप को कियास नहीं कर
 सकते। चुनान्चे, हमें इस सिलसिले में बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि
 कहीं वोह नाम जिसे हम महबूबत भरा समझ रहे हों सामने वाले को पसन्द
 न हो मगर वोह अदब व मुर्व्वत की वज्ह से कुछ कहने की हिम्मत न
 रखता हो और बसा औकात हमारा अन्दाज़ दिल आज़ारी का भी सबब
 बन सकता है लिहाज़ा एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिये।

हिकायत : 25

जब “गिलहरी” बड़ी हुई

एक मदनी इस्लामी भाई का बयान है कि **اَبُو بَكْرٍ** ने मुझे
 एक बेटा और बेटे के बा'द एक और मदनी मुन्नी आसिया अत्तारिया से
 नवाज़ा तो दिल की कली खिल उठी, वोह मदनी मुन्नी जब मुस्कुराती तो
 गिलहरी जैसी दिखाई पड़ती, हम ने प्यार से उसे गिलहरी कहना शुरू
 कर दिया वोह भी गिलहरी के नाम पर मुतवज्जेह हो जाती कि मुझे आवाज़
 दी गई है, जब उसे दारुल मदीना में दाखिल करवाया तो अस्ल नाम
 आसिया से पुकारना शुरू कर दिया। अब वोह क्लास 3 में है, लेकिन
 अब कभी उसे (आज़माइशी तौर पर) गिलहरी कहा जाए तो वोह बुरा
 मनाती है और अस्ल नाम से पुकारने का मुतालबा करती है।

سَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

«11» रास्तों को तंग कर देना

दुकान का सामान फुटपाथ पर रख कर राहगीरों का रास्ता बन्द कर देना, घर के आगे चबूतरा या गटर या पौदों की क्यारी बना कर गली तंग कर देना, देगें पकाने के लिये गढ़े खोदना, गली में ग़लत पार्किंग कर के दीगर गाड़ी वालों को परेशान करना एक मुसलमान के शायाने शान नहीं, हज़रते सय्यिदुना सहल बिन मुआज़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا का बयान है, मेरे वालिदे गिरामी फ़रमाते हैं कि हम प्यारे आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के साथ जिहाद में गए तो लोगों ने मन्ज़िलें तंग कर दीं और रास्ता रोक लिया। इस पर रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने एक आदमी को भेजा कि वोह येह ए'लान करे : बेशक जो मन्ज़िलें तंग करे या रास्ता रोके तो उस का कुछ जिहाद नहीं।

(अबुदाऊद, کتاب الجهاد، باب ما يؤمر... الخ، ३/५८، حديث: २१२९)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ (रास्ता रोक लिया) की वज़ाहत करते हुए फ़रमाते हैं : इस तरह कि बा'जू लोगों ने रास्ते पर अपना सामान रख दिया जिस से रास्ता बन्द हो गया और गुज़रने वालों को तक्लीफ़ होने लगी और बा'जू ने ज़रूरत से ज़ियादा मन्ज़िल पर जगह घेर ली जिस से साथियों पर तंगी हो गई। मा'लूम हुवा कि हर वक़्त सफ़र व हज़र में हर मुसलमान को अपने साथियों के आराम का ख़याल रखना चाहिये। (उस का कुछ जिहाद नहीं)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

के तहत मुफ़्ती साहिब फ़रमाते हैं : या'नी उस जिहाद का पूरा सवाब न मिलेगा । बा'जू लोग मस्जिद में गुज़रगाह पर नमाज़ शुरू कर देते हैं जिस से आने जाने वालों को सख़्त तक्लीफ़ होती है, बा'जू हज़रात सफ़ में ज़ियादा जगह घेर कर बैठते हैं उन्हें इस हदीस से सबक़ लेना चाहिये, मुसलमानों को तक्लीफ़ से बचाना इबादत का मग़ज़ है ।

(मिरआतुल मनाज़ीह, 5 / 498)

हिकायत : 26

बन्द नालियां खोलने केलिये पथर उखड़ाव दिये

अमीरुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूक़े आ'ज़म रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ एक मरतबा मक्कए मुकर्रमा رَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا तशरीफ़ लाए तो अहले मक्का ने आप से फ़रियाद की, कि हज़रते सय्यिदुना अबू सुफ़यान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने हमारे घरों की नालियों को बन्द कर दिया है । आप रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ उन लोगों के साथ हज़रते सय्यिदुना अबू सुफ़यान रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के पास आए और फ़रमाया : इस पथर को उखाड़ो ! उन्होंने ने उखाड़ दिया । फिर फ़रमाया : इसे भी उखाड़ो ! उन्होंने ने उखाड़ दिया । आप फ़रमाते रहे वोह उखाड़ते रहे यहां तक कि कई पथर उखाड़ डाले ।

(کنز العمال، کتاب الفضائل، باب فضائل الصحابة، جزء ۶، ۶/۲۹۶، رقم: ۳۶۰۱۲ ملخصاً)

मुसलमां रात भर सोएं उमर फ़ारूक़ पहरा दें

रिआया के निगहबां हज़रते फ़ारूक़े आ 'ज़म हैं

(दीवाने सालिक, स. 28)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

शौखुल हदीस वक्तफ़सीर हज़रते अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आ'जमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُبْرَى इस हदीसे पाक के तहत तहरीर फ़रमाते हैं : हर वोह तक्लीफ़ देह चीज़ मसलन कांटा, शीशा, ठोकर की चीज़ें जिस से चलने वालों को ईज़ा पहुंचने का अन्देशा हो उस को रास्तों से हटा देना बहुत मा'मूली काम है लेकिन येह अमल **अल्लाह** तआला को इस क़दर पसन्द है कि वोह इस की जज़ा में अपने फ़ज़्लो करम से जन्नत अता फ़रमा देता है। आज कल के मुसलमान इस अमले सालेह की अज़मत और इस के अज़्रो सवाब से बिल्कुल ही गाफ़िल हैं बल्कि उलटे रास्तों में तक्लीफ़ की चीज़ें डाल दिया करते हैं। मसलन आम तौर पर लोग केला खा कर उस का छिलका रेलवे स्टेशन के प्लेट फ़ॉर्म पर फेंक दिया करते हैं। गाड़ी आने पर मुसाफ़िर बद हवास हो कर ट्रेन में चढ़ने के लिये दौड़ते और केले के छिलकों पर पाउं पड़ जाने से फिसल कर गिर जाते हैं और बा'ज शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं, इसी तरह हड्डियां और शीशे के टुकड़े आम तौर पर लोग रास्तों में डाल दिया करते हैं। इन हरकतों से मुसलमान को बचना चाहिये बल्कि रास्तों में कोई तक्लीफ़ देह चीज़ अगर नज़र पड़ जाए तो उस को रास्तों से हटा देना चाहिये إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى अगर येह अमल मक्बूल हो गया तो जन्नत मिलेगी। وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (बिहिश्त की कुन्जियां, स. 209)

आम रास्ते की तरफ़ बैतुल ख़ला या परनाला बनाना

बहारे शरीअत में है : आम रास्ते की तरफ़ बैतुल ख़ला या परनाला या बुरुज या शहतीर या दुकान वग़ैरा निकालना जाइज़ है बशर्ते कि इस से अ़वाम को कोई ज़रर न हो और गुज़रने वालों में से कोई मानेअ न हो और अगर किसी को कोई तक्लीफ़ हो या कोई मो'तरिज़ हो तो नाजाइज़ है।

(बहारे शरीअत, 3 / 871) بحواله الرد المحتار، كتاب التّيات، باب ما يحدثه الرجل... الخ... 1/260

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

रास्ते पर ख़रीदो फ़रोख़्त करने के तीन मशाइल

सदरुशरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَبِيرِ लिखते हैं : जो शख्स रास्ते पर ख़रीदो फ़रोख़्त करता है अगर रास्ता कुशादा है कि उस के बैठने से राहगीरों पर तंगी नहीं होती तो हरज नहीं और अगर गुज़रने वालों को उस की वजह से तक्लीफ़ हो जाए तो उस से सौदा ख़रीदना न चाहिये कि गुनाह पर मदद देना है क्यूंकि जब कोई ख़रीदेगा नहीं तो वोह बैठेगा क्यूं !

(बहारे शरीअत, 2 / 726) (الإخ, 3 / 210)

मस्अला : आम रास्ते पर ख़रीदो फ़रोख़्त के लिये बैठना जाइज़ है जब कि किसी के लिये तक्लीफ़ देह न हो और अगर किसी को तक्लीफ़ दे तो वोह नाजाइज़ है । (बहारे शरीअत, 3 / 871) (الإخ, 10 / 267)

मस्अला : शारेए आम के किनारे बैठ कर ख़रीदो फ़रोख़्त अगर किसी चीज़ को ज़रर न दे और हुकूमत की इजाज़त से हो तो जाइज़ है और अगर मुज़िर हो तो नाजाइज़ है ।

(बहारे शरीअत, 3 / 877) (الإخ, 10 / 267)

रास्ते पर किसी को तक्लीफ़ न दो !

सरकारे मदीना, सुल्ताने बा क़रीना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से इरशाद फ़रमाया : रास्तों पर बैठने से बचो ! लोगों

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ने अर्ज की : या रसूलल्लाह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ! हम को वहां बैठने के सिवा चारह नहीं, हम वहां बात-चीत करते हैं। फ़रमाया : अगर बिगैर बैठे न मानो तो रास्ते को इस का हक़ दो ! उन्होंने ने अर्ज की : या रसूलल्लाह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ! रास्ते का क्या हक़ है ? फ़रमाया : निगाह नीचे रखना, तक्लीफ़ देह चीज़ हटाना, सलाम का जवाब देना, अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना।

(بخاری، کتاب الاستئذان، باب بدء السلام، ١٦٥/٤، حدیث: ٦٢٢٩)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : रास्ते से औरतें बच्चे गुज़रते रहते हैं, नीज़ वहां से लोगों के माल सुवारियां गुज़रती हैं, इस लिये वहां बैठना ख़तरनाक बद नज़री का अन्देशा है। मज़ीद फ़रमाते हैं : रास्तों पर बैठ कर येह पांच नेकियां या इन में से जिस क़दर बन पड़ें किया करो ! निगाहें नीची रखो ताकि अजनबी औरतों पर न पड़ें, रास्ते से कांटा, ईंट, पथ्थर अलग कर दिया करो ताकि किसी राहगीर को न चुभे न ठोकर लगे, जो रास्ता गुज़रने वाला तुम्हें सलाम करता हुवा गुज़रे उस का जवाब दो, अगर तुम रास्ते में किसी को कोई बुरा काम करते देखो तो उस से रोको, उस की इवज़ उसे अच्छा काम करने का मश्वरा दो, इस सूरत में तुम्हारा वहां बैठना भी इबादत है। **سُبْحَانَ اللَّهِ** ! कीमिया पीतल-तांबे को सोना कर देती है, हुज़ूर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की ता'लीम गुनाहों को सवाब बना देती है। (मिरआतुल मनाज़ीह, 6 / 322)

हिकायत : 28

खेती के मालिक की शिकायत

एक शख्स ने हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَرِيزِ की बारगाह में हाज़िर हो कर शिकायत की : मैं ने खेती काशत की थी कि अहले शाम का लश्कर वहां से गुज़रा और उसे ख़राब कर दिया। आप ने इस के बदले उसे दस हज़ार दिरहम दिये।

(सिरत ابن جوزی، ص ۹۷)

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَةِ इसी नोइयत की एक हिकायत के बा'द लिखते हैं : उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिये जो लोगों की दीवारों और सीढ़ियों के कोनों वगैरा को पीक (या'नी पान के रंगीन थूक) की पिचकारियों से बदनुमा कर देते हैं, इसी तरह बिगैर इजाज़ते मालिक, मकानों और दुकानों की दीवारों और दरवाज़ों नीज़ साइन बोर्डज़ और गाड़ियों, बसों वगैरा के बाहर या अन्दर स्टीकज़ और पोस्टर लगाने वाले, दीवारों पर मालिक की इजाज़त के बिगैर "चोकिंग" करने वाले भी दर्स हासिल करें कि इस तरह करने से लोगों के हुकूक़ पामाल होते हैं। बेशक हुकूकुल्लाह ही अज़ीम तर हैं मगर तौबा के तअल्लुक़ से हुकूकुल इबाद का मुआमला हुकूकुल्लाह से सख़्त तर है, दुन्या में जिस किसी का हक़ जाएअ किया हो अगर उस से मुआफ़ी तलाफ़ी की तरकीब दुन्या ही में न बनी होगी तो क़ियामत के रोज़ उस साहिबे हक़ को नेकियां देनी पड़ेंगी और अगर इस तरह भी हक़ अदा न हुवा तो उस के गुनाह अपने सर लेने होंगे। मसलन जिस ने बिला उज़्रे शरई किसी को झाड़ा होगा, घूर कर या किसी भी तरह डराया होगा, दिल दुखाया होगा किसी को मारा होगा, किसी के पैसे दबा लिये होंगे, पीक, पोस्टर या चोकिंग वगैरा के ज़रीए

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

किसी की दीवार ख़राब की होगी, किसी की दुकान या मकान के आगे जगह घेर कर उस के लिये नाहक़ परेशानी का सामान किया होगा, किसी की इमारत से क़रीब ग़ैर वाजिबी तौर पर ज़बरदस्ती अपनी इमारत बना कर उस की हवा और रोशनी में रुकावट खड़ी की होगी, किसी की स्कूटर या कार वग़ैरा को अपनी गाड़ी से डेन्ट डाल कर या ख़राश लगा कर राहे फ़िरार इख़्तियार की होगी, या भाग न सकने की सूरत में अपना कुसूर होने के बा वुजूद अपनी चर्ब ज़बानी या रो'ब दाब से उसी को मुजरिम बावर करा कर उस की हक़ तलफ़ी की होगी, ईदे कुरबां वग़ैरा के मौक़अ़ पर साहिबे मकान की रिज़ामन्दी के बिग़ैर उस के घर के आगे जानवर बांध कर या ज़ब्द कर के उस की दीवार या घर से निकलने का रास्ता गोबर, खून और कीचड़ वग़ैरा से आलूदा कर के उस के लिये ईज़ा का सामान किया होगा, किसी के मकान या दुकान के पास या उस की छत या प्लॉट पर परेशान कुन गन्द कचरा फेंका होगा, अल ग़रज़़ लोगों के हुकूक़ पामाल करने वाला अग़र्चे नमाज़ें, हज़, उमरे, ख़ैरातें और बड़ी बड़ी नेकियां लेकर गया होगा, मगर बरोज़े क़ियामत उस की इबादतें वोह लोग ले जाएंगे जिन को नाहक़ नुक़सान पहुंचाया होगा या बिला इजाज़ते शरई किसी तरह से उन की दिल आज़ारी का बाइस बना होगा। नेकियां देने के बा वुजूद हुकूक़ बाक़ी रहने की सूरत में उन के गुनाह इस “नेक नमाज़ी” के सर थोप दिये जाएंगे और यूं दूसरों की हक़ तलफ़ी करने के सबब हाज़ी, नमाज़ी, रोज़ादार और तहज़्जुद गुज़ार होने के बा वुजूद वोह जहन्नम में जा पड़ेगा। وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی (और **اَعْلَاهُ** **عَزَّوَجَلَّ** की पनाह) हां **اَعْلَاهُ** **عَزَّوَجَلَّ** जिस के लिये चाहेगा महज़ अपने फ़ज़्लो करम से सुल्ह कराएगा। मज़ीद तफ़्सीलात के

लिये दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना का मतबूअ
रिसाला “जुल्म का अन्जाम” मुलाहज़ा फ़रमा लीजिये ।

(माखूज़ अज़ “अशकों की बरसात”, स. 16)

नफ़्स येह क्या जुल्म है जब देखो ताज़ा जुर्म है
नातुवां के सर पर इतना बोझ भारी वाह वाह

(हदाइके बख़्शिश, स. 134)

हिक़ायत : 29

रस्सी खुलवा दी

अमीरे अहले सुन्नत **12** **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** जुल हिज्जतिल ह्राम
1430 हिजरी को अपने बड़े शहज़ादे अलहाज अबू उसैद उबैद रज़ा
अत्तारी अल मदनी **مَدِيْنَةُ الْعَالِي** के यहां क़ियाम पज़ीर थे, ऊंट की कुरबानी
होने का वक्त करीब था, किसी ने बाहर गली में आने जाने की दुश्वारी के
बाइस रस्सी से गली का रास्ता कुछ देर के लिये रोक दिया । अमीरे अहले
सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** ने फ़ौरन “मदनी पेड” पर कुछ यूं तहरीर फ़रमाया :
“रास्ता बन्द कर दिया गया है, हुकूके आम्मा का लिहाज़ रहे इस लिये
रस्सी खुलवा दी जाए ।” तहरीर नीचे मौजूद मुतअल्लिका इस्लामी भाइयों
तक पहुंचा दी गई और यूं फ़ौरी तौर पर रास्ता खुलवा दिया गया ।

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

﴿12﴾ वुशआ को तक्लीफ़ न दीजिये

अपना सारा माल किसी एक या चन्द वारिसों को दे कर बिला
वज्हे शरई बक़िय्या को महरूम कर देना ममनूअ है, चुनान्वे, हज़रते

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का बयान है : फ़त्हे मक्का के साल मैं ऐसा बीमार हुवा कि मौत के करीब हो गया। सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मेरी इयादत के लिये तशरीफ़ लाए तो मैं ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मेरे पास माल बहुत है और मेरी बेटी के सिवा कोई वारिस नहीं, क्या मैं अपने कुल माल की वसियत कर जाऊं ? सरकारे दो अलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : नहीं। मैं ने अर्ज़ की : दो तिहाई माल की ? फ़रमाया : नहीं। मैं ने अर्ज़ की : आधे की ? फ़रमाया : नहीं, मैं ने अर्ज़ की : तिहाई की ? फ़रमाया : तिहाई की करो और तिहाई भी ज़ियादा है। तुम अपने वारिसों को ग़नी बना कर छोड़ो तो येह उस से अच्छा है कि तुम उन्हें फ़कीर कर के जाओ कि लोगों से मांगते फिरें। तुम कोई खर्चा ऐसा न करोगे जिस से **अब्लाह** की रिज़ा चाहो मगर तुम्हें इस पर सवाब दिया जाएगा हत्ता कि उस निवाले पर भी जो तुम अपनी बीवी को खिलाओ।

(مشکوٰۃ، کتاب الفرائض، باب الوصایا، ٥٦٦/١، حدیث: ٣٠٧١)

मुफ़स्सरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : इस हदीस से मा'लूम हुवा कि मरने वाला मरते वक़्त सिर्फ़ तिहाई की वसियत कर सकता है ज़ियादा की नहीं और अगर ज़ियादा की कर भी गया तो जारी न होगी, येह भी मा'लूम हुवा कि तिहाई से भी कम की वसियत करना बेहतर है कि हुज़ूरे अन्वर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ने तिहाई को भी ज़ियादा फ़रमाया। येह भी मा'लूम हो रहा है कि अपने अज़ीजों से सुलूक करना ग़ैरों से सुलूक करने से अफ़ज़ल है कि वसियत में ग़ैरों से सुलूक है मीरास में अपनों से

सुलूक। (हृदीसे पाक के आखिरी जुम्ले की वज़ाहत करते हुए फ़रमाते हैं :) या'नी तुम वसिय्यत क्यूं करते हो ? हुसूले सवाब के लिये, और मीरास जो वारिसों को पहुंचेगी अगर उस में तुम रिज़ाए इलाही (की) निय्यत कर लो कि अपने अज़ीजों को अपना माल पहुंचना ख़ तअ़ाला की रिज़ा का ज़रीआ है तब भी तुम को सवाब मिलेगा बल्कि ज़ियादा मिलेगा, लिहाज़ा वसिय्यत तिहाई से भी कम की करो। (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 382)

बहारे शरीअत में है : शरीअत ने मुतवफ़फ़ (या'नी मरने वाले) को वुरसा की मौजूदगी में अपने तमाम माल की वसिय्यत करने की इजाज़त नहीं दी कि इस से वारिसों को ज़रर (या'नी नुक़सान) पहुंचता है, और इन का हक़ ज़ाएअ़ होता है। (बहारे शरीअत, 3 / 930)

साठ साल इबादत के बावजूद दोज़ख़ का फैसला

सरदार मक्काए मुकर्रमा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : मर्द व औरत साठ साल तक **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ की इताअत व फ़रमां बरदारी करते रहें फिर उन का वक़्ते मौत क़रीब आ जाए और वसिय्यत में ज़रर पहुंचाएं तो उन के लिये दोज़ख़ की आग़ वाजिब होती है।

(ترمذی، کتاب الوصایا، باب ما جاء فی الضراری الوصیة، ٤/٤١، حدیث: ٢١٢٤)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हृदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : यहां साठ साल से मुराद बड़ी मुद्दत है ख़्वाह इस से ज़ियादा हो या कम। मौत आने से मुराद मौत के अलामात नुमूदार होना हैं वरना ख़ास मौत आ जाने पर बोलना मुशिकल हो जाता है, वसिय्यत करना या वसिय्यत में नुक़सान पहुंचाना कैसा ? (मुफ़्ती

साहिब मज़ीद लिखते हैं :) वसियत में नुक़सान पहुंचाने की चन्द सूरतें हैं। एक यह कि अपने वारिसों को नुक़सान पहुंचाने की नियत से वसियत कर जाए कि तिहाई माल वसियत में निकल जाए तो वारिसों के हिस्से कम हो जाएं। दूसरे यह कि नालाइक़ और बुरे लोगों को वसियत कर जाए, अपना तिहाई माल किसी बद मुआश को दे जाए ताकि वोह वारिसों के साथ रह कर उन्हें तंग करे। तीसरे यह कि पहले वसियत की थी फिर मरते वक्त वसियत से रुजूअ़ करे या उस में कुछ तरमीम करे ताकि वसियत वाले को नुक़सान हो “उन के लिये दोज़ख़ की आग़ वाजिब होती है” के तहत मुफ़ती साहिब लिखते हैं : या’नी वोह दोज़ख़ का मुस्तहिक़् हो जाता है, रहा दोज़ख़ में जाना येह रब तआला की मर्ज़ी पर है यहां वुजूब इस्तिह़काक़ का है न कि दुखूल का। (मिरकात) (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 384)

मुजरिमों के वासिते दोज़ख़ भी शो'लाबार है

हर गुनह क़स्दन किया है इस का भी इक़रार है

(वसाइले बरिज़ाश, स. 478)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

﴿13﴾ औलाद से यक्सां सुलूक न रखना

जीते जी भी औलाद के दरमियान अदलो इन्साफ़ करना चाहिये, कुछ को देना और कुछ को महरूम रखना न सिर्फ़ बाइसे तक्लीफ़ बन सकता है बल्कि इस के सबब बुज़ो कीना और ग़ीबत व तोहमत व ग़ैरा गुनाहों के दरवाजे खुलने का भी अन्देशा है। मुअल्लिमे अख़्लाक़ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّوْآلِهِ وَسَلَّمَ ने हमें औलाद में से हर एक के साथ मुसावी सुलूक

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

करने की ताकीद फ़रमाई है चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना नो'मान बिन बशीर
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا का बयान है कि मेरे वालिद मुझे उठा कर बारगाहे रिसालत में
 हज़िर हुए और अर्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! आप इस
 बात पर गवाह हो जाएं कि मैं ने अपने बेटे नो'मान को अपने माल में से
 फुलां फुलां चीज़ दी। सरकारे मदीना, क़रारे क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
 ने दरयाफ़्त फ़रमाया : क्या तुम ने अपने हर बेटे को उतना दिया है जितना
 नो'मान को दिया है ? मेरे वालिद ने अर्ज़ की : नहीं। इरशाद फ़रमाया :
 फिर इस पर मेरे इलावा किसी और को गवाह बनाओ। मज़ीद इस्तिफ़सार
 फ़रमाया : क्या तुम्हें येह बात पसन्द है कि तुम्हारे साथ नेकी करने में
 तुम्हारी सब औलाद बराबर हो ? मेरे वालिद ने अर्ज़ की : क्यूं नहीं !
 इरशाद फ़रमाया : तो फिर ऐसा मत करो।

(مسلم، کتاب الهبات، باب كراهة تفضيل... الخ، ص ٨٧٩، حديث: ١٦٢٣)

हज़रते सय्यिदुना अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी
 عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : बा'ज अहले इल्म का अमल इस हदीसे पाक
 पर है और वोह (तोहफ़ा देने में) औलाद के दरमियान बराबरी को पसन्द
 करते हैं यहां तक कि एक बुजुर्ग ने फ़रमाया : औलाद के दरमियान
 बराबरी करे यहां तक कि बोसा देने में भी।

(ترمذی، کتاب الاحکام، باب ما جاء في النحل... الخ، ٨٢/٣، حديث: ١٣٧٢)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान
 عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَنَان इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : इस से मा'लूम हुवा कि
 औलाद को बराबर अतिर्ये दे, बा'ज को बा'ज पर तरजीह न दे कि किसी

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

को कुछ न दे या किसी को ज़ियादा दे। बा'ज़ उलमा फ़रमाते हैं कि ज़िन्दगी में लड़की लड़के को बराबर दे, लड़के का दो गुना हिस्सा मीरास में है न कि अतिरिक्त में, बा'ज़ ने फ़रमाया कि ज़िन्दगी में भी लड़के को दो गुना दे और लड़की को एक हिस्सा। (दरमत्तार, शाय, और नूर) बा'ज़ बुजुर्ग लड़कियों को दो गुना देते हैं कहते हैं कि लड़कियां मां बाप के घर मेहमान हैं, लड़के मुक़ीम। (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 353)

हिक़ायत : 30

मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता

बा'ज़ रिवायात में है कि हज़रते सय्यिदुना बशीर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अपने बेटे नो'मान को एक गुलाम दिया तो उन की जौजा हज़रते सय्यिदुना अम्रह बन्ते रवाहा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ने फ़रमाया कि मैं इस पर राज़ी नहीं जब तक कि आप इस बात पर सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को गवाह न बना लें। जब वोह इस मक़सद के लिये बारगाहे रिसालत में हज़िर हुए तो हुजूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस्तिफ़सार फ़रमाया : क्या तुम ने अपने सारे बच्चों को इसी तरह दिया है ? अर्ज़ की : नहीं। फ़रमाया : **अल्लाह** से डरो और अपनी औलाद में इन्साफ़ करो, नीज़ एक रिवायत में येह अल्फ़ाज़ हैं : मैं जुल्म पर गवाह नहीं होता। इस पर हज़रते सय्यिदुना बशीर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अपने तोहफ़े से रुजूअ कर लिया।

(مشکوٰۃ، کتاب البیوع، باب: ۱۷، ۱۶/ ۵۵۶، حدیث: ۳۰۱۹)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ तहरीर फ़रमाते हैं : इस हदीस की बिना पर उलमा फ़रमाते हैं कि बाप अपनी ज़िन्दगी में बेटा बेटा सारी औलाद में बराबरी करे, बेटे के

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

लिये दो गुना हिस्सा बा'दे वफ़ात है, हत्ता कि प्यार महब्वत बल्कि चूमने में भी बराबरी करे। (मिरकात) अगर्चे कुदरती तौर पर छोटे बच्चे से ज़ियादा महब्वत होती है, नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को फ़ातिमा ज़हरा (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا) बहुत प्यारी थीं कि सब से छोटी थीं। (मुफ़्ती साहिब मज़ीद फ़रमाते हैं :) ख़याल रहे कि मुत्तकी बेटे को फ़ासिक बेटे से ज़ियादा देना या ग़रीब मा'जूर बे दस्तो पा औलाद को दूसरी अमीर औलाद से कुछ ज़ियादा देना बिला कराहत दुरुस्त है। (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 354)

या रब बचा ले तू मुझे नारे जहीम से
औलाद पर भी बल्कि जहन्नम हराम हो

(वसाइले बख़्शिश, स. 310)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

«14» बच्चों को तक्लीफ़ न दीजिये

रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : तुम अपने बच्चों को दबाने से तक्लीफ़ न दो गले आ जाने में तुम कुस्त इख़्तियार करो। (بخاری، کتاب الطب، باب الحجامة من الداء، ۲۱/۴، حدیث: ۵۶۹۶)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : कभी बच्चों के हल्क़ में गिल्टियां निकल आती हैं इस के इलाज के लिये औरतें अपनी उंगली में दवा लगा कर हल्क़ में उंगली डाल कर दबाती हैं जिस से बच्चों को बहुत तक्लीफ़ होती है, ख़ून जारी हो जाता है, मैं भी बचपन में येह मुसीबत भुगत चुका हूं, हुज़ूर (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ने इस से मन्अ फ़रमाया।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

“कुस्ते इख़्तियार करो” की वज़ाहत में मुफ़्ती साहिब लिखते हैं : यानी कुस्ते बहरी को पानी में हल कर के मरीज़ के नाक में टपका दो कि दिमाग़ व हल्क़ में पहुंच जाए। इस इलाज से अतिब्बा हैरान हैं क्योंकि गले की गिल्टियां जिसे गले आना कहा जाता है गर्मी से होती हैं और कुस्ते बहरी भी गर्म है तो गर्म को गर्म कैसे दफ़्अ कर सकता है मगर अक्सर गले की गिल्टियां उस खून से पैदा होती हैं जिस पर बलग़म ग़ालिब हो और कुस्ते बहरी बलग़म छान्ते में इक्सीर है, लिहाज़ा इस से इलाज मुफ़ीद है।

(मिरआतुल मनाज़ीह, 6 / 219)

लड़के के ख़तने में भी ख़याल रखिये

सदरुशशरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ लिखते हैं बच्चा पैदा ही ऐसा हुवा कि ख़तना में जो खाल काटी जाती है वोह उस में नहीं है तो ख़तना की हाज़त नहीं और अगर कुछ खाल है जिस को खींचा जा सकता है मगर उसे सख़्त तक्लीफ़ होगी और ह़शफ़ा (सुपारी) ज़ाहिर है तो हज़ामों को दिखाया जाए, अगर वोह कह दें कि नहीं हो सकती तो छोड़ दिया जाए, बच्चे को ख़्वाह म ख़्वाह तक्लीफ़ न दी जाए।

(३०७/००, الختان، الباب التاسع عشر في الختان، 3 / 589)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

15) दा'वते वलीमा वगैरा में ग़रीबों का ख़याल न रखना

दा'वते वलीमा में अमीरों को बुलाना ग़रीबों को नज़र अन्दाज़ कर देना उन की दिल शिकनी का सबब बन सकता है चुनान्चे, आ'ला हज़रत,

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن लिखते हैं : जिन्हार, जिन्हार (या'नी ख़बरदार, हरगिज़) ऐसा न करें कि खाते पीतों को बुलाएं, मोहताजों को छोड़ें कि ज़ियादा मुस्तहिक़ वोही हैं और उन्हें इस की हाज़त है तो उन का छोड़ना उन्हें ईज़ा देना और दिल दुखाना है, मुसलमानों की दिल शिकनी **مَعَاذَ اللَّهِ** वोह बलाए अज़ीम है कि सारे अमल को ख़ाक कर देगी, ऐसे खाने को हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सब से बदतर खाना फ़रमाया कि पेट भरे बुलाए जाएं जिन्हें परवाह नहीं और भूके छोड़ दिये जाएं जो आना चाहते हैं। (फ़तावा रज़विय्या, 23 / 158)

बद तरीन खाना

सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है : बद तरीन खाना उस दा'वते वलीमा का खाना है कि जो इस में आना चाहता है उसे रोक दिया जाता है और जो नहीं आना चाहता उसे बुलाया जाता है। (مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي... الخ، ص 750، حديث: 110)

हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अब्दुररुफ़ मनावी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي फ़रमाते हैं : वलीमे के खाने को बद तरीन अक्सर लोगों की हालत देख कर फ़रमाया है कि वोह दा'वते वलीमा पर मालदारों को तो बुला लेते हैं मगर मोहताजों को कोई नहीं बुलाता। मज़ीद फ़रमाते हैं : वलीमे का खाना मुतलक़न बद तरीन नहीं है, क्यूंकि वलीमा करने और लोगों को बुलाने का

तो हुक्म है, बद तरीन फ़रमाने की वजह वोह है जो आख़िर में बयान हुई (या'नी मालदारों को बुलाना मोहताजों को न बुलाना) ।

(فیض القدير، حرف الشين، ٤/٢٠٩، تحت الحديث: ٤٨٧٢)

हिकायत : 31

कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ

बा'जू जगह तो बा काइदा हारिसीन (पहरेदार) खड़े किये जाते हैं जो आने वाले मेहमानों पर नज़र रखते हैं लेकिन उन की तवज्जोह भी उमूमन गरीब, सादा और पुराने कपड़ों में मल्बूस अफ़राद पर होती है, चुनान्चे, वोह उन्ही से पूछा पाछी करते हैं और वलीमे की दा'वत का कार्ड त़लब करते हैं अगर बे चारा भूले से घर छोड़ आया हो तो उसे अपनी इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है, इस बात को एक फ़र्जी मगर सबक़ आमोज़ हिकायत से समझिये, चुनान्चे, एक शख़्स किसी दा'वत में सादा और पुराने कपड़ों में ही चला गया तो दरबानों ने उसे अन्दर दाख़िल नहीं होने दिया, वोह वापस आया और आलीशान लिबास पहन कर जाहो हशम के साथ दोबारा दा'वत में पहुंचा, दरबान उसे पहचान न सके और इज़्ज़तो तकरीम के साथ पिन्डाल में पहुंचा दिया, जब खाना शुरूअ हुवा तो सब लोग अपने मन पसन्द खानों के निवाले मुंह में डालने लगे लेकिन उस शख़्स ने एक प्लेट में खाना डाला और अपने कपड़ों का सिरा पकड़ कर प्लेट में डुबोने लगा, मेज़बान हैरत के साथ उस की तरफ़ लपका और पूछा : जनाब ! येह आप क्या कर रहे हैं ? खाना खाइये ! उस शख़्स ने जवाब दिया कि अस्ल में दा'वत मेरी नहीं इन कपड़ों की है क्यूंकि मैं सादा कपड़ों में आया तो अन्दर नहीं घुसने दिया गया, जब इस लिबास में आया तो

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

बड़ी आव भगत हुई, इस लिये इन्ही कपड़ों को खाना खिला रहा हूं, मेज़बान येह सुन कर शर्मिन्दा हुवा और उस से मा'ज़िरत की।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿16﴾ जख़ीरा अन्बोजी न कीजिये

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है :

مَنْ احْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجَذَامِ وَالْأَفْلَاسِ

या'नी जो मुसलमानों पर उन की रोज़ी (ग़ल्ला) रोके **अब्बाह** उसे कोढ़ और मुफ़िलसी में मारे। (अबिन् माजे, کتاب التجارات, باب الحكرة والجب, १/३, १/४, حديث: २१००)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : उन की रोज़ी फ़रमाने में इशारतन फ़रमाया कि इहतिकार मुतलक़न ममनूअ है मगर मुसलमानों पर इहतिकार ज़ियादा बुरा कि मुसलमान को तक्लीफ़ देना दूसरों को तक्लीफ़ देने से बदतर है। (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 290)

इहतिकार क्या है ?

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजहिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** से सुवाल हुवा कि ग़ल्ले को रोक कर बेचना जाइज़ है या नहीं ? तो आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने जवाब दिया : ग़ल्ले को इस नज़र से रोकना कि गिरानी (या'नी महंगाई) के वक़्त बेचेगे बशर्ते कि उसी जगह या उस के क़रीब से ख़रीदा और इस का न बेचना लोगों को मुज़िर (नुक़सान देह) हो मकरूह व ममनूअ है, और अगर ग़ल्ला दूर से

ख़रीद कर लाए और ब इन्तिज़ारे गिरानी न बेचे या न बेचना इस का ख़ल्क़ को मुज़िर (या'नी लोगों को नुक़सान देह) न हो तो कुछ मुज़ाइका नहीं ।

(फ़तावा रज़विय्या, 17 / 189)

एक और मक़ाम पर आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه लिखते हैं :
हराम यह है कि बस्ती में आने वाला ग़ल्ला खुद ख़रीद ले और बन्द रखे कि जितना महंगा चाहे बेचे जिस से बस्ती पर तंगी हो जाए और मकरूह यह है कि इस के ख़रीदने से बस्ती पर तंगी तो न हो मगर इसे आरजू हो कि क़हत् पड़े कि मुझे नफ़ा बहुत मिले, और जब इन दोनों बातों से पाक है जैसा सूरते सुवाल में है तो अस्लन कराहत भी नहीं । (फ़तावा रज़विय्या, 17 / 192)

इहतिकार सिर्फ़ ग़ल्ले में होता है

सदरुशरीआ, बदरुत्तरीका, हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى लिखते हैं : इहतिकार या'नी ग़ल्ला रोकना मन्अ है और सख़्त गुनाह है और इस की सूरत यह है कि गिरानी के ज़माने में ग़ल्ला ख़रीद ले और उसे बैअ न करे बल्कि रोक रखे कि लोग जब ख़ूब परेशान होंगे तो ख़ूब गिरां (महंगा) कर के बैअ करूंगा और अगर यह सूरत न हो बल्कि फ़स्ल में ग़ल्ला ख़रीदता है और रख छोड़ता है कुछ दिनों के बा'द जब गिरां हो जाता है बेचता है यह न इहतिकार है न इस की मुमानअत । ग़ल्ले के इलावा दूसरी चीज़ों में इहतिकार नहीं ।

(बहारे शरीअत, 2 / 725)

मुसलमानों की तक्लीफ़ पर खुश होने वाला

हज़रते सय्यिदुना मुआज़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का बयान है कि मैं ने सरकारे अबद करार, शाफ़ेए रोज़े शुमार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को फ़रमाते सुना :

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ग़ल्ला रोकने वाला बन्दा बहुत बुरा है कि अगर **عَزَّوَجَلَّ** भाव सस्ते करे तो रन्जीदा हो और अगर महंगा करे तो खुश ।

(شعب الايمان، باب في ان يحب المسلم... الخ، فصل في ترك الاحتكار، ٥٢٥/٧، حديث: ١١٢١٥)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : इस से मा'लूम हुवा कि मुसलमानों की तक्लीफ़ पर खुश होना और इन की खुशी पर नाराज़ होना ला'नती आदमियों का काम है, खुशी व ग़म में मुसलमानों के साथ रहना चाहिये । ग़ल्ले के नाजाइज़ ब्योपारियों का अ़ाम हाल येह ही है कि अरज़ानी सुन कर इन का दिल बैठ जाता है, गिरानी (महंगाई) के लिये नाजाइज़ अ़मल करते हैं, उलटे वज़ीफ़े पढ़ते हैं, लोगों से क़हूत की दुआएं कराते हैं, **نَعُوذُ بِاللَّهِ** वक़्त पर बारिश हो तो उन के घर सफ़े मातम बिछ जाती है । (मिरआतुल मनाज़ीह, 4 / 290)

हिकायत : 32

ग़ल्ला महंगा होने का इन्तिज़ार करने वाले की तफ़्हीम

एक बुजुर्ग **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** के बारे में मन्कूल है कि वोह वासित् के मक़ाम पर थे । उन्होंने ने गन्दुम से भरी एक कश्ती बसरा शहर की तरफ़ भेजी और अपने वकील को लिखा : जिस दिन येह खाना बसरा पहुंचे उसी दिन इसे बेच देना और अगले दिन तक मुअख़्ब़र न करना । इत्तिफ़ाक़न वहां पर भाव (Rate) कम था तो ताजिरों ने उन के वकील को मश्वरा दिया कि अगर आप इसे जुमुआ के दिन तक मुअख़्ब़र करें तो इस में दुगना

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

नफ़अ होगा। चुनान्चे, उस ने जुमुआ तक गन्दुम फ़रोख़्त नहीं की फिर जब बेची तो उस में कई गुना फ़ाएदा हुवा। वकील ने येह वाक़िआ मालिक को लिख कर भेजा तो उन्होंने ने वकील को ख़त लिखा कि ऐ फुलां ! हम अपने दीन की सलामती के साथ थोड़े नफ़ए पर ही क़नाअत कर लिया करते हैं मगर तुम ने इस के ख़िलाफ़ किया, हमें येह पसन्द नहीं है कि हमें इस से कई गुना नफ़अ हो लेकिन इस के बदले हमारे दीन में से कोई शै चली जाए। तुम ने हम पर एक जुर्म लागू कर दिया है, लिहाज़ा जब तुम्हारे पास मेरा येह ख़त पहुंचे तो तमाम माल ले कर बसरा के फुकरा पर सदका कर देना शायद कि मैं ज़ख़ीरा अन्दोज़ी के गुनाह से बराबर बराबर नजात पा सकूँ कि न तो मेरा नुक़सान हो और न ही फ़ाएदा।

(احياء علوم الدين، کتاب آداب الكسب، الباب الثالث، ۹۳/۲)

हिकायत : 33

जितने का ख़रीदा है उसी में बेच दो

इमामे आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيم** ने कभी किसी बेचने वाले की ग़फ़लत और ला इल्मी से फ़ाएदा नहीं उठाया, बल्कि आप उन की भलाई के लिये उन की बेहतरीन राहनुमाई फ़रमाते थे। आप अपने अहबाब से या किसी ग़रीब ख़रीदार से नफ़अ भी नहीं लिया करते थे बल्कि अपने नफ़अ में से भी उस को दे दिया करते। एक बूढ़ी औरत आप के पास आई और उस ने कहा : (मेरी ज़ियादा इस्तिताअत नहीं, इस लिये) येह कपड़ा जितने में आप को पड़ा है उस दाम पर मेरे हाथ फ़रोख़्त कर दें। आप ने फ़रमाया : तुम चार दिरहम में ले लो। वो बोली में एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरा मज़ाक़ क्यूँ उड़ाते हो (क्यूँकि येह क़ीमत बहुत कम है) ? आप ने फ़रमाया : मैं ने दो

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

कपड़े ख़रीदे थे और इन में से एक कपड़े को दोनों की क़ीमते ख़रीद से चार दिरहम कम पर फ़रोख़्त कर चका हूँ, अब यह दूसरा कपड़ा है जो मुझे चार दिरहम में पड़ा है, तुम 4 दिरहम में इसे ले लो। (तारिख़ بغداد، ३/१३०/३०९)

हिक़ायत : 34

पांच दीनार वापस कर दिये

हज़रते मुहम्मद बिन मुन्कदिर رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ जलिलुल क़द्र बुजुर्ग थे, दुकानदारी करते थे। आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के पास कई किस्म के कपड़े होते थे किसी की क़ीमत दस दीनार तो किसी की पांच दीनार। आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की अदम मौजूदगी में आप के शागिर्द ने पांच दीनार क़ीमत वाला कपड़ा दस दीनार में एक आ'राबी (या'नी देहाती) को फ़रोख़्त कर दिया। जब आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ तशरीफ़ लाए और इस बात का पता चला तो सारा दिन आ'राबी को तलाश करते रहे। आख़िर जब वोह मिला तो फ़रमाया : वोह कपड़ा पांच दीनार से ज़ियादा क़ीमत का नहीं था। आ'राबी ने कहा : हो सकता है कि मैं ने ब खुशी वोह कपड़ा दस दीनार से ख़रीदा हो। आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने फ़रमाया : जो चीज़ मैं अपने लिये पसन्द नहीं करता दूसरे किसी मुसलमान के लिये भी पसन्द नहीं करता इस लिये या तो बैअ फ़स्ख़ (या'नी ख़त्म) कर लो या पांच दीनार वापस ले लो या मेरे साथ आओ ताकि दस दीनार की क़ीमत का कपड़ा दे दूँ। आ'राबी ने पांच दीनार वापस ले लिये फिर किसी से दरयाफ़्त किया : येह कौन शख़्स है ? लोगों ने कहा : येह हज़रते मुहम्मद बिन मुन्कदिर हैं तो कहने लगा : سُبْحَانَ اللَّهِ येह वोह बुजुर्ग हस्ती हैं कि जब बारिश नहीं होती तो मैदान में जा कर हम इन का नाम लेते हैं तो पानी बरसने लगता है।

(किम्यायै सैदात, रकन دوم در معاملات, اصل سوم، ۱/۳۳۳)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

﴿17﴾ बिला इजाज़त किसी की चीज़ इस्ति'माल न करें

किसी का क़लम, तोलिया, जूता, कंघा, लिहाफ़, चादर, तेल, सुमा और मोबाइल वगैरा बिला इजाज़त इस्ति'माल कर लेना भी हमारे यहां आम है। ब जाहिर मा'मूली नज़र आने वाली शै भी अगर बिगैर इजाज़त इस्ति'माल कर डाली और क़ियामत के रोज़ पकड़ हुई तो क्या बनेगा ? चुनान्चे, हज़रते अल्लामा अब्दुल वहहाब शा'रानी قَدَسَ سِرُّهُ النَّوْرَانِي "तम्बीहुल मुग़तर्रीन" में नक्ल करते हैं : मशहूर ताबेई बुजुर्ग हज़रते सय्यिदुना वहब बिन मुनब्बेह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं : एक इसराईली शख़्स ने अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा की, सत्तर साल तक लगातार इस तरह इबादत करता रहा कि दिन को रोज़ा रखता और रात को जाग कर इबादत करता, न कोई उम्दा ग़िज़ा खाता न किसी साए के नीचे आराम करता। उस के इन्तिक़ाल के बा'द किसी ने ख़्वाब में देख कर पूछा : **مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟** या'नी **अब्बाह** عَزَّوَجَلَّ ने आप के साथ क्या मुआमला फ़रमाया ? जवाब दिया : **अब्बाह** عَزَّوَجَلَّ ने मेरा हिसाब लिया, फिर सारे गुनाह बख़्श दिये मगर एक लकड़ी जिस से मैं ने उस के मालिक की इजाज़त के बिगैर दांतों में खिलाल कर लिया था (और यह मुआमला हुकूकुल इबाद का था) और वोह मुआफ़ करवाना रह गया था इस की वजह से मैं अब तक जन्नत से रोक दिया गया हूँ। (تنبيه المغترين، الباب الاول، كثرة الخوف من الله... الخ، ص ٥١)

लाठी श्री बिला इजाज़त न ले

रसूले नज़ीर, सिराजे मुनीर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : किसी मुसलमान के लिये हलाल नहीं है कि वोह अपने भाई का कोई माल

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

नाहक़ तौर पर ले, इस लिये कि **अब्बाह** तअ़ाला ने मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम किया है, और इस को भी हराम करार दिया है कि कोई शख्स अपने भाई की लाठी भी उस की खुशदिली के बिगैर ले ।

(مجمع الزوائد، کتاب البيوع، باب الغصب... الخ، ٤/٤، رقم: ٣٠٤٠٩، ٦٨٥٩-٦٨٦٠)

खुशदिली के बिगैर दूसरे की चीज़ हलाल नहीं

रसूले बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल **عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْأَهْلِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : **تَرْجَمَا : لَا يَجُوزُ مَالُ أَمْرِي مُسْلِمًا إِلَّا بِطِبِّ نَفْسٍ مِنْهُ** : किसी भी मुसलमान का कोई माल उस की खुशदिली के बिगैर दूसरे के लिये हलाल नहीं । (مسند احمد، مسند البصريين، حديث عم... الخ، ٣٧٦/٧، حديث: ٢٠٧٢٠)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : यह हदीस बहुत से अहक़ाम का माख़ज़ है । माली जुमाने, किसी की चोरी, किसी का माल लूट लेना, किसी का माल ज़ब्रन नीलाम कर देना ये सब हराम है । ख़याल रहे कि दीवालिये का माल दर हकीक़त उस के कर्ज़ख़्वाहों का माल है इस लिये हाकिम दीवालिये की इजाज़त के बिगैर नीलाम कर देता है । ग़रज़ येह कि बा'ज़ सूरतें इस से मुस्तसना हैं **لَا تَظْلِمُوا** के मा'ना हैं कि ग़ैर पर जुल्म न करो या अपने पर जुल्म न करो । (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 318)

मत गुनाहों पे हो भाई बे बाक़ तू भूल मत येह हकीक़त कि है ख़ाक़ तू
थाम ले दामने शाहे लौलाक़ तू सच्ची तौबा से हो जाएगा पाक़ तू

(वसाइले बख़्शिश, स. 656)

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 35

दरख़्त की चन्द पत्तियां

एक इस्लामी भाई का बयान है कि मैं जुल हिज्जतिल ह़राम 1429 हिजरी को अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** की बारगाह में हाज़िर था, आप **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** अपने बड़े शहज़ादे जानशीने अत्तार हाजी अबू उसैद उ़बैद रज़ा अत्तारी अल मदनी **عَدَّ ظُلَّةُ الْعَالِي** के घर तशरीफ़ लाए हुए थे। आप **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** की नज़र अपनी कमसिन नवासियों पर पड़ी की इन्होंने घर की खिड़की के करीब लगे दरख़्त की चन्द पत्तियां तोड़ ली हैं तो तशवीश के आलम में मदनी मुन्नियों को एहसास दिलाया कि बच्चो ! यह दरख़्त पड़ोसी का है और आप लोगों ने किसी दूसरे के दरख़्त के पत्ते तोड़ लिये ऐसा नहीं करना चाहिये फिर आप ने फ़रमाया : रज़ा (या'नी अबू उसैद हाजी उ़बैद रज़ा) से कहता हूँ कि वोह बराबर मकान वालों से जा कर इस सिलसिले में मुआफ़ी मांग लें।

किसी की दीवार का साया ले लेना कैसा ?

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالِيَان** फ़रमाते हैं : जो चीज़ इस्ति'माल से घटे नहीं वोह मालिक की बिगैर इजाज़त इस्ति'माल की जा सकती है जैसे किसी के चराग़ की रोशनी में मुतालआ कर लेना, किसी की दीवार से साया ले लेना।

(मिरआतुल मनाजीह, 8 / 177)

वक्फ़ की चीज़ों का इस्ति'माल

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वक्फ़ की अश्या का बिला इजाज़ते शरई इस्ति'माल भी जाइज़ नहीं, इस में ज़ियादा एह्तियात दरकार है

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

लेकिन अफ़सोस ! वक्फ़ की चीज़ों को माले मुफ़्त समझ कर बे रहूमी से इस्ति'माल किया जाता है, हमारे अकाबिरीन इस हवाले से कितनी एहतियात करते थे इस हिक्कायत से अन्दाज़ा लगाएं, चुनान्चे,

हिक्कायत : 36

जाती चराग़ जला लिया

एक ख़लीफ़ा की हिफ़ाज़त में आने वाली सब से अहम चीज़ बैतुल माल या'नी ख़ज़ाना है, इस लिये इस की दियानत का अस्ली मे'यार उसी को क़रार दिया जा सकता है, हालात व वाक़िआत बताते हैं कि हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ की दियानत हमेशा इस मे'यार पर पूरी उतरी। वोह रात के वक़्त ख़िलाफ़त का काम बैतुल माल की शम्अ सामने रख कर अन्जाम दिया करते थे और जब अपना कोई काम करना होता तो उस शम्अ को उठा देते और जाती चराग़ मंगवा कर काम करते। इसी तरह की एक सबक़ आमोज़ हिक्कायत मुलाहज़ा हो, चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيزِ के पास रात के वक़्त किसी दूर दराज़ अ़लाके का क़ासिद आया, आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ आराम फ़रमाने के लिये लेट चुके थे लेकिन उसे अन्दर आने की इजाज़त दे दी और बड़ी देर तक उस के अ़लाके के हालात बड़ी तफ़्सील से दरयाफ़्त फ़रमाते रहे कि वहां के मुसलमानों और ज़िम्मियों की हालत कैसी है ? गवर्नर का रहन सहन कैसा है ? चीज़ों के भाव कैसे हैं ? मुहाजिरीन व अन्सार की औलाद के हालात क्या हैं ? मुसाफ़िरों और फ़ुक़रा की क्या कैफ़ियत है ? क्या हर हक़दार को उस का हक़ दिया जाता है ? क्या किसी को शिकायत तो नहीं ?

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

गवर्नर ने किसी से बे इन्साफ़ी तो नहीं की ? इसी तरह आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه
 एक एक चीज़ के बारे में कुरैद कुरैद कर दरयाफ़्त फ़रमाते रहे और कासिद
 अपनी मा'लूमात के मुताबिक़ जवाब देता रहा । जब आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه के
 सुवालात का सिलसिला ख़त्म हुवा तो कासिद ने आप की मिज़ाज पुर्सी
 की, कि आप की सिहहूत कैसी है ? अहलो इयाल के बारे में भी पूछा तो
 हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَزِيز ने फ़ौरन फूंक
 मार कर चराग़ बुझा दिया और दूसरा चराग़ लाने का हुक्म दिया चुनान्चे,
 एक मा'मूली चराग़ लाया गया जिस की रोशनी न होने के बराबर थी ।
 आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه ने फ़रमाया : हां ! अब जो चाहो पूछो । उस ने आप
 رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه के अहलो इयाल और मुतअल्लिकीन के हालात पूछे, आप
 رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْه जवाब देते रहे । कासिद को चराग़ बुझाने से बड़ा तअज्जुब
 हुवा था, चुनान्चे, उस ने पूछ ही लिया : या अमीरल मोमिनीन ! आप ने
 एक अनोखा काम किस लिये किया ? फ़रमाया : वोह क्या ? अर्ज़ की :
 जब मैं ने आप की और अहलो इयाल की मिज़ाज पुर्सी की तो आप ने
 चराग़ गुल कर दिया ? फ़रमाया : **अब्लाह** के बन्दे ! जो चराग़ मैं ने
 बुझाया था वोह मुसलमानों के माल से रोशन था, लिहाज़ा जब तक मैं तुम
 से मुसलमानों के हालात व ज़रूरियात दरयाफ़्त कर रहा था तो येह रोशन
 था, इस तरह येह मुसलमानों के काम और उन ही की ज़रूरत के लिये मेरे
 पास रोशन था मगर जब तुम ने मेरी जात और मेरे अहलो इयाल के बारे में
 बात चीत शुरूअ की तो मैं ने मुसलमानों के माल से चलने वाला चराग़
 बुझा दिया और जाती चराग़ रोशन कर दिया । (سيرت ابن عبدالحکم، ص ۱۳۳)

ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू

ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿18﴾ तिलावत करते हुए तक्लीफ़ न दीजिये

इस्लामी शरीअत में हुकूकूल इबाद का इतना खयाल रखा गया है कि कुरआने करीम जैसी मुबारक किताब की तिलावत करने वाले को भी इतनी आवाज़ से तिलावत करने की ताकीद है जिस से खुद उसे तक्लीफ़ पहुंचे न किसी और को चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का बयान है कि रात में नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की क़िराअत यूं थी कि कभी बुलन्द पढ़ते कभी पस्त ।

(ابوداؤد، کتاب التطوع، باب رفع الصوت... الخ، ٥٤/٢، حديث: ١٣٢٨)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : या'नी तहज्जुद में कभी बुलन्द आवाज़ से क़िराअत करते थे और कभी आहिस्ता आवाज़ से या'नी अगर तन्हाई में तहज्जुद पढ़ते तो बुलन्द आवाज़ से पढ़ते और अगर वहां सोने वाले होते तो आहिस्ता क़िराअत फ़रमाते ताकि उन्हें तक्लीफ़ न हो ।

(मिरआतुल मनाजीह, 2 / 242)

तिलावत आवाज़ से करना बेहतर है मगर कब ?

आ'ला हज़रत, मुजहिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ से पूछा गया कि कुरआन शरीफ़ की तिलावत आवाज़ से

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

करना या आहिस्ता चाहिये ? जवाब दिया : कुरआने मजीद की तिलावत आवाज़ से करना बेहतर है मगर न इतनी आवाज़ से कि अपने आप को तक्लीफ़ या किसी नमाज़ी या जाकिर (या'नी जिक्र करने वाले) के काम में ख़लल हो या किसी जाइज़ नींद सोने वाले की नींद में ख़लल आए या किसी बीमार को तक्लीफ़ पहुंचे या बाज़ार या सराया आम सड़क हो या लोग अपने काम काज में मशगूल हैं और कोई सुनने के लिये हाज़िर न रहेगा इन सूरतों में आहिस्ता ही पढ़ने का हुक्म है । **وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ**

(फ़तावा रज़विख्या, 23 / 383)

हाजत से ज़ियादा बुलन्द आवाज़ करना कैसा ?

सदरुश्शरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْعَظِيْمِ** लिखते हैं : हाजत से ज़ियादा इस क़दर बुलन्द आवाज़ से पढ़ना कि अपने या दूसरे के लिये बाइसे तक्लीफ़ हो, मकरूह है । (बहारे शरीअत, 1 / 544) (۳۰۴/۲) (فصل في القراءة، ۳۰۴/۲) (رد المحتار، کتاب الصلاة، فصل في القراءة، ۳۰۴/۲)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيْبُ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

﴿19﴾ मुक्तदियों को तक्लीफ़ न दीजिये

नमाज़ की इमामत करने वाले को भी मुक्तदियों की तक्लीफ़ का ख़याल रखने का कहा गया है चुनान्चे, फ़तावा रज़विख्या जिल्द 6 सफ़हा 324 पर है : खुद हुज़ूरे अक़दस **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने नमाज़े फ़ज़्र में एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर इस ख़याले रहमत से कि उस की मां

जमाअत में हाज़िर है तूले क़िराअत से उधर बच्चा फड़केगा इधर मां का दिल बेचैन होगा सिर्फ़ **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** और **قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ** से नमाज़ पढ़ा दी। **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ** (फ़तावा रज़विय्या, 6 / 324)

बच्चे के रोने की आवाज़ सुन कर नमाज़ मुख़्तसर कर देते

हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है कि सरकारे मदीनए मुनव्वरा, सरदारे मक्कए मुकर्रमा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : मैं नमाज़ शुरू करता हूँ और उसे दराज़ करना चाहता हूँ कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ तो नमाज़ में इख़्तिसार करता हूँ क्योंकि उस के रोने से उस की मां की सख़्त घबराहट जान लेता हूँ।

(بخاری، کتاب الاذان، باب من اخف... الخ، ۲۰۳/۱، حدیث: ۷۰۹)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : चूँकि हुज़ूर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के पीछे औरतें भी नमाज़ पढ़ती थीं जो अपने बच्चों को घर सुला कर आती थीं, जब घरों से उन के रोने की आवाज़ आती तो सरकार (**صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**) उन की माओं के ख़याल से नमाज़ हल्की करते। (मिरआतुल मनाजीह, 2 / 203)

तवील क़िराअत न करे

शौख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه** लिखते हैं : शरीअते इस्लामिय्या ईज़ाए मुस्लिम के इर्तिक़ाब की सख़्त हौसला शिकनी करती है। मुसलमान को ईज़ा पहुंचती हो तो सुन्नत पर अमल

करना भी बा'ज़ सूरतों में ह़राम हो जाता है। मसलन नमाज़े फ़ज़्र व ज़ोहर में तिवाले मुफ़स्सल (सूरतुल हुजुरात ता सूरतुल बुरूज को तिवाले मुफ़स्सल कहते हैं) से पूरी दो सूरतें (हर रकअत में सूरे फ़ातिहा के बा'द एक एक सूरत) पढ़नी सुन्नत है। एक क़ौल के मुताबिक़ फ़ज़्र व ज़ोहर में सूरे फ़ातिहा के इलावा मजमूई तौर पर चालीस या पचास और दूसरी रिवायत के मुताबिक़ साठ से ले कर सो तक आयतें पढ़ी जाएं। (फ़तावा रज़विय्या, 6 / 324) अलबत्ता कोई मरीज़ या ऐसा आदमी नमाज़ में शामिल हो जिस को जल्दी है और देर होने की सूरत में उस को तक्लीफ़ होगी तो ऐसी सूरत में तक्लीफ़ देह ह़द तक तवील क़िराअत करना ह़राम है। मेरे आका आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ फ़तावा रज़विय्या जिल्द 6 सफ़हा 325 पर फ़रमाते हैं : यहां तक कि अगर हज़ार आदमी की जमाअत है और सुब्ह की नमाज़ है और ख़ूब वसीअ वक़्त है और जमाअत में 999 आदमी दिल से चाहते हैं कि इमाम बड़ी बड़ी सूरतें पढ़े मगर एक शख़्स बीमार या ज़ईफ़ बूढ़ा या किसी काम का ज़रूरत मन्द है कि उस पर ततवील (या'नी तिवालत) बार होगी उसे तक्लीफ़ पहुंचेगी तो इमाम को ह़राम है कि ततवील (या'नी तिवालत) करे बल्कि हज़ार में इस एक के लिहाज़ से नमाज़ पढ़ाए जिस तरह मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सिर्फ़ उस औरत और उस के बच्चे के ख़याल से नमाज़े फ़ज़्र मुअव्वज़तैन (या'नी सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन्नास) पर पढ़ा दी। और मुआज़ इब्ने जबल رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ पर ततवील में सख़्त नाराज़ी फ़रमाई यहां तक कि रुख़सारए मुबारक शिद्दते जलाल से सुख़् हो गए और फ़रमाया : क्या तू लोगों को फ़ितने में डालने

वाला है ! क्या तू लोगों को फ़ितने में डालने वाला है ! क्या तू लोगों को फ़ितने में डालने वाला है ! ऐ मुअज़ !

(फ़तावा रज़विय्या, 6 / 325) (ज़िफ़्र वाली ना'त ख़्वानी, स. 10)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿20﴾ उस्ताद को तक्लीफ़ देना

दीनी उस्ताद रूहानी बाप का दरजा रखता है लिहाज़ा त़ालिबुल इल्म को चाहिये कि उसे अपने हक़ में हक़ीकी बाप से बढ़ कर मुख़्लिस जाने और उसे तक्लीफ़ पहुंचाने से बचे । तफ़्सीरे कबीर में है : उस्ताज़ अपने शागिर्द के हक़ में मां बाप से बढ़ कर शफ़ीक़ होता है क्यूंकि वालिदैन उसे दुन्या की आग और मसाइब से बचाते हैं जब कि असातिज़ा उसे नारे दोज़ख़ और मसाइबे आख़िरत से बचाते हैं । (تفسير كبير، ١٠ / ٤٠١)

इल्म की बरकत से महरूम रहेगा

आ'ला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़तावा रज़विय्या जिल्द 23 के सफ़हा नम्बर 639 पर लिखते हैं : उलमा फ़रमाते हैं : जिस से उस के उस्ताद को किसी तरह की ईज़ा पहुंची वोह इल्म की बरकत से महरूम रहेगा ।

उस्ताद के हुकूक़

आ'ला हज़रत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن ने मो'तबर कुतुब के हवाले से उस्ताद के हुकूक़ बयान फ़रमाए हैं, जिन का खुलासा अपने अल्फ़ाज़ में पेशे ख़िदमत है : अ़लिम

का जाहिल पर और उस्ताद का शागिर्द पर एक सा हक़ है और वोह येह है कि (1) उस से पहले गुफ़्तगू शुरूअ न करे। (2) उस की जगह पर उस की गैर मौजूदगी में भी न बैठे। (3) चलते वक़्त उस से आगे न बढ़े। (4) अपने माल में से किसी चीज़ से उस्ताद के हक़ में बुख़ल से काम न ले या'नी जो कुछ उसे दरकार हो ब खुशी हाज़िर कर दे और उस के कुबूल कर लेने में उस का एहसान और अपनी सआदत तसव्वुर करे। (5) उस के हक़ को अपने मां बाप और तमाम मुसलमानों के हक़ से मुक़द्दम रखे। (6) और अगर्चे उस से एक ही हर्फ़ पढ़ा हो, उस के सामने अज़िज़ी का इज़हार करे। (7) अगर वोह घर के अन्दर हो, तो बाहर से दरवाज़ा न बजाए, बल्कि खुद उस के बाहर आने का इन्तिज़ार करे। (8) (उसे अपनी जानिब से किसी किस्म की अज़िय्यत न पहुंचने दे कि) जिस से उस के उस्ताद को किसी किस्म की अज़िय्यत पहुंची, वोह इल्म की बरकात से महरूम रहेगा। (फ़तावा रज़विय्या, 24 / 412 मुलख़ब़सन)

उस्ताद को धोका देना ज़ियादा बुरा है

अपने उस्ताद को अपनी तरफ़ से इबारतें घड़ कर धोका देने वाले तालिबे इल्म के बारे में दरयाफ़्त किये गए सुवाल के जवाब में इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : सुख़न परवरी या'नी दानिस्ता बातिल पर इसरार व मकाबरा **एक कबीरा**, कलिमाते उलमा में कुछ अल्फ़ाज़ अपनी तरफ़ से इल्हाक़ कर के उन पर इफ़तरा **दूसरा कबीरा**, उलमाए किराम और खुद अपने

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

असातिजा को धोका देना खुसूसन अम्रे दीन में तीसरा कबीरा, येह सब ख़स्ततें यहूद لَعَنَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى की हैं ।

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا تَأْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : और हक़ से बातिल को न मिलाओ और दीदा व दानिस्ता हक़ न छुपाओ । (प: १: ६१: البقره ६१)

وَقَالَ تَعَالَى: فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَسَبُوا ﴿٣٢﴾

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : तो ख़राबी है उन के लिये उन के हाथों के लिखे से और ख़राबी उन के लिये उस कमाई से । (प: १: ७९: البقره ७९)

وَقَالَ تَعَالَى: يُحَرِّفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : समझने के बा'द उसे दानिस्ता बदल देते ।

(प: १: ७५: البقره ७५) (फ़तावा रज़विय्या, 23 / 682)

अदब उस्तादे दीनी का मुझे आका अता कर दो

दिलो जां से करूं उन की इताअत या रसूलल्लाह

(वसाइले बख़िश, स. 331)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

हिक़ायत : 37

21 बुजुर्गों को तक्लीफ़ देना

अबुल हसन अलवी का बयान है : मैं ने एक बार घर में फ़रमाइश की, कि फुलां हलाल परन्दा भूने के लिये तन्दूर में लटका दो, मैं वक्ते मुनासिब पर आ कर खा लूंगा । फिर मैं हज़रते सय्यिदुना जा'फ़र खुल्दी

की ख़िदमत में ज़ियारत के लिये हाज़िर हुवा, उन्होंने ने फ़रमाया :

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

रात यहीं कियाम कर लीजिये । मेरा दिल चूँकि परन्दा खाने में फंसा हुवा था मैं कोई बहाना कर के घर पहुंच गया । गर्मा गर्म भुना हुवा परन्दा दस्तर ख़्वान पर रख दिया गया । यका यक घर में कुत्ता घुस आया और झपट कर भुना हुवा परन्दा ले भागा । उस परन्दे का बचा हुवा शोरबा खादिमा ला रही थी कि उस के कपड़े के दामन का झटका लगने से वोह शोरबा भी सारे का सारा गिर गया । फिर सुब्ह जब मैं हज़रते सय्यिदुना शैख़ जा'फ़र खुल्दी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ की खिदमते बा बरकत में हज़िर हुवा तो मुझे देखते ही फ़रमाने लगे : जो शख़्स मशाइख़ के दिलों का लिहाज़ नहीं रखता उस के दिल को ईज़ा पहुंचाने के लिये कुत्ता मुसल्लत कर दिया जाता है ।

(الرّسالة القشيريّة، ص ۳۶۲)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा, बुजुर्गों की बात निभाने और वोह जो हुक्म दें उस को बजा लाने ही में अफ़ियत है । अल्लाह वालों के साथ चालाकी और बहाने बाज़ी कार आमद नहीं होती ।

हिकायत : 38

विदायत क्व मे'यार

शारेहे बुख़ारी हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ़ुल हक़ अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ का बयान है : मग़रिबी दीनाज पुर इस्लाम पुर के अलाके में एक शख़्स ने मुफ़्तये आ'जमे हिन्द हज़रते अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ को मदरू किया और बहुत एहतिमाम किया । जब हज़रत आराम के लिये लेटे तो वोह शख़्स रात भर जागता रहा, हज़रत ने वहां भी नमाज़े तहज्जुद अदा न फ़रमाई । अज़ाने फ़ज़्र के बा'द

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

जब मैं ने हस्बे दस्तूर हाज़िर हो कर जगाया तो उठे और अपनी आदत के मुताबिक़ इस्फ़ार के बा'द बा जमाअत नमाज़े फ़न्न पढ़ी । नाशते के बा'द हम लोग वहां से रुख़सत हो गए । सुनने में आया कि उस शख़्स ने येह कहना शुरूअ किया कि बहुत मशहूर था कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं ने तो उन में बुजुर्गी की कोई बात न देखी, उन्होंने ने तहज्जुद तक नहीं पढ़ी । वोह शख़्स इताब का शिकार हुवा, उस के घर में आग लग गई, सारा घर और सारा सामान, मालो मताअ जल गया । हज़ारों के नोट घर में थे जल कर राख हो गए, सिर्फ़ बदन के कपड़े बचे, इस तबाही से वोह नीम पागल हो गया । अतराफ़ के उलमा ने उसे तम्बीह की, कि तू ने एक आरिफ़े कामिल की शान में गुस्ताख़ी की है, येह उसी की सज़ा है । अब उसे होश आया मगर क्या करता ? दिल ही दिल में तौबा की, अज़िज़ी व ज़ारी की । इत्तिफ़ाक़ कि साल भर के बा'द फिर हज़रते मुफ़्तये आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُبْرَى** उस अतराफ़ में तशरीफ़ ले गए तो उस ने हाज़िर हो कर मुआफ़ी मांगी और हज़रत को फिर अपने घर ले गया और मुरीद हुवा । अब वोह एक खुश हाल फ़र्द है, इस किस्म के और भी वाकिआत हुए हैं ।

(जहाने मुफ़्तये आ'ज़मे हिन्द, स. 332 मुलख़बसन)

हिक़ायत : 39

बात न मानने का अन्जाम

हज़रत मौलाना हफ़ीजुर्रहमान साहिब मरहूम का बयान है : एक मरतबा मैं अपने करीब तरीन अज़ीज़ के साथ मुफ़्तये आ'ज़मे हिन्द हज़रते अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُبْرَى** से मुलाक़ात के लिये हाज़िर हुवा मुलाक़ात के बा'द हज़रत ने मेहमान नवाज़ी के लिये

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

इसरार किया तो हम रुक गए। इसी असना में शाहजहां पुर से चन्द अक़ीदत मन्द मुतवस्सलीन हज़िर हुए, हज़रत की दस्तबोसी कर के बैठ गए और फिर फ़ैरी तौर पर जाने लगे। हज़रत ने उन हज़रात को रोकने की तरफ़ खुसूसी तवज्जोह फ़रमाई लेकिन वोह लोग नहीं रुके और जंक्शन की तरफ़ रवाना हो गए। उन को ट्रेन नहीं मिली, इस के बा'द बस स्टेन्ड की तरफ़ रवाना हुए तो वहां पर उन को बस भी नहीं मिली। मेनेजर बस स्टेन्ड ने बताया कि शाहजहां पुर को अब कोई बस नहीं जाएगी, सुब्ह को जाएगी। दिल बरदाश्ता हो कर हज़रत के दौलत कदे की तरफ़ रवाना हो गए, हज़रत ने उन लोगों के जाने के बा'द मौलाना हफ़ीजुर्रहमान साहिब से फ़रमाया कि येह सब हज़रात थोड़ी देर बा'द वापस आ जाएंगे, इन को न बस न ट्रेन मिलेगी। थोड़ी देर बा'द काफ़ी परेशानी उठा कर थक कर दोबारा हज़रत के दौलत कदे पर आ गए, उन को देख कर मौलाना साहिब मुस्कुराने लगे, हज़रत मुफ़्तये आ'ज़मे हिन्द **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने भी तबस्सुम फ़रमाया और सब लोगों के साथ बैठ कर खाना तनावुल फ़रमाया।

(जहाने मुफ़्तये आ'ज़मे हिन्द, स. 912)

तड़पना इस तरह बुल बुल की बाल व पर न हिलें

अदब है लाज़िमी शाहों के आस्ताने का

﴿22﴾ तौबा के बा'द गुनाहों पर झार दिलाना

गुनाहों की आदत बहुत बुरी और इन से तौबा कर लेना बहुत अच्छा है फिर जो गुनाहों का रास्ता छोड़ चुका हो उस को उन गुनाहों पर आर दिलाना बहुत ही बुरा है, “कल तक तुम चोरियां करते थे आज बड़े

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

नेक बने फिरते हो”, “कल खुद नमाज़ नहीं पढ़ते थे आज इमाम बन बैठे हो” जैसे जुम्ले बोल कर तन्ज़ करना सख़्त दिल आज़ार है।

खुद भी उसी गुनाह में मुब्तला होगा

सरकारे आली वकार, मदीने के ताजदार **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : जो अपने भाई को किसी गुनाह पर आ़र दिलाए तो वोह न मरेगा हत्ता कि खुद भी करेगा।

(ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب: ۱۸، ۴/۲۲۶، حدیث: ۲۵۱۳)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत् लिखते हैं : गुनाह से वोह गुनाह मुराद है जिस से वोह तौबा कर चुका है या वोह पुराना गुनाह जिसे लोग भूल चुके या खुफ़या गुनाह जिस पर लोग मुत्तलअ न हों और आ़र दिलाना तौबा कराने के लिये न हो महज़ गुस्सा और जोशे ग़ज़ब से हो येह कुयूद ख़याल में रहें। “वोह न मरेगा हत्ता कि खुद भी करेगा” की वज़ाहत में मुफ़्ती साहिब लिखते हैं : या’नी अपनी मौत से पहले येह गुनाह खुद करेगा और उस में बदनाम होगा, मज़लूम का बदला ज़ालिम से खुद रब तआला लेता है। मुफ़्ती साहिब मज़ीद लिखते हैं : यहां गुनाह से मुराद वोह गुनाह है जिस से गुनहगार तौबा कर चुका है ऐसे गुनाह का ज़िक्र भी नहीं चाहिये, जिस गुनाह में बन्दा गिरिफ़्तार है उस से आ़र दिलाना ताकि तौबा करे येह तो तब्लीग़ है इस पर सवाब है। (मिरआतुल मनाज़ीह, 6 / 473)

न थी अपने ऐबों की जब ख़बर रहे देखते औरों के ऐबो हुनर

पड़ी अपनी ख़ामियों पर जब नज़र तो जहां में कोई बुरा न रहा

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 40

﴿23﴾ तंजिया अन्दाजे गुप्तगु इख्तियार करना

हज़रते सय्यिदुना उरवा **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** से रिवायत है कि हज़रते सय्यिदुना जुबैर बिन अक्वाम **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** और एक अन्सारी शख़्स के दरमियान हर्ह की नाल के मुतअल्लिक़ झगड़ा हुवा । (येह मुअामला बारगाहे रिसालत में पेश हुवा तो) हुज़ूरे पाक, साहिबे लौलाक **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : ऐ जुबैर ! तुम पानी दे कर फिर अपने पड़ोसी की तरफ़ पानी छोड़ दो । अन्सारी ने कहा : वोह आप के फूफीज़ाद जो हुए । इस पर हुज़ूर **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के चेहरे का रंग बदल गया फिर फ़रमाया : ऐ जुबैर ! पानी दो फिर पानी रोक लो हत्ता कि मेंढ तक लौट जाए फिर अपने पड़ोसी की तरफ़ पानी छोड़ दो ।

(येह हदीस नक्ल करने के बा'द हज़रते सय्यिदुना इमाम शहाबुद्दीन जोहरी **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं :⁽¹⁾) या'नी अब नबिय्ये करीम **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने हज़रते जुबैर **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** को अपना पूरा हक़ लेने का सरीह हुक्म दिया जब कि अन्सारी ने आप को नाराज़ कर दिया हालांकि हुज़ूर **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने उन दोनों को वोह मश्वरा दिया था जिस में दोनों के लिये गुन्जाइश थी ।

(بخاری، کتاب التفسیر، باب فلا وربک... الخ، ۲۰۰/۳، حدیث: ۴۵۸۵)

۱: وَهَذَا الْكَلَامُ لِلرُّهْرِيِّ ذِكْرَهُ إِذْرَجًا (عمدة القارى، كتاب التفسیر، باب فلا وربک... الخ، ۲۰۳۸/۱۲، تحت الحدیث: ۴۵۸۵)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** ने इस हदीसे पाक के मुख़्तलिफ़ हिस्सों की जो शर्ह फ़रमाई वोह दर्जे ज़ैल है : इन दोनों साहिबों के खेत बराबर थे जो उस नाले से सींचे जाते थे, झगड़ा हुवा आगे पानी देने का, अन्सारी कहते थे पहले मैं पानी दूं, जुबैर (**رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ**) फ़रमाते हैं पहले मैं दूं, क्यूंकि आप का खेत ऊपर था जिधर से पानी आता था और अन्सारी का खेत नीचे बहाव की तरफ़ और ऊपर वाला पहले पानी देता है। (“इस पर अन्सारी ने कहा : वोह आप के फूफीज़ाद जो हुए” की वज़ाहत में मुफ़्ती साहिब लिखते हैं :) या’नी आप ने इस फैसले में उन की क़राबत दारी का लिहाज़ फ़रमाया है। शारेहीन ने फ़रमाया कि येह शख़्स कौमे अन्सार से तो था मगर मोमिन न था या यहूदी था या मुनाफ़िक़, मगर तरजीह़ इसे है कि था तो मुसलमान मगर नौ मुस्लिम (या’नी नया मुसलमान हुवा) था, आदाबे बारगाह से बे ख़बर था इसी लिये हुज़ूरे अन्वर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** या दूसरे सहाबा ने इसे कोई सज़ा न दी। (मिरकात) अशिआ ने फ़रमाया : येह मुनाफ़िक़ ही था जैसे अब्दुल्लाह इब्ने उबय कि क़बीलए अन्सार से था मगर मुनाफ़िक़ था, क़त्ल इस लिये न कराया कि मुनाफ़िक़ों को क़त्ल न कराया जाता था। **والله اعلم!**

हुज़ूरे अन्वर (**صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**) को उस के इस कलाम से बहुत ही तक्लीफ़ हुई हत्ता कि चेहरए अन्वर सुख़्र हो गया, मुनाफ़िक़ों, ना वाकिफ़ों से बसा औकात हुज़ूरे अन्वर (**صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**) ऐसी बातें सुन लेते थे तक्लीफ़ होती थी मगर सब्र फ़रमाते थे। (“ऐ जुबैर पानी दो फिर

पानी रोक लो हत्ता कि मेंढ तक लौट जाए फिर अपने पड़ोसी की तरफ़ पानी छोड़ दो” के तहत मुफ़ती साहिब लिखते हैं :) पहले तो फ़रमाया था कि ऐ जुबैर अपनी ज़मीन तर कर के पानी अन्सारी को दे दो अब पूरा हक़ जुबैर (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) को अता फ़रमाया कि पहले तुम अपने खेत को पानी दो, फिर इतनी देर तक पानी रोके रखो कि खेत आस पास की मेंढ (बन्ना) तक पहुंच जाए और खेत लबरेज़ हो जाए तब अन्सारी को दो। या’नी पहले अन्सारी की रिआयत की गई थी और हज़रते जुबैर (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) को हुस्ने अख़्लाक की ता’लीम दी गई थी मगर जब अन्सारी ने उस से फ़ाएदा न उठाया बल्कि उल्टा नाराज़ हो गया तो हर एक को पूरा हक़ दिया गया, पहले फ़ज़ल था अब अद्ल। (मिरआतुल मनाजीह, 4 / 340)

ज़बान से तक्लीफ़ देने वाली का अन्जाम

हज़रते सय्यिदुना अबू हरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! फुलां औरत की नमाज़ रोज़े और सदक़ात की फ़रावानी का चर्चा है लेकिन वोह अपने पड़ोसियों को ज़बान से सताती है। इरशाद फ़रमाया : वोह आग में है। अर्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! फुलां औरत की नमाज़ रोज़े और सदक़ात की कमी का ज़िक्र होता है अलबत्ता वोह पनीर के कुछ टुकड़े ही खैरात करती है और अपनी ज़बान से पड़ोसियों को तक्लीफ़ नहीं देती। सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : वोह जन्मती है।

(مسند احمد، مسند ابى هريرة، ٤٤١/٣، حديث: ٩٦٨١)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा’वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : ज़बान का ज़िक्र इस लिये किया अक्सर लोग दूसरों को ज़बानी तक्लीफ़ देते हैं लड़ना भिड़ना, ग़ीबत, चुगली करना वगैरा। ज़बान का ज़ख़्म सिनान या'नी भाले के ज़ख़्म से ज़ियादा तक्लीफ़ देह होता है कि येह मरहम से भर जाता है मगर वोह नहीं भरता। हज़रते अली (كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ) फ़रमाते हैं :

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا التِّيَامُ وَلَا يَلْتَأَمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانَ

किसी उर्दू शाइर ने इस का तर्जमा यूं किया है :

छुरी का तीर का तल्वार का तो घाव भरा

लगा जो ज़ख़्म ज़बान का रहा हमेशा हरा

“वोह आग में है” की वज़ाहत में मुफ़ती साहिब फ़रमाते हैं : या'नी येह काम दोज़खियों के हैं अगर येह इबादत गुज़ार बीबी अपनी तेज़ ज़बान से तौबा न करेगी तो अव्वलन दोज़ख में जाएगी, नवाफ़िल से लोगों के हक़ मुआफ़ नहीं होते, फिर सज़ा भुगत कर जन्नत में जाएगी लिहाज़ा येह हदीस इस क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं कि सहाबा तमाम ही अ़ादिल हैं कोई फ़ासिक़ नहीं, बा'ज़ हज़रते सहाबा से गुनाह हुए मगर वोह क़ाइम न रहे तौबा कर के दुन्या से गए।

मुफ़ती साहिब मज़ीद फ़रमाते हैं : इस फ़रमाने आली से हम लोगों के कान खुल जाने चाहियें हम में से बहुत लोग उसूल छोड़ कर फुज़ूल में कोशिश करते हैं फ़राइज़ की परवाह नहीं नवाफ़िल पर ज़ोर, मुआमलात ख़राब वज़ीफ़ों चिल्लों का एहतिमाम, दवा के साथ परहेज़ ज़रूरी है। (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 577)

मदारिजुनुबुव्वत में है कि जब इकरिमा इब्ने अबी जहल (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) ईमान लाए तो हुजूरे अन्वर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सहाबए किराम (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) को ताकीद फ़रमा दी कि इकरिमा के सामने कोई अबू जहल को बुरा न कहे कि इस से फ़ित्री तौर पर इकरिमा को तक्लीफ़ होगी । (मिरआतुल मनाजीह, 8 / 34)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

24) गुज़रगाह के बीच या किनारे पर बोलो बराज़ करना

क़ज़ाए हाज़त एक बशरी तकाज़ा है, किसी भी जगह किसी भी वक़्त इन्सान को इस की ज़रूरत पेश आ सकती है लेकिन लोगों की गुज़रगाह पर क़ज़ाए हाज़त करने से मन्अ किया गया है क्यूंकि येह लोगों के लिये बाइसे तक्लीफ़ होगा चुनान्चे, हकीम तिरमिज़ी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي लिखते हैं कि हुजूरे अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने आ़म रास्ते में क़ज़ाए हाज़त से मन्अ फ़रमाया । आ़म रास्ता वोह है जिस पर लोग चलते हों, आ़म रास्ते की कैद इस लिये लगाई गई कि इस पर ऐसा करने से मुसलमानों को नुक़सान और तक्लीफ़ पहुंचती है । मज़ीद इरशाद फ़रमाया : “जो आ़म रास्ते, नहर के किनारे या फलदार दरख़्त के नीचे क़ज़ाए हाज़त करे उस पर **अल्लाह** तआ़ला, फ़िरिशतों और तमाम इन्सानों की ला'नत है ।” ऐसा करने वाला मुसलमानों को तक्लीफ़ पहुंचाने की वजह से (**अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ) की तरफ़ से ला'नत का मुस्तहिक़् क़रार पाता है क्यूंकि फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : जिस ने किसी मुसलमान को अज़िय्यत दी उस ने मुझे अज़िय्यत दी और जिस ने मुझे अज़िय्यत दी उस ने **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ को अज़िय्यत दी । (المنهيات للحكيم الترمذی، ص ٤٦)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

खुदाया न तक्लीफ़ का मैं बाइस बनूं
तेरी जन्नतो का मैं वारिस बनूं

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿25﴾ मस्जिद में तक्लीफ़ न दीजिये

मस्जिद इस्लामी मुआशरे में बहुत अहम्मियत रखती है, इस की सफ़ाई सुथराई, जैबो ज़ीनत का ख़याल अपने ज़ाती घर से कहीं बढ़ कर रखा जाता है। मुसलमानों की इबादतगाह को बदबू, गन्दगी और हर उस चीज़ से बचाना ज़रूरी है जिस से दीगर मुसलमान तक्लीफ़ में मुब्तला हो सकते हों। मस्जिद में जाने वाले के कपड़े बदबूदार नहीं होने चाहियें।

हिक़ायत : 41

गुस्ले जुमुआ की इब्तिदा कैसे हुई?

हज़रते सय्यिदुना इकरिमा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि कुछ इराकी लोग आए और बोले : ऐ इब्ने अब्बास ! क्या आप जुमुआ के दिन का गुस्ल वाजिब समझते हैं ? फ़रमाया : नहीं, लेकिन येह बहुत पाकी है और गुस्ल करने वाले के लिये अच्छा है और जो गुस्ल न करे उस पर ज़रूरी नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुस्ल शुरूअ कैसे हुवा ! लोग मशक्कत में थे कि ऊन पहनते और अपनी पीठ पर मजदूरियां करते थे उन की मस्जिद तंग थी जिस की छत नीचे थी जो सिर्फ़ छप्पर (ख़सपोश) थी, हुजूरे अन्वर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ एक गर्म दिन में तशरीफ़ लाए और लोग उसी ऊन में पसीना पसीना थे कि उन से बू फेल गई जिस की वजह

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

से बा'ज़ ने बा'ज़ से तक्लीफ़ पाई तो जब रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने येह बू पाई तो फ़रमाया : ऐ लोगो ! जब येह दिन हुवा करे तो नहा लिया करो, और चाहिये कि हर एक अपना बेहतरीन तेल व खुशबू मल लिया करे । हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ने फ़रमाया : फिर **أَبُلَّاهُ** عَزَّوَجَلَّ ने माल अता फ़रमाया और लोगों ने ऊन के इलावा दीगर अच्छे लिबास पहने और काम काज से छूट गए, उन की मस्जिद फ़राख़ हो गई और पसीने से जो बा'ज़ को बा'ज़ से तक्लीफ़ पहुंचती थी वोह जाती रही ।

(ابوداؤد، کتاب الطهارة، باب فی الرخصة... الخ، ١/٦٠، حدیث: ٣٥٣)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के हिस्से “हर एक अपना बेहतरीन तेल व खुशबू मल लिया करे” के तहत लिखते हैं : तेल सर व जिस्म में और खुशबू कपड़ों में । इस से मा'लूम हुवा कि मुसलमानों के मजमओं में अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिये । शादी, उर्स, तब्लीग़ के जल्से सब में इस बात का ख़याल रखा जाए । मजलिसों में हार फूल डालने की अस्ल येह हदीस है । (मिरआतुल मनाजीह, 1 / 348)

येह तस्लीम, उम्दा है खुशबूए जन्नत

मुझे काश मिल जाए उन का पसीना

(वसाइले बख़ि़श, स. 371)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّدٍ

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 42

26) गर्दनें न फ़लांगें

हज़रते सय्यिदुना अनस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ रिवायत करते हैं कि सरकारे वाला तबार, हम बे कसों के मददगार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ लोगों से ख़िताब फ़रमा रहे थे कि एक शख्स लोगों की गर्दनें फ़लांगता हुवा आया और आप के करीब आ कर बैठ गया, जब नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ नमाज़ पढ़ा चुके तो इरशाद फ़रमाया : ऐ फ़ुलां ! तुझे हमारी जमाअत में से होने से किस चीज़ ने मन्अ किया ? उस ने अर्ज की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मैं ने चाहा कि मैं उस जगह बैठूं जो आप की निगाह में हो, तो सरकारे आली वकार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : मैं ने तुम्हें लोगों की गर्दनें फ़लांगते और उन्हें ईज़ा पहुंचाते हुए देखा, जिस ने किसी मुसलमान को ईज़ा दी उस ने मुझे ईज़ा दी और जिस ने मुझे ईज़ा दी उस ने **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ को ईज़ा दी ।

(المعجم الاوسط، ۳۸۶/۲۰، حديث: ۳۶۰۷)

हदीसे पाक में है : जिस ने जुमुआ के दिन लोगों की गर्दनें फ़लांगीं उस ने जहन्नम की तरफ़ पुल बनाया ।

(ترمذی، کتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهية... الخ، ۴/۲، حديث: ۵۱۳)

या'नी जिस तरह लोगों की गर्दनें उस ने फ़लांगी हैं उस को क़ियामत के दिन जहन्नम में जाने का पुल बनाया जाएगा कि उस के ऊपर चढ़ कर लोग जाएंगे । (ह़ाशिया बहारे शरीअत, 1 / 762)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जहन्नम का पुल

रसूले नज़ीर, सिराजे मुनीर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है :
जिस ने जुमुआ के दिन लोगों की गर्दन में फलांगीं उसे दोज़ख़ की तरफ़
पुल बनाया जाएगा ।

(ترمذی، کتاب الجمعة، باب ما جاء في كراهية التخطى يوم الجمعة، ٤٨/٢، حدیث: ٥١٣)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान
عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : येह फलांगना सख़्त गुनाह
है और दोज़ख़ में जाने का ज़रीआ, क्यूंकि इस में मुसलमानों की तौहीन भी
है और ईज़ा भी, हां अगर अगली सफ़ों में जगह हो और लोग सुस्ती से
पीछे बैठ गए हों तो उस जगह को पुर करने के लिये येह आगे जा सकता है,
क्यूंकि यहां कुसूर उन बैठने वालों का है न कि इस का ।

(मिरआतुल मनाजीह, 2 / 338)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

हिकायत : 43

27) नोक्दाए चीज़ एहतियात से ले कर चले

हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत
है कि एक शख्स मस्जिद में चन्द तीर ले कर गुज़रा जिन के पैकान (या'नी
तीरों की नोक) खुले हुए थे, सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हुक्म
दिया कि वोह उन के पैकान पकड़ ले ताकि वोह किसी मुसलमान को चुभ
न जाएं । (مسلم، کتاب البر والصلة، باب امر من مر... الخ، ص ٤٠٩، حدیث: ٢٦١٤)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

शारेहे बुख़ारी अबुल हसन हज़रते सय्यिदुना अली बिन ख़लफ़ अल मा'रूफ़ इब्ने बत्ताल **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** इसी मफ़हूम पर मुश्तमिल एक और हदीसे पाक के तहत तहरीर फ़रमाते हैं : येह फ़रमाने आलीशान हुर्मते मुस्लिम की ताकीद पर मुश्तमिल है कि तीर की वजह से कहीं वोह ख़ौफ़ज़दा न हो जाए या उसे तक्लीफ़ न पहुंचे । मस्जिद में लोगों की आमदो रफ़्त का सिलसिला जारी रहता है जो कि नमाज़ के औकात में ज़ियादा होता है । सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** को इस बात का अन्देशा हुवा कि तीरों की वजह से किसी को तक्लीफ़ हो सकती है । येह हदीसे पाक आप **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के अख़्लाके करीमा और मुसलमानों पर मेहरबानी का नुमूना है ।

(شرح ابن بطال، کتاب الصلاة، باب یاخذ بنصول... الخ، ۲/۱۰)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿28﴾ **मुंह में बदबू हो तो दूसरों को ईजा पहुंचती है**

फ़तावा रज़विय्या जिल्द 7 सफ़हा 384 पर है : मुंह में बदबू होने की हालत में (घर में पढ़ी जाने वाली) नमाज़ **मकरूह** है और ऐसी हालत में मस्जिद जाना हराम है जब तक मुंह साफ़ न कर ले और दूसरे नमाज़ी को ईजा पहुंचनी हराम है और दूसरा नमाज़ी न भी हो तो भी **बदबू** से मलाइका को ईजा पहुंचती है । **हदीस** में है : जिस चीज़ से इन्सान तक्लीफ़ महसूस करते हैं फ़िरश्ते भी उस से तक्लीफ़ महसूस करते हैं ।

(مُسْلِم، کتاب المساجد، باب نهی من اكل... الخ، ص ۲۸۲، حدیث ۵۶۴)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

बदबूदार मरहम लगा कर मस्जिद में आने की मुमानज़त

मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं :
 “जिस के बदन में बदबू हो कि उस से नमाज़ियों को ईज़ा हो मसलन गन्दा दहन (या'नी जिस को मुंह से बदबू आने की बीमारी हो), (या) गन्दा बग़ल (या'नी जिस के बग़ल से बदबू आने का मरज़ हो) या जिस ने ख़ारिश वग़ैरा के बाइस गंधक मली (या कोई सा बदबूदार मरहम या लोशन लगाया) हो उसे भी मस्जिद में न आने दिया जाए।”

(फ़तावा रज़विय्या, 8 / 72)

कच्ची प्याज़ ख़ाने से श्री मुंह बदबूदार हो जाता है

कच्ची मूली, कच्ची प्याज़, कच्चा लहसन और हर वोह चीज़ कि जिस की बू नापसन्द हो उसे खा कर मस्जिद में उस वक़्त तक जाना जाइज़ नहीं जब तक कि हाथ मुंह वग़ैरा में बू बाकी हो कि फ़िरिशतों को उस से तक्लीफ़ होती है। हदीस शरीफ़ में है, **अल्लाह** के महबूब, दानाए गुयूब صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जिस ने प्याज़, लहसन या गन्दना (लहसन से मिलती जुलती एक तरकारी) खाई वोह हमारी मस्जिद के क़रीब हरगिज़ न आए। (मुसल्लिम, کتاب المساجد, باب نهی من اكل الخ, ص 282, حدیث 564) और फ़रमाया : अगर खाना ही चाहते हो तो पका कर उस की बू दूर कर लो।

(ابوداؤد، کتاب الاطعمة، باب فی اکل الثوم، 3/506، حدیث: 3827)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَان** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : या'नी प्याज़ व लहसन खाना हराम नहीं बल्कि खा कर बदबूदार मुंह लिये मस्जिद में आना हराम है । ख़्वाह वहां नमाज़ी हों या न हों क्यूंकि फ़िरिश्ते हर वक़्त रहते हैं । “अगर खाना ही चाहते हो तो पका कर उस की बू दूर कर लो” की वज़ाहत में मुफ़्ती साहिब लिखते हैं : ताकि उन की बू जाती रहे क्यूंकि बदबू ही मुमानअत की वजह है । पहले अर्ज़ किया जा चुका है कि यह हुक़म हर मस्जिद का है, बल्कि हर दीनी मजलिस में इस का ख़याल रखा जाए ।

(मिरआतुल मनाजीह, 1 / 452)

मस्जिद में कच्चा गोश्त न ले जाएं

सदरुशशरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ** फ़रमाते हैं : मस्जिद में कच्चा लहसन प्याज़ खाना या खा कर जाना जाइज़ नहीं जब तक बू बाकी हो कि फ़िरिश्तों को इस से तक्लीफ़ होती है येही हुक़म हर उस चीज़ का है जिस में बदबू हो जैसे गन्दना (येह लहसन से मिलती जुलती तरकारी है) मूली, कच्चा गोश्त, मिट्टी का तेल, वोह दिया सलाई जिस के रगड़ने में बू उड़ती हो, रियाह ख़ारिज करना वगैरा वगैरा । जिस को **गन्दा दहनी** का अरिज़ा (या'नी मुंह से बदबू आने की बीमारी) या कोई बदबूदार ज़ख़्म हो या कोई बदबूदार दवा लगाई हो तो जब तक बू मुन्क़तेअ (या'नी ख़त्म) न हो उस को मस्जिद में आने की मुमानअत है । (बहारे शरीअत, 1 / 648)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

कच्ची प्याज़ वाले कचूमर और राइते से मोहतात रहिये

कच्ची प्याज़ वाले चने, छोले, राइते और कचूमर नीज़ कच्चे लहसन वाले अचार चटनी वगैरा खाने से नमाज़ के औकात में परहेज़ कीजिये । बा'ज़ औकात कबाब समूसे वगैरा में भी कच्ची प्याज़ और कच्चे लहसन की बू महसूस होती है लिहाज़ा नमाज़ से पहले इन को भी न खाइये । ऐसी बू वाली चीज़ें मस्जिद में लाने की भी इजाज़त नहीं ।

बदबूदार मुंह ले कर मुसलमानों के मजमए में जाने की मुमानअत

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ फ़रमाते हैं : मुसलमानों के मजमओं, दर्से कुरआन की मजलिसों, उलमाए दीन व औलियाए कामिलीन की बारगाहों में बदबूदार मुंह ले कर न जाओ । मज़ीद फ़रमाते हैं : जब तक मुंह में बदबू रहे घर में ही रहो, मुसलमानों के जलसों, मजमओं में न जाओ । हुक्का पीने वाले, तम्बाकू वाला पान खा कर कुल्ली न करने वालों को इस से इब्रत पकड़नी चाहिये । फुक़हा फ़रमाते हैं : जिसे गन्दा दहनी की बीमारी हो उसे मस्जिदों की हाज़िरी मुआफ़ है । (मिरआतुल मनाज़ीह, 6 / 25)

गोशत, मछली बेचने वाले

गोशत या मछली बेचने वाले के लिबास में सख़्त बदबू होती है लिहाज़ा इन को चाहिये कि फ़ारिग़ हो कर अच्छी तरह नहाएं, साफ़ लिबास ज़ैबे तन फ़रमाएं, खुशबू लगाएं और फिर मस्जिद में आएँ । नहाना और खुशबू लगाना शर्त नहीं सिर्फ़ मश्वरतन अर्ज़ किया है, कोई भी ऐसी तरकीब करें कि बदबू मुकम्मल तौर पर जाइल (या'नी दूर) हो जाए ।

(मस्जिदें खुशबूदार रखिये, स. 15)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ऐ हमारे प्यारे **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** ! हमारे प्यारे आका
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के खुशबूदार पसीने का वासिता ! हमारे ज़ाहिरो
 बातिन को हर किस्म की बदबू से पाक फ़रमा कर मुअत्तर व मुअम्बर
 फ़रमा दे । **اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ।

वाह ऐ इत्रे ख़ुदा साज़ महकना तेरा

ख़ूब रू मलते हैं कपड़ों में पसीना तेरा

(जौके ना'त, स. 15)

﴿29﴾ फ़िरिश्तों को तक्लीफ़ न दीजिये

फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** है :

اِنَّ الْمَلٰٓئِكَةَ تَتَاۤءَى مِمَّا يَتَاۤءَى بِهٖ بَنُوۤاۤدَمَ मलाइका हर उस शै से अजिय्यत
 पाते हैं जिस से बनी आदम अजिय्यत पाते हैं ।

(मुसल्लम, किताब المساجد, باب نهى من اكل ثوما... الخ, ص 282, حديث: 564)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान
عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : या'नी अगर मस्जिद
 इन्सानों से ख़ाली भी हो तब भी वहां बदबू ले कर न जाए कि वहां रहमत
 के फ़िरिशते हर वक़्त रहते हैं इस की बदबू से ईज़ा पाएंगे । ख़याल रहे कि
 मस्जिद के फ़िरिशते रहमत के फ़िरिशते हैं, इन की तबीअत नाजुक और इन
 का एहतिराम ज़ियादा है, लिहाज़ा हदीस पर येह ए'तिराज़ नहीं कि फ़िरिशते
 तो हर इन्सान के साथ हर वक़्त रहते हैं तो चाहिये कि कभी येह चीज़ें न
 खाए क्यूंकि **अल्लाह** तअ़ाला ने साथी फ़िरिश्तों की तबीअत और किस्म

की बनाई है। उलमा फ़रमाते हैं कि मुसलमानों के किसी मजमए में बदबूदार मुंह या कपड़े ले कर न जाए ताकि लोगों को ईज़ा न पहुंचे।

(मिरआतुल मनाजीह, 1 / 438)

फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** है : किरामन कातिबीन (या'नी आ'माल लिखने वाले दोनों बुजुर्ग फ़िरिशतों) पर इस से ज़ियादा कोई बात शदीद नहीं कि वोह जिस शख्स पर मुक़रर हैं उसे इस हाल में नमाज़ पढ़ता देखें कि उस के दांतों के दरमियान कोई चीज़ हो।

(معجم كبير، ٤/١٧٧، حديث: ٤٠٦١)

फ़िरिशतों को तक्लीफ़ देना

आ'ला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** फ़तावा रज़विय्या जिल्द 1 के सफ़हा नम्बर 839 पर फ़रमाते हैं : मुतअद्दिद अहादीस में इरशाद हुवा है कि जब बन्दा नमाज़ में खड़ा होता है फ़िरिशता अपना मुंह उस के मुंह पर रखता है। येह जो कुछ पढ़ता है इस के मुंह से निकल कर फ़िरिशते के मुंह में जाता है उस वक़्त अगर खाने की कोई शै इस के दांतों में होती है मलाइका को उस से ऐसी सख़्त ईज़ा होती है कि और शै से नहीं होती। (फ़तावा रज़विय्या, 1 / 839)

मिस्वाक कर लिया करे

सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमान है : तुम में से जब कोई रात को उठ कर नमाज़ पढ़ना चाहे तो मिस्वाक कर लिया करे ! क्यूंकि जब कोई नमाज़ में क़िराअत करता है तो फ़िरिशता

अपना मुंह उस के मुंह पर रख देता है, और उस के मुंह से जो भी निकलता है फिरिश्ते के मुंह में जाता है।

(شعب الایمان، باب فی تعظیم القرآن، فصل فی السواک لقرأة القرآن، ۲/ ۳۸۱، حدیث: ۲۱۱۷)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿30﴾ किसी की जगह या सीट पर कब्ज़ा जमाना

बसा औकात ऐसा होता है कि कोई महफ़िल में से उठ कर थोड़ी देर के लिये कोई चीज़ लेने गया तो दूसरा फ़ौरन उस की जगह पर कब्ज़ा जमा लेता है हालांकि वोह जगह उठने वाले की थी लेकिन वोह बेचारा मुंह देखता रह जाता है, इसी तरह ट्रेन या बस में किसी ने अपनी सीट रिज़र्व (Reserve) करवाई होती है लेकिन दूसरा शख्स उस पर बिराजमान हो जाता है, जब उसे सीट ख़ाली करने की दरख़्वास्त की जाए तो वोह टाल मटोल से काम लेता है जिस पर सीट बुक करवाने वाले को काफ़ी परेशानी होती है, बसा औकात तू तू, मैं मैं तक बल्कि हाथापाई तक नौबत जा पहुंचती है और बिल आख़िर उसे सीट ख़ाली करवाने के लिये अमले का सहारा लेना पड़ता है।

अपनी जगह का ज़ियादा हक़दार कौन ?

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : जो शख्स अपनी जगह से उठ कर जाए और फिर वापस आए तो वोही उस का ज़ियादा हक़दार है।

(مسلم، کتاب السلام، باب اذا قام... الخ، ص ۱۱۹۹، حدیث: ۲۱۷۹)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَان** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : येह इस सूरत में है कि जाने वाला अपनी जगह कोई निशानी रख गया हो जिस से पता लगे कि वोह लौट कर आएगा या कोई और अ़लामत हो । (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 371) हज़रते अ़ल्लामा अबू ज़करिया यहूया बिन शरफ़ नववी शाफ़ेई **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي** इस हदीसे पाक के तहत तहरीर फ़रमाते हैं : हमारे इ़लमा फ़रमाते हैं : येह हदीस उस शख़्स के बारे में है जो मस्जिद वगैरा में मसलन नमाज़ के लिये बैठे और फिर वापस आने के इरादे से वहां से जाए मसलन वुजू करने या किसी मा'मूली काम के लिये जा कर वापस आए तो उस जगह के लिये उस की खुसूसियत ख़त्म न होगी बल्कि वापस आने पर वोही शख़्स उस नमाज़ के लिये उस जगह का हक़दार होगा । अगर उस मक़ाम पर कोई और बैठ गया हो तो उसे येह हक़ हासिल है कि उसे वहां से उठा दे और बैठने वाले को वहां से हट जाना चाहिये । अपनी जगह से उठने वाला उस जगह जानमाज़ वगैरा छोड़ कर उठे या वैसे ही जाए दोनों सूरतों में वोही उस जगह का जि़यादा हक़दार है । (شرح مسلم للنووي، جزء: ١٤، ٧٠١/١٦١)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

31) गाड़ी पर स्क्रैच डालना

गली में खड़ी कार या जीप बिल खुसूस नई गाड़ी पर चाबी या किसी नोकदार चीज़ से चोरी छुपे स्क्रैच (लकीर, **Scratch**) डाल देने में बा'जों को बड़ा मज़ा आता है लेकिन मालिक का दिल मुरझा जाता है

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

क्योंकि स्क्रैच की सूरत में गाड़ी की कीमत में भी कमी हो जाती है और वोह लकीरें बुरी भी दिखाई देती हैं। ऐसा करने वाले ग़ौर कर लें कि उस का हिसाब वोह बरोजे महशर क्यूं कर दे पाएंगे।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿32﴾ गलियों में क्रिकेट, फुटबोल वगैरा खेलना

छुट्टी के दिन से पहले वाली रात गली महल्ले को मैदान समझ कर क्रिकेट, फुटबोल वगैरा खेल कर, शोर मचा कर महल्ले वालों की नींद और अपना वक्त बरबाद करने वालों को येह तफ़रीह दिखाई देती है लेकिन मरीजों, दूध पीते बच्चों के आराम का उन्हें कोई खयाल नहीं होता और न ही पढ़ाई करने वाले त़लबा के ता'लीमी नुक़सान का एहसास होता है, राह चलते मुसाफ़िर और गाड़ियां भी उन से मुतअस्सिर होती हैं, घरों के शीशे भी महफूज़ नहीं रहते। इन सब की हक़ तलफ़ी का वबाल मेच के ख़िलाड़ियों और उस की इन्तिज़ामिया पर होगा।

दिन लहव में खोना तुझे शब सुब्ह तक सोना तुझे

शमें नबी ख़ौफ़े खुदा येह भी नहीं वोह भी नहीं

(हदाइके बख़्शिश, स. 111)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿33﴾ पान की पिचकारी

नाक़िस पान गुटके के तिब्बी नुक़सानात अपनी जगह लेकिन इस का ख़म्याज़ा दूसरों को भी भुगतना पड़ता है जब येह पान गुटका खाने के

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

शौकीन इन के दरवाजे, सीढ़ियों को अपने थूक से लाल कर देते हैं, फिर जहां एक बार कोई पान थूक दे दूसरों को गोया इजाज़त नामा मिल जाता है वोह भी उसी के नक्शे क़दम पर चलते हुए वहीं थूकते हैं और चन्द दिनों में वोह जगह कचरा कूंडी का मन्ज़र पेश करने लगती है।

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

﴿34﴾ इस्तिन्जा ख़ाने का इस्ति'माल

बा'ज़ लोग सफ़ाई पसन्द न होने की वजह से दूसरों के लिये भी तक्लीफ़ देह बन जाते हैं, मसलन इस्तिन्जा ख़ाने में जाएंगे तो उस के फ़र्श पर अपने गन्दे जूतों के निशानात छोड़ आएंगे, कमोड या (WC) में हस्बे ज़रूरत पानी बहा कर फुज़ला नहीं बहाएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे तो अपने हाथों की मेल साबुन पर लगी छोड़ आएंगे, ऐसे में इन के बा'द इस्तिन्जा ख़ाने (बिलखुसूस अ़वामी इस्तिन्जा ख़ाने) का रुख़ करने वाले को घिन आती है लेकिन वोह बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, ऐ काश ! हमें नज़ाफ़त पसन्दी नसीब हो जाए।

أَمِيْن بِحَمْدِ النَّبِيِّ الْأَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

﴿35﴾ ग़लत पार्किंग

बा'ज़ लोग किसी की गाड़ी के पीछे इस तरह गाड़ी पार्क (Park) कर देते हैं कि दूसरी गाड़ी का वहां से निकलना तक़रीबन नामुमकिन हो जाता है, बा'ज़ औकात तो ग़लत पार्किंग किसी की जान जाने का सबब भी बन जाती है कि जिस की गाड़ी फंस गई उस ने मरीज़ के लिये इमरजन्सी

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

दवाई ले कर जानी थी, या उसे अचानक घर पर किसी हादसे की इत्तिलाअ मिली लेकिन वोह निकल न सका और घर पर न पहुंचने की वजह से जानी नुक़सान हो गया या किसी तालिबे इल्म को इम्तिहान देने या नोकरी के मुतलाशी को इन्टरव्यू के लिये पहुंचना था, किसी को स्टेशन तो किसी को ऐरपोर्ट पहुंचना था लेकिन वोह वक़्त पर न पहुंच सका और ट्रेन या जहाज़ छूट गया, इस का जिम्मेदार कौन ? साफ़ ज़ाहिर है ग़लत पार्किंग करने वाला !!! **اَللّٰهُمَّ** **عَزَّوَجَلَّ** हमें दूसरों का एहसास करने वाला बनाए ।

اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

(36) बिला ज़रूरत फ़ोन या एस एम एस करना

बा'जों को न अपना वक़्त अज़ीज़ होता है न दूसरों का वक़्त ज़ाएअ होने की परवाह होती है, चुनान्चे, वोह वक़्त बे वक़्त किसी को फ़ोन या एस एम एस करते रहते हैं, सामने वाला फ़ोन न उठाए तो मुसलसल फ़ोन करेंगे येह सोचे बिग़ैर कि हो सकता है वोह सोया हो या इस्तिन्जा ख़ाने में हो या नमाज़ पढ़ रहा हो या किसी और अहम काम में मसरूफ़ हो । बा'ज़ तो नींद भरी आवाज़ सुन कर भी भोलेपन से पूछते हैं कि मैं ने आप को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ? फ़ोन सुनने वाला भी मुरव्वत में ना बोल देता है हालांकि अधूरी नींद से किसी को जगाने में राहत मिलती है या कुल्फ़त (या'नी तक्लीफ़) ? इस का फैसला अपने दिल से ले लीजिये । फिर गुफ़्तू का सलीक़ा भी किसी किसी को आता है एक मिनट की बात

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

करने में दस मिनट लगा देने वालों की भी एक ता'दाद है फिर भी येह शिक्वा करते हैं कि लोग हमारा फ़ोन नहीं उठाते ।

आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा ग़ौर करें

हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿37﴾ ऊपर से कोई चीज़ फेंकना

ऊपर की मन्ज़िलों में रहने वाले अपने घर का कूड़ा करकट दुरुस्त अन्दाज़ में ठिकाने लगाने के बजाए खिड़की से ही गली में फेंक देते हैं जिस से गुज़रने वालों को तक्लीफ़ होती है, बा'जू औकात तो वोह कूड़ा बल्कि बच्चों का इस्ति'माल शुदा डाइपर (Diaper) ऐन उस वक़्त फेंका जाता है जब नीचे से कोई गुज़र रहा होता है, उस पर जो गुज़रती है वोही बता सकता है । ऐसे में अगर पता चल जाए कि येह किस खिड़की से आया है तो झगड़े बल्कि मार कटाई की नौबत भी आ जाती है ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿38﴾ कचरा कूंडी बना लेना

बड़े शहरों में इन्तिज़ामिया की तरफ़ से रिहाइशी अ़लाके से थोड़ी दूर एक जगह मुक़रर होती है कि आस पास के लोग अपने घरों का कचरा वहां डाल दें फिर वहां से इन्तिज़ामिया की गाड़ियां उस कचरे को ठिकाने लगाने के लिये ले जाती हैं, लेकिन बा'जू लोग ऐन रोड (Road) के दरमियान या किसी के घर के सामने कचरे का ढेर लगाना शुरूअ कर देते

हैं, एक के बा'द दूसरा और फिर तीसरा भी अपने घर का कचरा वहां फेंकता है तो गोया लाइन लग जाती है, वोही जगह अ़वामी तौर पर कचरा कूंडी करार पाती है, लेकिन जिस के घर के बाहर येह कारवाई की जाती है वोह किस कर्ब व तक्लीफ़ से गुज़रता है इस का हाल वोही बता सकता है जिस पर येह गुज़री हो।

हिकायत : 44

पालतू बिल्ला घर में ही दफ़ना दिया

हज़रते सय्यिदुना अबू हय्यान तैमी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْغَنِيِّ फ़रमाते हैं :
मेरे वालिद ने बताया कि हज़रते सय्यिदुना काज़ी शुरैह رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ का पालतू बिल्ला मर गया तो आप ने मुझे हुक्म दिया कि उसे घर के सेह्न में दफ़ना दो ! मैं ने दफ़ना दिया, उस को फेंकने की कोई अ़वामी जगह न थी, लिहाज़ा मुसलमानों को तक्लीफ़ से बचाने के लिये घर ही में दफ़न करवा दिया। (حلیة الاولیاء، شریح بن الحارث الکندی، ١٤٨/٤، رقم : ٥٠٧)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

39) बिन मांगे मश्वरे देना

किसी भी अहम काम के लिये मश्वरा कर लेना बहुत मुफ़ीद है, इस से ग़लती और नाकामी से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है, लेकिन बा'जों को मश्वरा लेने की नहीं सिर्फ़ देने की आदत होती है, जहां जाते हैं बिन मांगे मश्वरों की पिटारी खोल कर बैठ जाते हैं, बोल बोल कर दूसरों के लिये ज़ेहनी अज़ियत का सबब बनते हैं और अपना वक़ार भी गिराते हैं। अपनी इज़्ज़त का तहफ़फ़ुज़ इसी में है कि जब तक हम से मश्वरा मांगा न जाए, लब कुशाई न करें। अधूरी बात सुन कर मश्वरा देने वाले को अक्सर

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

आईनए नदामत देखना पड़ता है, दलील के बिगैर मश्वरा ऐसा ही है जैसे कमान के बिगैर तीर, जिस शो'बे का तजरिबा न हो उस के बारे में मश्वरा देने से गुरैज कीजिये, गाड़ी ख़राब हो जाए तो कार मिकेनिक से मश्वरा किया जाता है न कि डॉक्टर से, मशहूर है: **لِكُلِّ فَنٍّ رَجَالٌ** या'नी हर फ़न के लिये माहिरीन होते हैं। मश्वरा देने वाला येह बात भी ज़ेहन में रखे कि मश्वरा लेने वाले को शरअन येह हक़ हासिल है कि वोह उस की राए से इत्तिफ़ाक़ न करे।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

﴿40﴾ किसी के घरेलू मुआमलात में दख़ल अन्दाज़ी करना

आज सालन में क्या पकेगा ? इंद के कपड़े कब और कितने ख़रीदने हैं ? कुरबानी का जानवर छोटा (या'नी बकरा वगैरा) लेना है या बड़ा (या'नी बेल वगैरा) ? घर में रंगो रोगन कब और कौन सा करवाना है ? फ़्रीज छोटा लेना है या बड़ा ? बच्चों को जूते किस तरह के ले कर देने हैं ? बच्चों को, इन की अम्मी को कितनी जेब ख़र्ची देनी है ? सौदा सलफ़ किस दुकान से लाना है ? अल ग़रज़ इस तरह के दरजनों मुआमलात ज़ाती नौइय्यत के होते हैं जिन्हें इन्सान अपने मुआशी और समाजी हालात के मुताबिक़ अन्जाम देता है लेकिन कुछ लोगों को इस तरह के ज़ाती मुआमलात में दख़ल अन्दाज़ी करने की आदत होती है जो सामने वाले को अक्सर नागवार गुज़रती है लेकिन वोह इस का मुरव्वतन इज़हार नहीं कर पाता, कभी वोह जी कड़ा कर के दिल की बात ज़बान पर भी ले आता है कि आप अपने काम से काम रखिये येह हमारा ज़ाती मुआमला है।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

﴿41﴾ हुजूम में धक्के मारना

किसी भी अ़वामी मक़ाम मसलन स्टेशन, हज़, उर्स और दीगर मज़हबी इजतिमाअत वग़ैरा में रश में फंस जाना परेशान कुन होता है लेकिन कुछ लोग इस परेशानी के आलम में भी लोगों को परेशान करने से बाज़ नहीं आते और दूसरों को धक्के मारना शुरूअ कर देते हैं, हालांकि सब अपनी नोर्मल (Normal) रफ़्तार में चलते रहें तो भीड़ से निकल ही आते हैं लेकिन इन बे सब्रों और जल्दबाज़ों की वजह से कई मरतबा भगदड़ भी मच जाती है जिस से लोग ज़ख़मी होते हैं बल्कि बा'ज़ तो इन्तिक़ाल भी कर जाते हैं।

﴿42﴾ वौल चोर्किंग करना, इश्तिहार लगाना

किसी भी कारोबारी शै या मज़हबी इजतिमाअ की तशहीर की अपनी अहम्मियत होती है लेकिन इस तशहीर के लिये किसी की दीवार पर बिला इजाज़त चोर्किंग कर के उसे बदनुमा कर देने, गूंद से कागज़ी इश्तिहार चिपका कर दीवार ख़राब कर देने को कोई भी मुफ़्तये इस्लाम जाइज़ नहीं कहेगा। लेकिन हमारे मुआशरे में येह काम भी अपना हक़ समझ कर किया जाता है, अगर मकान या फ़ेक्ट्री का मालिक अपनी दीवार पर चोर्किंग से मन्अ करने की ज़ुरअत कर ले तो उसे बुरा भला कहा जाता है बल्कि भयानक नताइज की धमकियां दी जाती हैं। हम में से हर एक को अपने आप से येह सुवाल करना चाहिये कि क्या हमें येह पसन्द होगा कि कोई हमारी दीवार पर चोर्किंग कर जाए, यकीनन नहीं तो दूसरों के लिये भी येही ज़ेहन रखिये और इस की हक़ तलफ़ी से बचिये।

हिकायत : 45

दीवार की कीचड़

हज़रते सय्यिदुना इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** फ़रमाते हैं :
 इमामे आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** अपने एक मक़रूज़ मजूसी (या'नी आतश परस्त) के यहां क़र्ज़ा वुसूल करने के लिये तशरीफ़ ले गए। इत्तिफ़ाक़ से उस के मकान के करीब आप **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** के जूतों में कीचड़ लग गई, कीचड़ छुड़ाने के लिये जूते को झाड़ा तो कुछ कीचड़ उड़ कर मजूसी की दीवार से लग गई, परेशान हो गए कि अब क्या करूं ! कीचड़ साफ़ करता हूं तो दीवार की मिट्टी भी उखड़ेंगी और साफ़ नहीं करता तो दीवार ख़राब हो रही है। इसी शशो पंज में दरवाज़े पर दस्तक दी, मजूसी ने बाहर निकल कर जब इमामे आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** को देखा तो उस ने क़र्ज़ की अदाएगी के सिलसिले में टाल मटोल शुरूअ कर दी। इमामे आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** ने क़र्ज़ का मुतालबा करने के बजाए दीवार पर कीचड़ लग जाने की बात बता कर निहायत ही लजाजत (या'नी अ़जिज़ी) के साथ मुअ़ाफ़ी मांगते हुए इरशाद फ़रमाया : मुझे येह बताइये कि आप की दीवार किस तरह साफ़ करूं ? इमामे आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** की हुकूकुल इबाद के मुअ़ामले में बे क़रारी और ख़ौफ़े ख़ुदावन्दी **عَزَّ وَجَلَّ** देख कर मजूसी बेहद मुतअस्सिर (مُتَّ - اَثْر) हुवा और कुछ इस तरह बोला : ऐ मुसलमानों के इमाम ! दीवार की कीचड़ तो बा'द में भी साफ़ होती रहेगी, पहले मेरे दिल की कीचड़ साफ़ कर के मुझे मुसलमान बना दीजिये। चुनान्चे, वोह मजूसी इमामे आ'ज़म **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** का तक्वा देख कर हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। (تفسير كبير، ١٠/٢٠٤)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जो बे मिसाल आप का है तक्वा, तो बे मिसाल आप का है फ़तवा
हैं इल्मो तक्वा के आप संगम, इमामे आ 'जम अबू हनीफ़ा

(वसाइले बख़्शिश, स. 573)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿43﴾ कुरबानी के जानवर के खून वगैरा से किसी की दीवार वगैरा ख़राब करना

ईदे कुरबान के मौक़अ पर जानवर की कुरबानी देना बड़ी सआदत की बात है लेकिन इस दौरान हुकूकुल इबाद का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है, बा'ज लोग किसी के घर के करीब जानवर ज़ब्द करते हैं और बे एहतियाती की वजह से जानवर के खून के छींटे उस की दीवार पर जा पड़ते हैं, जानवर के जिस्म से निकलने वाली आलाइशें भी बदबू और गन्दगी फैलाती हैं लेकिन कुरबानी करने वाला इस पर शर्मिन्दा होता है और न मा'ज़िरत करता है।

हिकायत : 46

जब पड़ोसी की दीवार पर खून के छींटे पड़े

शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** ने एक मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फ़रमाया :⁽¹⁾ “दो साल पहले मेरे बेटे (हाजी उबैद रज़ा) के यहां कुरबानी का बड़ा जानवर पड़ोसी के घर के पास बंधा हुआ था, उस के ज़ब्द के वक़्त खून उड़ कर दीवारों पर फैल गया, मेरी तवज्जोह गई तो बड़ी तश्वीश हुई और मैं ने कहा कि अब तो हम पर लाज़िम है कि इस से तरकीब बनाएं कि मुआफ़ भी कर दो और रंग भी कर देते हैं। फिर मैं ने अपने बेटे को ही बोला

(1)....ज़रूरतन जुम्तों की नोक पलक संवारी गई है।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

कि तुम जा कर उस के मालिक से तरकीब बना लो, चुनान्चे, मेरे बेटे ने राबिता किया तो उस ने कह दिया कि कोई बात नहीं।”

(मीठे मीठे इस्लामी भाइयो !) अगर किसी की दीवार पर हमारी तरफ़ से नुक़सान हो जाए तो उस की तलाफ़ी ज़रूरी है, उस से मुआफ़ी मांगिये, अगर वोह इस का खर्चा नहीं लेता, रंग चूना नहीं लेता, मुआफ़ कर देता है तो अच्छी बात है, अगर वोह मुतालबा करता है कि तुम पहले जैसा ही बना दो तो बनाना पड़ेगा।

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّدٍ

44) नमाज़ी या सोने वाले के पास बुलन्द आवाज़ से बातें करना

बा'ज इस्लामी भाई किसी नमाज़ी या सोने वाले के पास इतनी ऊंची आवाज़ में बातें करना शुरू कर देते हैं जिस की वजह से उस की नमाज़ या नींद में ख़लल आता है, इस तरफ़ उमूमन हमारी तवज्जोह नहीं होती, इस से बचना चाहिये।

हिकायत : 47

बुलन्द आवाज़ से गुफ़्तगू करने वालों को समझाया

शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه** एक मरतबा नमाज़ पढ़ रहे थे तो करीब खड़े हुए बा'ज इस्लामी भाइयों ने ऊंची आवाज़ में गुफ़्तगू शुरू कर दी, जिस से अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه** को नमाज़ में तश्वीश हो रही थी, कुछ ही देर में वोह इस्लामी भाई वहां से हट गए। अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه** ने सलाम फेरने के बा'द उन को जम्अ कर के अहसन तरीके से समझाया तो उन इस्लामी भाइयों ने फ़ौरन तौबा कर ली।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 48

इस्लाह फ़रमा दी

इसी तरह का एक और वाक़िआ पेश आया कि एक इस्लामी भाई सोए हुए थे और करीब ही दूसरे इस्लामी भाई मदनी मुन्ने या मुन्नी से खेल रहे थे, जिस से आवाज़ें पैदा हो रही थीं, इस पर भी अमीरे अहले सुन्नत **كَامَثُ بَرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ** ने उस इस्लामी भाई को शरई मस्अला समझाया तो उन्होंने ने हाथों हाथ तौबा की।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿45﴾ वक़्त पर दा'वत शुरू न करना

दा'वत एक दूसरे से महबबत बढ़ाने का ज़रीआ है लेकिन यह भी उस वक़्त बाइसे तक्लीफ़ बन जाती है जब वक़्त पर शुरू न हो, कई इस्लामी भाइयों का तजरिबा होगा कि शादी वगैरा की दा'वत का वक़्त 10 बजे का दिया लेकिन रात के 12 बजे जा कर शुरू होती है, वक़्त पर पहुंचने वाले मेहमान बड़ी आजमाइश में आ जाते हैं कि रात का खाना घर से खा कर जाएं तो दा'वत में शिर्कत किस बात की? और न खाने की सूरत में भूके बैठे मेज़बान की तसल्लियां सुनते रहते हैं कि जी बस अभी फुलां का इन्तिज़ार है वोह आ जाएं तो दा'वत शुरू हो जाएगी, कई घंटे वक़्त जाएं होने के बा'द रात के एक बजे फ़ारिग़ हो कर दो तीन बजे घर पहुंचने वाला सुब्ह अपनी मुलाज़मत या कारोबार पर किस तरह जाए येह अलग आजमाइश है। कई लोग इसी वजह से

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

दा'वत में शिर्कत से मा'ज़िरत कर लेते हैं लेकिन कुछ दा'वतें ऐसी होती हैं कि वोह इन्कार नहीं कर सकते मगर ताख़ीर की वजह से तक्लीफ़ में आ जाते हैं। काश ! मेज़बान और मेहमान वक़्त की पाबन्दी करें तो किसी को तक्लीफ़ न पहुंचे।

हिक़ायत : 49

गोश्त भुनने की आवाज़

इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली عليه رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي लिखते हैं : एक शख्स ने अपने हां किसी दोस्त को बुलाया, लेकिन उसे खाने को कुछ न दिया, बैठे बैठे अ़स्स का वक़्त हो गया, यहां तक कि उसे शदीद भूक लग गई और उस पर जुनूनी कैफ़ियत त़ारी हो गई। मेज़बान ने सितार (गिटार) लिया और दोस्त से कहा : तुम कौन सी आवाज़ सुनना पसन्द करोगे ? उस ने कहा : गोश्त भुनने की आवाज़। (احياء علوم الدين، ३/३१६)

46 ट्रेन-बस में सफ़ाई का ख़याल न रखना

बा'ज़ लोग अपने घर में सफ़ाई पसन्द होते हैं और बाहर भी, जब कि कुछ लोग घर में तो सफ़ाई रखना पसन्द करते हैं लेकिन बाहर गन्दगी फैलाने में कोई हरज नहीं समझते। बाज़ार, बस, ट्रेन इन की इस आदत का निशाना बनते हैं, फलों की बाक़ियात, मूंगफली के छिलके, इस्ति'माल शुदा टिशू पेपर, बचा हुआ पानी फैंक कर दूसरे मुसाफ़िरों के लिये मुसीबत खड़ी कर देते हैं। ट्रेन का वोशरूम इस्ति'माल करेंगे तो इस अन्दाज़ से कि उन के बा'द वहां जाने वाले को घिन आएगी। **اَعْوَجَلُ** नज़ाफ़्त पसन्दी नसीब करे। اٰمِيْن بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

47) घरेलू इस्ति'माल की शै उश की जगह पर न रखना

नेल कटर (नाखुन काटने का आला) कंघी, जूतों की पोलिश, इज़ार-बन्द दानी, बैरूनी दरवाज़े की चाबी, छुरी, माचिस जैसी कई घरेलू अश्या मुश्तरिका इस्ति'माल में आती हैं, इन को इस्ति'माल करने के बा'द मुक़र्ररा जगह न रखा जाए तो दूसरों के लिये परेशानी का बाइस होता है।

48) कर्ज़ख़्वाह को बिला वज्ह टालना

कर्ज़दार को चाहिये कि वा'दे के मुताबिक़ कर्ज़ लौटा दे, बिगैर किसी मजबूरी के येह कहना : कल दूंगा, पहली तारीख़ को ले लेना, शाम को ले लेना, थोड़ी देर तक आना। अल गरज़ कर्ज़ख़्वाह को बिला वज्ह चक्कर लगवाना अच्छी बात नहीं।

हिकायत : 50

अब मेरी रक़म भी लौटा दो

निगराने शूरा हाजी मुहम्मद इमरान अत्तारी سیدہ الغنی का कुछ यूं बयान है कि मैं एक शख़्स के पास बैठा था, इस दौरान उसे किसी का फ़ोन आया कि मैं फ़ेमेली समेत हज़ पर जा रहा हूँ, फ़ोन वुसूल करने वाले ने मुबारक देने के बा'द बड़ी नर्मी से कुछ यूं कहा कि यार आप फ़ेमेली समेत उमरे पर जाते हो, हज़ भी कर आते हो, काफ़ी मुद्दत गुज़र गई अब मेरी रक़म (जो बड़ी अमाऊन्ट Amount) में थी) भी लौटा दो।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

कर्ज़ की अदाएगी में अच्छी निय्यत का सिला

नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : जिस ने कर्ज़ लिया और वोह उसे अदा करने का इरादा रखता है बल्कि उसे अदा करने के मुआमले में हरीस है फिर वोह उसे अदा किये बिगैर मर गया तो **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** इस बात पर कादिर है कि उस के कर्ज़ख़्वाह को अपने पसन्दीदा इन्आमात के ज़रीए राज़ी कर दे और मरने वाले की मग़फ़िरत फ़रमा दे और जिस ने कर्ज़ लिया और वोह उसे अदा करने का इरादा नहीं रखता है फिर वोह उसे अदा किये बिगैर मर गया तो उस से पूछा जाएगा, क्या तू येह गुमान करता था कि हम फुलां को तुझ से उस का पूरा हक़ ले कर न देंगे ? फिर उस की नेकियों में से कुछ नेकियां ले ली जाएंगी और कर्ज़ ख़्वाह की नेकियों में कर्ज़ के बदले के तौर पर डाल दी जाएंगी और अगर उस के पास नेकियां न हुईं तो कर्ज़ख़्वाह के गुनाह उस के नामए आ'माल में डाल दिये जाएंगे । (الترغيب والترهيب، २/ ३७२، رقم: १२)

«49» मकरूज़ को धमकियां देना

बा'ज़ औकात कर्ज़दार वक्त पर कर्ज़ अदा नहीं कर सकता क्यूंकि बेचारे के पास वाकेई इतनी रक़म ही नहीं होती, ऐसे में कर्ज़ ख़्वाह को सब्र का दामन थामे रखना चाहिये, लेकिन बहुत से कर्ज़ ख़्वाह ऐसे मवाकेअ पर गालम गलोच, धमकियों और मारपीट पर उतर आते हैं, बा'ज़ तो मकरूज़ को जान से मारने की धमकी देते हैं बल्कि अमलन उसे क़त्ल भी कर देते हैं जिस पर मकरूज़ अपनी जान और वोह अपनी रक़म से महरूम हो जाते हैं और क़त्ल की सज़ा अलग मिलती है । कुछ कर्ज़ख़्वाह धमकियां

दे दे कर कर्ज़दार को इतनी टेन्शन में मुब्तला कर देते हैं कि मायूसी के आलम में वोह खुदकुशी जैसी हराम मौत को गले लगाने पर तय्यार हो जाता है, काश ! वोह येह समझता कि खुदकुशी से जान छूटती नहीं मज़ीद फंस जाती है। हृदीसे पाक में है : “जो शख्स जिस चीज़ के साथ खुदकुशी करेगा वोह जहन्नम की आग में उसी चीज़ के साथ अज़ाब दिया जाएगा।” (بخاری، ۴ / ۲۸۹، حدیث: ۶۶۵۲)

कर्ज़ का सवाब

कर्ज़ वापस मिलने में ताखीर पर कर्ज़ख़्वाह को चाहिये कि सब्र करे और इस हृदीस शरीफ़ में बयान कर्दा सवाब का मुस्तहक़ बने, चुनान्चे, रसूले अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : जब किसी का दूसरे पर दैन (या'नी कर्ज़) हो और उस की मीअद गुज़र जाए तो हर रोज़ उसी क़दर रूपिये की ख़ैरात का सवाब मिलता है जितना दैन (या'नी कर्ज़) है। (شعب الایمان، ۷ / ۵۳۸، حدیث: ۱۱۲۶۱)

हिकायत : 51

इमाम बुख़ारी और एक मकरूज़

मुहम्मद बिन अब्बास फ़िरबरी का बयान है कि एक शख्स हज़रते सय्यिदुना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْبَارِي के पच्चीस हज़ार दिरहम का मकरूज़ था, आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ को ख़बर मिली कि वोह शख्स “आमुल” (वादिये जैहून की मगरिबी जानिब एक शहर) आया हुवा है, हम उस वक़्त “फ़िरबर” (वादिये जैहून की मशरिकी जानिब एक शहर) में थे, हम ने आप से अर्ज़ की : आप को “आमुल” पहुंच कर अपना माल वुसूल करना चाहिये। फ़रमाया : हमें उसे डराना,

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

धमकाना नहीं चाहिये। मकरूज़ को मा'लूम हुवा कि आप “फ़ि़रबर” में हैं तो वोह खुवारिज़्म चला गया, (आमुल से खुवारिज़्म 12 दिन की मसाफ़त पर है।) हम ने आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے अर्ज़ की : आप “आमुल” के हाकिम अबू सलमा कुशानी से कहें कि वोह खुवारिज़्म के हाकिम के नाम उस मकरूज़ को गिरिफ़्तार करने और आप का माल वुसूल करने के लिये एक मक्तूब लिख दे। फ़रमाया : अगर मैं उस से सिफ़ारिशी मक्तूब लिखवाऊंगा तो वोह भी मुझ से सिफ़ारिशी मक्तूब लिखवाने का लालच रखेगा, और मैं दुन्या के बदले दीन कभी नहीं बेचूंगा, हम ने बहुत कोशिश की लेकिन आप न माने, हत्ता कि हम ने खुद बिगैर इजाज़त “आमुल” के हाकिम से बात कर के मक्तूब लिखवा दिया। जब आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه को पता चला तो बहुत रन्जीदा हुए और फ़रमाया : मुझ पर मेरी ज़ात से ज़ियादा शफ़क़त न करो ! और “खुवारिज़्म” में अपने एक दोस्त को मक्तूब लिखा कि मकरूज़ से भलाई के साथ पेश आया जाए ! बा'दे अज़ां मकरूज़ “आमुल” लौट आया और “मर्व” जाने का इरादा किया। (आमुल से मर्व 6 दिन की मसाफ़त है।) हाकिम को मकरूज़ की ख़बर पहुंची तो उस ने सख़्ती करना चाही लेकिन आप ने सख़्ती करना पसन्द न फ़रमाया। बिल आख़िर इस बात पर सुल्ह हुई कि मकरूज़ आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه को हर साल 10 दिरहम के हिसाब से कर्ज़ चुकाएगा, लेकिन आप को 10 तो कुजा कर्जे का एक दिरहम तक वापस न मिला। (سير اعلام النبلاء، ابو عبد الله البخارى، 306/10)

﴿50﴾ रिश्ते देखने का अन्दाज़

निकाह का रिश्ता काइम करना सिर्फ़ दो अफ़राद को एक दूसरे से वाबस्ता नहीं करता बल्कि दोनों के ख़ानदानों का भी तअल्लुक जोड़ता है,

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

लिहाज़ा रिश्ते देखने का काम बड़ी एहतियात से किया जाता है लेकिन बा'ज़ लोग इस एहतियात में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उन का अन्दाज़ सामने वाले के लिये तक्लीफ़ देह हो जाता है मसलन जो औरतें रिश्ता देखने जाती हैं कभी लड़की को चला कर देखेंगी कि कहीं लंगड़ाती तो नहीं, धूप में ले जा कर उस के गोरे रंग के अस्ली होने का यक़ीन करेंगी बा'ज़ तो हृद ही कर देती हैं कि मुंह खुलवा कर दांत चेक करती हैं। इस के बा'द भी इतनी मुंह फट होती हैं कि लड़की के सामने ही उस के ऐब गिनवाना शुरू कर देती हैं कि थोड़ी मोटी है अगर दुब्ली (Smart) होती तो हम कुछ सोचते, क़द छोटा है, रंग सांवला है, ता'लीम कम है, उम्र थोड़ी ज़ियादा है वग़ैरा वग़ैरा, इस तरह की सूरते हाल का सामना कभी कभार लड़के वालों को भी करना पड़ता है। रिश्ता पसन्द नहीं आया तो मा'ज़िरत करने का अन्दाज़ भी शाइस्ता और ऐसा नपा तुला होना चाहिये कि जिस में किसी की दिल शिकनी हो न झूट बोलना पड़े।

हिकायत : 52

नफ़िसयाती मरीजा बन गई

एक डॉक्टर का बयान है कि एक ख़ातून और उस का ख़ावन्द अपनी जवान बच्ची के इलाज-मुआलजे के लिये मेरे पास आए। उन्होंने ने बताया कि हमारी बच्ची ने एम एस सी किया हुवा है और पूरे ख़ानदान में हंसमुख, मिलनसार, अक्लमन्द मशहूर थी। एम एस सी करने के बा'द आए रोज़ रिश्ते आना शुरू हो गए लेकिन सांवली रंगत की वजह से जो लोग भी आते कई उसी वक़्त इन्कार कर देते तो कई फ़ोन पर मा'ज़िरत कर देते। रिश्ता देखने वाले बच्ची को इस अन्दाज़ से देखते जैसे उन्होंने ने कोई

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

भेड़ बकरी ख़रीदनी हो। उन के देखने के अन्दाज़, तीखे सुवालात और फिर इन्कार ने हमारी फूल जैसी बच्ची के दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई कि हमारी बच्ची शुरूअ शुरूअ में खोई खोई रहती फिर उस ने मुकम्मल चुप साध ली हर वक़्त अपने आप को कमरे में कैद किया हुआ है खाना भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। ऐसी हालत की वजह से हमारी बच्ची दिन ब दिन कमज़ोर हो कर हड्डियों का ढांचा बन गई है। अमिलों के पास जाएं तो वोह काले जादू का कह देते हैं, डॉक्टरज़ के पास जाएं तो वोह नफ़िसयाती मरीज़ क़रार देते हैं, किसी भी तरीक़े इलाज से फ़ाएदा नहीं हो रहा। बच्ची के हालात बताते हुए दुख्यारे वालिदैन ने रोना शुरूअ कर दिया।

रिशते में नेक औरत का इन्तिख़ाब किया जाए

उम्दा से उम्दा बीज भी उसी वक़्त अपने जोहर दिखा सकता है जब उस के लिये उम्दा ज़मीन का इन्तिख़ाब किया जाए। मां बच्चे के लिये गोया ज़मीन की हैसियत रखती है, लिहाज़ा बीवी के इन्तिख़ाब के सिलसिले में मर्द को बहुत एहतियात से काम लेना चाहिये कि मां की अच्छी या बुरी आदात कल औलाद में भी मुन्तक़िल होंगी। मुतअद्दिद अहादीसे करीमा में मर्द को नेक, सालिहा और अच्छी आदात की हामिल पाक दामन बीवी का इन्तिख़ाब करने की ताकीद की गई है चुनान्चे, ताजदारे रिसालत, शहनशाहे नुबुव्वत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : किसी औरत से निकाह करने के लिये चार चीज़ों को मद्दे नज़र रखा जाता है : (1) उस का माल, (2) हंसब नसब, (3) हुस्नो जमाल और (4) दीन। फिर फ़रमाया : तुम्हारा हाथ ख़ाक आलूद हो तुम दीनदार औरत के हुसूल की कोशिश करो।

(بخاری، کتاب النکاح، باب الاکفاء فی الدین، ۴۲۹/۳۰، حدیث: ۵۰۹۰)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

उस ने क़त्ए रेहमी की

रहमते दो आलम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने आलीशान है :
जिस ने अपनी बेटी का निकाह किसी फ़ासिक से किया उस ने क़त्ए रेहमी
की । (الكامل في ضعفاء الرجال، الحسن بن محمد، ٣٠/١٦٥)

बेटी को कहां बियाह रहे हैं ?

हज़रते सय्यिदतुना अस्मा बन्ते अबी बक्र **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** से मरवी
है : निकाह करना औरत को कनीज़ बनाना है, लिहाज़ा ग़ौर कर लेना
चाहिये कि वोह अपनी बेटी को कहां बियाह रहा है ।

(السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب الترغيب في التزويج، ٧٠/١٣٣)

हिकायत : 53

तलाशे रिश्ता

हज़रते सय्यिदुना शौख़ किरमानी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْغَنِي** शाही ख़ानदान
से तअल्लुक़ रखते थे, लेकिन आप ने ज़ोहदो तक्वा इख़्तियार फ़रमाया हुवा
था और दुन्यावी मशाग़िल से बहुत दूर हो चुके थे । आप की एक साहिबज़ादी
थीं जो बहुत हसीनो जमील और नेक व परहेज़गार थीं, एक दिन उस
साहिबज़ादी के लिये बादशाहे किरमान ने निकाह का पैग़ाम भेजा । आप
येह पसन्द न फ़रमाते थे कि मलिका बन कर मेरी बेटी दुन्या की तरफ़
माइल हो । इस लिये आप ने कहला भेजा कि मुझे जवाब के लिये तीन रोज़
की मोहलत दें । इस दौरान आप मस्जिद मस्जिद घूम कर किसी सालेह
इन्सान को तलाश करने लगे । दौराने तलाश एक लड़के पर आप की निगाह

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

पड़ी जिस के चेहरे पर इबादत व परहेज़गारी का नूर चमक रहा था। आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने उस से पूछा : “तुम्हारी शादी हो चुकी है ?” उस ने नफ़ी में जवाब दिया। फिर पूछा : “क्या ऐसी लड़की से निकाह करना चाहते हो जो कुरआने मजीद पढ़ती है, नमाज़ रोज़े की पाबन्द है, ख़ूब सूरत पाकबाज़ और नेक है।” उस ने कहा : “मैं तो एक ग़रीब शख्स हूँ भला मुझ से इन सिफ़ात की हामिल लड़की का रिश्ता कौन करेगा ?” आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने फ़रमाया : “मैं करता हूँ, यह दराहिम लो और एक दिरहम की रोटी, एक दिरहम का सालन और एक दिरहम की खुशबू ख़रीद लाओ।”

नौजवान वोह चीज़ें ले आया। आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने अपनी साहिबज़ादी का निकाह उस पारसा नौजवान के साथ कर दिया। साहिबज़ादी जब रुख़सत हो कर शोहर के घर आई तो उस ने देखा कि घर में पानी की एक सुराही के सिवा कुछ नहीं है और उस सुराही पर एक रोटी रखी हुई देखी। पूछा : “येह रोटी कैसी है ?” शोहर ने जवाब दिया : “येह कल की बासी रोटी है, मैं ने इफ़्तार के लिये रख ली थी।” येह सुन कर कहने लगीं कि मुझे मेरे घर छोड़ आइये। नौजवान ने कहा : “मुझे तो पहले ही अन्देशा था कि शैख़ किरमानी की दुख़तर मुझ जैसे ग़रीब इन्सान के घर नहीं रुक सकती।” लड़की ने पलट कर कहा : “मैं आप की मुफ़्तलसी के बाइस नहीं लौट रही हूँ बल्कि इस लिये कि मुझे आप का तवक्कुल कमज़ोर नज़र आ रहा है, इसी लिये मुझे अपने वालिद पर ह़ैरत है कि उन्हों ने आप को पाकीज़ा ख़स्लत, अफ़ीफ़ और सालेह कैसे कहा जब कि आप का **اَبْلَاحُ** **عَزَّوَجَلَّ** पर भरोसे का येह हाल है कि रोटी बचा कर रखते हैं।”

येह बातें सुन कर नौजवान बहुत मुतअस्सिर हुवा और नदामत का इज़हार किया। लड़की ने फिर कहा : “मैं ऐसे घर में नहीं रुक सकती जहां एक वक़्त की ख़ूराक जम्अ कर के रखी हो अब यहां मैं रहूंगी या रोटी !” येह सुन कर नौजवान फ़ौरन बाहर निकला और रोटी ख़ैरात कर दी।

(روض الرياحين، الحكاية الثانية والتسعون بعد المائة، ص १९२)

क्यूं फिरें शौक़ में हम माल के मारे मारे

हम तो सरकार के टुकड़ों पे पला करते हैं

(वसाइले बख़्शिश, स. 294)

इस हिक़ायत से वोह वालिदैन दर्से इब्रत हासिल करें कि जब उन के सामने किसी नेक व परहेज़गार इस्लामी भाई का रिश्ता पेश किया जाए तो सिर्फ़ इस वज्ह से इन्कार कर देते हैं कि वोह बा रीश और सुन्नतों का अमिल है जब कि इस के बर अक्स ऐसे नौजवान के रिश्ते को तरजीह देने में खुशी महसूस करते हैं जो अपने बुरे आ'माल से **عَزَّوَجَلَّ** को नाराज़ कर के जहन्नम में जाने का सामान कर रहा हो और जिस की सोहबत उन की बेटी को भी ख़ौफ़े ख़ुदा **عَزَّوَجَلَّ** से बे नियाज़ और उस की इबादत से गाफ़िल कर देगी।

हिक़ायत : 54

रिश्ते का उख़ूल

हज़रते सय्यिदुना हसन बसरी **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** के पास एक शख़्स आया और अर्ज़ की : मेरी एक बेटी है जिस से मैं बहुत प्यार करता हूं, उस के कई रिश्ते आए हैं, आप मुझे किस से उस की शादी करने का मशवरा देते हैं ? आप **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** ने इरशाद फ़रमाया : उस की ऐसे शख़्स से शादी

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

करो जो **اَبْلَاح** **عَزْرَجَل** से डरता हो, क्यूंकि अगर ऐसा शख्स तुम्हारी बेटी से महब्बत करेगा तो उसे इज़्ज़त देगा, और अगर नफ़रत भी करेगा तो जुल्म नहीं करेगा। (شرح السنة للبغوی، ۹/ ۵، تحت الحديث: ۲۲۳۴)

हिकायत : 55

रिश्ता यूं भी होता है

हज़रते सय्यिदुना अली बिन अक़ील बग़दादी **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : मैं हज़ करने गया तो वहां मुझे सुर्ख़ डोरी में पिरोए हुए मोतियों का हार मिला। इतने में मुझे एक नाबीना बूढ़ा शख्स नज़र आया जो उस हार की गुमशुदगी और उसे लौटाने वाले के लिये 100 दीनार के इन्आम का भी ए'लान कर रहा था। मैं ने हार उसे लौटा दिया, उस ने इन्आम में मुझे दीनार देना चाहे तो मैं ने मन्अ कर दिया। वहां से मैं मुल्के शाम पहुंचा, बैतुल मुक़द्दस हाज़िरी दी, फिर बग़दाद जाने के इरादे से खाना हो गया लेकिन हलब (मुल्के शाम के एक क़दीम शहर) में भूक और सख़्त सर्दी से दोचार एक मस्जिद में दाख़िल हो गया। मस्जिद के नमाज़ियों ने मुझे इमामत के लिये आगे कर दिया, मैं ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने ने मुझे खाना पेश किया, माहे रमज़ान शुरूअ हो चुका था, लोगों ने कहा : हमारे इमाम साहिब वफ़ात पा गए हैं तो इस महीने आप हमें नमाज़ें पढ़ाएं। मैं ने हामी भर ली और सारा महीना उन की इमामत की। बा'दे रमज़ान उन्होंने ने मर्हूम इमाम साहिब की बेटी का रिश्ता पेश किया जिसे मैं ने क़बूल कर लिया। शादी के एक साल बा'द हमारे यहां बेटा पैदा हुवा तो मेरी ज़ौजा बीमार पड़ गई। एक दिन मैं इसी परेशानी के आलम में बैठा सोच रहा था

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

कि मेरी नज़र अपनी ज़ौजा के गले के हार पर पड़ी, यह बिल्कुल वैसा ही हार था जो मैं ने दौराने हज़ नाबीना हाजी को वापस किया था। मैं ने हार का सारा किस्सा अपनी ज़ौजा को सुनाया तो वोह रोने लगी और बोली : **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** की क़सम ! आप वोही हैं जिन के बारे में मेरे वालिद रो रो कर येह दुआ करते थे कि ऐ **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ! मेरी बेटी को हार लौटाने वाले शख्स जैसा शोहर अता फ़रमाना, और **اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** ने उन की येह दुआ क़बूल फ़रमाई। कुछ ही अर्से में मेरी ज़ौजा का इन्तिक़ाल हो गया। मैं उस की मीरास और हार ले कर बग़दाद लौट आया।

(سير اعلام النبلاء، ١٤/٣٩٤)

﴿51﴾ कीमते ख़रीद पर तबसेरे

बा'जों को कीमते ख़रीद पर तबसेरा करने का बड़ा शौक़ होता है, चीज़ कोई भी ख़रीदे येह उस से ज़रूर पूछेंगे कि कितने में ख़रीदी ? फिर जो भी जवाब मिले उन का वाहिद तबसेरा येह होता है कि बहुत महंगी ख़रीद लाए, येह सुन कर बा'ज औकात ख़रीदने वाले की दिल शिकनी भी होती है कि मैं इतना घूम फिर कर भाव ताव कर के अपने गुमान में सस्ती चीज़ ख़रीद कर लाया मगर मौसूफ़ ने इसे भी महंगा करार दे दिया। येह अलग बात है कि तबसेरा करने वाले को येही चीज़ ख़रीद कर लाने का कहा जाए तो शायद इस से भी महंगी ख़रीद लाए। बहर हाल हमें चाहिये कि अगर हमारा कोई शनासा वाकेई महंगे दामों चीज़ ख़रीद लाया हो तो भी ज़रूरतन ऐसी हिक्मते अमली से निशान देही करें कि ख़रीदारी करने वाले की दिल शिकनी न हो।

﴿52﴾ घिन दिलाने वाली हरकतें करना

बा'जू लोग कभी कान में उंगली मारेंगे तो कभी नाक में, कभी बगलें खुजाएंगे तो कभी सर में खारिश करेंगे फिर हाथ धोए बिगैर खाने पीने में भी मशगूल हो जाएंगे, उन की इस हरकत से देखने वाले को कैसी घिन आती है ! काश वोह इस का इदराक कर पाते । **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** अक्ले सलीम नसीब करे ।

﴿53﴾ हाथापाई की आदत

बा'जों को ज़बान के साथ साथ हाथ चलाने की भी बीमारी होती है, चुनान्चे, दौराने गुफ्तू कभी सामने वाले के कन्धे पर हाथ मारेंगे तो कभी उस की कमर पर थप्पड़ जड़ देंगे, कभी उस का सर पकड़ कर झटका देंगे तो कभी हाथ पर हाथ मारने की फ़रमाइश करेंगे । उन का येह अन्दाज़ भी सामने वाले के लिये तक्लीफ़ देह हो सकता है ।

﴿54﴾ बात कटना

किसी की बात गौर से मुकम्मल सुनने की बा'जों को आदत नहीं होती चुनान्चे, ऐसे अफ़राद “कान” बनने के बजाए “ज़बान” बनने के शौकीन होते हैं, सामने वाला कितनी ही अहम बात कर रहा हो येह उस की बात काट कर अपनी बात शुरूअ कर देंगे जिस से सामने वाला कोफ़्त में मुब्तला हो जाता है । हज़रते सय्यिदुना अबू उमामा बाहिली **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** फ़रमाते हैं : हम बहूसो मुबाहसा कर रहे थे कि **رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** हमारे पास तशरीफ़ लाए और रन्जीदगी

का इज़हार करते हुए इरशाद फ़रमाया : बात काटना छोड़ दो कि इस में भलाई कम है, बात काटना छोड़ दो कि इस में नफ़ा थोड़ा है क्यूंकि यह दो भाइयों के दरमियान दुश्मनी पैदा कर देती है। (तारीख़ मदीने دمشق, ३७०/३३)

उम्मुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदतुना अ़इशा सिद्दीका رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

ने इरशाद फ़रमाया : जब तुम लोगों को गुफ़्तगू करते देखो तो उन की बात न काटो। (مسائوئ الاخلاق للخرائطي، ص २२१، رقم: ०३८) हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا का इरशाद है : किसी बे वुकूफ़ की बात न काटो कि वोह तुम्हें अज़ियत देगा और किसी अक्लमन्द की बात न काटो कि वोह तुम से बुज़ रखेगा। (احياء العلوم، २/ २२६)

फ़तावा रज़विख्या जिल्द 24 सफ़हा 170 पर है : बे ज़रूरते शरइय्या दूसरे की बात काटना (ममनूअ) है जब कि वोह इल्मे शरई के ज़िक्र में हो।

﴿55﴾ केले वगैरा के छिलके प्लेटफ़ॉर्म पर फेंक देना

बा'जों का सफ़ाई का ज़ेहन नहीं होता, ऐसे लोग किसी के कमरे या गाड़ी में मूंगफली खाएंगे तो छिलके वहीं फेला देंगे। आम, कीनू या केला वगैरा खा कर उस का छिलका रोड या प्लेटफ़ॉर्म पर फेंक देंगे, उन का येह अमल किसी को ज़ख़मी कर सकता बल्कि किसी की जान भी ले सकता है चुनान्चे, अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَعَالِيَهُ के बड़े भाई अब्दुल ग़नी साहिब के बारे में कहा जाता है कि पंजाब से बाबुल मदीना आते हुए ट्रेन जब ज़म ज़म नगर (हैदराबाद) के स्टेशन पर रुकी तो वोह पानी पीने के लिये उतरे, जब ट्रेन चल पड़ी तो तेज़ी से उस की त़रफ़ लपके, किसी के

फेंके हुए केले के छिलके पर पाउं पड़ा, आह ! फिसल कर चलती ट्रेन के नीचे जा पड़े और कट जाने के सबब इन्तिक़ाल कर गए। **عَزَّوَجَلَّ** उन की बे हिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। **أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

﴿56﴾ महाफ़िल में लाऊडस्पीकर का इस्ति'माल

बयानात और ना'त ख़्वानी करना बड़ी सआदत की बात है लेकिन बुलन्द आवाज़ वाला साऊन्ड सिस्टम लगा कर महल्ले वालों की नींद में ख़लल डाल कर इस का इनइक़ाद करना दीन की ख़िदमत नहीं बल्कि लोगों की हक़ तलफ़ी का गुनाह अपने सर लेना है। अगर कोई यूं अपने दिल को मनाए कि हम ने घर घर जा कर इजाज़त ले ली है तो सफ़ेद बालों वाली ज़ईफ़ बुढ़िया, बीमार बूढ़े, दूध पीते बच्चे और घर में बिस्तर पर दराज़ मरीज़ की इजाज़त क्यूंकर मिल गई, इस लिये हाज़िरीन की ता'दाद के मुताबिक़ बिगैर स्पीकर ही ना'त व बयान की तरकीब बना लेने में अफ़ियत है या फिर खुले ग्राऊन्ड में जहां से घरों तक आवाज़ न पहुंचे इतनी आवाज़ में स्पीकर चलाए जाएं जितनी हाज़त हो, अल ग़रज़ जिस ने एहतियात करनी हो उस के लिये रास्ते हज़ार और जिस ने न करनी हो उस के लिये बहाने बे शुमार।

हिकायत : 56

अशा तोड़ दिया

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** से रिवायत है कि हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا** के घर के बाहर एक वाइज़ बयान किया करता था जिस की आवाज़ से आप को तक्लीफ़ होती और कान पड़ी आवाज़ सुनाई न देती थी। आप **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا** ने हज़रते

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

सय्यिदुना उमर फ़ारूक़ رضي الله تعالى عنه को पैग़ाम भेज कर इस बात की शिकायत फ़रमाई । हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूक़ رضي الله تعالى عنه ने उस वाइज़ को उस फ़े'ल से मन्ज़ फ़रमाया जिस पर वोह वक्ती तौर पर बाज़ आया लेकिन चन्द दिनों बा'द दोबारा वोही सिलसिला शुरूअ कर दिया । इस पर आप رضي الله تعالى عنه अपना असा ले कर उस वाइज़ के पास गए और मार मार कर उस पर अपना असा तोड़ दिया ।

(تاريخ المدينة المنورة ، ذكر القصص ، ١٥/١)

लाऊड स्पीकर का ग़लत इश्ति'माल न करें

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عليه رضى الله عنه समझाते हुए लिखते हैं : वोह वाइज़ीन इब्रत पकड़ें जो तेज़ लाऊड स्पीकरों पर आधी आधी रात तक तक़रीरें कर के मजदूरों, बीमारों को परेशान करते हैं, सारी बस्ती को जगाते हैं । देखा गया है कि फिर अ़वाम हुकूमत को दरख़्वास्तें देते हैं जिस पर दफ़अ 144 नाफ़िज़ की जाती है, कितनी बड़ी ज़िल्लत और इल्म की तौहीन है । अगर येह वाइज़ीन इस फ़रमान पर अ़मल करते तो येह नौबत क्यूं आती, हुक्काम और अफ़्सरान खुद इन से इल्म सीखने इन की ख़िदमत में हाज़िर होते ।

(मिरआतुल मनाजीह, 1 / 217)

﴿57﴾ बे मक्सद मुलाक़ात में वक्त जाउझ करना

बा'जों को न अपने वक्त की दौलत का एहसास होता है न दूसरे के वक्त की क़द्रो क़ीमत का पास, चुनान्चे, वोह बे मक्सद किसी भी वक्त किसी से मुलाक़ात के लिये जा पहुंचते हैं और अगर वोह वक्त न दे तो उसे

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मगरूर, मुतकब्बिर जैसे अल्काबात से नवाज़ कर उस का सीना छलनी कर देते हैं और अगर वोह मुलाकात करने पर तय्यार हो जाए तो फिर जल्दी टलते नहीं ।

मैं खुद उन के पास पहुंच जाता हूं

एक शख्स किसी फ़र्म में आ'ला ओहदे पर फ़ाइज़ था, उस की आदत थी कि जब उसे किसी मा तहूत से कोई काम होता या उस को कोई फ़ाइल देनी होती तो वोह खुद उठ कर उस की टेबल पर जाता और फ़ाइल दे कर वापस आ जाता, किसी ने इस की वजह पूछी तो उस ने कहा कि मैं इन को अपने कमरे में बुला सकता हूं लेकिन येह आएंगे अपनी मरज़ी से और मेरा वक़्त ज़ाएअ होगा, इस लिये मैं अपना वक़्त बचाने के लिये खुद उन के पास चला जाता हूं और काम पूरा होने के बा'द वापस आ जाता हूं ।

﴿58﴾ गाड़ी चलाते हुए कीचड़ उड़ाना

सड़क पर बा'ज़ औकात पानी खड़ा होता है, या गटर से रसने वाला नापाक पानी जम्अ हो जाता है या बारिश के बा'द कीचड़ बन जाती है, ऐसे में बा'ज़ कार या वेगन चलाने वाले पैदल चलने वालों के लिये मुसीबत बन जाते हैं, वोह यूं कि कीचड़ वगैरा से तेज़ी से गाड़ी गुज़ारेंगे और उड़ने वाले छींटे पैदल चलने वालों के मुंह और कपड़ों पर जा पड़ते हैं, अब वोह बेचारा कहीं नोकरी का इन्टरव्यू देने जा रहा हो या उस की नोकरी का पहला दिन हो या दा'वत में जा रहा हो, इस से उन को कोई ग़रज़ नहीं होती क्यूंकि उन के अपने कपड़े और चेहरे महफूज़ रहते हैं, अगर येह खुद

कभी पैदल हों और किसी तेज़ रफ़्तार गाड़ी से उड़ने वाले छींटों का निशाना बनें तो उन्हें सहीह मा'नों में दूसरों की तक्लीफ़ का एहसास होगा ।

﴿59﴾ मुसाफ़हे और मुआनके में जोर से दबाना

इस्लामी भाइयों का एक दूसरे से मुसाफ़हा व मुआनका करना बकाए महब्वत का ज़रीआ है लेकिन बा'जों को एक दम शरारत सूझती है कि मुसाफ़हे के दौरान दूसरे का हाथ एक दम जकड़ कर दबाना शुरू कर देते हैं, इसी तरह मुआनके (या'नी एक दूसरे से गले मिलने) के दौरान भी इतनी जोर से दबाते हैं कि सामने वाले की चीखें निकल जाती हैं ।

हिक़ायत : 57

बेहोश हो गया

कई बरस पहले हेड पंजनद (जुनूबी पंजाब) के स्कूल मास्टर के साथ इसी तरह का वाक़िआ पेश आया कि किसी ने उस से ईद मिलने के दौरान इतनी जोर से दबाया कि बेचारा बेहोश हो कर ज़मीन पर गिर गया फिर उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसे बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया ।

﴿60﴾ किसी को झूटा, बद दियानत या रिश्वत ख़ोर करार देना

झूट बोलना, ख़ियानत करना या रिश्वत ख़ोरी बहुत ही बुरे और जहन्म में ले जाने वाले काम हैं लेकिन इस से भी बुरा काम यह है कि किसी को बिला दलीले शरई झूटा, बद दियानत या रिश्वत ख़ोर करार दिया जाए । ऐसा करना तोहमत है और इस की सज़ा बहुत सख़्त है चुनान्चे,

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो उस में नहीं पाई जाती तो उस को **اَللّٰهُ** उस वक़्त तक रद्ग़तल ख़बाल में रखेगा जब तक कि वोह अपनी कही हुई बात से न निकल आए।⁽¹⁾

(अबुदाउद, किताब الاقضية, باب فيمن يعين على خصومة .. الخ: ٣/ ٤٢٧, حديث: ٣٥٩٧)

गर तू नाराज़ हुवा मेरी हलाकत होगी
हाए मैं नारे जहन्नम में जलूंगा या रब !

(वसाइले बख़्शिश, स. 85)

﴿61﴾ जौजा क्के छोटे छोटे कामों के लिये उठाना

अपना काम अपने हाथ से करना बाइसे सअ़ादत और अज़ीम सुन्नत है। उम्मुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदतुना अइशा सिद्दीका **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** फ़रमाती हैं कि सुलताने मक्कए मुकर्रमा, सरदारे मदीनए मुनव्वरा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** अपने कपड़े खुद सी लेते और अपने ना'लैने मुबारकैन गांठते और वोह सारे काम करते जो मर्द अपने घरों में करते हैं।

(क़नज़ العمال, ٤/ ٦٠, ٧, حديث: ١٨٥١٤)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! छोटी छोटी बातों पर बीवी को हुक्म देना मसलन येह उठा दो, वोह रख दो, फुलां चीज़ ढूंड कर ला दो वगैरा से बचना और अपना काम अपने हाथ से कर लेना घर को अम्न का गहवारा बनाने में मदद देता है। नीज़ अपने छोटे छोटे कामों के लिये

(1)....रद्ग़तल ख़बाल दोज़ख़ का वोह मक़ाम है जहां दोज़ख़ियों का पीप व खून जम्अ होता है। (मिरआतुल मनाज़ीह, 5 / 313)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

बीवी को नींद से जगा देना, काम काज और झाड़ू पोचे के दौरान, आटा गूंधते हुए, नीज़ दर्दे सर, नज़ला या दीगर बीमारियों के होते हुए उन को काम के ओर्डर दिये जाना घर के माहोल को ख़राब कर सकता है।

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जिस तरह आप को नींद प्यारी है, सुस्ती होती है, मूड ओफ़ होता है इसी तरह के अवारिज़ औरत को भी दरपेश होते हैं बल्कि मर्द के मुक़ाबले में औरत को नींद ज़ियादा आती है।

﴿62﴾ मियां बीवी के एकदूसरे के ख़िलाफ़ भड़कना

मियां बीवी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़का कर उन की हंसती बसती जिन्दगी में ज़हर घोलने में बा'जों को अजीब लज़ज़त मिलती है लेकिन दर हकीकत वोह शैतान के प्यारे हैं, हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि सरवरे आलम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : शैतान पानी पर अपना तख़्त बिछाता है, फिर अपने लश्कर भेजता है। उन लश्करो में शैतान के ज़ियादा करीब उस का दरजा होता है जो सब से ज़ियादा फ़ितना बाज़ होता है। उस का एक लश्कर वापस आ कर बताता है कि मैं ने फुलां फ़ितना बरपा किया तो शैतान कहता है : तू ने कुछ भी नहीं किया। फिर एक और लश्कर आता है और कहता है : मैं ने एक आदमी को उस वक़्त तक नहीं छोड़ा जब तक उस के और उस की बीवी के दरमियान जुदाई नहीं डाल दी। येह सुन कर शैतान उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है : तू कितना अच्छा है ! और अपने साथ चिमटा लेता है।

(مسلم، کتاب صفة القيامة... الخ، باب تحريش الشيطان... الخ، ص ١٠١١، حديث: ٢٨١٣)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

﴿63﴾ रिश्ते पर रिश्ता भेजना

रिश्ते पर रिश्ता भेजने में भी उस की दिल शिकनी है जिस की बात पहले तै हो चुकी हो, अगर वोह झगड़े पर उतर आए तो बा'ज् औकात नौबत क़त्लो ग़ारत तक भी जा पहुंचती है। **सदरुशशरीआ**, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُبْرَى** लिखते हैं : एक शख्स की मंगनी हो जाने के बा'द दूसरे को पैग़ाम देना मन्अ है ख़्वाह महर बढ़ा कर निकाह करना चाहता हो या उस की इज़्ज़त व वजाहत के सामने पहले को जवाब दे दिया जाएगा, बहर सूत पैग़ाम देना ममनूअ है। (बहारे शरीअत, हिस्सा 11, 2 / 724)

﴿64﴾ बैअ़ पर बैअ़ या इज़ारे पर इज़ारा करना

जो ख़रीदो फ़रोख़्त या इज़ारा कर रहे हों और किसी नतीजे पर पहुंच चुके हों तो बीच में तीसरे को टांग नहीं अड़ानी चाहिये कि मन्अ है चुनान्चे, **सदरुशशरीआ**, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكُبْرَى** लिखते हैं : ❀ एक शख्स के दाम चुका लेने के बा'द दूसरे को दाम चुकाना ममनूअ है इस की सूत येह है कि बाएअ़ व मुशतरी (या'नी ख़रीदने और बेचने वाला) एक समन पर राज़ी हो गए सिर्फ़ ईजाबो क़बूल ही या मबीअ़ (या'नी बिकने वाली चीज़) को उठा कर दाम दे देना ही बाकी रह गया है दूसरा शख्स दाम बढ़ा कर लेना चाहता है या दाम उतना ही देगा मगर दुकानदार से उस का मेल (तअल्लुक़) है या येह ज़ी वजाहत शख्स है दुकानदार उसे छोड़ कर पहले शख्स को नहीं देगा। ❀ जिस तरह बैअ़ में इस की मुमानअत है इज़ारे में भी ममनूअ है मसलन किसी मज़दूर से मज़दूरी तै होने के बा'द या

मुलाज़िम से तनख़्वाह तै होने के बा'द दूसरे शख़्स को मज़दूरी या तनख़्वाह बढ़ा कर या उतनी ही दे कर मुक़रर करना । ❁ जिस तरह ख़रीदार के लिये येह सूरत ममनूअ है बाएअ के लिये भी मुमानअत है मसलन एक दुकानदार से दाम तै हो गए दूसरा कहता है मैं इस से कम में दूंगा या वोह उस का मुलाक़ाती है कहता है : मेरे यहां से लो मैं भी इतने ही में दूंगा, या इजारे में एक मज़दूर से उजरत तै होने के बा'द दूसरा कहता है : मैं कम मज़दूरी लूंगा या मैं भी इतनी ही लूंगा, येह सब ममनूअ हैं ।

(बहारे शरीअत हिस्सा 11, 2 / 723)

65 क़ितार तोड़ना

शनाख़्ती कार्ड ओफ़िस हो या पासपोर्ट का दफ़्तर, बैंक हो या ऐरपोर्ट या रेल्वे का काउन्टर, रश की सूरत में क़ितार बना लेने में सब का फ़ाएदा और वक़्त की बचत है, लेकिन यहां भी बा'ज लोग ज़ियादती करते हैं कि बा'द में आने के बा वुजूद क़ितार में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर दीदह दिलैरी के साथ सब के हुकूक़ पर लात मारते हुए सीधा खिड़की पर जा पहुंचते हैं और न जाने कितनों की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं ।

हिक़ायत : 58

क़ितार में ख़डे रहे

शैख़े तरीक़्त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अतार क़ादिरि دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ ने 1400 हिजरी में हरमैने तय्यिबैन की ज़ियारत का इरादा किया और अपना पासपोर्ट वीज़ा लगवाने के लिये जम्अ करवा दिया । वीज़ा लग जाने

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

पर जब आप **دَامَتْ بِرُكَاثُهُمُ الْعَالِيَةِ** अपना पासपोर्ट लेने के लिये मुतअल्लिका एम्बेसी (Embassy सिफ़ारत खाने) पहुंचे तो वीज़ा लेने वालों की एक तवील क़ितार लगी हुई थी। आप भी क़ितार में खड़े हो गए। किसी जानने वाले ट्रेवल एजन्ट (Travel Agent) की नज़र आप पर पड़ी कि इतने आ'ला मर्तबे के हामिल होने के बावुजूद क़ितार में खड़े हुए हैं तो उस ने बा'दे सलाम अर्ज़ की : हुज़ूर ! क़ितार बहुत तवील है, आप को कई घंटों तक धूप में इन्तिज़ार करना पड़ेगा, आइये मैं आप को (अपने तअल्लुकात की बिना पर) खिड़की के करीब पहुंचा देता हूं। मगर आप **دَامَتْ بِرُكَاثُهُمُ الْعَالِيَةِ** ने बड़ी नर्मी से मन्अ फ़रमा दिया, जिस की वजह येह थी कि अगर आप उस की पेशकश क़बूल फ़रमा कर आगे तशरीफ़ ले जाते तो पहले से क़ितार में खड़े होने वालों की हक़ तलफ़ी हो जाती।

﴿66﴾ किसी का राज़ फ़ाश करना

सरवरे काएनात, शाहे मौजूदात **عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : जब आदमी कोई बात करे फिर इधर उधर देखे तो वोह बात अमानत है।

(अबुदाउद, किताब अल-अदब, बाब फ़ी नक़ल अल-हिदीथ, ६/३०१, हिदीथ: ६१६८)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : या'नी अगर कोई शख़्स तुम से अकेले में कोई बात कहे और बात के दौरान या बात के दरमियान में इधर उधर देखे कि कोई सुन न ले तो वोह अगर्चे मुंह से न कहे कि येह किसी से न कहना मगर उस की येह हरकत बताती है कि वोह राज़ की है

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

लिहाज़ा इसे अमानत समझो उस का राज़ ज़ाहिर न करो किसी से येह बात न कहो । **سُبْحَانَ اللَّهِ** कैसी पाकीज़ा (तरबियत) है !

(मिरआतुल मनाज़ीह, 6 / 629)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! राज़ अमानत होता है, इन्सान उसी को अपना राज़दार बनाता है जिस पर उसे ए'तिमाद होता है, लेकिन जब वोही शख़्स उस के ए'तिमाद को ठेस पहुंचाता है और राज़ को लोगों के सामने खोल देता है तो उसे सख़्त रंज पहुंचता है । मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ** फ़रमाते हैं : ख़ियानत सिर्फ़ माल की ही नहीं होती बल्कि माल, राज़ और इस्मत वग़ैरा सब में होती है बल्कि माल में ख़ियानत से ब दरजहा बदतर (या'नी कहीं ज़ियादा बुरी) राज़दारी में ख़ियानत है । (मिरआतुल मनाज़ीह, 5 / 61)

हिकायत : 59

राज़ फ़ाश नहीं करूंगी

हज़रते सय्यदतुना आइशा सिद्दीका **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا** से रिवायत है कि हज़रते सय्यदतुना फ़ातिमा ज़हारा **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا** बारगाहे रिसालत में चल कर हाज़िर हुई और आप के चलने का अन्दाज़ सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की तरह था । प्यारे आका **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : मेरी बेटी को खुश आमदीद ! इस के बा'द उन्हें अपनी दाईं या बाईं जानिब बिठा कर सरगोशी में उन से कुछ इरशाद फ़रमाया जिसे सुन कर वोह रोने लगीं, फिर दोबारा सरगोशी की तो वोह मुस्कुराने लगीं । जब मैं ने उन से इस बारे में इस्तिफ़सार किया तो उन्होंने ने फ़रमाया : मैं रसूलुल्लाह **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के राज़ को फ़ाश नहीं करूंगी ।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

सरकारे अबद करार, शाफ़ेए रोज़े शुमार **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के विसाले जाहिरी के बा'द मैं ने उन से दोबारा इस बारे में सुवाल किया तो उन्होंने ने बताया : हुजूर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने सरगोशी करते हुए मुझे बताया कि हज़रते सय्यिदुना जिब्रीले अमीन **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** हर साल एक मरतबा मेरे साथ कुरआने पाक का दौर करते थे लेकिन इस साल उन्होंने ने दो मरतबा दौर किया है और मैं येह समझता हूं कि मेरा वक्ते रुख़सत क़रीब आ चुका है और मेरे घरवालों में से सब से पहले तुम मुझ से आ कर मिलोगी। येह बात सुन कर मैं रो पड़ी। इस के बा'द हुज़ुरे पाक, साहिबे लौलाक **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम अहले जन्नत की औरतों की सरदार हो या (फिर येह इरशाद फ़रमाया कि) मोमिनों की औरतों की सरदार हो, येह बात सुन कर मैं मुस्कुरा दी। (بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ۵۰۷/۲، حدیث: ۳۶۲۳)

हिकायत : 60

येह राज़ किसी पर जाहि़र न करना

हज़रते सय्यिदुना अनस **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** का बयान है : मैं लड़कों के साथ खेल रहा था कि इतने में सरकारे दो अ़लम, नूरे मुजस्सम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** तशरीफ़ लाए, हमें सलाम किया और मुझे एक काम के सिलसिले में भेज दिया। (उस काम के सबब) मुझे अपनी वालिदा के पास हाज़िरी में ताख़ीर हो गई। जब मैं वापस पहुंचा तो वालिदए मोहतरमा ने मुझ से सबबे ताख़ीर दरयाफ़्त फ़रमाया। मैं ने अर्ज़ की, कि हुज़ुरे पाक, साहिबे लौलाक **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ** ने मुझे एक काम से भेजा था। उन्होंने ने

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

पूछ : किस काम से ? तो मैं ने जवाब दिया : येह एक राज़ है । इस पर वालिदए मोहतरमा ने इरशाद फ़रमाया : रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का राज़ किसी पर जाहिर न करना ।

(مسلم، کتاب فضائل الصحابة، باب فضائل انس بن مالك، ص ۱۳۴۸، حدیث: ۲۴۸۲)

हिकायत : 61

राज नहीं खोल सकता था

हज़रते सय्यिदतुना हफ़सा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا के शोहर हज़रते सय्यिदुना खुनैस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ जो कि बद्री सहाबी हैं, इन्तिकाल फ़रमा गए और आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا बेवा हो गई तो आप के वालिदे मोहतरम हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूक़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने हज़रते सय्यिदुना उस्माने ग़नी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ को अपनी साहिबज़ादी से निकाह की पेशकश की । हज़रते सय्यिदुना उस्माने ग़नी رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने कहा : मैं इस बारे में ग़ौर करूंगा, फिर चन्द दिनों के बा'द जवाब दिया : मेरा येह ज़ेहन बना है कि फ़िलहाल शादी न करूं । हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूक़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का बयान है कि इस के बा'द मैं हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के पास गया और उन्हें भी येही पेशकश की लेकिन वोह मेरी बात सुन कर ख़ामोश रहे और कोई जवाब न दिया । हज़रते उस्मान رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ की ब निस्बत मुझे हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ के रद्दे अमल से ज़ियादा रंज पहुंचा । इस के चन्द दिन बा'द सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने मेरी बेटी के लिये पैग़ामे निकाह भेजा तो मैं ने येह निकाह कर दिया । बा'द में जब हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से मुलाकात हुई तो उन्होंने ने फ़रमाया : जब आप ने मुझे अपनी

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

साहिबज़ादी से निकाह की पेशकश की और मैं ने कोई जवाब न दिया तो ग़ालिबन आप को रंज हुवा होगा। मैं ने इस्बात में जवाब दिया तो उन्होंने ने फ़रमाया : आप को जवाब देने से मुझे सिर्फ़ येह बात मानेअ (या'नी रुकावट) हुई कि मैं जानता था कि सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** ने हज़रते हफ़सा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का ज़िक्र फ़रमाया है और मैं हुज़ूर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का राज़ इफ़शा नहीं कर सकता था। अगर आप **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** उन से निकाह न फ़रमाते तो मैं उन का रिश्ता क़बूल कर लेता। (بخاری، کتاب المغازی، باب: ۱۲، ۳/۲۰، حدیث: ۴۰۰۵)

﴿67﴾ खुशियां मनाने के नाम पर दूसरों को तक्लीफ़ देना

न्यू यर नाइट हो या बसन्त, यौमे आज़ादी हो या कोई और मेला ठेला, मंगनी की रस्म हो या मेहंदी का हल्ला गुल्ला ! खुशियां मनाने के नाम पर ढोल ढमके, हवाई फ़ाइरिंग, आतश बाज़ी के पटाख़े फोड़ कर, बिगैर साइलन्सर मोटर साईकल चला कर, वनवे लंग कर के, कान फाड़ आवाज़ में मूसीकी की महफ़िलें सजा कर दीगर मुसलमानों, बच्चों, मरीज़ों और घरेलू ख़वातीन को नाक़ाबिले बयान अज़िय्यत व तक्लीफ़ में मुब्तला किया जाता है, **اَلْاَمَانُ وَالْحَوْطُ** ऐसा करने वालों को याद रखना चाहिये कि एक दिन मरना है और बारगाहे जुल जलाल में हाज़िर हो कर अपनी करनी का हिसाब देना और इस का अन्जाम देखना है।

शादियों में मत गुनह नादान कर

ख़ाना बरबादी का मत सामान कर

(वसाइले बख़्शिश, स. 715)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

﴿68﴾ मुलाज़िमीन व ख़ादिमीन को तक्लीफ़ न दीजिये

बा'ज लोग अपने मुलाज़िमीन और घरेलू ख़ादिमीन से जानवरों से बदतर सुलूक करते हैं, बात बात पर उन की बे इज़्ज़ती करते हैं, उन से ज़ियादा काम लेते हैं, इन्कार पर नोकरी से फ़ारिग़ कर देने की धमकी देते हैं, ऐसे अफ़राद याद रखें कि उन मुलाज़िमीन व ख़ादिमीन की भी हक़ तलफ़ी करना और उन को बिला वज्हे शरई तक्लीफ़ पहुंचाना जाइज़ नहीं। हमारे अकाबिरीन तो अपने खुद्दाम से मिसाली हुस्ने सुलूक रखा करते थे चुनान्वे,

हिकायत : 62

गुलाम को तक्लीफ़ न दी

मन्कूल है कि एक रात अमीरुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ رضي الله تعالى عنه के हां कोई मेहमान आया, उस वक़्त आप लिख रहे थे। चराग़ बुझने लगा तो मेहमान ने अज़ी की : मैं उठ कर ठीक कर देता हूं। इरशाद फ़रमाया : येह बात मेहमान की ख़ातिरदारी के ख़िलाफ़ है कि उस से ख़िदमत ली जाए। उस ने कहा : गुलाम को जगा देता हूं, वोह येह काम कर लेगा। फ़रमाया : वोह अभी अभी सोया है। येह फ़रमा कर खुद उठे और तेल की कुप्पी ले कर चराग़ में तेल भरा। मेहमान ने कहा : ऐ अमीरुल मोमिनीन ! आप येह काम खुद अन्जाम दे रहे हैं ! फ़रमाया : मैं जब इस काम के लिये गया तब भी उमर था और जब वापस लौटा तब भी उमर ही हूं, मेरे इस काम से मेरे मक़ामो मर्तबे में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ा और लोगों में से बेहतरीन वोह है जो **عَزَّوَجَلَّ** के हां अज़िज़ी करने वाला हो। (أحياء علوم الدين، ٤٣٥/٣٠)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 63

ख़ादिमा की तक्लीफ़ का ख़याल

फ़ी ज़माना शरअन कोई गुलाम मौजूद नहीं लेकिन अपने पास काम करने वाले मुलाज़िमीन और ख़ादिमीन का ख़याल रखना भी शेवए मुसलमानी है चुनान्चे, हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़ती मुहम्मद शरीफ़ुल हक़ अमजदी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي के बयान का खुलासा है कि मैं जब मुफ़्तये आ'ज़मे हिन्द हज़रते अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْحَنَّان की ख़िदमत में बरेली शरीफ़ हाज़िर हुवा तो आप ने दारुल इफ़ता की ख़िदमत मेरे सिपुर्द फ़रमा दी। मैं दिन में मसाइल का जवाब लिखता और इशा के बा'द आप को सुनाया करता और जहां मुनासिब मा'लूम होता आप इस्लाह फ़रमाया करते थे, येह मजलिस उमूमन दो तीन घंटे की होती जब कि बसा औकात चार घंटे की भी हो जाती थी। इन्ही अय्याम में एक दफ़आ जब कि सख़्त सर्दियों के दिन थे, कमरे में हज़रत के लिये अंगेठी थी जो कुछ देर के बा'द ठन्डी होने लगी और हुक्के की आग भी ख़त्म होने पर आई। अचानक आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने फ़रमाया : अगर कोइला और होता तो अंगेठी ही गर्म हो जाती और तम्बाकू अभी पूरा जला नहीं है, वोह भी काम आ जाता। मैं ने अर्ज़ की : अन्दर ख़ादिमा को आवाज़ दे कर कोइला मांग लूं? फ़रमाया : दिन भर की थकी हारी बेचारी सो गई होगी, जाने दीजिये।

(जहाने मुफ़्तये आ'ज़मे हिन्द, स. 328)

हिकायत : 64

ख़ादिम से कपड़े पर सियाही गिर गई

मन्कूल है कि एक मरतबा हज़रते सय्यिदुना इस्माइल बिन बुलबुल शौबानी قُدْسٌ سِرُّهُ الرِّبَّانِي के ख़ादिम ने क़लम सियाही में डुबो कर आप को पेश

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

किया तो बे खयाली में सियाही के चन्द क़तरे आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** के कीमती जुब्बे पर गिर गए, खादिम ख़ौफ़ से कांपने लगा (कि न जाने अब क्या सज़ा मिलेगी) लेकिन आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने दरगुज़र करते हुए फ़रमाया :
घबराओ नहीं ! फिर अशआर पढ़े :

إِذَا مَا الْيُسْكُ طَيِّبَ رِيحِ قَوْمٍ كَفَانِي ذَاكَ رَاحَةَ الْيَمَادِ
فَمَا شَيْءٌ بِأَحْسَنَ مِنْ ثِيَابٍ عَلَى حَافَاتِهَا حَمَمٌ السَّوَادِ

तर्जमा : जब कस्तूरी क़ौम की खुशबू को उम्दा करे मुझे येही सियाही की खुशबू काफ़ी होगी। उन कपड़ों से बढ़ कर कोई चीज़ अच्छी नहीं जिन के किनारों पर कोइले की सियाही हो। (سير اعلام النبلاء، اسماعيل بن بلبل، ٥٦٦/١٠)

हिकायत : 65

येह मेरी जिम्मेदारी नहीं है

वक़्त बे वक़्त किसी को टोकते रहने, डांट पिला देने या झाड़ने की आदत से मुमकिन है कि वोह ऐसे वक़्त में हमारी मदद से इन्कार कर दे जब हम शदीद परेशानी में मदद के तलबगार हों। इस बात को एक फ़र्ज़ी हिकायत से समझने की कोशिश कीजिये : चुनान्चे, एक नक चढ़ा रईस अपने नोकरों को वक़्त बे वक़्त डांटता झाड़ता रहता था जिस की वज्ह से नोकरों के दिल में उस की अ़दावत बैठ चुकी थी। उस रईस ने हर नोकर को उस की जिम्मेदारियों की तहरीरी लिस्ट (List) बना कर दी हुई थी अगर कोई नोकर कभी कोई काम छोड़ देता तो रईस उसे वोह लिस्ट दिखा दिखा कर ज़लील करता। एक मरतबा वोह घुड़ सुवारी का शौक़ पूरा कर के घोड़े से उतर रहा था कि उस का पाउं रिकाब में उलझ गया इसी दौरान घोड़ा भाग खड़ा हुवा, अब रईस उल्टा लटका घोड़े के साथ साथ घिसट रहा

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

था। उस ने पास खड़े नोकर को मदद के लिये पुकारा मगर उसे तो बदला चुकाने का मौक़अ मिल गया था, चुनान्चे, उस ने अपने मालिक की मदद करने के बजाए जेब से उस की दी हुई लिस्ट (List) निकाली और दूर ही से दिखा कर कहने लगा कि इस में येह कहीं नहीं लिखा कि अगर तुम्हारा पाउंड घोड़े की रिकाब में उलझ जाए तो उसे छुड़ाना मेरी ड्यूटी है। येह सुन कर रईस नोकरों से किये हुए बुरे सुलूक पर पछताने लगा।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿69﴾ हज़ के दौरान तक्लीफ़ न दीजिये

हज़ की सआदत मिलना बड़ी खुश नसीबी है लेकिन इस अहम इबादत को अन्जाम देते वक़्त भी दीगर मुसलमानों को तक्लीफ़ देने से बचना बहुत ज़रूरी है चुनान्चे, सफ़र में, मतार (ऐरपोर्ट, Airport), दौराने तवाफ़, हज़रे अस्वद को बोसा देते वक़्त, मिना में, मैदाने अरफ़ात, मुज्दलिफ़ा में, और ख़ास तौर पर रमी करते वक़्त बहुत एहतियात कीजिये कि किसी को हम से तक्लीफ़ न पहुंच जाए। कई बार ऐसा हुवा कि रमी के दौरान भगदड़ मची और देखते ही देखते सेंकड़ों हुज्जाज जान से चले गए।

हज़रे अस्वद को बोसा किस तरह दें ?

सदरुशशरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْكُبْرَى लिखते हैं : मयस्सर हो सके तो हज़रे अस्वद पर दोनों हथेलियां और उन के बीच में मुंह रख कर यूं बोसा दो कि आवाज़ न पैदा हो, तीन बार ऐसा ही करो येह नसीब हो तो कमाले

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

सअ़ादत है । यकीनन तुम्हारे महबूब व मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उसे बोसा दिया और रूए अक्दस उस पर रखा । ज़हे खुश नसीबी कि तुम्हारा मुंह वहां तक पहुंचे और हुजूम के सबब न हो सके तो न औरों को ईज़ा दो, न आप दबो कुचलो बल्कि इस के इवज़ हाथ से छू कर उसे चूम लो और हाथ न पहुंचे तो लकड़ी से छू कर उसे चूम लो और यह भी न हो सके तो हाथों से उस की तरफ़ इशारा कर के उन्हें बोसा दे लो, मुहम्मद रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के मुंह रखने की जगह पर निगाहें पड़ रही हैं येही क्या कम है और हज़र को बोसा देने या हाथ या लकड़ी से छू कर चूम लेने या इशारा कर के हाथों को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं । (बहारे शरीअत, 1 / 1096)

रमल में श्री एहत्यात

सदरुशशरीआ, बदरुत्तरीका رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ मज़ीद लिखते हैं : पहले तीन फेरों में मर्द रमल करता चले या'नी जल्द जल्द छोटे क़दम रखता, शाने हिलाता जैसे क़वी व बहादुर लोग चलते हैं, न कूदता न दौड़ता, जहां ज़ियादा हुजूम हो जाए और रमल में अपनी या दूसरे की ईज़ा हो तो इतनी देर रमल तर्क करे । (बहारे शरीअत, 1 / 1097)

तक्लीफ़ देने की मुख़्तलिफ़ शूरतें

शैखुल हदीस वत्तफ़सीर हज़रते अल्लामा मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي तहरीर फ़रमाते हैं : हुज़ूरे अन्वर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ या'नी मुसलमान का इस्लामी

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

निशान यह है कि तमाम मुसलमान उस की ज़बान और उस के हाथ से सलामत रहें। (بخاری، ۱۰/۱، حدیث: ۱۰) मतलब यह है कि वोह किसी मुसलमान को कोई तक्लीफ़ न दे और हुज़ूर ﷺ ने यह भी फ़रमाया कि मुसलमान को चाहिये कि वोह जो कुछ अपने लिये पसन्द करता है वोही अपने इस्लामी भाइयों के लिये भी पसन्द करे। (بخاری، ۱۶/۱، حدیث: ۱۳) ज़ाहिर है कि कोई शख़्स भी अपने लिये यह पसन्द नहीं करेगा कि वोह तक्लीफ़ों में मुब्तला हो और दुख उठाए तो फिर फ़रमाने रसूल ﷺ के मुताबिक़ हर शख़्स पर यह लाज़िम है कि वोह अपने किसी कौलो फ़ैल से किसी को ईज़ा और तक्लीफ़ न पहुंचाए, इस लिये मुन्दरिजए ज़ैल बातों का ख़ास तौर पर हर मुसलमान को ख़याल रखना बहुत ज़रूरी है।

(1) किसी के घर मेहमान जाओ या बीमार पुर्सी के लिये जाना हो तो इस क़दर ज़ियादा दिनों तक या इतनी देर तक न ठहरो कि घरवाला तंग हो जाए और तक्लीफ़ में पड़ जाए।

(2) अगर किसी की मुलाक़ात के लिये जाओ तो वहां इतनी देर तक मत बैठो या उस से इतनी ज़ियादा बातें न करो कि वोह उक्ता जाए या उस के काम में हज़ होने लगे क्यूंकि इस से यकीनन उस को तक्लीफ़ होगी।

(3) रास्तों में चारपाई या कुरसी या कोई दूसरा सामान बरतन या ईंट पथ्थर वगैरा मत डालो क्यूंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग रोज़ाना की आदत के मुताबिक़ बे खटके तेज़ी के साथ चले आते हैं और इन चीज़ों से

ठोकर खा कर उलझ कर गिर पड़ते हैं बल्कि खुद इन चीज़ों को रास्तों में डालने वाला भी रात के अंधेरे में ठोकर खा कर गिरता है और चोट खा जाता है ।

(4) किसी के घर जाओ तो जहां तक हो सके हरगिज़ हरगिज़ उस से किसी चीज़ की फ़रमाइश न करो बा'ज़ मरतबा बहुत ही मा'मूली चीज़ भी घर में मौजूद नहीं होती और वोह तुम्हारी फ़रमाइश पूरी नहीं कर सकता ऐसी सूरत में उस को शर्मिन्दगी और तक्लीफ़ होगी और तुम को भी उस से कोफ़्त और तक्लीफ़ होगी कि ख़्वाह म ख़्वाह मैं ने उस से एक घटया दर्जे की चीज़ की फ़रमाइश की और ज़बान ख़ाली गई ।

(5) हड्डी या लोहे शीशे वगैरा के टुकड़ों या ख़ारदार (कांटे वाली) शाख़ों को न खुद रास्तों में डालो न किसी को डालने दो और अगर कहीं रास्तों में इन चीज़ों को देखो तो ज़रूर रास्तों से हटा दो वरना रास्ता चलने वालों को इन चीज़ों के चुभ जाने से तक्लीफ़ होगी और मुमकिन है कि ग़फ़लत में तुम्हीं को तक्लीफ़ पहुंच जाए इसी तरह केले और ख़रबूज़ा वगैरा के छिलकों को रास्तों पर न डालो वरना लोग फिसल कर गिरेंगे ।

(6) खाना खाते वक़्त ऐसी चीज़ों का नाम मत लिया करो जिस से सुनने वालों को घिन पैदा हो क्यूंकि बा'ज़ नाजुक मिज़ाज लोगों को इस से बहुत तक्लीफ़ हो जाया करती है ।

(7) जब आदमी बैठे हुए हों तो झाड़ू मत दिलवाओ क्यूंकि इस से लोगों को तक्लीफ़ होगी ।

(8) तुम्हारी कोई दा'वत करे तो जितने आदमियों को तुम्हारे साथ उस ने बुलाया है ख़बरदार इस से ज़ियादा आदमियों को ले कर उस के घर

न जाओ शायद खाना कम पड़ जाए तो मेज़बान को शर्मिन्दगी और तक्लीफ़ होगी और मेहमान भी भूक से तक्लीफ़ उठाएंगे ।

(9) अगर किसी मजलिस में दो आदमी पास पास बैठे बातें कर रहे हों तो ख़बरदार तुम इन दोनों के दरमियान में जा कर न बैठ जाओ कि ऐसा करने से इन दोनों साथियों को तक्लीफ़ होगी ।

(10) औरत को लाज़िम है कि अपने शोहर के सामने किसी दूसरे मर्द की ख़ूब सूरती या उस की किसी ख़ूबी का ज़िक्र न करे क्यूंकि बा'जू शोहरों को इस से तक्लीफ़ हुवा करती है इसी तरह मर्द के लिये ज़रूरी है कि वोह अपनी बीवी के सामने किसी दूसरी औरत के हुस्नो जमाल या उस की चाल ढाल का तज़क़िरा और ता'रीफ़ न करे क्यूंकि बीवी को इस से तक्लीफ़ पहुंचेगी ।

(11) किसी दूसरे के ख़त को कभी हरगिज़ न पढ़ा करो मुमकिन है ख़त में कोई ऐसी राज़ की बात हो जिस को वोह हर शख़्स से छुपाना चाहता हो तो ज़ाहिर है कि तुम ख़त पढ़ लोगे तो उस को तक्लीफ़ होगी ।

(12) किसी से इस तरह की हंसी मज़ाक़ न करो जिस से उस को तक्लीफ़ पहुंचे इसी तरह किसी को ऐसे नाम या अल्काब से न पुकारो जिस से उस को तक्लीफ़ पहुंचती हो कुरआने मजीद में इस की सख़्त मुमानअत आई है ।

(13) जिस मजलिस में किसी ऐबी आदमी के ऐब का ज़िक्र करना हो तो पहले देख लो कि वहां इस किसम का कोई आदमी तो नहीं है वरना उस ऐब का ज़िक्र करने से उस आदमी को तक्लीफ़ और ईजा पहुंचेगी ।

(14) दीवारों पर पान खा कर न थूको कि इस से मकान वाले को भी तक्लीफ़ होगी और हर देखने वाले को भी घिन पैदा होगी ।

(15) दो आदमी किसी मुआमले में बात करते हों और तुम से कुछ पूछते गछते न हों तो ख़्वाह म ख़्वाह तुम उन को कोई राए मशवरा न दो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिये येह तक्लीफ़ देने वाली बात है ।

बहर हाल खुलासा येह है कि तुम इस कोशिश में लगे रहो कि तुम्हारे किसी कौल या फ़े'ल या तरीके से किसी को कोई तक्लीफ़ न पहुंचे और (न) तुम खुद बिला ज़रूरत ख़्वाह म ख़्वाह किसी तक्लीफ़ में पड़ो । (जन्ती ज़ेवर, स. 548)

उम्मतते महबूब का या रब बना दे ख़ैर ख़्वा
नफ़्स की ख़ातिर किसी से दिल में मेरे हो न बैर

(वसाइले बख़्शिश, स. 233)

سَلُّوْا عَلَيَّ الْحَيِّبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

﴿70﴾ दौराने सफ़र तक्लीफ़ न दीजिये

दौराने सफ़र किसी एक पर सारा बोझ डाल देने के बजाए कामों की आपस में तक्सीम होनी चाहिये, एक मरतबा किसी सफ़र में सहाबए किराम **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** ने बकरी ज़ब्द करने का इरादा किया और काम तक्सीम कर लिया, किसी ने अपने ज़िम्मे ज़ब्द का काम लिया तो किसी ने खाल

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

उधेड़ने का नीज़ कोई पकाने का जिम्मेदार हो गया। सरकारे नामदार
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : लकड़ियां जम्अ करना मेरे जिम्मे है।
 सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ अर्ज़ गुज़ार हुए : आका ! येह भी हम ही कर
 लेंगे। फ़रमाया : येह तो मैं भी जानता हूँ कि तुम येह काम (ब खुशी) कर
 लोगे मगर मुझे येह पसन्द नहीं कि तुम लोगों में नुमायां रहूँ और **अब्बाह**
 عَزَّوَجَلَّ भी इस को पसन्द नहीं फ़रमाता। (हिक़ायत : 66)

(اتحاف السادة المتقين، १/८०/२१)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿71﴾ मुर्दे को तक्लीफ़ न दीजिये

उम्मुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से रिवायत है कि सरकारे मदीनए मुनव्वरा, सरदारे मक्कए मुकर्रमा
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : إِنَّ الْمَيِّتَ يُؤَدَّبُ فِي قَبْرِهِ مَا يُؤَدَّبُ فِي بَيْتِهِ
 या'नी मय्यित को जिस बात से घर में ईज़ा होती थी क़ब्र में भी उस से
 अज़ियत पाता है। (شرح الصدور، ص २९७)

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जिस तरह जिन्दा के हाथों
 जिन्दा तक्लीफ़ उठाता है उसी तरह मुर्दे भी जिन्दों के हाथों तक्लीफ़
 उठाते हैं, आइये देखते हैं कि हम मुर्दों को तक्लीफ़ से किस तरह बचा
 सकते हैं ?

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मरने वाले के पेट पर भारी चीज़ रखने में उहृतियात

इस के पेट पर लोहा या गीली मिट्टी या और कोई भारी चीज़ रख दें कि पेट फूल न जाए।

(الفتاوى الهندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون فى الجنائز، الفصل الأول، ١٠٧/١)
मगर ज़रूरत से ज़ियादा वज़नी न हो कि बाइसे तक्लीफ़ है।

(बहारे शरीअत, 1 / 809)

घरवालों के रोने से मय्यित को तक्लीफ़ होती है

सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने इब्रत निशान है : **إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكُفْرِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ** : या'नी घरवालों के रोने की वजह से मुर्दे पर अज़ाब किया जाता है।

(بخارى، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، ٤٤١/١، حديث: ١٣٠٤)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْمَلَأَن इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : मय्यित से मुराद वोह है जिस की जान निकल रही हो और अज़ाब से मुराद तक्लीफ़ है या'नी अगर जान निकलते वक़्त रोने वालों का शोर मच जाए तो उस शोर से मरने वाले को तक्लीफ़ होती है, बल्कि बीमार के पास भी शोर न करना चाहिये कि इस से बीमार को ईज़ा पहुंचती है लिहाज़ा हदीस पर येह ए'तिराज़ नहीं कि किसी का गुनाह मय्यित पर क्यूं पड़ता है ! (मिरआतुल मनाजीह, 2 / 502)

इस हदीसे पाक की शर्ह करते हुए हज़रते अल्लामा मौलाना अबू मुहम्मद महमूद बिन अहमद ऐनी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ हज़रते सय्यिदुना इमाम नववी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ से नक़ल फ़रमाते हैं : हदीस के मा'ना येह हैं कि लोग मुर्दे पर रोते हैं तो उन का रोना सुन कर मुर्दे को सदमा होता है और उन के लिये इस का दिल कुढ़ता है । इस पर दलील येह हदीसे पाक है कि एक ख़ातून अपने बेटे पर रो रही थीं, सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उन्हें मन्अ किया और इरशाद फ़रमाया :

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا بَكَى اسْتَعْبَرَكَ صَوْبُ حَبِيئَةٍ فَيَأْتِيهِ اللَّهُ لَاتَعْدُّبُوا إِخْوَانَكُمْ
जब तुम में कोई रोता है तो उस के रोने पर मुर्दे के भी आंसू निकल आते हैं तो ऐ खुदा के बन्दो ! अपने भाइयों को तक्लीफ़ न दो ।

(عمدة القارى، كتاب الجنائز، باب قول النبی يعذب الميت۔ الخ ۱۰۹/۶، تحت الحديث: ۱۲۸۸)

जियारते क़ब्र का मोहतात तरीक़ा

जियारते क़ब्र का तरीक़ा येह है कि पाइंती की जानिब (या'नी क़दमों की तरफ़) से जा कर मय्यित के मुंह के सामने खड़ा हो, सिरहाने से न आए कि मय्यित के लिये बाइसे तक्लीफ़ है या'नी मय्यित को गर्दन फेर कर देखना पड़ेगा कि कौन आता है ?

(ردالمحتار، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنابة، مطلب في زيارة القبور، ۱۷۹/۳) (बहारे शरीअत, 1/809)

मश्ने वाले को राहत पहुंचाइये

इब्ने अबी शैबा ने हज़रते इब्ने मसऊद (رضي الله تعالى عنه) से रिवायत की, कि मोमिन को बा'दे मौत ईजा देना ऐसा ही है जैसे उसे ज़िन्दगी में सताना । मिरकात में है कि जिन चीज़ों से मोमिन ज़िन्दगी में राहत पाता था

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

उन्ही चीजों से बा'दे मौत भी राहत पाता है, लिहाज़ा वहां तिलावत करना, खुशबूदार चीजें रखना वगैरा बेहतर है। (मिरआतुल मनाजीह, 2 / 496)

जूतों की आवाज़ से तक्लीफ़ होती है

अबुल इख़्लास हज़रते अल्लामा मौलाना हसन बिन अम्मार शुरुम्बुलाली हनफ़ी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي** मराक़िल फ़लाह में लिखते हैं : मुज़्न को मेरे उस्ताज़ अल्लामा मुहम्मद बिन अहमद हनफ़ी **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने ख़बर दी कि जूते की पहचल (या'नी आवाज़) से मुर्दे को ईज़ा होती है।

(مراقى الفلاح، فصل فى زيارة القبور، ص ۱۰۲)

हि़कायत : 67

क़ब्र पर बैठने वाले को तम्बीह

उमारा बिन हज़म **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** फ़रमाते हैं : हुज़ुरे अक्दस **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने मुझे एक क़ब्र पर बैठे देखा, फ़रमाया : ओ क़ब्र वाले ! क़ब्र से उतर आ, न तू साहिबे क़ब्र को ईज़ा दे न वोह तुझे। (फ़तावा रज़विय्या, 9 / 434) इस मदनी हि़कायत से वोह लोग इब्रत हासिल करें जो जनाजे के साथ क़ब्रिस्तान जाते हैं और तदफ़ीन के दौरान **مَعَاذَ اللَّهِ** बिला तकल्लुफ़ क़ब्रों पर बैठ जाते हैं।

हि़कायत : 68

क़ब्र पर पाठं रखा तो आवाज़ आई

हज़रते सय्यिदुना कासिम बिन मुख़ैमर **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** कहते हैं : किसी शख़्स ने एक क़ब्र पर पाठं रखा, क़ब्र से आवाज़ आई : **إِلَيْكَ عَنِّي وَلَا تُؤْذِنِي** अपनी तरफ़ हट, (या'नी दूर हो ! ऐ शख़्स मेरे पास से !) और मुझे ईज़ा न दे। (فتاوى رضوية، ۴۵۲/۱۹، شرح الصدور، ص ۳۰۱)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 69

उठ तू ने मुझे ईजा दी

हजरते सय्यिदुना इब्ने मीना ताबेई عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ फ़रमाते हैं : मैं क़ब्रिस्तान में गया, दो रक्आत पढ़ कर एक क़ब्र पर लेटा रहा। खुदा की क़सम ! मैं ख़ूब जाग रहा था कि सुना, साहिबे क़ब्र कहता है : قُمْ فَقَدْ أَذَيْتَنِي उठ कि तू ने मुझे ईजा दी। (दलायलुल नुबुवा लिलिह्यी, ४०/१७)

क़ब्र पर पाउं रखना हराम है

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! मा'लूम हुवा कि क़ब्र पर पाउं रखने या सोने से क़ब्र वाले को ईजा होती है और बिला इजाज़ते शरई किसी मुसलमान को ईजा देना हराम और जहन्म में ले जाने वाला काम है। लिहाज़ा किसी मुसलमान की क़ब्र पर पाउं न रखे, न किसी क़ब्र को रौंदे और न किसी क़ब्र पर बैठे और न ही टेक लगाए क्यूंकि इस से नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ने मन्अ़ फ़रमाया है :

दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :

(1) मुझे आग की चिंगारी पर या तलवार पर चलना मेरा पाउं जूते में सी दिया जाना ज़ियादा पसन्द है इस से कि मैं किसी मुसलमान की क़ब्र पर चलूँ। (अबन माजे, २/ २००/ २, हिदीथ: १०६८)

(2) एक आदमी को आग की चिंगारी पर बैठा रहना यहां तक कि वोह उस के कपड़े को जला कर उस की खाल तक पहुंच जाए, उस के लिये बेहतर है इस से कि क़ब्र पर बैठे। (मुसलम, ४८३, हिदीथ: १९७१)

जानवरों को भी तक्लीफ़ न दीजिये

जिस तरह हम पर इन्सानों के हुक्क होते हैं इसी तरह जानवरों के भी हम पर हुक्क हैं, लिहाज़ा जानवरों को बिला वच्चे शरई तक्लीफ़ पहुंचाना जाइज़ नहीं। हज़रते सय्यिदुना अह्नफ़ बिन कैस رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं : हम वफ़्द की सूरत में एक बार बारगाहे फ़ारूकी में अज़ीम फ़तह की खुश ख़बरी ले कर हाज़िर हुए। आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने इस्तिफ़सार फ़रमाया : तुम लोग कहां ठहरे हो ? मैं ने जगह के बारे में बताया तो आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ हमारे साथ उस जगह तक आए और हर सुवारी को ग़ौर से देखते रहे, फिर फ़रमाया : तुम लोग इन सुवारियों के मुआमले में **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ से नहीं डरते ? तुम नहीं जानते कि इन जानवरों का भी तुम पर हक़ है ! (हिक्कायत : 70) (تاریخ دمشق، ٤٤ / ٢٩١ ملتقطاً)

73) जानवरों को कुर्सी न बना लो

सरकारे अबद क़रार, शाफ़ेए रोज़े शुमार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने अ़लीशान है : उन जानवरों पर अच्छी तरह सुवारी करो और (जब ज़रूरत न हो तो) उन से उतर जाओ, रास्तों और बाज़ारों में गुफ़्तगू करने के लिये उन्हें कुर्सी न बना लो क्यूंकि कई सुवारी के जानवर अपने सुवार से बेहतर और इस से ज़ियादा **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ का ज़िक्र करने वाले होते हैं।

(جامع الاحاديث، ٤٠٤/١، حديث: ٢٧٦٥)

हिकायत : 71

इश के बच्चे इसे लौटा दो

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मसऊद رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ का बयान है कि हम सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के साथ एक सफ़र में थे। आप क़ज़ाए हाज़त के लिये तशरीफ़ ले गए तो हम ने एक चिड़िया देखी जिस के दो बच्चे थे, हम ने उन्हें पकड़ लिया, चिड़िया आई और फड़ फड़ाने लगी। सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तशरीफ़ लाए तो दरयाफ़्त फ़रमाया : किस ने इसे इस के बच्चों के मुआमले में तक्लीफ़ पहुंचाई है ? इस के बच्चे इसे लौटा दो। (अबुदाउद, २/७०/७०: २६७०)

हां येहीं करती हैं चिड़िया फ़रियाद हां येहीं चाहती है हिरनी दाद
इसी दर पर शूतराने नाशाद गिलए रन्जो इना करते हैं

(हदाइके बख़्शाश, स. 113)

चिड़िया की शिक्वयत

सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : जो शख़्स किसी चिड़िया को बिला ज़रूरत क़त्ल करेगा तो वोह चिड़िया क़ियामत के दिन **اَبْلَاح** عَزَّوَجَلَّ की बारगाह में फ़रियाद करते हुए अर्ज़ करेगी : ऐ मेरे रब ! फुलां ने मुझे बिला ज़रूरत क़त्ल किया था किसी नफ़अ के लिये क़त्ल नहीं किया। (नसाई, २/७३/७३: ६०३०)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 72

चिड़िया को तक्लीफ़ देने का अजाम

हज़रते अल्लामा कमालुद्दीन दमैरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَبِيرِي नक्ल करते हैं :
 “ज-मख़शरी” (जो कि मो’तज़िली फ़िर्के का एक मशहूर अलिम गुज़रा है उस) की एक टांग कटी हुई थी, लोगों के पूछने पर उस ने इन्क़शाफ़ किया कि यह मेरी मां की बद दुआ का नतीजा है, किस्सा यूं हुवा कि मैं ने बचपन में एक चिड़िया पकड़ी और उस की टांग में डोरी बांध दी, इत्तिफ़ाक़ से वोह मेरे हाथ से छूट कर उड़ते उड़ते एक दीवार की दराड़ में घुस गई मगर डोरी बाहर ही लटक रही थी, मैं ने डोरी पकड़ कर ज़ोर से खींची तो चिड़िया फड़कती हुई बाहर निकल पड़ी, मगर बेचारी की टांग डोरी से कट चुकी थी, मेरी मां ने यह दर्दनाक मन्ज़र देखा तो सदमे से तड़प उठी और उस के मुंह से मेरे लिये यह बद दुआ निकल गई : “जिस तरह तू ने इस बे ज़बान की टांग काट डाली, **अल्लाह** तआला तेरी टांग काटे।” बात आई गई हो गई, कुछ असें के बा’द तहसीले इल्म के लिये मैं ने “बुख़ारा” का सफ़र इख़्तियार किया, इसनाए राह सुवारी से गिर पड़ा, टांग पर शदीद चोट लगी, “बुख़ारा” पहुंच कर काफ़ी इलाज किया मगर तक्लीफ़ न गई बिल आख़िर टांग कटवानी पड़ी। (और यूं मां की बद दुआ रंग लाई) (حياة الحيوان الكبرى २० / १६३)

नेक बन्दे च्यूंटियों को भी ईजा नहीं देते

अल्लाह عَزَّوَجَلَّ के नेक बन्दे की एक अलामत येह भी है कि वोह च्यूंटियों तक को ईजा देने से गुरेज़ करता है। चुनान्चे, हज़रते सय्यिदुना

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा’वते इस्लामी)

ख़्वाजा हसन बसरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ (तर्जमए कन्जुल
ईमान : बेशक नेकूकार ज़रूर चैन में हैं (المطففين २२) की तफ़्सीर करते
हुए फ़रमाते हैं : **الَّذِينَ لَا يُؤْذُونَ الدَّرَّ** : या'नी नेक बन्दे वोह हैं जो च्यूंटियों को
भी अजिज़्यत न दें। (تفسير حسن بصرى، ५/ २६६) (गुस्से का इलाज, स. 27)

च्यूंटियों के लिये रोटी रखा करते

सहाबिये रसूल हज़रते सय्यिदुना अबू त़रीफ़ अदी बिन हातिम
त़ाई رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ च्यूंटियों के लिये रोटी चूरा कर के रखा करते थे, और
फ़रमाते थे : येह भी हमारी पड़ोसी हैं, इन का भी हक़ है।

(شعب الایمان، الباب الخامس والسبعون، ٤٨٣/٧، رقم: ٧٩-١١٠٧٨)

हिकायत : 73

बेताब च्यूंटी

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ इन्सान तो इन्सान बिला
वज्ह जानवरों बल्कि च्यूंटी तक को भी तक्लीफ़ देना गवारा नहीं करते
हालांकि अ़वामुन्नास की नज़र में इस की कोई वुक़अत नहीं। एक
मरतबा आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की ख़िदमत में पेश किये गए केलों के साथ
इत्तिफ़ाक़न एक छिल्का भी आ गया जिस पर एक च्यूंटी बड़ी बेताबी
से फिर रही थी। आप फ़ौरन मुअ़ामला समझ गए लिहाज़ा फ़रमाया कि
देखो येह च्यूंटी अपने क़बीले से बिछड़ गई है। क्यूंकि च्यूंटी हमेशा
अपने क़बीले के साथ रहती है इस लिये बेताब है। बराहे मेहरबानी
कोई इस्लामी भाई इस छिल्के को च्यूंटी समेत ले जाएं और वापस वहीं
जा कर रख आएं जहां से उठाया गया है, यूं वोह छिल्का च्यूंटी समेत
अपनी जगह पहुंचा दिया गया। (तआरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत, स. 44)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 74

च्यूंटियों के हटने का इन्तिज़ार

इसी तरह एक बार आप **وَأَمَّا بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ** वॉश बेसिन (Washbasin) पर हाथ धोने के लिये पहुंचे मगर रुक गए, फिर इरशाद फ़रमाया कि “वॉश बेसिन में चन्द च्यूंटियां रेंग रहीं हैं, अगर मैं ने हाथ धोए तो येह बह कर मर जाएंगी !” लिहाज़ा कुछ देर इन्तिज़ार फ़रमाने के बा’द जब च्यूंटियां आगे पीछे हो गईं तो फिर आप **وَأَمَّا بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ** ने हाथ धोए ।

(तआरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत, स. 45)

﴿74﴾ ज़ब्ह के वक़्त जानवर को गैर ज़रूरी तक्लीफ़ न दीजिये

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! हुसूले नफ़अ के लिये अगर्चे शरीअत ने जानवर ज़ब्ह करने की इजाज़त दी है लेकिन इस अमल के दौरान हर ऐसे काम से मन्अ भी किया है जो जानवर के लिये बिला सबब तक्लीफ़ का बाइस बने, चुनान्चे, सदरुशशरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ’जमी **عَلَيْهِ وَحْصَةُ اللَّهِ الْقَوِي** इरशाद फ़रमाते हैं : हर वोह फ़े’ल जिस से जानवर को बिला फ़ाएदा तक्लीफ़ पहुंचे मकरूह है मसलन जानवर में अभी हयात बाकी हो ठन्डा होने से पहले उस की खाल उतारना उस के आ’जा काटना या ज़ब्ह से पहले उस के सर को खींचना कि रगें ज़ाहिर हो जाएं या गर्दन को तोड़ना यूंहीं जानवर को गर्दन की तरफ़ से ज़ब्ह करना मकरूह है बल्कि इस की बा’ज़ सूरतों में जानवर हराम हो जाएगा । (الهداية، كتاب الذبائح، 300/2) (बहारे शरीअत, 3 / 315)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा’वते इस्लामी)

इस तरह ज़ब्ह करे कि चारों रंगें कट जाएं या कम से कम तीन रंगें कट जाएं। इस से ज़ियादा न काटें कि छुरी गर्दन के मोहरे तक पहुंच जाए कि येह बे वज्ह की तक्लीफ़ है फिर जब तक जानवर ठन्डा न हो जाए या'नी जब तक उस की रूह बिल्कुल न निकल जाए उस के न पाउं वगैरा काटें न खाल उतारें। (البحر الرائق، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة... إلخ ٥٧/٢٠)

(बहारे शरीअत, 3 / 353)

जानवरों पर रहम की अपील

शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ अपने रिसाले “अब्लक़ घोड़े सुवार” के सफ़हा 15 पर लिखते हैं : गाए वगैरा को गिराने से पहले ही क़िब्ले का तअय्युन कर लिया जाए, लिटाने के बा'द बिलखुसूस पथरीली ज़मीन पर घसीट कर क़िब्ला रुख़ करना बे ज़बान जानवर के लिये सख़्त अज़ियत का बाइस है। ज़ब्ह करने में इतना न काटें कि छुरी गर्दन के मोहरे (हड्डी) तक पहुंच जाए कि येह बे वज्ह की तक्लीफ़ है फिर जब तक जानवर मुकम्मल तौर पर ठन्डा न हो जाए न उस के पाउं काटें न खाल उतारें, ज़ब्ह कर लेने के बा'द जब तक रूह न निकल जाए छुरी कटे हुए गले पर मस (Touch) करें न ही हाथ। बा'ज क़स्साब जल्द “ठन्डी” करने के लिये ज़ब्ह के बा'द तड़पती गाए की गर्दन की ज़िन्दा खाल उधेड़ कर छुरी घोंप कर दिल की रंगें काटते हैं, इसी तरह बकरे को ज़ब्ह करने के फ़ौरन बा'द बेचारे की गर्दन चटखा देते हैं, बे ज़बानों पर इस तरह के मज़ालिम न किये जाएं। जिस से बन पड़े उस के लिये ज़रूरी है

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

कि जानवर को बिला वज्ह ईज़ा पहुंचाने वाले को रोके। अगर बा वुजूदे कुदरत नहीं रोकेगा तो खुद भी गुनहगार और जहन्नम का हक़दार होगा। दा 'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतबूआ 1197 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब, “बहारे शरीअत” जिल्द 3 सफ़हा 660 पर है : “जानवर पर जुल्म करना जिम्मी काफ़िर पर (अब दुन्या में सब काफ़िर हर्बी हैं) जुल्म करने से ज़ियादा बुरा है और जिम्मी पर जुल्म करना मुस्लिम पर जुल्म करने से भी बुरा है क्यूंकि जानवर का कोई मुईन व मददगार **اَللّٰهُ** **عَزَّوَجَلَّ** के सिवा नहीं उस ग़रीब को इस जुल्म से कौन बचाए !” (نُزْمُخْتَارُوْرَدِّالْمُخْتَارِ ج ٩ ص ١٦٢)

मरने के बा'द मज़लूम जानवर मुसल्लत हो सकता है

ज़ह्र करने के बा'द रूह निकलने से क़ब्ल छुरियां चला कर बे ज़बान जानवरों को बिला वज्ह तक्लीफ़ देने वालों को डर जाना चाहिये कहीं मरने के बा'द अज़ाब के लिये येही जानवर मुसल्लत न कर दिया जाए। दा 'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना की मतबूआ 1012 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब, “जहन्नम में ले जाने वाले आ 'माल” जिल्द 2 सफ़हा 323 ता 324 पर है : इन्सान ने नाहक़ किसी चोपाये को मारा या उसे भूका प्यासा रखा या उस से ताक़त से ज़ियादा काम लिया तो क़ियामत के दिन उस से उसी की मिस्ल बदला लिया जाएगा जो उस ने जानवर पर जुल्म किया या उसे भूका रखा। इस पर दर्जे ज़ैल हदीसे पाक दलालत करती है। चुनान्चे, रहमते आ़लम, नूरे मुजस्सम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने जहन्नम में एक औरत को इस हाल में देखा कि वोह

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

लटकी हुई है और एक बिल्ली उस के चेहरे और सीने को नोच रही है और उसे वैसे ही अज़ाब दे रही है जैसे उस (औरत) ने दुनिया में कैद कर के और भूका रख कर उसे तक्लीफ़ दी थी। इस रिवायत का हुक्म तमाम जानवरों के हक़ में आ़म है। (अल्रौअज़रु' २, ११६)

हिकायत : 75

मक्खी पर रहम करना बाइसे मग़फ़िरत हो गया

किसी ने ख़्वाब में हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْوَالِي को देख कर पूछ : **مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ ؟** या'नी **اَعَزَّوَجَلَّ** ने आप के साथ क्या मुआमला फ़रमाया ? जवाब दिया : **اَعَزَّوَجَلَّ** ने मुझे बख़्श दिया, पूछा : मग़फ़िरत का क्या सबब बना ? फ़रमाया : एक मक्खी सियाही (Ink) पीने के लिये मेरे क़लम पर बैठ गई, मैं लिखने से रुक गया यहां तक कि वोह फ़ारिग़ हो कर उड़ गई। (لطائف المِنَّة وَالْأَخْلَاقِ لِلشَّعْرَانِي ص ३००)

رَحْمَتِ حَقِّ "بِهَانَه" مِي جَوِيد
رَحْمَتِ حَقِّ "بِهَانَه" مِي جَوِيد

(**اَعَزَّوَجَلَّ** की रहमत "बहा" या'नी क़ीमत नहीं मांगती,
اَعَزَّوَجَلَّ की रहमत तो "बहाना" त़लब करती है)

मक्खी को मारना कैसा ?

याद रहे ! मक्खियां तंग करती हों तो उन को मारना जाइज़ है ताहम जब भी हुसूले नफ़अ या दफ़ए ज़रर (या'नी फ़ाएदा हासिल करने या

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

नुक़सान ज़ाइल करने) के लिये मक्खी या किसी भी बे ज़बान की जान लेनी पड़े तो उस को आसान से आसान तरीके पर मारा जाए ख़्वाह म ख़्वाह उस को बार बार ज़िन्दा कुचलते रहने या एक वार में मार सकते हों फिर भी ज़ख़्म खा कर पड़े हुए पर बिना ज़रूरत ज़र्बे लगाते रहने या उस के बदन के टुकड़े टुकड़े कर के उस को तड़पाने वगैरा से गु़रैज़ किया जाए। अक्सर बच्चे नादानी के सबब च्यूटियों को कुचलते रहते हैं उन को इस से रोका जाए। च्यूटी बहुत कमज़ोर होती है चुटकी में उठाने या हाथ या झाड़ू से हटाने से उमूमन ज़ख़्मी हो जाती है, मौक़अ की मुनासबत से उस पर फूंक मार कर भी काम चलाया जा सकता है। (अब्लक़ घोड़े सुवार, स. 15 ता 21)

हिकायत : 76

ऊंट वाले को मार क्यूं पड़ी ?

हज़रते सय्यिदुना मुसय्यब बिन दारिम **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : एक बार मैं ने अमीरुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** को देखा कि एक ऊंट वाले को मार रहे हैं और फ़रमा रहे हैं तुम अपने ऊंट पर इतना बोझ क्यूं लादते हो जिसे वोह उठाने की ताक़त नहीं रखता। (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص ६०)

हिकायत : 77

एक मछली भी न चखी

हज़रते सय्यिदुना अस्लम **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** ने इरशाद फ़रमाया : मेरा ताज़ा मछली खाने का दिल कर रहा है। येह सुन कर आप **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** का गुलाम “यरफ़ा” चार मील दूर किसी जगह से

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

ताज़ा मछलियों का एक टोकरा खरीद लाया। बा'दे अज़ां अपनी सुवारी और उस के कजावे वगैरा को धोया। आप **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** तशरीफ़ लाए और फ़रमाया : चलो ! मैं भी तुम्हारी सुवारी देख लूं। जब मुलाहज़ा किया तो फ़रमाया : तुम इस के कानों के नीचे का पसीना धोना भूल गए, तुम ने उमर की ख़्वाहिश पूरी करने के लिये इस जानवर को तक्लीफ़ में डाला, **اَللّٰهُ** **عَزَّوَجَلَّ** की क़सम ! अब उमर तुम्हारे टोकरे की एक मछली भी नहीं चखेगा।

(کنز العمال، فضائل الصحابة، جزء ۱۲، ۶/۲۸۷، حدیث: ۳۵۹۶۶)

﴿75﴾ जानवर लड़वाने से मन्ज़ू फ़रमाया

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا** का बयान है कि सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने जानवर लड़वाने से मन्ज़ू फ़रमाया।

(ترمذی، کتاب الجهاد، باب ما جاء فى كراهية التحريش، ۳/۲۷۱، حدیث: ۱۷۱۴)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن** इस हदीसे पाक के तहूत लिखते हैं : **اَللّٰهُ** तअाला रहूम फ़रमाए, आज मुसलमानों में मुर्ग़ लड़ाना, कुत्ते लड़ाना, ऊंट, बेल लड़ाने का बहुत शौक़ है येह हराम सख़्त हराम है कि इस में बिला वज्ह जानवरों को ईज़ा रसानी है, अपना वक़्त ज़ाएअ़ करना। बा'ज़ जगह माल की शर्त पर जानवर लड़ाए जाते हैं येह जुआ भी है हराम दर हराम है। जब जानवरों को लड़ाना हराम है तो इन्सान को लड़ाना सख़्त हराम है।

(मिरआतुल मनाज़ीह, 5 / 659)

हिकायत : 78

जख़्मी गधा

अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بِرَكَاتِهِمُ الْعَرَابِيَّة** ने एक बार अपने सुन्नतों भरे बयान “जानवरों को सताना हराम है” में जिम्नन फ़रमाया कि मैं एक दिन अपने घर से नमाज़े जोहर के लिये निकला तो देखा कि अपनी गली के थोड़े फ़ासिले पर एक **बीमार गधा** पड़ा है। उस में उठने की सकत न थी, बेचारे की गर्दन पर **ख़ारिश** के बाइस ज़ख़्म हो गया था। जिस के सबब उस ने गर्दन को ज़मीन से ऊपर उठा रखा था, गर्दन में **तक्लीफ़ बढ़ने** पर जैसे ही गर्दन ज़मीन पर रखना चाहता तो तक्लीफ़ के बाइस **दोबारा** गर्दन उठा लेता, वोह इन्तिहाई तक्लीफ़ और बेबसी के अ़ालम में **मुब्तला** था। मैं ने जब उस की येह हालत देखी तो मुझे उस पर **बहुत रहूम** आया कि येह (बे ज़बान) जानवर है किस से फ़रियाद करे। बहर हाल मैं ने अपने घर से एक **पुरानी गुदड़ी** मंगवा ली और उस की **गर्दन के नीचे** रख दी (ताकि ज़मीन की सख़्ती की तक्लीफ़ से उस को नजात मिले) ऐसा करने से उसे **फ़िल वाक़ेअ तस्कीन** हुई, और उस ने अपनी गर्दन से गुदड़ी पर टेक लगा ली, आप मानें या न मानें, वोह मुझे सर उठा कर **शुक्रिया भरी नज़रों** से देखने लगा। (तअरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत, स. 46)

मच्छर, टिड्डी और बिल्ली पर शफ़क़्त

हज़रते सय्यिदुना अहमद कबीर रिफ़ाई **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** के जिस्म पर मच्छर बैठ जाता तो उसे न ही खुद उड़ाते और न किसी को उड़ाने देते बल्कि फ़रमाते : **اَللّٰهُمَّ** ने जो खून इस के हिस्से में लिख दिया है वही पी रहा है, और जब आप धूप में चल रहे होते और कोई टिड्डी आप के

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

कपड़ों में साया दार जगह पर बैठ जाती तो जब तक उड़ न जाती आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** उसी जगह ठहरे रहते और फ़रमाते : इस ने हम से साया हासिल किया है। इसी तरह जब आस्तीन पर बिल्ली सो जाती और नमाज़ का वक़्त हो जाता तो आस्तीन को काट देते मगर बिल्ली को न जगाते, और नमाज़ से फ़राग़त के बा'द आस्तीन दोबारा सी लेते।

(फ़ैज़ाने सय्यिद अहमद कबीर रिफ़ाई, स. 11)

हिकायत : 79

ख़ारिश ज़दा कुत्ते की ख़बरगीरी

एक मरतबा हज़रते सय्यिदुना अहमद कबीर रिफ़ाई **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने एक ख़ारिश ज़दा कुत्ते को देखा जिसे बस्ती वालों ने बाहर निकाल दिया था, आप उसे जंगल में ले गए और उस पर साइबान बनाया, नीज़ उसे ख़िलाते पिलाते और हर तरह से उस का ख़याल रखते रहे, हता कि आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** की भरपूर तवज्जोह के नतीजे में जब वोह तन्दुरुस्त हो गया तो आप ने उसे गर्म पानी से नहला कर उजला कर दिया।

(फ़ैज़ाने सय्यिद अहमद कबीर रिफ़ाई, स. 11)

हिकायत : 80

बिल्ली पर शहम शहमते ख़ुदावन्दी का ज़रीआ

हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र शिब्ली **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَمِيلِ** को ख़्वाब में देखा गया, आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने फ़रमाया : **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ने मुझे अपने दरबार में खड़ा कर के इरशाद फ़रमाया : तुम्हें मा'लूम है मैं ने तुम्हें क्यूं बख़्श दिया ? मैं अपने नेक आ'माल शुमार करने लगा जो नजात का ज़रीआ बन सकते थे, तो **اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ने इरशाद फ़रमाया : मैं ने उन आ'माल में से किसी अमल के सबब तेरी बख़्शाश नहीं फ़रमाई। मैं ने

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

अर्ज़ की : इलाही ! फिर तू ने किस सबब से मेरी मग़फ़िरत फ़रमाई ?
 इरशाद फ़रमाया : एक मरतबा तुम बग़दाद की गली से गुज़र रहे थे कि तुम ने एक बिल्ली को देखा जिसे सर्दी ने कमज़ोर कर दिया था तो उस पर तरस खाते हुए तुम ने उसे अपने चूगे (जुब्बे) में छुपा लिया ताकि वोह सर्दी से बच जाए, पस बिल्ली पर रहूम की वजह से मैं ने आज तुम पर रहूम फ़रमाया है । (حياة الحيوان ، باب الهاء تحت الهير ، ٥٢٢ / ٢)

तालिबे मग़फ़िरत हूं या **अब्बाह**

बख़्श हैदर का वासिता या रब

(वसाइले बख़्शिश, स. 80)

﴿76﴾ घरेलू बिल्ली और परन्दों का ख़याल रखिये

इमाम कुरतुबी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي** ने फ़रमाया : जिस घर में उस की बिल्ली को उस की ख़ूराक और ज़रूरियात न मिलें और जिस के पिन्ज़रे में बन्द परन्दों की पूरी ख़बरगीरी न होती हो तो वोह कितनी ही इबादत करे मोहसिनीन में शुमार नहीं होगा । (الجامع لاحكام القرآن، ١٢٢/٥، تحت الاية: ٩٠)

तक्लीफ़ देने वाली बिल्ली का क्या क़िया जाए ?

सुवाल : बिल्ली तक्लीफ़ देती हो तो उस को बस्ती में छुड़वाना गुनाह तो नहीं है ?

जवाब : बिल्ली अगर ईज़ा देती हो तो उसे बाहर छोड़ देने में हरज नहीं और तेज़ छुरी से ज़ब्ह भी कर सकते हैं मगर छुड़वाना ऐसी जगह जाइज़ नहीं जहां से वोह अपने किसी रिज़क तक न पहुंच सके । फ़क़त ।

(फ़तावा रज़विय्या, 24 / 660)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जानवर को चाबुक या झांकड़ा नहीं मारते थे

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल वहहाब शा'रानी قُدِّسَ سِرُّهُ السَّمَاوِي फ़रमाते हैं : जिस जानवर पर भी मुझे सुवार होने का मौक़अ मिले चाहे वोह ऊंट हो, गधा हो या कोई और जानवर मैं उस पर बहुत शफ़क़त करता हूँ और चाबुक रखना पसन्द नहीं करता, इस ख़ौफ़ से कि कहीं जानवर के सरकशी करते वक़्त मुझ पर नफ़्स की गर्मी हावी न हो जाए और मैं उसे मारने लगूँ, यूँ ही जानवर के मालिक की इजाज़त से भी किसी को अपने साथ जानवर की पीठ पर सुवार नहीं करता, हां जब अन्दाज़ा हो कि जानवर को तक्लीफ़ नहीं होगी (तब किसी को बिठा लेता हूँ), इसी तरह उस पर सुवारी के दौरान या जब वोह लड़ खड़ाए और मुझे ज़मीन पर गिरा दे उसे गाली नहीं देता और न ही बद दुआ देता हूँ। हज़रते सय्यिदुना अब्दुल अज़ीज़ दीरीनी رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ जब जानवर पर सुवार होते तो लाठी साथ नहीं रखते थे, और न ही आंकड़ा मारते और फ़रमाते : जब येह रास्ते से हटने लगेगा तो अपनी आस्तीन के ज़रीए इसे सीधा करना किफ़ायत कर जाएगा, क्यूंकि रोज़े क़ियामत जैसा मैं ने इसे मारा होगा वैसा ही मुझ से भी बदला लिया जाएगा, और मैं इस के जैसा खुद को लाठी से मारने की ताक़त नहीं रखता और न ही अपनी गुद्दी पर आंकड़ा मारने की हिम्मत है कि खून निकलेगा ।

(المنن الكبرى، الباب الرابع عشر، ص ٥٧٧)

हिकायत : 81

77 परन्दों को निशाना बाज़ी के लिये इस्ति'माल करना

हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا कुरैश के बच्चों के पास से गुज़रे, जो एक परन्दे को बांध कर उस पर निशाना बाज़ी कर रहे थे

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जब कि उन्होंने ने परन्दे के मालिक से यह तै किया हुआ था कि जो तीर (Arrow) निशाने पर न लगा वोह उस का होगा। जब उन्होंने ने आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ को आते देखा तो भाग गए। आप رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ने दरयाफ़्त फ़रमाया : “येह किस ने किया है ? **عَزَّوَجَلَّ** ऐसा करने वाले पर ला'नत फ़रमाए, बेशक रसूले अकरम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने किसी जी रूह (या'नी जानदार, Alive) को तीर अन्दाज़ी का निशाना बनाने वाले पर ला'नत फ़रमाई है।” (مسلم، ص ۷۲۰۱، حدیث: ۲۶۰۰)

हिकायत : 82

मगरमच्छ ने जान बचाई

अल्लामा अब्दुल वहहाब शा'रानी فَدَيْسَ سِرَّةُ التُّوْرَانِ लिखते हैं कि मैं ने कम उम्र के ज़माने में दरियाए नील में तेरना शुरू कर दिया, दरिया चढ़ा हुआ था लिहाज़ा मैं जल्द ही थक गया और डूबने लगा। ठीक उसी वक़्त **عَزَّوَجَلَّ** ने एक मगरमच्छ को भेज दिया जो मेरे पाउं के नीचे आ ठहरा जिस से मैं ने सुकून का सांस लिया और समझा कि मेरे पाउं किसी चट्टान पर हैं। फिर वोह मगरमच्छ पानी की सतह पर आ कर तेरने लगा और मुझे सहारा देता रहा यहां तक कि मैं किनारे तक पहुंच गया। उस मगरमच्छ ने डुबकी लगाई और मेरी निगाहों से ओझल हो गया, येह **عَزَّوَجَلَّ** का मुझ पर करम हुआ कि मेरी जान बच गई। (لطائف الّوَمَنِّ ص ۵۶)

हिकायत : 83

अजमेरी गाएं

हैदराबाद (बाबुल इस्लाम सिन्ध) के इस्लामी भाई के बयान का खुलासा है कि मुझे 1420 हिजरी (ब मुताबिक 1999 ईसवी) में आशिकाने

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

रसूल के हमराह हिन्द के सफ़र का मौक़अ़ मिला । सुल्तानुल हिन्द ख़्वाजा ग़रीब नवाज़ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के मज़ारे पुर अन्वार की ज़ियारत के लिये अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه की अमारत में जो काफ़िला रवाना हुवा मैं भी खुश किस्मती से उस में शामिल था । रात कमो बेश 3 : 00 बजे अजमेर शरीफ़ के स्टेशन पर उतर कर मतलूबा मक़ाम तक पहुंचने के लिये पैदल रवाना हुए । अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه बरहना पा थे, येह देख कर तक़रीबन शुरका ने भी अदबन अपने पाउं से चप्पल उतार दिये । चलते चलते जब एक गली में दाख़िल होने लगे तो देखा कि “चन्द गाएं” बैठी हुई हैं । आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ने काफ़िले को आगे बढ़ने से रोकते हुए इरशाद फ़रमाया कि हमारे इस गली से गुज़रने से “गाएं” तश्वीश में मुब्तला होंगी, इन के खड़े हुए कान इस बात की निशानदेही कर रहे हैं । आख़िरेकार मतलूबा मक़ाम तक पहुंचने के लिये दूसरी गली में दाख़िल हो गए । (हुकूक़ुल इबाद की एहतियातें, स. 16)

हिकायत : 84

शहद की मक्खी का डंक

अरब अमारत के क़ियाम के दौरान ग़ालिबन 4 रबीउल आख़िर सिने 1418 हिजरी को क़ियाम गाह पर अलस्सुब्ह अंधेरे में शौखे त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه का पाउं एक शहद की मक्खी पर पड़ गया । उस ने आप के पाउं के तल्वे पर डंक मार दिया, जिस पर आप ने बेताब हो कर क़दम उठा लिया और वोह शहद की मक्खी रेंगने लगी । एक इस्लामी भाई उस मक्खी को मारने के लिये दवा का स्प्रे (Flying Insect Killer) उठा लाए लेकिन आप ने फ़ौरन उस का हाथ रोक दिया

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

और फ़रमाया : “इस बेचारी का कुसूर नहीं, कुसूर मेरा ही है कि मैं ने बिगैर देखे ग़रीब पर पाउं रख दिया, अब वोह अपनी जान बचाने के लिये डंक न मारती तो और क्या करती ?” फिर फ़रमाया : “शहद की मक्खी के डंक में अज़ाबे क़ब्र व जहन्नम की तज़कीर या’नी याद है, येह तो मक़ामे शुक्र है कि मुझे शहद की मक्खी ने काटा, अगर इस की जगह कोई बिच्छू होता तो मैं क्या करता ?” (तअरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत, स. 45)

डंक मच्छर का सहा जाता नहीं कैसे मैं फिर

क़ब्र में बिच्छू के डंक आह सहूंगा या रब !

(वसाइले बख़्शिश, स. 84 मुरम्मम)

﴿78﴾ जिन्नात को श्री तक्लीफ़ न दीजिये

रहमत वाले आका, दो जहां के दाता, शाफ़ेए रोज़े जज़ा, मक्की मदनी मुस्तफ़ा, महबूबे क़िब्रिया صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने शफ़क़त निशान है : तुम में से कोई शख़्स सूराख़ में पेशाब न करे । (سُنَنِ نَسَائِي ص ١٤٤ حَدِيث ٣٤)

हिकायत : 85

जिन्न ने शहीद कर दिया

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الْعَالَمِينَ फ़रमाते हैं : जुहूर से मुराद या ज़मीन का सूराख़ है या दीवार की फटन (या’नी दराड़), चूँकि अक्सर सूराख़ों में ज़हरीले जानवर (या) च्यूंटियां वगैरा कमज़ोर जानवर या जिन्नात रहते हैं, च्यूंटियां पेशाब या पानी से तक्लीफ़ पाएंगी या सांप व जिन्न निकल कर हमें तक्लीफ़ देंगे, इस लिये वहां पेशाब करना मन्अ़ फ़रमाया गया । चुनान्चे, (हज़रते सय्यिदुना)

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा’वते इस्लामी)

सा'द इब्ने उबादा अन्सारी (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) की वफ़ात इसी से हुई कि आप (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ने एक सूराख़ में पेशाब किया, जिन्न ने निकल कर आप को शहीद कर दिया। लोगों ने उस सूराख़ से येह आवाज़ सुनी :
نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَرْجِ سَعْدَ بْنَ عَبَادَةَ وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمٍ فَلَمْ نُخْطِ فُؤَادَهُ
 तर्जमा : या'नी हम ने कबीलए खज़रज के सरदार सा'द बिन उबादा (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) को शहीद कर दिया और हम ने (ऐसा) तीर मारा जो उन के दिल से आर पार हो गया। (مرواة، ٢٦٧/١، ومرواة، ٧٧/٢، أشعة اللّمعات، ١/٢٢٠)

हिक़ायत : 86

बोसीदा हड्डियों से इस्तिन्जा न किया करें

हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) रिवायत करते हैं कि हम हुजूरे पाक साहिबे लौलाक (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) की खिदमते अक्दस में हाज़िर थे कि एक सांप बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुवा और अपना मुंह सरकारे मदीना (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) के कान मुबारक के क़रीब ले जा कर कुछ अर्ज की। नबिय्ये अकरम (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) ने फ़रमाया :
 “ठीक है”। इस के बा'द वोह लौट गया। हज़रते जाबिर (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) कहते हैं कि मैं ने प्यारे आका (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) से इस के बारे में पूछा तो फ़रमाया कि “येह एक जिन्न था जिस ने मुझ से येह दरख्वास्त की, कि आप अपनी उम्मत को हुक्म फ़रमाइये कि वोह लीद और बोसीदा हड्डियों से इस्तिन्जा न किया करें क्यूंकि **عَزَّوَجَلَّ** ने उन में हमारा रिज़्क़ रखा है।” (أحكام المرجان في احكام الجن، الباب الحادى عشر فى ان الجن ياكلون ويشربون، ص ٣٢)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जिस हड्डी को जिन्नात लेते हैं उस पर उन्हें गोशत मिलता है और जिस लीद (गोबर) को लेते हैं वोह दाना या फल बन जाता है। इस लिये येह इश्काल वारिद ही नहीं होता कि गोबर तो नापाक है इस का खाना जिन्नात के लिये कैसे जाइज है? क्यूंकि माहि्यत बदलने से नापाक चीज़ पाक हो जाती है। (माखूज अज़ नुजहतुल कारी, 4 / 678)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

तक्लीफ़ न देने के फ़ज़ाइल

कौन सा मुसलमान अफ़ज़ल

हज़रते सय्यिदुना अबू मूसा अश़अरी رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से पूछा गया : कौन सा मुसलमान अफ़ज़ल है? इरशाद फ़रमाया : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें।

(ترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی ان المسلم من سلم الخ، ۴/ ۲۸۵، حدیث: ۲۶۳۷)

तक्लीफ़ न देने वाले का सवाब

फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : लोगों को ज़रर पहुंचाने से बचो कि इस से भी तुम को सदके का सवाब मिलेगा।

(بخاری، کتاب العتق، باب أئی الرقاب أفضل، ۲/ ۱۰۰، حدیث: ۲۵۱۸)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जैसा करोगे वैसा भरोगे

हुजुरे अक्दस صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : न खुद को ज़रूर पहुंचने दे, न दूसरे को ज़रूर पहुंचाए, जो दूसरे को ज़रूर पहुंचाएगा **अल्लाह** तआला उस को ज़रूर देगा और जो दूसरे पर मशक्कत डालेगा **अल्लाह** तआला उस पर मशक्कत डालेगा ।

(बहारे शरीअत, 2 / 673) (المستدرک، کتاب البیوع، باب النهی عن المحافلة... إلخ، ۲/۳۶۹، حدیث: ۲۳۹۲)

तक्लीफ़ देह चीज़ से बचाना ईमान की एक शाख़ है

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरशाद फ़रमाया : ईमान की सत्तर से कुछ जाइद शाख़ें (या'नी ख़स्लतें) हैं, इन सब में आ'ला येह कहना है : "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" (या'नी **अल्लाह** عَزَّوَجَلَّ के सिवा कोई मा'बूद नहीं) और सब से अदना "तक्लीफ़ देह चीज़ का रास्ते से हटाना है" और हया भी ईमान की एक शाख़ है ।

(شعب الایمان، السابع، والسبعون من شعب الایمان، ۷/۵۴۰، حدیث: ۱۱۲۶۹)

एक नेकी का बदला जन्नत

हुजुर नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरशादे रहमत बुन्याद है :

مَنْ زَحَرَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يُؤْذِيهِمْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةً
وَمَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً أَوْجَبَ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ

या'नी जो मुसलमानों के रास्ते से कोई तक्लीफ़ देह चीज़ दूर करता है तो

अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** उस के बदले में उस शख्स के लिये एक नेकी लिखता है और **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** जिस के लिये एक नेकी लिख दे तो उस के लिये उस नेकी की वजह से जन्नत वाजिब फ़रमा देता है।

(مسند احمد، حديث أبي الدرداء، ١٠/٣١٥، حديث: ٢٧٥٤٩)

वोह तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का
हम मुफ़्तिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही ख़ाली है

(हदाइके बख़्शिश, स. 186)

भलाई का इन्ज़ाम

फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** है :

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

जो किसी मुसलमान की तक्लीफ़ दूर करे **अल्लाह** तआला इस की बदौलत क़ियामत की मुसीबतों में से एक मुसीबत उस से दूर फ़रमाएगा।

(مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، ص ١٣٩٤، حديث: ٢٥٨٠)

(फ़तावा रज़विय्या, 5 / 667)

बाश्गाहे रिशालत में पेश किये जाने वाले आ'माल

हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है कि सरवरे काएनात, शाहे मौजूदात **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने आलीशान है : मुझ पर मेरी उम्मत के अच्छे बुरे आ'माल पेश किये गए तो मैं ने उन के अच्छे आ'माल में से तक्लीफ़ देह चीज़ का रास्ते से दूर कर देना पाया और उन के बुरे आ'माल में से उस थूक को पाया जो मस्जिद में हो कि दफ़न न किया गया। (مسلم، كتاب المساجد، باب النهي عن البصاق... الخ، ص ٢٧٩، حديث: ٥٥٣)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस फ़रमाने आलीशान (मुझ पर मेरी उम्मत के अच्छे बुरे आ'माल पेश किये गए) के तहत तहरीर फ़रमाते हैं : या'नी ता क़ियामत मेरा जो उम्मती जो अच्छा बुरा अमल करेगा मुझे सब दिखा दिये गए। इस से मा'लूम हुवा कि नबी **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** अपने हर उम्मती और उस के हर अमल से ख़बरदार हैं। हुज़ूरे अन्वर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की निगाहें अंधेरे, उजयाले, खुली, छुपी, मौजूद व मा'दूम हर चीज़ को देख लेती हैं। जिस की आंख में **سَاءَةٌ** का सुर्मा हो उस की निगाह हमारे ख़्वाबो ख़याल से ज़ियादा तेज़ है, हम ख़्वाबो ख़याल में हर चीज़ को देख लेते हैं, हुज़ूर **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** निगाह से हर चीज़ का मुशाहदा कर लेते हैं। सूफ़िया फ़रमाते हैं कि यहां आ'माल में दिल के आ'माल भी दाख़िल हैं लिहाज़ा हुज़ूर **عَلَيْهِ السَّلَام** हमारे दिलों की हर कैफ़ियत से ख़बरदार हैं। “तक्लीफ़ देह चीज़ का रास्ते से दूर कर देना” के तहत मुफ़्ती साहिब लिखते हैं : रास्ते से मुसलमानों का रास्ता मुराद है, या'नी जिस रास्ते से मुसलमान गुज़रते या गुज़र सकते हों वहां से कांटा, ईंट, पथ्थर दूर कर देना सवाब है।

(मिरआतुल मनाजीह, 1 / 439)

सरे अर्श पर है तेरी गुज़र दिले फ़र्श पर है तेरी नज़र
मल्कूतो मुल्क में कोई शौ नहीं वोह जो तुझ पे इयां नहीं

(हदाइके बख़्शिश, स. 109)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 87

तक्लीफ़ देह दरख़्त काटने पर इब्नाम में जन्नत मिली

रसूल बे मिसाल, बीबी आमिना के लाल صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने आलीशान है : मैं ने एक शख़्स को जन्नत में मजे से फिरते देखा उस दरख़्त की वजह से जिसे उस ने रास्ते के किनारे से काट दिया था जो लोगों के लिये बाइसे तक्लीफ़ था ।

(مسلم، کتاب البر والصلة، باب فضل ازالة... الخ، ص ١٤١٠، حديث: ١٩١٤)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : या'नी वोह दरख़्त ख़ारदार था या बे ख़ार उस की जड़ रास्ते के किनारे पर थी मगर शाख़ें रास्ते पर फेली हुई थीं उस ने तक्लीफ़ दूर करने के लिये इसे जड़ से ही उखेड़ दिया ताकि आइन्दा भी शाख़ें न फेल सकें अगर येह दरख़्त उस की अपनी मिलिक्यत था या खुद रौ था तब तो उस के काट देने और उस की लकड़ी घर ले जाने पर कुछ सुवाल ही नहीं पैदा होता और अगर किसी ग़ैर की मिलिक्यत था तो उस ने फ़क़त दफ़् इज़ा (या'नी तक्लीफ़ दूर करने) के लिये काट दिया होगा इस की लकड़ी पर कब्ज़ा न किया होगा । इस सूरत में इस हदीस से मस्अला मुस्तम्बत (अख़्ज, हासिल) होगा कि मूज़ी (अज़ियत देने वाली) चीज़ को ख़त्म कर देना जाइज़ है अगरचे दूसरे की मिलिक्यत हो, दीवाना कुत्ता जो किसी का पालतू था, सर्कस वालों का भागा हुवा शेर, सपेरों का छूटा हुवा सांप मार दिये जाएं, रास्ते में खोदा हुवा कुंवां पाट दिया जाए इस में मालिक की इजाज़त की ज़रूरत नहीं ।

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

हुजूरे अन्वर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उसे जन्नत में या शबे मे'राज में देखा या नमाज़े कुसूफ़ (या'नी सूरज ग्रहन के वक़्त पढ़ी जाने वाली नमाज़) में जब आप पर जन्नत पेश की गई या आम हालत में। (मिरआतुल मनाजीह, 3 / 101)

तक्लीफ़ देह चीज़ हटाना सदक़ा है

सरकारे अबद करार, शाफ़ेए रोज़े शुमार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है : रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ हटा देना सदक़ा है।

(بخاری، کتاب الجهاد، باب من اخذ... الخ، ۳۰۶/۲، حدیث: ۲۹۸۹)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَان इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : या'नी रस्ते से कांटा, हड्डी, ईट, पथर गन्दगी गरज़ जिस से किसी मुसलमान राहगीर को तक्लीफ़ पहुंचने का अन्देशा हो उस को हटा देना भी नेकी है जिस पर सदके का सवाब और जोड़ का शुक्रिया है। (मिरआतुल मनाजीह, 3 / 97)

हज़रते सय्यिदुना अबुल हसन अली बिन ख़लफ़ बत्तल عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الرَّحْمَان फ़रमाते हैं : अगर येह सुवाल किया जाए कि रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ को हटाना सदक़ा कैसे हो सकता है? तो इस का जवाब येह है कि सदके का मा'ना है जिस पर सदक़ा किया जाए उसे फ़ाएदा पहुंचाना। रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ को हटाना मुसलमान भाई की इस तक्लीफ़ से हिफ़ाज़त का सबब बनता है तो गोया कि तक्लीफ़ देह चीज़ को रास्ते से हटाने वाला अपने भाई पर इस तक्लीफ़ से हिफ़ाज़त का सदक़ा करता है इस लिये इस अमल पर उसे सदके का सवाब मिलता है। येह ऐसा ही है जैसे कि सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने किसी के शर

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

से बाज़ रहने को उस के अपने ऊपर सदक़ा करार दिया है। तक्लीफ़ देह चीज़ को रास्ते से हटाने और इस जैसे दीगर आ'माल में इस बात की तरगीब है कि नेक आ'माल की कसरत की जाए और किसी नेकी को छोटा न समझा जाए। (شرح ابن بطال، کتاب المظالم، باب اماطة الاذى، ٥٩١/٦)

हिकायत : 88

जन्नत में दाख़िल किया गया

हज़रते सय्यिदुना अबू हरैरा **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** से रिवायत है कि सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : एक शख़्स दरख़्त की शाख़ पर गुज़रा जो बर सरे राह पड़ी थी। वोह बोला कि इसे मुसलमानों के रास्ते से हटा दो कहीं उन्हें तक्लीफ़ न दे, वोह जन्नत में दाख़िल किया गया।

(مسلم، کتاب البر والصلة، باب فضل ازالة الخ، ص ٤١٠، حديث: ١٩١٤)

मुफ़स्सरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ السَّمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : वोह शाख़ या तो ख़ारदार थी जिस के कांटे लोगों को चुभ जाने का अन्देशा था और अगर बेख़ार थी तो इतनी मोटी थी जिस से राहगीर ठोकर खाते। इस हदीस से इशारतन मा'लूम हो रहा है कि मूज़ी चीज़ को रास्ते से हटाने में मुसलमानों की ख़िदमत की निय्यत करे न कि कुफ़फ़ार की। यहां मिरक़ात ने फ़रमाया कि उस शख़्स ने हटाने की निय्यत ही की थी इस निय्यत पर बख़शा गया नेकी का इरादा भी नेकी है और मुमकिन है कि उस ने हटा भी दी हो जिस का यहां ज़िक़्र नहीं आया। (मिरआतुल मनाज़ीह, 3 / 101)

पेशक़श : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 89

रास्ते का क्वांट हटाने ने बख़्शिश क्या दी

हज़रते सय्यिदुना अबू मन्सूर बिन ज़कीर عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَدِير नेक और परहेज़गार आदमी थे, जब आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ बहुत ज़ियादा रोए। पूछा गया : हज़रत ! आप मौत के वक़्त क्यूं रो रहे हैं ? फ़रमाया : मुझे ऐसे रास्ते पर जाना है जिस पर मैं कभी नहीं चला। आप के इन्तिकाल के बा'द आप के बेटे ने चौथे रोज़ अपने वालिदे मर्हूम को ख़्वाब में देख कर पूछा : مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ ؟ या'नी **عَزْرَجَلُ** ने आप के साथ क्या मुआमला फ़रमाया ? जवाब दिया : ऐ बेटे ! मुआमला तुम्हारे गुमान से भी मुश्किल रहा, मैं सब से अच्छे इन्साफ़ करने वाले की बारगाह में हाज़िर हुवा, मैं ने कई झगड़ा करने वालों को बहूस करते देखा, मुझे मेरे रब **عَزْرَجَلُ** ने कहा : ऐ अबू मन्सूर ! तुम्हारी उम्र 70 साल हुई आज क्या ले कर आए हो ? मैं ने अज़र्ज की : ऐ मेरे रब **عَزْرَجَلُ** ! मैं ने 30 हज़ किये, **عَزْرَجَلُ** ने इरशाद फ़रमाया : मैं ने वोह क़बूल नहीं किये, मैं ने अज़र्ज की : ऐ मेरे रब **عَزْرَجَلُ** ! 40 हज़ार दिरहम मैं ने अपने हाथ से सदका किये, **عَزْرَجَلُ** ने इरशाद फ़रमाया : मैं ने वोह क़बूल नहीं किये, मैं ने अज़र्ज की : ऐ मेरे रब **عَزْرَجَلُ** ! 60 साल मैं ने दिन में रोज़ा रखा और रात में इबादत की, **عَزْرَجَلُ** ने इरशाद फ़रमाया : मैं ने तेरी येह इबादत भी क़बूल नहीं की, मैं ने अज़र्ज की : ऐ मेरे रब **عَزْرَجَلُ** ! मैं ने 40 ग़ज़वात में शिर्कत की, इरशाद हुवा : येह भी क़बूल नहीं, मैं ने कहा : मैं हलाक हुवा। इतने में रब **عَزْرَجَلُ** ने फ़रमाया : येह मेरी शान के लाइक़ नहीं कि मैं तुझ जैसे आदमी को अज़ाब दूं तुझे याद है ! एक मरतबा

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

तू अपने घर से बाहर कहीं जा रहा था कि रास्ते में तू ने एक कांटा देखा और मुसलमान को अज़ियत से महफूज़ रखने की निय्यत से वोह कांटा रास्ते से हटा दिया था, मैं ने तेरे उसी अमल के सबब तुझ पर रहम किया और बेशक मैं भलाई करने वालों का सवाब ज़ाएअ नहीं करता ।

इस हिकायत को ज़िक्र करने के बा'द शैख़ इस्माईल हक्की **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** ने तहरीर फ़रमाया : इस से मा'लूम हुवा : जब रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ को दूर करना रहमत और मग़फ़िरत का ज़रीआ है तो लोगों से तक्लीफ़ को दूर करना, खुसूसन मुसलमानों से तक्लीफ़ दूर करना, सब से बढ़ कर अपने अहलो इयाल से तक्लीफ़ को दूर करना कल क़ियामत में किस क़दर नफ़अ मन्द होगा ! मुसलमान वोह है जिस के हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें, **عَزَّوَجَلَّ** हम सब को नफ़अ देने वालों में शामिल फ़रमाए न कि तक्लीफ़ देने वालों में ।

(روح البيان، २/२९८)

रज़ाए ख़स्ता ! जोशे बहरे इस्यां से न घबराना
कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उन की रहमत का

(हदाइके बख़्शिश, स. 39)

अल्लाह का प्यारा कौन ?

सरकारे आली वकार, मदीने के ताजदार **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का फ़रमाने आलीशान है : **الْخَلْقُ عِبَادُ اللَّهِ فَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِبَالِهِ** : मख़्लूक **عَزَّوَجَلَّ** अल्लाह की इयाल है, तो लोगों में **عَزَّوَجَلَّ** को सब से प्यारा वोह शख़्स है जो उस के इयाल के साथ अच्छा बरताव करे ।

(المعجم الاوسط ، من اسمه محمد ، ٤/١٥٣ ، حديث : ٥٥٤١)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत लिखते हैं : इयाल के मा'ना परवर्दा (वोह लोग जिन्हें पाला जाए) बहुत मुनासिब हैं। बाल बच्चों को इयाल इसी लिये कहते हैं कि वोह साहिबे ख़ाना के परवर्दा होते हैं, **अल्लाह** तअ़ाला सब का राज़िक़ है, मख़्लूक़ उस की मरज़ूक़ है, लिहाज़ा उस की इयाल है या'नी परवर्दा। तुम उस शख़्स से बहुत खुश होते हो जो तुम्हारे गुलामों लौंडियों बाल बच्चों से अच्छा सुलूक करे क्यूंकि वोह तुम्हारे परवर्दा हैं ऐसे ही जो कोई **अल्लाह** की मख़्लूक़ से भलाई करे **अल्लाह** उस से खुश होता है। (मिरआतुल मनाजीह, 6 / 582)

हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अब्दुररुफ़ मनावी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي** फ़रमाते हैं : इयाल से मुराद येह है कि मख़्लूक़ **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** की मोहताज है जब कि **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** उन की हाज़त रवाई फ़रमाता है। मज़ीद नक्ल फ़रमाते हैं : मख़्लूक़ को **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** की इयाल कहना मजाज़न है, चूंकि **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** बन्दों के रिज़क़ का ज़ामिन व कफ़ील है तो मख़्लूक़ इयाल की तरह हो गई। अच्छे बरताव में **अल्लाह** **عَزَّوَجَلَّ** की तरफ़ हिदायत देना, ता'लीम देना, मेहरबानी करना, रहूम करना, उन पर खर्च करना वगैरा दीनी व दुन्यावी भलाइयां शामिल हैं। आक़ा को अपने बन्दों पर किसी का एहसान करना अच्छा लगता है। इस हदीस में मख़्लूक़ की हाज़ात पूरी करने और इल्म, माल, इज़्ज़त, जाइज़ सिफ़ारिश वगैरा जो आसान लगे उस के ज़रीए नफ़अ पहुंचाने की फ़ज़ीलत मौजूद है।

(فيض القدير، حرف الخاء، ٢/٦٧٤، تحت الحديث: ٤١٣٥)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

हिकायत : 90

खोटा दिरहम ज़ाएझ कर देते

हज़रते सय्यिदुना सालेह दहहान عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى बयान करते हैं कि हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन जैद رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के पास कोई खोटा दिरहम आ जाता तो उस के टुकड़े कर के फैंक देते, ताकि उस के ज़रीए किसी मुसलमान को धोका न दिया जा सके।

(حلیة الاولیاء، جابر بن زید، ۱۰۴/۳، رقم: ۳۳۳۸)

लोगों को अपने शर से बचाओ

हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ फ़रमाते हैं मैं ने नबिये करीम صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से दरयाफ़्त किया कि कौन सा अमल ज़ियादा फ़ज़ीलत रखता है ? फ़रमाया कि **اَللّٰهُ** عَزَّوَجَلَّ पर ईमान लाना और राहे ख़ुदा में जिहाद करना। मैं अर्ज़ गुज़ार हुवा : कौन से गुलाम का आज़ाद करना अफ़ज़ल है ? फ़रमाया : जो कीमत में ज़ियादा और मालिकों का पसन्दीदा हो। मैं ने अर्ज़ की : अगर ऐसा न कर सकूँ ? फ़रमाया कि किसी कारीगर की मदद करो या किसी बे हुनर का काम संवार दो। मैं अर्ज़ गुज़ार हुवा कि अगर येह भी न कर सकूँ ? फ़रमाया कि लोगों को अपने शर से बचाए रखो क्यूंकि येह भी एक सदका है जो तुम अपनी जान के लिये दोगे।

(بخاری، کتاب العتق، باب ای الرقاب افضل، ۱۰۰/۲، حدیث: ۲۵۱۸)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** इस हदीसे पाक के तहत फ़रमाते हैं : या'नी कोशिश करो कि तुम से किसी को नुक़सान न पहुंचे । (मिरआतुल मनाज़ीह, 5 / 181)

अल्लामा इब्ने हज़र अस्क़लानी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** हदीसे पाक के इस हिस्से “लोगों को अपने शर से बचाए रखो” के तहत इमाम कुरतुबी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْكَرِيمِ** के हवाले से नक़ल फ़रमाते हैं : लोगों को अपने शर से बचाने पर सवाब उसी सू़रत में मिलेगा जब कि निय्यत और इरादा हो और अगर लोगों को अपने शर से बचाना बे ख़याली और ग़फ़लत में हो तो इस सू़रत में सवाब हासिल नहीं होगा ।

(فتح الباری، کتاب العتق، باب ای الرقاب افضل، ۱۲۷/۶ تحت الحدیث: ۲۵۱۸)

हिकायत : 91

फ़िक्हे अक्बर क्या है ?

हज़रते सय्यिदुना जरीर बिन उस्मान **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** अपने वालिद के साथ हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** की बारगाह में हाज़िर हुए तो आप **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** ने उन के वालिद से हज़रते सय्यिदुना जरीर **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** के बारे में पूछा, बा'दे अज़ां इरशाद फ़रमाया : इसे फ़िक्हे अक्बर की ता'लीम दो । उन्हों ने पूछा : फ़िक्हे अक्बर क्या है ? इरशाद फ़रमाया : क़नाअत इख़ितयार करना और किसी को तक्लीफ़ न देना । (تاریخ الخلفاء، عمر بن عبد العزيز، ص ۱۹۰)

क़ब्र की तक्लीफ़ से बचाव का नुस्खा

हज़रते सय्यिदुना अबू काहिल कैस बिन अइज़ अहमसी **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** से मरवी है कि सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार **سَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

इरशाद फ़रमाया : ऐ अबू काहिल ! जो लोगों को तक्लीफ़ पहुंचाने से बाज रहा **اَللّٰهُمَّ** **عَزَّوَجَلَّ** पर हक़ है कि उसे क़ब्र की तक्लीफ़ से बचाए ।

(المعجم الكبير، ٣٦١/١٨، رقم: ٩٢٨)

सांप लिपटें न मेरे लाशे से क़ब्र में कुछ न दे सज़ा या रब

(वसाइले बख़्शिश, स. 80)

हिकायत : 92

तलबा को ज़हमत न दी

अजमेर शरीफ़ तदरीस के ज़माने में सदरुशशरीआ, बदरुत्तरीका हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'जमी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي** के छोटे साहिबज़ादे जो हज़रत से बहुत मुशाबेह थे और आप उन से बहुत प्यार करते थे उन का इन्तिकाल हो गया । सदरुशशरीआ **عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ** के दौलत ख़ाने और तलबा की क़ियाम गाह के दरमियान तक़रीबन एक मील का फ़ासिला था । तलबा को इस सानेहे की बहुत देर से ख़बर हुई, जब पहुंचे तो सदरुशशरीआ **عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ** साहिबज़ादे की तदफ़ीन से फ़ारिग़ हो चुके थे । तलबा अर्ज़ गुज़ार हुए : हुज़ूर ने हमें इत्तिलाअ न दी । इरशाद फ़रमाया : मुझे ख़याल हुवा कि गर्मी का वक़्त है, आप लोगों को तक्लीफ़ होगी लिहाज़ा दफ़न कर दिया । (माहनामा अशरफ़िया, सदरुशशरीआ, नम्बर स. 13)

हिकायत : 93

किसी की दिल शिक्की न हो

मुफ़्तिये आ'जमे हिन्द हज़रते अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْمَنَّان** 3 अप्रैल 1974 ईसवी बुध को “जाकिर नगर जमशेद पुर” में किसी के यहां क़ियाम फ़रमा थे, रात जल्से की वजह से काफ़ी

ताखीर हो गई, फ़ज़्र से क़ब्ल बहुत क़लील वक़्त आराम करने को मिला, इस लिये बा'द नमाज़े फ़ज़्र वज़ाइफ़ से फ़ारिग़ हो कर आंखों में सुर्मा इस्ति'माल फ़रमाया और सोने का इरादा किया, इतने में जो लोग मौजूद थे उन को कोई साहिब हटाने लगे। इस पर हज़रत ने फ़रमाया : इन लोगों से पूछ लें, शायद इन को कोई हाज़त हो, इसे नापसन्द फ़रमाया कि उन को हटया जाए, गोया उन की हाज़त बर आरी को अपने आराम पर तरजीह दी और येह मा'मूल हमेशा ही का था कि जुम्ला हाज़िरीन की हाज़ात की तक्मील के बा'द ही सोने और आराम करने की कोशिश करते, हां खुद से लोग ख़याल करते हुए उठ कर चले जाएं तो दूसरी बात है। “हटो ! हज़रत को आराम करने दो, आप लोग जाएं हज़रत सोएंगे, आप लोग आराम करने दें” इस किस्म के जुम्लों से नाराज़ होते थे कि शायद किसी की दिल शिकनी हो जाए या किसी की कोई अहम ज़रूरत पूरी होने से रह जाए। गरज़ कि ख़ल्क का वोह ख़याल फ़रमाते थे कि इस ज़माने में इस का तसव्वुर भी दुश्वार है। येह ख़ास औलियाउल्लाह की शान है और अख़्लाक़ की निहायत आ'ला मिसाल भी। (जहाने मुफ़्तये आ'ज़म, स. 903)

जुल्मन ईज़ा देने की क़सम खा ली तो क्या करे ?

अगर किसी को जुल्मन ईज़ा देने की क़सम खाई तो उस क़सम का पूरा करना गुनाह है। उस क़सम के बदले कफ़ारा देना होगा। चुनान्चे, बुख़ारी शरीफ़ में है, रहमते आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने मुअज़्ज़म है : अगर कोई शख़्स अपने अहल के मुतअल्लिक़ उस को अज़िय्यत और ज़रर (या'नी नुक़सान) पहुंचाने के लिये क़सम खाए पस

ब खुदा उस को ज़रूर देना और क़सम को पूरा करना इन्दल्लाह (या'नी **अल्लाह** के नज़दीक) ज़ियादा गुनाह है इस से कि वोह उस क़सम के बदले कफ़ारा दे जो **अल्लाह** तआला ने उस पर मुक़र्रर फ़रमाया है ।

(بخاری ۲۸۱/۴۰، حدیث: ۶۶۲۵، مؤدی رضوی، ۵۳۹/۱۳)

मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَانِ** इस हदीसे पाक के तहत फ़रमाते हैं : या'नी जो शख़्स अपने घरवालों में से किसी का हक़ फ़ौत (या'नी हक़ तलफ़ी) करने पर क़सम खा ले मसलन येह कि मैं अपनी मां की ख़िदमत न करूंगा या मां बाप से बात चीत न करूंगा, ऐसी क़समों का पूरा करना गुनाह है । उस पर वाजिब है कि ऐसी क़समें तोड़े और घरवालों के हुकूक अदा करे, ख़याल रहे यहां येह मतलब नहीं कि येह क़समें पूरी न करना भी गुनाह मगर पूरी करना ज़ियादा गुनाह है बल्कि मतलब येह है कि ऐसी क़सम पूरी करना बहुत बड़ा गुनाह है, पूरी न करना सवाब, कि अगर्चे रब **عَزَّوَجَلَّ** के नाम की बे अदबी क़सम तोड़ने में होती है इसी लिये उस पर कफ़ारा वाजिब होता है मगर यहां क़सम न तोड़ना ज़ियादा गुनाह का मूजिब है ।

(मिरआतुल मनाजीह, 5 / 198 मुलख़बसन)

तक्लीफ़ पर सब्र कर के सवाब कमाइये

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! जहां दूसरों को तक्लीफ़ न देना कारे सवाब है वहीं उन की तरफ़ से पहुंचने वाली तक्लीफ़ पर सब्र व शिकेबाई का मुज़ाहरा करना भी हुसूले सवाब का ज़रीआ है, चुनान्वे : हज़रते सय्यिदुना इब्ने उमर **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** से मरवी है कि दो जहां के आका **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इरशाद फ़रमाया : वोह मोमिन जो लोगों से मेल

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जोल रखता और उन के तक्लीफ़ देने पर सब्र करता है, उस का सवाब उस मोमिन से ज़ियादा है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता और उन के तक्लीफ़ पहुंचाने पर सब्र नहीं करता।

(अबिं माजे, کتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ۴/۳۷۵، حدیث: ۴۰۳۲)

है सब्र तो ख़ज़ानए फ़िरदौस भाइयो !

आशिक़ के लब पे शिक्वा कभी भी न आ सके

(वसाइले बख़्शिश, स. 412)

हिकायत : 94

अर्जे क्वलीमी और इरशादे इलाही

हज़रते सय्यिदुना वहब बिन मुनब्बेह **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं :
हज़रते सय्यिदुना मूसा **عَلِيٌّ نَبِيًّا وَعَلَيْهِ السَّلَام** की बारगाह में अर्ज की : ऐ **عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ** ! लोगों की ज़बानों को मुझे तक्लीफ़ देने से रोक दे ! **عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ** ने इरशाद फ़रमाया : अगर किसी के लिये ऐसा करना होता तो अपने लिये करता। (حلیة الاولیاء، وهب بن منبه، ۴/۴۰، رقم: ۴۶۹۶)

हिकायत : 95

औरत की बद् अख़लाकी पर सब्र

हज़रते सय्यिद अहमद कबीर रिफ़ाई **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى** का एक मुरीद जो कई मरतबा ख़्वाब में आप को जन्नत में देख चुका था लेकिन आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** से उस का कोई ज़िक्र न किया था, एक दिन आप की ख़िदमत में हाज़िर हुवा तो आप की बीवी को आप से बद् सुलूकी करते पाया और देखा कि आप **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** इस ज़ियादती पर ख़ामोश हैं। वोह मुरीद येह

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

देख कर बे क़रार हो गया और दीगर अक़ीदत मन्दों के पास जा कर कहने लगा : येह हज़रत पर इस क़दर ज़ियादती करती है और तुम ख़ामोश रहते हो ? किसी ने कहा : इस का महर पांच सौ दीनार है और हज़रत ग़नी नहीं हैं । वोह आदमी गया और पांच सौ दीनार ले कर आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ की ख़िदमत में पेश कर दिये, आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने फ़रमाया : येह क्या है ? अर्ज़ की : उस औरत का हक्के महर है जो आप के साथ बुरा सुलूक करती है, आप رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने मुस्कुराते हुए फ़रमाया : अगर मैं इस की बद ज़बानी और बद सुलूकी पर सब्र न करता तो क्या तुम मुझे जन्नत में देख पाते ??? (फैज़ाने सय्यिद अहमद कबीर रिफ़ाई, स. 19)

तक्लीफ़ देने वाले को तक्लीफ़ देना

आ'ला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ से फ़तावा रज़विय्या में एक सुवाल हुवा : क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस मस्अले में कि एक शख़्स ज़ैद को तक्लीफ़ देता रहता है और तक्लीफ़ देने पर आमदा है, हर तरीक़ से ता'वीज़ या जादू वग़ैरहा से और ज़ैद अब तक ख़ामोश है और सब तक्लीफ़ सह रहा है, एक दो शख़्स से मा'लूम हुवा है कि वोह अब जान लेने पर आमदा है, किस्सा येह है कि ज़ैद का मकान है, वोह येह कहता है कि मकान मुझ को मिल जाए और उस की दिली मन्शा येही है, ज़ैद का ज़ाती मकान है बिला वज्ह मांगता है, अब ज़ैद मुतहम्मिल नहीं हो सका, अब ज़ैद भी येह चाहता है कि मैं हर तरीक़ से उस को तक्लीफ़ रसा होऊं शरीअत कहां तक हुक्म देती है ?

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

जवाब इरशाद फ़रमाया : ईज़ा रसानी के इरादे पर ईज़ा नहीं दे सकता, अपने बचाव की तदबीर कर सकता है, जब तक कि उस का अज़्म ऐसा न साबित हो कि बे ईज़ा दिये अपना बचाव न हो सकेगा तो उस वक़्त सिर्फ़ इतनी बात जिस में अपना बचाव हो सके कर सकता है, और जो ईज़ा उस ने पहुंचाई है उस का इवज़ इतना ही ले सकता है, इस से ज़ियादा करे तो उस का जुल्म होगा, और अगर सब्र करे तो बहुत बेहतर। واللّٰهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ

(फ़तावा रज़विय्या, 24 / 349)

एहसान क्या है ?

हज़रते सय्यिदुना ईसा रूहुल्लाह عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام का फ़रमाने आलीशान है : एहसान येह नहीं कि जो तुझ पर एहसान करे तू भी उस के साथ एहसान कर, येह तो उस के एहसान का बदला होगा, एहसान तो येह है कि जो तेरे साथ बुरा करे उस पर भी एहसान कर।

(तारीख़ دمشق, عیسیٰ ابن مریم, ٤٧/٤٣٦)

मुआफ़ी मांग लीजिये

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! **اَعْلَاهُ** की बारगाह में रुजूअ कर लीजिये, सच्ची तौबा कर लीजिये और ठहरिये ! बन्दों की हक़ तलफ़ी के मुआमले में बारगाहे इलाही **عَزَّوَجَلَّ** में सिर्फ़ तौबा करना काफ़ी नहीं, बन्दों के जो जो हुकूक़ पामाल किये हों वोह भी अदा करने होंगे, मसलन माली हक़ है तो उस का माल लौटाना होगा, दिल दुखाया है तो

मुआफ़ करवाना होगा। आज तक जिस जिस का मज़ाक़ उड़ाया, बुरे अल्काब से पुकारा, ता'नाज़नी और तन्ज़बाज़ी की, दिल आज़ार नक़लें उतारिं, दिल दुखाने वाले अन्दाज़ में आंखें दिखाई, घूरा, डराया, गाली दी, ग़ीबत की और उस को पता चल गया। झाड़ा, मारा, ज़लील किया, अल ग़रज़ किसी तरह भी बे इजाज़ते शरई ईज़ा का बाइस बने उन सब से फ़र्दन फ़र्दन मुआफ़ करवा लीजिये अगर किसी फ़र्द के बारे में येह सोच कर बाज़ रहे कि मुआफ़ी मांगने से उस के सामने मेरी “पोज़ीशन डाऊन” हो जाएगी तो खुदारा ग़ौर फ़रमा लीजिये ! क़ियामत के रोज़ अगर येही फ़र्द आप की नेकियां हासिल कर के अपने गुनाह आप के सर डाल देगा उस वक़्त क्या होगा ! खुदा की क़सम ! सहीह मा'नों में आप की “पोज़ीशन” की धज्जियां तो उस वक़्त उड़ेंगी और आह ! कोई दोस्त बरादर या अज़ीज़ हमदर्दी करने वाला भी न मिलेगा। जल्दी कीजिये ! जल्दी कीजिये ! अपने वालिदैन के क़दमों में गिर कर, अपने अज़ीज़ों के आगे हाथ जोड़ कर, अपने मा तहूतों के पाउं पकड़ कर अपने इस्लामी भाइयों और दोस्तों से गिड़ गिड़ा कर आज दुन्या में मुआफ़ी मांग कर आख़िरत की इज़्ज़त हासिल करने की सई फ़रमा लीजिये।

बढ़ मुआश ने तौबा कर ली

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! नेकियों भरी ज़िन्दगी गुज़ारने के लिये दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो जाना बेहद मुफ़ीद है, आप अपने शहर में होने वाले हफ़तावार सुन्नतों भरे इजतिमाआत

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

में शिर्कत कीजिये, इन इजतिमाआत की बरकत से कैसे कैसे बिगड़े हुए लोगों की ज़िन्दगी में मदनी इन्क़िलाब बरपा हो गया, इस की एक झलक इस **मदनी बहार** में मुलाहज़ा कीजिये, चुनान्चे, एक अलिम साहिब जो कि दा'वते इस्लामी के मुबल्लिग़ हैं उन्होंने ने बताया कि सिने **1995** ईसवी में एक शख़्स जिस पर कमो बेश **11** डकेतियों के केस थे जिन में एक क़त्ल का मुक़द्दमा भी शामिल है। एक साल जेल की सलाखों के पीछे भी रहा था। मोहकमए नहर में मुलाजमत भी थी। तनख़्वाह **3000** थी मगर वोह नाजाइज़ ज़राएअ़ से मसलन दरख़्त फ़रोख़्त कर के, चोरी का पानी वगैरा दे कर माहाना **10,000** तक कर लेता। उस ने बड़ी बड़ी मूछें रखी थीं, देखने वाले को उस से वहूशत होती। एक रोज़ मैं ने **इनफ़िरादी कोशिश** करते हुए उसे दा'वते इस्लामी के सुन्नतों भरे इजतिमाअ़ की दा'वत पेश की मगर उस ने मेरी दा'वत टाल दी, मैं ने हिम्मत नहीं हारी वक़तन फ़ वक़तन दा'वत पेश करता रहा। आख़िरे कार कमो बेश दो साल बा'द उस ने दा'वत क़बूल कर ली और वोह **"रीवोल्वर"** के साथ इजतिमाअ़ में शरीक हो गया। इत्तिफ़ाक़ से उस दिन मेरा ही बयान था जो कि जहन्नम के अज़ाब के मुतअल्लिक् था। **जहन्नम की तबाहकारियां** सुन कर सख़्त सर्दियों का मौसिम होने के बा वुजूद **बद मअ़ाश** पसीने से शराबोर हो गया। बा'दे इजतिमाअ़ वोह रोता जाता और कहता जाता : हाए ! मेरा क्या बनेगा ! मैं ने बहुत सारे गुनाह किये हैं। फिर वोह तीन दिन बुख़ार के

आलम में रहा। उसे अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास हो चुका था, उस ने तौबा कर ली और नमाज़ें भी पढ़ने लगा। दूसरी जुमा'रात उसे फिर इजतिमाअ में शिर्कत की सअ़ादत मिली और जन्नत के मौजूअ़ पर बयान सुन कर उस को ढारस मिली। आहिस्ता आहिस्ता उस पर मदनी रंग चढ़ता चला गया। यहां तक कि वोह दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल से वाबस्ता हो गया। उस ने घर से T.V निकाल बाहर किया (क्यूंकि इस में सिर्फ़ गुनाहों भरे चैनल्ज़ ही देखे जाते थे, "मदनी चैनल" शुरूअ़ न हुवा था) दाढी और सबज़ इमामा सजाने की सअ़ादत भी हासिल कर ली। येह बयान देते वक़्त वोह दा'वते इस्लामी के मदनी कामों में मशगूल तन्ज़ीमी तौर पर सूबाई सत्ह पर मजलिसे ख़ुद्दामुल मसाजिद की जिम्मेदारी पर फ़ाइज़ है।

(नेकी की दा'वत, स. 181)

अगर चोर डाकू भी आ जाएंगे तो सुधर जाएंगे गर मिला मदनी माहोल
गुनहगारो आओ, सियह कारो आओ गुनाहों को देगा छुड़ा मदनी माहोल

(वसाइले बख़्शिश, स. 203)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ	علامہ امیر علاء الدین علی بن بلقان فارسی، متوفی ۷۳۹ھ	الاحسان، تہ تیغ صحیح ابن حبان
مکتبہ امام بخاری، مصر ۱۴۲۹ھ	ابو عبد اللہ محمد بن علی بن حسن حکیم ترمذی، متوفی ۳۲۰ھ	نوادرا اصول
دارالفکر، بیروت ۱۴۱۵ھ	علامہ علی بن حسن المعروف بابن صماکر، متوفی ۵۷۱ھ	تاریخ مدینہ مشق
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۴ھ	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	مشکاۃ المصابیح
دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ھ	امام جلال الدین عبدالرحمن سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	جامع الاحادیث
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ	امام علی متقی بن حسام الدین ہندی، متوفی ۹۷۵ھ	کنز العمال
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ	امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی، متوفی ۴۳۰ھ	حلیۃ الاولیاء
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ	زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ	الترغیب والترہیب
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۲۰۱۱ء	الامام محمد الدین المبارک بن محمد الجزری، متوفی ۶۰۶ھ	الہدیۃ فی غریب الحدیث والاثر
دارالفکر، بیروت ۱۴۱۸ھ	امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ	عمدۃ القاری
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۰ھ	امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ	فتح الباری
فریدیک اسٹال، مرکز الاولیاء لاہور	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، متوفی ۱۴۲۰ھ	نزہۃ القاری
مکتبۃ الرشدا ریاض، ۱۴۲۰ھ	ابوالحسن علی بن خلف بن عبدالملک متوفی ۴۴۹ھ	شرح ابن بطلال
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۰۱ھ	امام حنی الدین ابو ذکریا یحییٰ بن شرف نووی، متوفی ۶۷۶ھ	شرح مسلم
مکتبۃ الرشدا، ریاض، ۱۴۲۰ھ	امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ	شرح ابوداؤد
دارالفکر، بیروت ۱۴۱۴ھ	علامہ علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	مرقاۃ المفاتیح
مکتبۃ الامام الشافعی، ریاض ۱۴۰۸ھ	علامہ محمد عبدالرؤف مناوی، متوفی ۱۰۳۱ھ	التیسیر بشرح جامع الصغیر
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ	علامہ محمد عبدالرؤف مناوی، متوفی ۱۰۳۱ھ	فیض التدریر
کوئٹہ	شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	أشعة المعانی
ضیاء القرآن پبلیکیشنز، مرکز الاولیاء لاہور	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نسیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	مرآۃ المناجیح
دارالفکر، بیروت ۱۴۱۷ھ	شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، متوفی ۷۴۸ھ	سیر اعلام النبلاء
دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ	محمد بن سعد الهاشمی البصری المعروف بابن سعد، متوفی ۲۳۰ھ	الطبقات الکبری

اکاٹل فی ضعفاء الرجال	امام ابو احمد عبداللہ بن ہدی جرجانی، متوفی ۳۶۵ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
مکام الاخلاق	الحافظ سلیمان بن احمد الطبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
دلائل النبوۃ	امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی تیمی، متوفی ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۳ھ
سیرت ابن جوزی	ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی، المتوفی ۵۹۷ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۰۴ھ
سیرت ابن عبدالحکم	ابومحمد عبداللہ بن عبدالحکم، المتوفی ۲۱۴ھ	مکتبہ وصیۃ
الزواجر	احمد بن محمد بن علی بن حجر کلبی، متوفی ۹۷۴ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
تاریخ بغداد	حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ
تاریخ المدینۃ المنورۃ	ابوزید عمر بن شیبہ الثمیری البصری، المتوفی ۲۶۵ھ	دارالفکر، ۱۴۱۰ھ
شرح الصدور	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی شافعی، متوفی ۹۱۱ھ	مرکز البلسند، برکات رضابند
تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	باب المدینۃ کراچی
المنہیات	امام حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ	پشاور
المنہیات	ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی، متوفی ۲۵۵ھ	مکتبۃ القرآن، بصر
قوت القلوب	شیخ ابوطالب محمد بن علی کلبی، متوفی ۳۸۶ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
آکام المرجان فی احکام الجنان	علامہ بدرالدین ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الشافعی، المتوفی ۷۶۹ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
کیبیا سعادت	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی شافعی، متوفی ۵۰۵ھ	انتشارات گنجینہ، تہران ۱۳۷۹ھ
مختصر منہاج القاصدین	الامام الشیخ احمد بن عبدالرحمن بن قدامۃ المقدسی، المتوفی ۶۸۲ھ	مکتبۃ دارالایمان، ۱۳۹۸ھ
تعمیر المعترین	ابو الوہاب عبدالوہاب بن احمد المعروف بالشرانی، المتوفی ۹۷۳ھ	دارالمعرفۃ، بیروت ۱۴۲۵ھ
الرسالۃ التفسیریۃ	امام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن تفسیری، متوفی ۴۶۵ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۸ھ
الابریز	احمد بن المبارک المغربی، المتوفی ۱۱۵۵ھ	موافق وزارة الاعلام السوریۃ، ۱۴۰۴ھ
روض الراحین	امام عبد اللہ بن اسعد الیافعی، متوفی ۷۶۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
اہلن الکبری	ابوالواہب عبدالوہاب بن احمد المعروف بالشرانی، المتوفی ۹۷۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۲۰۰۵ء
حیاۃ النبی ان الکبری	کمال الدین محمد بن موسی دیمیری، متوفی ۸۰۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۵ھ
احیاء العلوم	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی شافعی، متوفی ۵۰۵ھ	دارصادر بیروت
اتحاف السادۃ السعفیین	سید محمد بن محمد سنی زبیدی، متوفی ۱۲۰۵ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت
المسطف	شہاب الدین محمد بن ابی احمد ابی الفتح، متوفی ۸۵۰ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۹ھ
الامر بالمعروف والنہی عن المنکر	ابوبکر احمد بن محمد بارون الخلال، المتوفی ۳۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۰۶ھ

फ़ेहरिस

उन्वान	सफ़्हा	उन्वान	सफ़्हा
दुरूद शरीफ़ लिखने वाले की मग़फ़िरत	1	(2) एहसान जता कर ईज़ा देना	18
गन्दुम की बाली (हिक़ायत)	1	नेकी कर दरिया में डाल	19
अच्छा कौन और बुरा कौन ?	4	जन्नत में नहीं जाएगा	20
मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त		एहसान जताना कब बुरा है ?	20
मुसलमान पर हराम है	5	एहसान जताने की बुन्याद	20
जिस ने मुसलमान को तक्लीफ़ दी उस		नुक़सान उठाने वाले तीन अफ़राद	21
ने मुझे तक्लीफ़ दी	6	भलाई नहीं रहती (हिक़ायत)	22
किस क़दर बद तरीन जुर्म है !	7	एहसान के बदले में दुआ भी त़लब न	
क़ियामत का ख़ौफ़ दिलाने पर बेहोश		करतें	22
हो गए (हिक़ायत)	8	चीज़ वापस कर के एहसान किया है (हिक़ायत)	23
दूसरों को ईज़ा देने वालो ख़बरदार !	8	कोई चीज़ हाथ में न देते (हिक़ायत)	23
बद अख़्लाकी की दो अ़लामतें	9	थेली तो मिलती मगर देने वाले का	
ख़ुश ख़ुल्की के दरजात	9	पता न चलता (हिक़ायत)	24
सज़ा का मुस्तहिक़ है	10	(3) तीसरे फ़र्द की मौजूदगी में सरगोशी	
बुरे ख़ातिमे के चार अस्बाब	10	करना	24
छड़ी बाग़ में वापस रख आए (हिक़ायत)	11	(4) मेज़बान को तक्लीफ़ देना	26
दो अच्छी और दो बुरी ख़ुस्लतें	11	ख़्वाहिश न होती तो छोड़ देते	27
इबादत का ता'ना देने का अन्जाम (हिक़ायत)	12	ने'मतों को ऐब नहीं लगाया जाता	28
लोगों को तक्लीफ़ देने वाला मलऊन है	13	अपने घर में भी खाने में ऐब न निकालें	28
लोगों को तक्लीफ़ देने वाले का अज़ाब	13	मेरा लोटा गिरवी न होता (हिक़ायत)	29
आग में फेंक दिया जाएगा	14	पूछगछ न करे	30
ख़ारिश मुसल्लत कर दी जाएगी	15	खाने के बारे में तफ़तीश न की जाए	31
खाल तक उतार लेंगे	15	हलाल को हलाल ही जानो	33
क्या अब भी बाज़ नहीं आएंगे ?	16	येह हराम है (हिक़ायत)	33
(1) मुसलमान को घूर कर देखना	16	मुर्दार ऊंट (हिक़ायत)	34
आंख से तक्लीफ़ पहुंचाना जाइज़ नहीं	17	(5) मिल कर खाने में तक्लीफ़ न दीजिये	35

उन्वान	शफ़्हा	उन्वान	शफ़्हा
अनोखा दस्तर ख़्वान (हिकायत)	36	फ़िरिशते ला'नत करते हैं	59
अपनी ज़रूरत की चीज़ दे देने की फ़ज़ीलत	37	किसी को बे वुकूफ़ या उल्लू कहने का हुक़्म	60
(6) मरीज़ को तक्लीफ़ न दीजिये	38	महब्बत भरे नाम से पुकारा	61
इन्हें मरीज़ की इयादत करना सिखा (हिकायत)	39	जब "ग़िलहरी" बड़ी हुई (हिकायत)	62
दरवाज़ा बन्द कर दो (हिकायत)	39	(11) रास्तों को तंग कर देना	63
तुम्हें तक्लीफ़ क्या है ? (हिकायत)	40	बन्द नालियां खुलवा दीं (हिकायत)	64
मरीज़ के पास ज़ियादा देर मत बैठो (हिकायत)	40	हुकूके आम्मा के एहसास की हिकायत	65
इयादत के 7 मदनी फूल	40	रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ को हटाओ	65
बे वुकूफ़ों का इयादत करना	41	आम रास्ते की तरफ़ बैतुल ख़ला वगैरा बनाना	66
(7) बिला इजाज़त किसी का ख़त देखना	41	रास्ते पर ख़रीदो फ़रोख़्त करने के तीन मसाइल	67
(8) पड़ोसी को तक्लीफ़ न दीजिये	43	रास्ते पर किसी को तक्लीफ़ न दो !	67
वोह ईमान वाला नहीं हो सकता	44	खेती के मालिक की शिकायत (हिकायत)	69
तुम हमारे साथ न बैठो (हिकायत)	45	रस्सी खुलवा दी (हिकायत)	71
40 घर पड़ोस में दाख़िल हैं	46	(12) वुरसा को तक्लीफ़ न दीजिये	71
हमसाए की बकरी को भी तक्लीफ़ न दो (हिकायत)	46	60 साल इबादत के बावुजूद दोज़ख़ का फ़ैसला	73
पड़ोसियों को तक्लीफ़ देने की मुख़ालिफ़ सूरतें	47	(13) औलाद से यक्सां सुलूक न रखना	74
पड़ोसी के हुकूक	47	मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता (हिकायत)	76
पड़ोसियों की ख़ातिर शोरबा ज़ियादा पका लो	48	(14) बच्चों को तक्लीफ़ न दीजिये	77
पड़ोसियों के लिये भी गोश्त ख़रीद लेते (हिकायत)	50	लड़के के ख़त्ते में भी ख़याल रखिये	78
(9) तक्लीफ़ देने वाला मज़ाक़ न कीजिये	50	(15) दा'वते वलीमा वगैरा में ग़रीबों का	
मिज़ाह और सुख़रिय्या में फ़र्क़	52	ख़याल न रखना	78
लोगों का मज़ाक़ उड़ाने वाले का अन्जाम	52	बद तरीन खाना	79
मज़ाक़ में भी डराने से रोका (हिकायत)	52	कपड़ों को खाना ख़िला रहा हूँ (हिकायत)	80
अप्रैल फूल	53	(16) ज़ख़ीरा अन्दोज़ी न कीजिये	81
ग़लत ख़बर ने जान ले ली (हिकायत)	55	इहतिकार क्या है ?	81
अप्रैल फूल का धोका (हिकायत)	55	इहतिकार सिर्फ़ ग़ल्ले में होता है	82
अप्रैल फूल कैसे शुरूअ हुवा ? (हिकायत)	55	मुसलमानों की तक्लीफ़ पर खुश होने वाला	82
फ़स्ट यर फूल	57	ग़ल्ला महंगा होने का इन्तिज़ार करने	
(10) नाम बिगाड़ना	58	वाले की तफ़हीम (हिकायत)	83

उ़नवान	शफ़्हा	उ़नवान	शफ़्हा
जितने का ख़रीदा है उसी में बेच दो (हिकायत)	84	(23) तन्ज़िया अन्दाज़े गुफ़्तगू इख़्तियार करना	102
पांच दीनार वापस कर दिये (हिकायत)	85	ज़बान से तक्लीफ़ देने वाली का अन्जाम	104
(17) बिला इजाज़त किसी की चीज़ इस्ति'माल न करें	86	(24) गुज़रगाह के बीच या किनारे पर बोलो बराज़ करना	106
लाठी भी बिला इजाज़त न ले	86	(25) मस्जिद में तक्लीफ़ न दीजिये	107
खुशदिली के बिग़ैर दूसरे की चीज़ हलाल नहीं	87	गुस्ले जुमुआ की इब्दिदा कैसे हुई ? (हिकायत)	107
दरख़्त की चन्द पत्तियां (हिकायत)	88	(26) गर्दन में फ़लांगें	109
किसी की दीवार का साया ले लेना कैसा ?	88	जहन्नम का पुल	110
वक्फ़ की चीज़ों का इस्ति'माल	88	(27) नोकदार चीज़ एहतियात से ले कर चलें	110
जाती चराग़ जला लिया (हिकायत)	89	(28) मुंह में बदबू हो तो दूसरों को ईजा	111
(18) तिलावत करते हुए तक्लीफ़ न दीजिये	91	पहुंचती है	111
तिलावत आवाज़ से करना बेहतर है मगर कब ?	91	बदबूदार मरहम लगा कर मस्जिद में आने की मुमानअत	112
हाज़त से ज़ियादा बुलन्द आवाज़ करना कैसा ?	92	कच्ची प्याज़ खाने से भी मुंह बदबूदार हो जाता है	112
(19) मुक्तदियों को तक्लीफ़ न दीजिये	92	मस्जिद में कच्चा गोशत न ले जाएं	113
नमाज़ मुख़त्सर कर देते	93	कच्ची प्याज़ वाले कचमूर और राएते से मोहतात रहिये	113
त़वील क़िराअत न करे	93	बदबूदार मुंह ले कर मुसलमानों के मजमए में जाने की मुमानअत	114
(20) उस्ताज़ को तक्लीफ़ देना इल्म की बरक़त से महरूम रहेगा	95	गोशत, मछली बेचने वाले	114
उस्ताद के हुक्क़	95	(29) फ़िरिशतों को तक्लीफ़ न दीजिये	115
उस्ताज़ को धोका देना ज़ियादा बुरा है	96	फ़िरिशतों को ईजा	116
(21) बुजुर्गों को तक्लीफ़ देना (हिकायत)	97	मिस्वाक कर लिया करे	116
विलायत का मे'यार (हिकायत)	98	(30) किसी की जगह या सीट पर कब्ज़ा जमाना	117
बात न मानने का अन्जाम (हिकायत)	99	अपनी जगह का ज़ियादा हक़दार कौन ?	117
(22) तौबा के बा'द गुनाहों पर अ़र दिलाना	100	(31) गाड़ी पर स्क्रैच डालना	118
खुद भी उसी गुनाह में मुब्तला होगा	101	(32) गलियों में क्रिकेट, फुटबोल वगैरा	

उन्वान	सफ़्हा	उन्वान	सफ़्हा
खेलना	119	(48) कर्ज ख़्वाह को बिला वज्ह टालना	131
(33) पान की पिचकारी	119	अब मेरी रक़म भी लौटा दो (हिकायत)	131
(34) इस्तिन्जा ख़ाने का इस्ति'माल	120	कर्ज को अदाएगी में अच्छी नियत का सिला	132
(35) ग़लत पार्किंग	120	(49) मकरूज को धमकियां देना	132
(36) बिला ज़रूरत फ़ोन या sms करना	121	कर्ज का सवाब	133
(37) ऊपर से कोई चीज़ फेंकना	122	इमाम बुख़ारी और एक मकरूज (हिकायत)	133
(38) कचरा कूंडी बना लेना	122	(50) रिश्ते देखने का अन्दाज़	134
पालतू बिल्ला घर में ही दफ़ना दिया (हिकायत)	123	नफ़िसयाती मरीज़ा बन गई (हिकायत)	135
(39) बिन मांगे मश्वरे देना	123	रिश्ते में नेक औरत का इन्तिखाब किया जाए	136
(40) किसी के घरेलू मुआमलात में दख़ल अन्दाज़ी करना	124	उस ने क़त्ए रेहूमी की	137
(41) हुजूम में धक्के मारना	125	बेटी को कहां बियाह रहे हैं ?	137
(42) वोल चॉर्किंग करना, इशितहार लगाना	125	तलाशे रिश्ता (हिकायत)	137
दीवार की कीचड़ (हिकायत)	126	रिश्ते का उसूल	139
(43) कुरबानी के जानवर के खून वग़ैरा से किसी की दीवार वग़ैरा ख़राब करना	127	रिश्ता यूं भी होता है (हिकायत)	140
जब पड़ोसी की दीवार पर खून के छींटे पड़े (हिकायत)	127	(51) कीमते ख़रीद पर तबसेरे	141
(44) नमाज़ी या सोने वाले के पास बुलन्द आवाज़ से बातें करना	128	(52) घिन दिलाने वाली हरकतें करना	142
बुलन्द आवाज़ से गुफ़्तू करने वालों को समझाया (हिकायत)	128	(53) हाथापाई की आदत	142
इस्लाह फ़रमा दी (हिकायत)	129	(54) बात काटना	142
(45) वक़्त पर दा'वत शुरू न करना	129	(55) केले वग़ैरा के छिलके प्लेटफ़ोर्म पर फेंक देना	143
गोशत भुनने की आवाज़ (हिकायत)	130	(56) महाफ़िल में लाऊड स्पीकर का इस्ति'माल	144
(46) ट्रेन, बस में सफ़ाई का ख़याल न रखना	130	असा तोड़ दिया (हिकायत)	144
(47) घरेलू इस्ति'माल की शै उस की जगह पर न रखना	131	लाऊड स्पीकर का ग़लत इस्ति'माल न करें	145
		(57) बे मक्सद मुलाक़ात में वक़्त जाएअ करना	145
		मैं खुद उन के पास पहुंच जाता हूं	146
		(58) गाड़ी चलाते हुए कीचड़ उड़ाना	146
		(59) मुसाफ़हे और मुआनके में कुछ	


उन्वान	सफ़्हा	उन्वान	सफ़्हा
जियादा ही जोर से दबाना	147	(71) मुर्दे को तक्लीफ़ न दीजिये	166
बेहोश हो गया (हिकायत)	147	मरने वाले के पेट पर भारी चीज़ रखने में एहतियात	167
(60) किसी को झूटा, बद दियात या रिश्वत खोर करार देना	147	घरवालों के रोने से मथ्यित को तक्लीफ़ होती है	167
(61) सोई हुई जौजा को छोटे छोटे कामों के लिये उठाना	148	जियारते क़ब्र का मोहतात तरीका	168
(62) मियां बीवी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काना	149	मरने वाले को राहत पहुंचाइये	168
(63) रिश्ते पर रिश्ता भेजना	150	जूतों की आवाज़ से तक्लीफ़ होती है	169
(64) बैअ पर बैअ या इजारे पर इजारा करना	150	क़ब्र पर बैठने वाले को तम्बीह (हिकायत)	169
(65) कितार तोड़ना	151	क़ब्र पर पाउं रखा तो आवाज़ आई (हिकायत)	169
कितार में खड़े रहे (हिकायत)	151	उठ तू ने मुझे ईजा दी ! (हिकायत)	170
(66) किसी का राज़ फ़ाश करना	152	क़ब्र पर पाउं रखना हुराम है	170
राज़ फ़ाश नहीं करूंगी (हिकायत)	153	क़ब्र के क़रीब गन्दगी करना	171
येह राज़ किसी पर जाहिर न करना (हिकायत)	154	(72) बद आ'मालियों से तक्लीफ़ न दो	171
राज़ नहीं खोल सकता था (हिकायत)	155	(73) जानवरों को भी तक्लीफ़ न दीजिये	172
(67) खुशियां मनाने के नाम पर दूसरों को तक्लीफ़ देना	156	जानवरों को कुर्सी न बना लो	172
(68) ख़ादिमीन को तक्लीफ़ न दीजिये	157	इस के बच्चे इसे लौटा दो (हिकायत)	173
गुलाम को तक्लीफ़ न दी (हिकायत)	157	चिड़िया की शिकायत	173
ख़ादिमा की तक्लीफ़ का ख़याल (हिकायत)	158	चिड़िया को तक्लीफ़ देने का अन्जाम (हिकायत)	174
ख़ादिम से कपड़े पर सियाही गिर गई (हिकायत)	158	नेक बन्दे च्यूंटियों को भी ईजा नहीं देते	174
येह मेरी जिम्मेदारी नहीं है (हिकायत)	159	च्यूंटियों के लिये रोटी रखा करते	175
(69) हज़ के दौरान तक्लीफ़ न दीजिये	160	बेताब च्यूंटी (हिकायत)	175
हज़रे अस्वद को बोसा किस तरह दें ?	160	च्यूंटियों के हटने का इन्तिज़ार (हिकायत)	176
रमल में भी एहतियात	161	(74) ज़ब्द के वक़्त जानवर को ग़ैर ज़रूरी तक्लीफ़ न दीजिये	176
तक्लीफ़ देने की मुख़ालिफ़ सूूरतें	161	जानवरों पर रहूम की अपील	177
(70) दौराने सफ़र तक्लीफ़ न दीजिये	165	मजलूम जानवर मुसल्लत हो सकता है	178
		मक़बी पर रहूम करना बाइसे मग़फ़िरत	

उ़नवान	शफ़्हा	उ़नवान	शफ़्हा
हो गया (हिकायत)	179	एक नेकी का बदला जन्त	191
मक्खी को मारना कैसा ?	179	भलाई का इन्आम	192
ऊंट वाले को मार क्यूं पड़ी ? (हिकायत)	180	बारगाहे रिसालत में पेश किये जाने वाले	
एक मछली भी न चखी (हिकायत)	180	आ'माल	192
(75) जानवर लड़वाने से मन्अ फ़रमाया	181	तक्लीफ़ देह दरख़्त काटने पर इन्आम	
ज़ख़्मी गधा (हिकायत)	182	में जन्त मिली (हिकायत)	194
मच्छर, टिड्डी और बिल्ली पर शफ़क़त	182	तक्लीफ़ देह चीज़ हटाना सदका है	195
ख़ारिश ज़दा कुते की ख़बरग़ीरी (हिकायत)	183	जन्त में दाख़िल किया गया (हिकायत)	196
बिल्ली पर रहम रहमते खुदावन्दी का ज़रीआ	183	रास्ते का कांटा हटाने ने बख़्शिश करा दी (हिकायत)	197
(76) घरेलू बिल्ली और परन्दों का ख़याल रखिये		अल्लाह का प्यारा कौन ?	198
तक्लीफ़ देने वाली बिल्ली का क्या किया जाए ?	184	ख़ोटा दिरहम जाएअ कर देते (हिकायत)	200
जानवर को चाबुक या आंकड़ा नहीं मारते थे	185	लोगों को अपने शर से बचाओ	200
(77) परन्दों को निशाना बाजी के लिये इस्ति'माल करना (हिकायत)	185	फ़िक्हे अक्बर क्या है ? (हिकायत)	201
मगरमच्छ ने जान बचाई (हिकायत)	186	क़ब्र की तक्लीफ़ से बचाव का नुस्खा	201
अजमेरी गाएं (हिकायत)	186	तलबा को ज़हमत न दी (हिकायत)	202
शहद की मक्खी का डंक (हिकायत)	187	किसी की दिल शिकनी न हो (हिकायत)	202
(78) जिन्नात को भी तक्लीफ़ न दीजिये	188	जुल्मन ईज़ा देने की क़सम खा ली तो	
जिन्न ने शहीद कर दिया (हिकायत)	188	क्या करे ?	203
बोसीदा हड्डियों से इस्तिन्जा न किया करें	189	तक्लीफ़ पर सब्र का सवाब	204
तक्लीफ़ न देने के फ़ज़ाइल	190	अज़े क़लीमी और इरशादे इलाही (हिकायत)	205
कौन सा मुसलमान अफ़ज़ल	190	औरत की बद अख़्लाक़ी पर सब्र (हिकायत)	205
तक्लीफ़ न देने वाले का सवाब	190	किसी की तक्लीफ़ पर तक्लीफ़ देना	206
जैसा करोगे वैसा भरोगे	191	एहसान क्या है ?	207
तक्लीफ़ देह चीज़ से बचाना ईमान की एक शाख़ है	191	मुआफ़ी मांग लीजिये	207
		बद मुआश ने तौबा कर ली	208
		मआख़िज़ो मराजेअ	211
		❀❀❀❀	

नेक नमाजी बनने के लिये

हर जुमा 'रात बा'द नमाजे मगरिब आप के यहां होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इजतिमाअ में रिज़ाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी नियतों के साथ सारी रात शिर्कत फरमाइये ❁ सुन्नतों की तरबियत के लिये मदनी काफ़िले में आशिकाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ❁ रोज़ाना "फ़िक्रे मदीना" के ज़रीए मदनी इन्आमात का रिसाला पुर कर के हर मदनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'मूल बना लीजिये।

मेरा मदनी मक्शद : "मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।" إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ अपनी इस्लाह के लिये "मदनी इन्आमात" पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये "मदनी काफ़िलों" में सफ़र करना है। إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ



मक्तबतुल मदीना (हिन्द) की मुख़्तलिफ़ शाखें

- ❁ देहली :- उर्दू मार्केट, मटिया महल, जामेअ मस्जिद, देहली -6, फ़ोन : 011-23284560
- ❁ ब्रह्मदाबाद :- फ़ैज़ाने मदीना, त्रीकोनिया बगीचे के सामने, मिरज़ापुर, अहमदाबाद-1, गुजरात, फ़ोन : 9327168200
- ❁ मुम्बई :- फ़ैज़ाने मदीना, ग्राउन्ड फ्लोर, 50 टन टन पुरा इस्टेट, खड़क, मुम्बई, महाराष्ट्र, फ़ोन : 09022177997
- ❁ हैदराबाद :- मुग़ल पुरा, पानी की टंकी, हैदराबाद, तेलंगाना, फ़ोन : (040) 2 45 72 786

E- mail : maktabdelhi@gmail.com, Web : www.dawateislami.net